राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था

डॉ. ओ. पी. शर्मा



राज पब्लिशिंग हाऊस
जयपुर

प्रकाशक
श्रीमती किरन परनामी
राज पब्लिशिंग हाऊस
44 परनामी मन्दिर गोविन्द मार्ग
जयपुर 302 004

राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था

प्रथम संस्करण 1997

लेजर टाइपसेटिंग
एप्पल प्रिन्टर्स-N-ग्राफिक
509 गणगौरी बाजार जयपुर
फोन 315652

मुद्रक

विषय सूची

स्मरण

यह पुस्तक पूज्य गुरुवर स्व. डॉ. सी. आर. कोठारी की स्मृति में समर्पित ।

पुस्तक प्रकाशन के समय में पूज्य पिताजी स्व. श्री भैरू लाल जी शर्मा एवं पूजनीया माताजी स्व. श्रीमती शांति शर्मा का स्मरण किये बिना नहीं रह सकता, जिनकी प्रेरणा से ही यह महत्वपूर्ण कार्य करने मे मैं समर्थ हो सका।

लेखक

भूमिका

राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पुस्तक आपके हाथों मे सौंपते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। हाल ही के वर्षों में प्रारम्भ किये गए आर्थिक उदारीकरण के दौर में औद्योगिक विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होकर उभरा है। औद्योगिक विकास की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए ही न केवल विश्व के अनेक राष्ट्र अपितु भारत सरीखे देश के राज्य भी आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में औद्योगिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किये हुए है। विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करने का मुख्य ध्येय औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करना है। औद्योगिक विकास आधुनिक युग की एक अनिवार्यता है। इसके बिना आज कोई देश न तो जनसमूह को जीवन के प्रचुर साधन उपलब्ध करा सकता हैं और न ही अन्तर्राष्ट्रीय मच पर उचित भूमिका निभा सकता है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न एव विकसित कहे जाने वाले देश औद्योगिक विकास के मार्ग पर अग्रसर होकर ही आर्थिक विकास के उच्चतम शिखर तक पहुचे हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। विकसित राष्ट्रो से सीख लेकर अनेक विकासशील राष्ट्र आज तीव्र औद्योगिक विकास के लिए प्रयासरत है, किन्तु विकास लक्ष्य प्राप्ति मे अनेक बाधाए इनके समक्ष विद्यमान है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव सबसे प्रमुख बाधा है। जिससे ये राष्ट्र औद्योगिक विकास को अपेक्षित गति देने मे सफल नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यहाँ के प्राकृतिक ससाधनो का समुचित विदोहन नहीं होने से अन्य देशों की तुलना में भारत पिछडा हुआ है। अत तीव्र औद्योगिक विकास की महती आवश्यकता है।

उद्योगों के समुचित विकास से देशवासियो की आय में अर्थपूर्ण एव नियमित रूप से वृद्धि सम्भव है। औद्योगिक विकास के द्वारा अधिक रोजगार एव श्रेष्ठतर व्यावसायिक ढाचा निर्मित होता है। लोगो के जीवन स्तर में सुधार आता है। बचत एव निवेश में वृद्धि की सुखद परिणति उत्पादिता मे वृद्धि के रूप मे परिलक्षित होती है। व्यक्ति और समाज का बहुमुखी विकास होता है। राष्ट्र आर्थिक एव राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त होकर उभरता है।

भारत मे स्वतत्रता के बाद औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। आर्थिक योजनाओ की व्यूह रचना में आधारभूत एव भावी औद्योगीकरण पर जोर दिया गया। फलस्वरूप सातवीं पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने तक औद्योगिक विकास सबधी व्यापक आधारभूत ढाचा तैयार हो चुका था। आर्थिक उदारीकरण से अर्थव्यवस्था मे मूलभूत बदलाव हुए है। औद्योगिक नीति में किये गए परिवर्तन से देश में औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है।

राजस्थान सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। परन्तु औद्योगिक विकास की दृष्टि से अभी तुलनात्मक रूप से कमजोर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश के बाद भारत के राज्यों में राजस्थान का स्थान है। जिसका अधिकाश भाग रेत के धोरों से पटा हुआ है। यह धोरे रूपी सागर अपने में अथाह खनिज सपदा समेटे हुए है, किन्तु राज्य में ससाधनों की बाहुल्यता के बावजूद औद्योगिक इकाइयों का अभाव बना हुआ है।

औद्योगिक विकास की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए तथा आर्थिक उदारीकरण के दौर में उद्योगों के विकास पर विशेष बल देने के फलस्वरूप राजस्थान का आलोचनात्मक

अध्ययन करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। वर्ष 1994 में "राजस्थान का औद्योगिक विकास एव भावी सम्भावनाए, विशेषत- सवाईमाधोपुर जिले के सदर्भ में" विषय पर शोध प्रबध सम्पन्न कर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया, जिस पर विश्वविद्यालय ने मार्च 1996 में पीएच डी की उपाधि प्रदान की। राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पुस्तक शोध प्रबध का ही पुस्तकीय रूप है। विषय वस्तु में क्रमवार अवश्य बदलाव किया गया है। इसके अलावा पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आर्थिक उदारीकरण और पर्यटन उद्योग को अलग से सम्मिलित किया है। पुस्तक में कुल चौदह अध्याय है जिनके नाम इस प्रकार है- औद्योगिक पृष्ठभूमि, राजस्थान में प्रमुख वृहद उद्योग, लघु उद्योगो की प्रगति, पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाए, राजस्थान के औद्योगिक विकास की झलक तथा भारत में इसकी स्थिति, औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाएँ, औद्योगिक विकास मे प्रमुख बाधाए तथा विकास हेतु सुझाव, नई औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास और विशिष्ट वित्तीय सस्थाएँ, सवाई माधोपुर का औद्योगिक विकास तथा राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण।

पुस्तकीय सामग्री को तैयार करने में इकोनौमिक सर्वे, इण्डिया, स्टेटिस्टिकल एब्सट्रक्ट ऑफ राजस्थान, बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान, द पापुलेशन ऑफ राजस्थान, एन्यूवल सर्वे ऑफ इण्डस्ट्रीज, आय व्यय अध्ययन राजस्थान, खादी ग्रामोद्योग प्रवृत्तियाँ और प्रगति, नई औद्योगिक नीति, डी ए.वी पी सूचना और प्रसारण मत्रालय भारत सरकार, पब्लिक एन्टरप्राइजेज सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, उद्योग व्यापार पत्रिका आदि महत्वपूर्ण राजकीय प्रकाशनो का भरपूर उपयोग किया गया है।

मै श्रीहदेय डॉ जे के टण्डन साहब का विशेष रूप से हृदयक आभार प्रकाट करता हूँ जिन्होने मुझे कभी पूज्य डॉ सी आर. कोठारी साहब का अभाव महसूस नहीं होने दिया। आज डॉ टण्डन के सानिध्य में ही मेरी लेखनी को गति मिल रही है। आप मेरी प्रेरणा के झरने।

पुस्तक लेखन के लिए गुरुजन, विद्वान व्याख्याता, मित्रो तथा निकट सम्बन्धियों से प्रेरणा मिली। इन सभी के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं पुस्तक की श्रीमती किरन परनामी के प्रति भी आभारी हूँ। जिन्होने अत्यल्प समय मे पुस्तक को प्रकाशित कर आपके हाथों में सौप दिया है।

आखिर में श्रीमती मजू शर्मा, सवाई माधोपुर तथा सुश्री नीलम जोशी अजमेर के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिन्होने शोध एव लेखन के क्षेत्र में सदैव मेरा उत्साहवर्धन किया।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक राजस्थान के औद्योगिक विकास में रूचि रखने वालो के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक को उत्तरोत्तर प्रभावी बनाने के लिए आपके सुझावो और विचारों का सदैव स्वागत है।

डॉ ओ पी. शर्मा

शाति दीप
जटवाडा मानटाउन
सवाई माधोपुर 322001
राजस्थान



अध्याय 1

राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

सक्षिप्त अध्ययन

आजादी से पूर्व राजस्थान विभिन्न देशी रियासतो मे बटा हुआ था । विभिन्न आर्थिक सूचको की दृष्टि से रियासतो की स्थिति अलग अलग थी । राजस्थान मे देशी रियासतो को मिलान की प्रक्रिया मार्च 1948 मे प्रारम्भ हुयी । 19 देशी रियासतो और तीन सामन्ती राज्यो के एकीकरण की प्रक्रिया नवम्बर 1956 मे पूरी हुइ । गौरतलब है भारत मे प्रथम पच वर्षीय योजना मार्च 1956 म सम्पन्न हो चुकी थी । इस योजनावधि मे राजस्थान निमाण प्रक्रिया से गुजर रहा था ।

वर्तमान मे राजस्थान योजनाबद्ध विकास के छियालीस वष पूरे कर चुका है। इस अवधि मे आठ पच वर्षीय योजनाएँ तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी है । राज्य मे अप्रेल 1997 स नवी पचवर्षीय योजना प्रारम्भ होगी । नियोजन काल म राजस्थान मे आर्थिक विकास ने गति पकडी है । राजस्थान मे चालू मूल्यो पर आथिक वृद्धि दर 1994 95 मे 21 66 प्रतिशत रही । राजस्थान मे औसत कृषि जोत 4 11 हक्टेयर है। जो भारत की ओसत कृषि जात 1 68 हेक्टेयर की तुलना मे अधिक है । राज्य के प्रति व्यक्ति खाद्यान्नो का त्रिवार्षिक आसत उत्पादन 194 किलोग्राम है । इस दृष्टि से राजस्थान का देश भर मे पाचवा स्थान हे । योजना उद्व्यय की दृष्टि से भी राजस्थान का पाचवा स्थान है । राजस्थान मे अष्ठम योजना (1992-97) का उद्व्यय 11500 करोड रुपए है । 1995 96 के बजट अनुमानो के अनुसार प्रति व्यक्ति विकास दर व्यय 1017 70 रुपए है । प्रति व्यक्ति विकास दर व्यय की दृष्टि से राजस्थान का आठवा स्थान है ।

96 में बढ़कर 33705 करोड रुपए हो गया । यह वृद्धि 10 प्रतिशत आकी गई है । वर्ष 1996-97 के अनुमान के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 39460 करोड रुपए आका गया है । इस प्रकार गत वर्ष के मुकाबले यह वृद्धि 17 प्रतिशत से अधिक है ।

स्थिर कीमतों (1980-81) पर 1994-95 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 9937 करोड रुपए था जो वर्ष 1995-96 में बढकर 9936 करोड रुपए हो गया । अग्रिम अनुमानो के अनुसार 1996-97 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 11021 करोड रुपए हो जाएगा । यह वृद्धि 11 प्रतिशत के लगभग आकी गई है ।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । प्रचलित मूल्य (1980 81) पर 1996 97 में प्रति व्यक्ति आय 7992 रुपए आकी गई है जो 1995-96 मे 6958 रुपए की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है । स्थिर कीमतो पर वर्ष 1996 97 *में प्रति व्यक्ति आय 2232 रुपए आकी गई है जो कि 1995 96 से 8 83 प्रतिशत अधिक* है । वर्ष 1995 96 मे स्थिर कीमतो पर प्रति व्यक्ति आय 2051 रुपए थी ।[1]

योजना परिव्यय—राजस्थान मे योजनाबद्ध विकास मे सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत वास्तविक व्यय में भारी वृद्धि हुयी । सार्वजनिक क्षेत्र में योजनावार वास्तविक व्यय इस प्रकार है-प्रथम योजना 5 41 करोड रुपए, द्वितीय योजना 102 7 करोड रुपए, तृतीय योजना 212 7 करोड रुपए, तीन वार्षिक योजना (1966 69) मे 136 8 करोड रुपए, चतुर्थ योजना 308 8 करोड रुपए, पाचवी योजना 857 6 करोड रुपए, वार्षिक योजना 290 2 करोड रुपए, छठी योजना 2120 5 करोड रुपए, सातवीं योजना 3106 2 करोड रुपए, वार्षिक योजना 1990-91 मे 973 2 करोड रुपए, वार्षिक योजना 1991-92 (सभावित) 1170 करोड रुपए ।

आठवीं पचवर्षीय योजना (1991-92)— राजस्थान की आठवीं योजना 11500 करोड रुपए की निर्धारित की गई है । आठवीं योजना की निर्धारित राशि सातवीं योजना के वास्तविक परिव्यय से 270 22 प्रतिशत अधिक है । आठवीं पच वर्षीय योजना का प्रस्तावित व्यय मार्च 1990 तक विभिन्न पच वर्षीय योजनाओ तथा वार्षिक योजनाओ के वास्तविक व्यय (7140 91 करोड रुपए) से 4359 09 करोड रुपए अधिक है । आठवीं योजना में वास्तविक व्यय 12000 करोड रुपए होने का अनुमान है ।

आठवीं योजना में सर्वाधिक ध्यान उर्जा विकास पर केन्द्रित किया गया है। ऊर्जा के लिए प्रस्तावित व्यय का 28 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया । ऊर्जा विकास के बाद सबसे *अधिक ध्यान सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएँ और सिचाइ एव बाढ* नियत्रण पर दिया गया है । आठवीं योजना मे क्षेत्रवार परिव्यय आवटन इस प्रकार

---

1 राजस्थान पत्रिका 11 जनवरी, 1997

2. Droft Lieht Lme Plans Part I Rajasthan

है —कृषि एव सम्बद्ध सेवाएँ 1286 92 करोड रुपए, सिचाई एव बाढ नियत्रण 1919 49 करोड रुपए, ऊर्जा 3255 49 करोड रुपए, उद्योग व खनिज 536 02 करोड रुपए, यातायात 783 97 करोड रुपए, वैज्ञानिक सेवाएँ एव अनुसधान 19 96 करोड रुपए, सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ 2461 62 करोड रुपए, आर्थिक सेवाएँ 71 72 करोड रुपए तथा सामान्य सेवाएँ 58 56 करोड रुपए ।

वार्षिक योजना — राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजनान्तर्गत निवेश 1992 93 में 320 प्रति व्यक्ति से बढकर 1996 97 में 727 रुपए हो गया है । देश मे योजना के आकार में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि राजस्थान में ही हुई है । राज्य की वार्षिक योजनाओ के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । वार्षिक योजना का आकार 1992 93 में 1400 करोड रुपए था जो बढकर 1993 94 में 1700 करोड रुपए, 1994–95 मे 2450 करोड रुपए तथा 1995–96 में और बढकर 3200 करोड रुपए हो गया । आठवीं योजना के आकार को देखते हुए 1996–97 का वार्षिक योजना 2750 करोड रुपए की होनी चाहिए थी किन्तु विकासगत जरूरता को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजना 3200 करोड रुपए की निर्धारित की गई ।

राजस्थान की 1994–95 की वार्षिक योजना में गत वर्ष की तुलना मे 44 11 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुइ । 1994 95 की वार्षिक योजना का विकास शीर्ष अनुसार वास्तविक व्यय इस प्रकार है –

योजना उद्व्यय 1994 95

विकास शीर्ष	वास्तविक उद्व्यय (करोड रुपए)	कुल का प्रतिशत
1 कृषि एव सम्बद्ध सेवाएँ	*240 21*	*9 94*
2 ग्रामीण विकास	*180 54*	*7 47*
3 विशिष्ठ क्षेत्रीय योजना	*3 45*	*0 14*
4 सिचाई एव बाढ नियत्रण	*381 13*	*15 78*
5 ऊर्जा	*651 39*	*26 96*
6 उद्योग व खनिज	*127 64*	*5 28*
7 यातायात	*178 62*	*7 39*
8 वैज्ञानिक सेवाएँ एव अनुसधान	*3.91*	*0 16*
9 सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ	*606 51*	*25 11*
10 आर्थिक सेवाएँ	*17 72*	*0 73*
11 सामान्य सेवाएँ	*24 63*	*1 02*
कुल	*2415 75*	*100 00*

स्रोत – आर्थिक समीक्षा 1995–96 राजस्थान सरकार ।

वर्ष 1994 95 की वार्षिक योजना में सर्वाधिक ध्यान ऊर्जा, सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ और सिचाई एव बाढ नियत्रण पर केन्द्रित किया गया है । इस विकास शीर्षो पर वास्तविक व्यय कुल योजना परिव्यय का क्रमश 26 96 प्रतिशत 25 11 प्रतिशत 15 78 प्रतिशत रहा ।

राजस्थान की जनसंख्या

राजस्थान की जनसख्या की विकरालता विकट समस्या हैं । बढती जनसख्या अब विस्फोटक स्थिति के सन्निकट है जो विकास में अवरोध साबित हो रही है । जनसख्या के सख्यात्मक पहलू की अपेक्षा उसका गुणात्मक पहलू अधिक महत्त्वपूर्ण है । तीव्र आर्थिक विकास के वास्ते तेज गति से बढ रही आबादी को थामना परिहार्य है । इसके अभाव मे विकासगत प्रयासो की कोई प्रासगिकता शेष नहीं रह सकेगी ।

मानवीय साधनो की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देश के अन्य प्रान्तो की तुलना मे दयनीय है । ग्रामीण क्षेत्रो में विशेषकर महिलाओ में साक्षरता का नितान्त अभाव है । सरकार प्रान्त मे साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई व पोषण आदि सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए सचेष्ट है । हाल ही के वर्षों में राज्य में औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है । लोगो की आमदनी के बढने से जनसख्या की गुणात्मकता मे वृद्धि दृष्टिगोचर हुयी है ।

द पापूलेशन ऑफ राजस्थान, 1991 के अनुसार राजस्थान की जनसख्या 4,40,05,990 थी । इसमे ग्रामीण जनसख्या 3,39,38,877 तथा शहरी जनसख्या 1,00,67,113 थी । वर्ष 1981 में राज्य की जनसख्या 3 43 करोड थी । 1981 से 1991 के बीच राज्य की जनसख्या में 97 करोड व्यक्तियों की बढोतरी हुयी है । 1981 91 के दशक में राज्य की जनसख्या मे वृद्धि 28 44 प्रतिशत बैठती है जो भारत की दशकीय वृद्धि (23 85 प्रतिशत) की तुलना में 4 59 प्रतिशत अधिक है । जाहिर है राजस्थान मे जनसख्या वृद्धि डरावने काले बादलों की तरह मडरा रही हैं ।

राजस्थान में 1951 से 1991 तक की अवधि में जनसख्या में दशकीय वृद्धि अग्राकित है ।

वर्ष	जनसख्या (करोड में)	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1951	*1 60*	*15 2*
1961	*2 02*	*26 2*
1971	*2 58*	*27 8*
1981	*3 43*	*33 0*
1991	*4 40*	*28 4*

स्वतत्रता—उपरात राजस्थान की जनसख्या 1951 में 1 60 करोड से बढकर 1991 मे 4 40 करोड हो गयी । चालीस वर्षों मे 2 80 करोड की वृद्धि हो गयी । 1951 से 1981 तक जनसख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी । 1991 की दशकीय वृद्धि का 1981 की तुलना मे कम होना प्रान्त के लिए शुभ सकेत है लेकिन अखिल भारत की वृद्धि दर से तुलना करने पर स्थिति निराशाजनक परिलक्षित होती है । अत. राज्य की जनसख्या वृद्धि दर को भविष्य मे और कम करने की आवश्यकता है । 1991 मे राजस्थान की जनसख्या भारत की कुल जनसख्या का 5 20 प्रतिशत रही है ।

जनसख्या घनत्व—प्रति वर्ष 2 84 प्रतिशत की गति से बढ रही जनसख्या के कारण राज्य मे जनसख्या के घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । 1991 की जनगणना के अनुसार यह प्रति वर्ग कि मी 128 रहा जबकि 1981 मे यह 100 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी था । राज्य के सभी जिलो मे तीव्र आर्थिक विकास नहीं होने के कारण घनत्व मे काफी अतर है । जयपुर जिले में जनसख्या घनत्व 335 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी है जो कि सर्वाधिक है । जैसलमेर जिले मे यह 9 है जो कि राज्य मे सबसे कम है । 1981 मे तो केवल 6 ही था ।

लिग अनुपात —प्रति हजार पुरुषो के पीछे महिलाओ की सख्या में हो रही कमी महिलाओ के प्रति उपक्षित व्यवहार का परिचायक है । राज्य में प्रति हजार पुरुषो के पीछे महिलाओं की सख्या 1991 मे 910 है जो कि अखिल भारत स्तर के लिग अनुपात (927) से 17 कम है । 1981 में यह अनुपात 919 था 1980–81 के दशक मे राज्य मे लिग अनुपात मे 6 अको की गिरावट आयी है । 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य के सभी जिलो मे स्त्रियो की सख्या पुरुषों से कम पायी गई ।

साक्षरता—साक्षरता की दृष्टि से राज्य की स्थिति बडी सोचनीय है । महिलाओ मे साक्षरता की दर बहुत नीची है । ग्रामीण स्त्रियो का तो हाल ही बेहाल है । 1991 मे राज्य मे 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसख्या में साक्षरता 38 55 प्रतिशत रही, 1981 की साक्षरता का प्रतिशत 30 1 था पिछले दस वर्षों में साक्षरता में 8 45 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । स्थिति मे थोडा सुधार हुआ है लेकिन राज्य आज भी इस दृष्टि से काफी पिछडी हुयी दशा मे है । अखिल भारत स्तर पर साक्षरता 52 11 प्रतिशत है । 1981 म राजस्थान साक्षरता मे सबसे नीचले क्रम पर था, 1991 में भी बिहार को छोडकर सबसे नीचे है। महिला साक्षरता की दृष्टि से तो राज्य आज भी नीचले क्रम पर है । साक्षरता मे वृद्धि अत्यावश्यक है । इसमें अनेक समस्याओ का समाधान समाहित है ।

इससे शादी की उम्र बढेगी लाग परिवार नियोजन के लाभ को बखूबी समझेग ।

जनसख्या की अन्य महत्त्वपूण प्रवृत्ति राज्य मे श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढाचे मे बदलाव की हे । वष 1971 म कुछ श्रम शक्ति जनसख्या का 34 1 प्रतिशत थी जो 1981 मे बढकर 36 6 प्रतिशत हो गई । वर्ष 1991 मे कुल श्रम शक्ति जनसख्या का 38 87 प्रतिशत रही ।

श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा

कुल श्रमिको का विभिन्न ओद्योगिक श्रेणियो के अनुसार वितरण निम्नाकित तालिका मे दर्शाया गया है —

श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा —

(प्रतिशत मे)

ओद्योगिक श्रेणी	1981	1991
1 कृषक	64 5	58 80
2 खेतिहर श्रमिक	8 5	10 00
3 पशुधन मछली वन आदि	2 8	1 80
4 खनन पत्थर निकालना	0 7	1 03
5 (अ) घरेलू उद्योग	3 0	2 0
(आ) घरेलू उद्योग क अलावा उद्योग	5 0	5 45
6 निर्माण	1 7	2 42
7 व्यापार व वाणिज्य	4 4	6 41
8 परिवहन सग्रह व सचार	2 1	2 39
9 अन्य सवाएँ	7 3	9 69
कुल (लगभग)	100 00	100 00

कृषि एव सहायक क्रियाआ म (श्रणा एक स तीन तक) श्रम शक्ति का अश 1981 की तुलना म वष 1991 म 5 2 प्रतिशत कम हुआ ह खनन व उद्योगा म (श्रणा चार व पाच) यह मामूला 0 22 प्रतिशत कम हुआ ह । निमाण व सवाओ म (श्रणा छ से नो तक) 5 41 प्रतिशत बढा ह ।

वष 1991 म राज्य म श्रम शक्ति क औद्योगिक वितरण म 1981 का तुलना म जो परिवतन आया है वह एक सही दिशा म होन वाला परिवतन ह । इस दौरान कृषि का महत्त्व कम हुआ है । निमाण व सवाओं क क्षत्र म प्रगति उल्लेखनीय है ।

राजस्थान मे तेज गति से बढ रही जनसख्या एक चिताजनक स्थिति है । कुल आबादी मे 61 प्रतिशत गैर श्रमिक है । प्रति हजार पुरुषो के पीछे घटती महिलाओ की सख्या, साक्षरता की अत्यन्त नीची दर आदि चितनीय पहलू है । कृषि क्षेत्र पर आश्रितों की सख्या अभी अधिक बनी हुयी है । अधिक आबादी के सामने राज्य के अथाह प्राकृतिक साधन सीमित नजर आने लगे हैं । अत बढ रही आबादी की दर को तेजी से कम करने की सख्त आवश्यकता है ।

तीव्रता से बढ रही आबादी के अनेक कारणा मे शिक्षा का अभाव परम्परावादी दृष्टिकोण, निर्धनता आदि मुख्य है । आज भी अधिकाश भागा मे जन्म लेने वाले बच्चे को दायित्व के रूप मे नहीं लिया जाकर परिवार को आर्थिक इकाई के रूप मे स्वीकार किया जाता है ग्रामीणो मे इस तरह को प्रवृत्ति ज्यादा है, शहरी निर्धनो मे भी कमोबेश यहीं हालत है ।

बढ रही आबादी को नियत्रित करने के लिए आवश्यक है कि मानवीय साधनो मे वृद्धि की पुरजोर कोशिश की जाए । इसमे सरकारी प्रयत्न के साथ जन सहयोग भी लाजिमी है । यदि समस्त राष्ट्र मे साक्षरता का अलख जगाया जाए तो यह आबादी नियत्रण मे कारगर सिद्ध हो सकता है ।

सरकार सावचेत है लोगो मे भी जागृति है । लोग खुद-ब खुद परिवार नियोजन को आत्मसात करने लगे है कई स्वैच्छिक सगठन भी इस ओर अग्रसर है । सर्वाधिक आवश्यकता पारिस्थिकी सतुलन तथा आबादी को नियत्रित करने की है । ऐसा करने से मानव पूजी मे अपेक्षित सुधार होगा तथा भावी पीढी के हित सुरक्षित रहेगे । यदि इसमे सफलता मिलती है तो आने वाले वर्षो मे राजस्थान आर्थिक विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यो मे होगा । राजस्थान मे प्राकृतिक ससाधनो का अभाव नहीं है । वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करके प्राकृतिक ससाधनो को गति देने की आवश्यकता है । यहा विकास की विपुल सभावनाएँ है ।



अध्याय 2

औद्योगिक पृष्ठभूमि

परिचयात्मक :-

भारत के इतिहास मे राजस्थान का एक गौरवमय स्थान रहा है । राजस्थान अनेक साहसी और पराक्रमी योद्धाओ की जन्म स्थली रहा है। प्राकृतिक कठिनाईयो की तपोभूमि राजस्थान ने बिडला, डालमिया, सिघानिया, बागड, पोद्दार आदि उद्योगपतियो को जन्म दिया है जिन्होने देश विदेश मे औद्योगिक और व्यापारिक जगत मे काफी ख्याति अर्जित की है ।

राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा तथा जनसख्या की दृष्टि से नवा स्थान है। राजस्थान का निर्माण 19 छोटे छोटे राज्यो व तीन चीफशिपो के एकीकरण से हुआ था। ये राज्य जनसख्या आकार, प्रशासनिक कुशलता व आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी भिन्न थे। एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से प्रारम्भ होकर 1956 मे सम्पन्न हुई थी। राजस्थान का वर्तमान वैधानिक स्वरूप 1 नवम्बर 1956 को लागू हुआ ।

स्वतत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान एक पिछडा हुआ राज्य था। आज जबकि राजस्थान नियोजित विकास के चार दशक पूरे कर चुका है फिर भी देश के अन्य राज्यो यथा पजाब, महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा आदि की तुलना मे पिछडा हुआ है। 1949 के पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान मे बिजली, पानी व यातायात के साधनो के अभाव के कारण बडे पैमाने के आधुनिक उद्योगो का विकास सभव नहीं था। सरकार ने पचवर्षीय योजनाओ मे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए विद्युत सृजन परिवहन, पानी, शिक्षा व चिकित्सा आदि पर काफी बल दिया हैं। 1986-87 मे राजस्थान का समस्त भारत के फैक्ट्री क्षेत्र मे दसवा स्थान रहा है।

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोगो का लगभग 2 प्रतिशत अश ही पाया जाता है जो कि अत्यल्प है। प्रान्त में कृषि पर आधारित

केन्द्रीय विनियोगो का लगभग 2 प्रतिशत अश ही पाया जाता हे जो कि अत्यल्प हे । जबकि राज्य मे विभिन्न उद्योगो के विकास की प्रबल सभावनाएँ हे ।

राजस्थान नियोजित विकास के साढे चार दशक पूरे कर चुका है । योजनाकाल मे औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओ के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये गए । जिससे प्रदेश मे औद्योगिक विकास का वातावरण बना है । समग्र राज्य मे उद्योगो विशेष रुप से लघु उद्योगो का विकास हुआ है ।

आज राज्य मे आधारभूत सरचना की स्थिति मे सुधार आने के कारण उद्योगपति विनियोग करने मे उतना नहीं कतराते जितना कि पूर्व के दशको मे राज्य के उद्योगपति भी मातृभूमि से अपने किश्ते को देखते हुए थोडी तिलाजलि देने को तत्पर हैं । वर्तमान मे राजस्थान मे सूती व सिथेटिक रेशें की इकाइया, ऊनी, चीनी, सीमेट, टेलीविजन, टायर ट्यूब फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मीले, इजीनियरी की औद्योगिक इकाइया खनिज आधारित बडी व मध्यम श्रेणी की इकाइया आदि है ।

राजस्थान से वर्ष 1994-95 मे मुख्य रुप से रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल, अभियात्रिक वस्तुएँ, रेडीमेड वस्त्र, दस्तकारी वस्तुएँ, रसायन, कृषि उत्पाद, खनिज आधारित वस्तुओ का निर्यात किया गया । वर्ष 1994 95 मे राज्य से लगभग 2800 करोड का निर्यात किया गया जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग दो गुना है । श्रेष्ठ निर्यातको को राज्य में पुरस्कृत किया जाता है ।

केन्द्र सरकार ने राजस्थान के 16 जिलो को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा घोषित किया था । केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था मे पिछडे जिलो को तीन श्रेणियो यथा अ, ब तथा स के अन्तर्गत विभक्त किया जो इस प्रकार थे--

(अ) इसके अन्तर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही चुरू व बाडमेर जिलो के लिये रखी गई थी । ये शून्य उद्योग जिले कहलाते थे । सब्सिडी की अधिकतम सीमा एक इकाई के लिए 25 लाख रुपए रखी गई ।

(ब) इसके अन्तर्गत 15 प्रतिशत सब्सिडी पाँच जिला अलवर, भीलवाडा जोधपुर, नागौर व उदयपुर के लिए रखी गई तथा इसकी अधिकतम राशि 15 लाख रुपए रखी गई ।

(स) इसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत सब्सिडी सात जिलो बासवाडा, डूगरपुर, जालौर, झालावाड, झुन्झुनु, सीकर व टोक के लिए थी तथा एक औद्योगिक इकाई के लिए सब्सिडी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपए रखी गई ।

शेष 11 जिलो अजमेर, भरतपुर, बूदी, बीकानेर, चितौडगढ, जयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, गगानगर, पाली व धौलपुर के लिए राज्य सरकार सब्सिडी देती थी ।

औद्योगिक विकास की व्यूहरचना

राजस्थान प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से बेहद सम्पन्न प्रात है । खनिजो की बहुलता के कारण यह देश मे 'खनिजो का अजायबघर' के नाम से जाना जाता है । यहा की मरुधरा न केवल खनिजो की जननी है अपितु इसने बडे औद्योगिक घरानो को भी जन्म दिया है । जिन्होने देश के औद्योगीकरण मे सारगर्भित भूमिका निभाई है । मानवीय ससाधनो की भी यहा कोई कमी नहीं है और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यहा का श्रमिक कुदरती मेहनती है । इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजस्थान औद्योगिक विकास की राह के लिए तरस रहा है ।

राजस्थान सदियो से उपेक्षा का शिकार रहा । औद्योगिक विकास की गति वास्ते कारगर नीति निर्धारण नहीं की गई । औद्योगिक घरानो ने भी यहा के विकास में विशेष रुचि नहीं ली नतीजतन औद्योगिक विकास गति नहीं पकड सका और विकास की दौड मे अन्य राज्यो से पिछड गया । यहा चद औद्योगिक परियोजनाएँ है जो तीव्र विकास के लिए गति निर्धारक भूमिका निभाने मे असाहय है ।

आर्थिक योजनाओ के प्रारभ किये जाने से लेकर आज तक यहा कुछ औद्योगिक इकाइयो की स्थापना हुई है जिन्हे अगुलिया पर गिना जा सकता है । बडे पैमाने के उद्योगो म यहा सूती वस्त्र चीनी मिले सीमेट उद्योग नमक वनस्पति तथा काच उद्योग से सबधित इकाइया है इनमें से भी कई इकाइया भयकर रुग्णता की समस्या से ग्रसित है । दक्षिण पूर्वी एशिया का सुप्रसिद्ध सीमेट उद्योग 'जयपुर उद्योग लि ' उल्लेखनीय है । ध्यातव्य है कि यह वर्ष 1987 से बद पडा है । अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली । प्रात मे जो कुछ औद्योगिक विकास हुआ है, वह क्षेत्रीय विषमता की समस्या स ग्रसित है । कोटा जहा औद्योगिक केन्द्र के रुप मे उभरा वही सवाईमाधोपुर, बारा आदि जिले उद्योगो की स्थापना के लिए लालायित है । जबकि इन जिला म ससाधनों की कोई कमी नहीं है ।

राज्य में मध्यम एव लघु पैमाने के उद्योगो की स्थिति भी अच्छी नहीं है । सख्यात्मक दृष्टि से यद्यपि ये अत्यधिक हो सकते हैं, किन्तु औद्योगिक विकास में इनका विशेष योगदान नहीं है । अधिकाश लघु उद्यमी येन-केन प्रकारेण सरकारी सुविधाएँ एव रियायतें आदि प्राप्त करने तक ही प्रयत्नशील रहते हैं ।

राजस्थान का औद्योगिक विकास अपेक्षित गति से नहीं होने के कारण भारत के औद्योगिक विकास मे इसका योगदान अत्यल्प रहा है । वर्तमान स्थिति में औद्योगिक विकास की दृष्टि से सुदृढ महाराष्ट्र, गुजरात, पजाब आदि राज्यों से तुलना ही नहीं कर सकते हैं । ऐसी बात नहीं कि सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कोशिश नहीं की हो । राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने

के लिए समय समय पर औद्योगिक नीति की घोषणा की । अब तक राज्य सरकार 1978 1990 तथा 1994 मे औद्योगिक नीति की घोषणा कर चुकी हे । वर्ष 1994 मे घोषित की गई राज्य औद्योगिक नीति उल्लेखनीय हे । यह केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की गई जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति के अनुरुप तथा वर्तमान मे बदले आर्थिक परिवेश के अनुसार अर्थव्यवस्था को समायोजित करने वास्ते राजस्थान सरकार की पुरजोर कोशिश है । किंतु 1994 से पूर्व घोषित की गई औद्योगिक नीति राज्य के औद्योगिक विकास की गति को तेजी से बढाने मे सफल नहीं हो सकी ।

वर्ष 1994 की ताजी औद्योगिक नीति मे तीव्र औद्योगीकरण ससाधनो का अधिकतम उपयोग रोजगार सृजन क्षेत्रीय सतुलन निर्यात सवर्द्धन हस्तशिल्प खादी ग्रामोद्योग लघु उद्योगो को बढावा आदि उद्देश्यो को समाहित किया गया है । निर्धारित लक्ष्यो को समाहित किया गया हैं । निर्धारित लक्ष्यो को अजित करने मे सरकार ने जो औद्योगिक व्यूह रचना निर्धारित की है उनमें विनियोजन वातावरण मे सुधार अद्य सरचना का विकास नियमो एव प्रक्रियाओ का सरलीकरण उद्योगो को शीघ्र अनुमति देना निजी क्षेत्र को बढावा श्रमिको की गुणवत्ता में सुधार रोजगारोन्मुखी उद्योगो को प्रोत्साहन आदि मुख्य है ।

आर्थिक सुधारो के सक्रमण काल में भारत मे विदेशी पूजी निवेश प्रस्तावो की स्वीकृति मे बेतहाशा बढोतरी हुई है । वास्तविक निवेश प्रस्तावो की स्वीकृति के मुकाबले कम हुआ है फिर भी यह उल्लेखनीय रहा है । गौरतलब है कि देश मे जो विदेशी पूजी निवेश हुआ है वह अधिकाशत महाराष्ट तथा गुजरात तक सीमित रहा है । राजस्थान में पूजी निवेश नगण्य सा ही है । अत इस ओर राजस्थान को गभीरता से चितन है । कहीं न कहीं खामी अवश्य रही है । अन्यथा कम निवेश का कारण क्या है ? है कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण उसका क्रियान्वयन है । कोशिश ऐसी हो कि विदेशी । स्वत आकर्षित हो । निवेशको को आकर्षित करने के लिए अच्छे औद्योगिक वा एव औद्योगिक सस्कृति की आवश्यकता होती है । आधारभूत अद्य सरचना का भी बेहद आवश्यक है । इनके अभाव में तीव्र औद्योगीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है । आधारभूत सरचना के साथ प्रतिस्पर्धी औद्योगिक सुविधाएँ एव रियायते चाहिए । सभी औद्योगिक सुविधाएँ एक ही छत के नीचे हो तथा निर्णयो मे अनावश्यक विलम्ब नहीं हो ।

सारत राजस्थान की जो समस्याएँ है अन्य राज्यो से पृथक है । यहा की विषम भौगोलिक स्थिति विकास में प्रमुख बाधा है । ऊर्जा की कमी है । सर्वप्रथम इन समस्याओ का स्थायी हल खोजना है । तब कहीं जाकर राजस्थान औद्योगिक विकास में गति पकड़ पाएगा ।



अध्याय 3

राजस्थान में प्रमुख वृहद् उद्योग

प्रमुख वृहद उद्योग

वर्तमान मे राजस्थान मे प्रमुख वृहद उद्योगो मे सीमेंट उद्योग सूती वस्त्र उद्योग चीनी उद्योग नमक उद्योग काच उद्योग आदि मुख्य है । जिनका विवरण अग्राकित है।

1 सीमेंट उद्योग

भवन निर्माण सामग्री मे सीमेंट उद्योग का वर्चस्व काफी समय से चला आ रहा है । जिसका गुणवत्ता लागत और क्षमता का दृष्टि से कोई प्रतिस्थापन नहीं है । राजस्थान सीमेंट उद्योग मे भारत का अगुआ राज्य माना जाता है । प्रान्त में सर्वप्रथम 1915 मे लाखेरी (बूदी) मे सीमेंट फैक्टी स्थापित की गई इसके बाद सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लि स्थापित किया गया ।

राजस्थान मे साधारण पोर्टलैण्ड सीमट बनाने वाले प्रमुख रोटरी किल्न सयत्र निम्नानुसार है—

क्र स	इकाई	प्रक्रम	प्रारम्भिक उत्पादन
1	लाखेरी सीमेंट वर्क्स (एसीसी) लाखेरी	आर्द्र	1917
2	जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाईमाधोपुर	आर्द्र	1953 से 1959
3	बिडला सीमेंट वर्क्स चितोडगढ	शुष्क	1967 से 1969
4	उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर	शुष्क	1970
5	जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेडा	शुष्क	1974 से 1982
6	लाखेरी सीमेंट सिरोही	शुष्क	1982
7	मगलम सीमेंट मोडक (कोटा)	शुष्क	1982
8	जे के व्हाईट सीमेंट गोटन	शुष्क	1984
9	श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर	शुष्क	1985

स्रोत राजस्थान पत्रिका 2 जनवरी 1988

राज्य मे पिछले कुछेक वर्षो से सीमेट के उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई हे जो निम्न तालिका से स्पष्ट हे

वर्ष	सीमेट का उत्पादन (हजार मे टन)
1984	3017
1985	3939
1986	3654
1987	3898
1988	3947
1989	4175
1990	4263
1991	4774
1992	4828
1993	4749
1994	6567 41
1995	6447 14

स्रोत आय व्ययक अध्ययन 1991-92 एव 1994 95 आर्थिक समीक्षा 1995 96 राजस्थान सरकार

सीमेट उद्योग पूजी गहन व ऊर्जा गहन उद्योग हे । राजस्थान मे सीमेट सयत्र ऊर्जा आपूर्ति की कमी से प्रभावित है, कोयले का स्तर निम्न हे, वैगन आपूर्ति आवश्यकताओ के अनुरूप नहीं होती है । जनशक्ति मे उच्च स्तर की दक्षता और आधुनिक सयत्रो को चलाने की योग्यता की आवश्यकता है । इसके सचालन व रख रखाव के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है । सीमट के मूल्य व वितरण सबधी नीति भी दोषपूर्ण हे, इसके बार बार बदलने से इस उद्योग मे अनिश्चितता बनी रहती है । पुरानी सीमेट फैक्ट्रिया पुरानी तकनीक को अपनाए हुए है, उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है । अधिकाश सीमेट सयत्र अपनी उत्पादन क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं करते है । आधुनिकीकरण व विवेकीकरण का नितात अभाव हे । मिनी सीमट प्लाट प्रतिस्पर्धा मे बडे सीमेट प्लाट के सामने नहीं टिक पाते हैं ।

राजस्थान मे सीमेट उद्योग का भविष्य उज्वल है । राज्य में इस उद्योग की स्थापना से सबधित सभी आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाती हे । सीमेट ग्रेड चूने की बाहुल्यता है, जिप्सम भी राज्य म पर्याप्त मात्रा म है । कोयला बाहर से मगाना पडता है । सीमेट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 1990-91 के राज्य बजट में सीमेट पर केन्द्रीय बिक्री कर 16 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया । आशा है

भविष्य म सीमट उद्योग का काफी विकास होगा ।

2 सूती वस्त्र उद्याग

सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग हे । यह उद्याग बडे पैमाने के उद्योगो मे महत्त्वपूण स्थान रखता है । राज्य म पहली सूता वस्त्र मील ब्यावर शहर मे 1889 मे कृष्णा मिल्स लि निजी क्षेत्र मे स्थापित की गई । इसके पश्चात ब्यावर शहर में हो 1906 मे एडवड मिल्स लि व 1925 म श्री महालक्ष्मी मिल्स लि स्थापित हुइ । वृहद राजस्थान के निमाण के समय 1949 मे राज्य में 7 सूती मोले थी । वर्तमान मे इनकी सख्या बढकर 23 हो गई । इनमें से 17 माले निजी क्षेत्र मे 3 मीले सार्वजनिक क्षेत्र मे और 3 सहकारी क्षेत्र मे है ।

राजस्थान मे सूत व सूती वस्त्र के उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है

वर्ष	सूत (हजार टन)	सूती वस्त्र (करोड मीटर)
1978	33 6	3 32
1983	42 7	5 58
1989	47 5	4 05
1990	48 6	4 66
1992		3 78
1993		3 80
1994		3 73
1995		4 11 (प्रावधानिक)

स्रोत आय व्ययक अध्ययन राजस्थान 1994 95 आर्थिक समीक्षा 1995 96

राजस्थान सरकार राजस्थान मे सूती वस्त्र उद्योग के स्वस्थ विकास वास्ते सूती वस्त्र मीला के आधुनिकीकरण एव नवीनीकरण का आवश्यकता है । कच्चे माल के रूप मे लम्बे रेशे के कपास की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए । कुप्रबध को नियत्रित एव पर्याप्त मात्रा मे पूजी की व्यवस्था की जानी चाहिए । बद इकाइयो के बारे म अविलम्ब निर्णय लिया लाए तथा रुग्णता के कारणा की बारोकी से जाच की जाए । श्रम सबधी समस्याए मिल बैठ कर सुलझाई जा सकती है । प्रबध में श्रमिको की भागीदारी की नजर अदाज नहीं किया जाना चाहिए ।

3 चीनी उद्योग

राजस्थान म चीनी की तीन मीले है ।केशोराय पाटन (बूदी) मेवाड (चित्तोडगढ) तथा श्रीगगानगर । सर्वप्रथम 1932 में मेवाड चीनी मिल्स की स्थापना भोपाल सागर में

की गई । 1938 मे गगानगर चीनी मिल्स की स्थापना की गई इसमे उत्पादन 1946 से प्रारभ हुआ । एक जुलाई 1956 से यह सावजनिक क्षेत्र मे काम कर रही है । 1965 मे श्री केशोराय पाटन सहकारी सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई । राजस्थान मे कार्यरत चीनी की तीना माले निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र मे होने के कारण ये तीन प्रकार के सगठनो के उत्पादन की तुलना करने का अवसर प्रदान करती है ।

राज्य मे चीनी के उत्पादन की प्रवृति निम्न तालिका से स्पष्ट है ।

वर्ष	उत्पादन (हजार मैं टन)
1984	22
1985	20
1986	16
1987	23
1988	09
1989	12
1990	13
1991	25
1992	39
1993	26
1994	12
1995 (प्रावधानिक)	25

स्रोत आय व्ययक अध्ययन 1991 92 एव 1994-95 आर्थिक समीक्षा 1995 96 राजस्थान सरकार

राज्य की चीनी मीले घाटे की समस्या से पीडित है । घाटे का मुख्य कारण गबन घोटाले गन्ने की चोरी बिना काम क वेतन लेने की प्रवृत्ति कुप्रबध आदि है । चीनी मीलो की प्रबध व्यवस्था मे सुधार तथा मीले मे क्षमता के अनुसार गन्ने की पिराइ कर घाटे को कम किया जा सकता है । मीलो के लिए वित्त नई मशीने व पॉवर का पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । मीला को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गौण पदार्थो का उपयोग करना चाहिए । चीनी मोला मे मोलासिस की अतिरेक मात्रा को देखते हुए डिस्टिलरी इकाइयो की सख्या बढाई जा सकती है ।

4. नमक उद्योग

नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सम्पूर्ण देश मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। नमक उत्पादन से सबधित सभी अनुकूल दशाए प्रान्त मे उपलब्ध है । यहा खारे पानी

का चाल बहुतायत म ह । वतमान म रा य म सावजानक तथा नि नी दोना ही क्षेत्रो में नमक का उत्पादन किया ना रहा हे । रानस्थान म नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम निम्नाक्त ह—

1 रा स्थान स्टट कामकल्स वक्स डाडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्री)
2 रानस्थान स्टट कमिकल्स वक्स ीडवाना (साडियम सल्फट वर्क्स)
3 रा स्थान सरकार का साल्ट वक्स डाडवाना
4 रानस्थान सरकार का साल्ट वक्स पचभदरा

साभर म नमक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड का सहायक कम्पना साभर साल्टस लिमिटड की दखरख म होता है । साभर वाल नमक उत्पादन म अपनी गुणवत्ता क लिए प्रसिद्ध ह रा य म निजी क्षेत्र म लघु पमान क उद्याग पाकरन फलोदी कुचामन व नावानगर (नागार) मे पाये नाते हे ।

रानस्थान म नमक उत्पादन की प्रवृत्ति

वष	उत्पादन (हनार म टन)
1984	821
985	93
1986	906
1987	833
1988	1038
1989	934
1990	1055
1991	1441
1992	1181
993	1296
1994	1171
1995 (प्रावधनिक)	1169

स्रोत आय व्ययक अध्ययन 1991 92 एव 1994 95 राजस्थान आर्थिक समाक्षा 1995 96 रानस्थान सरकार ।

राजस्थान का खार पाना की झाला म (डीडवाना) साडियम सल्फेट अधिक हान क कारण अखाद्य नमक का उत्पादन अधिक हाता हे जिसको बचन म कठिनाई आती है । राज्य सरकार के नमक उपक्रम या ता बद ह या घाटे म चल रहे हे । राजस्थान स्टेट केमिकल्स वक्स 1988 स बद कर दिया गया हैं । रा य म नमक आधारित वस्तुआ के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनी हुइ है । राज्य सरकार क नमक उपक्रमा की प्रबध व्यवस्था बेहतर बनाकर स्थिति को सुधारा ना सकता है ।

5 काँच उद्योग

काँच बनाने म बालू मिट्टी सिलिका मिट्टी साडा सल्फेट शारा चूने का पत्थर आदि प्रयुक्त होते हैं । ये सभी राज्य म बहुतायत में उपलब्ध है । काँच बनाने वाल कुशल मजदूर भी राज्य म है ।

राज्य म काँच बनान के आठ कारखाने है जिसमें स पाच कारखाने बद पडे है उदयपुर कारखान म उत्पादन हाल ही प्रारम्भ हुआ ह । वतमान म धौलपुर म निम्न दो कारखान विशष रुप से महत्त्वपूण है—

1 धौलपुर ग्लास वर्क्स—इसम लगभग एक हजार टन वार्षिक काच का उत्पादन होता है । यह कारखाना निजी क्षेत्र में कायरत है ।

2 हाई टेक प्रसाजन ग्लास वक्स धौलपुर यह कारखाना दो गगानगर शुगर मिल्स लिमिटड क अन्तगत है एव मदिरा विभाग क लिए बातला का उत्पादन करता ह ।

राज्य म सिलिका मिट्टी क भण्डारा को दखन हुए काँच उद्याग क विकास का काफी सभावनाएँ है । जयपुर सवाईमाधोपुर बाकानेर, बूदी तथा उदयपुर म काँच क कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं । काँच के बद पड कारखाना का शाघ्र चालू कर यहाँ काँच उद्योग से सबधित ससाधना का पूण उपयोग किया जा सकता ह । सरकार का उदारनीति इसको ओर विकसित कर सकती हैं ।

■ वनस्पति घी उद्योग

मूगफली व बिनौल का तल वनस्पति घी उद्योग क लिए प्रमुख कच्चा माल है । राजस्थान म सवप्रथम 1964 म भीलवाडा म वनस्पति घी का कारखाना खोला गया। इसके बाद जयपुर, कोटा भरतपुर, उदयपुर चित्तौडगढ व गगानगर आदि शहरा म स्थापित हुए ।

राज्य म वनस्पति घी की माग में हो रही वृद्धि के साथ वनस्पति घी का उत्पादन भी तेजी स बढा है । 1970 71 स 1980 81 क मध्य वनस्पति घी का उत्पादन तिगुना हो गया है ।

राज्य म वनस्पति घी उत्पादन की स्थिति निम्नांकित है—

वष	उत्पादन (हजार टन)
1970 71	19 8
1980 81	58 0
1985 86	65 7
1989-90	54 6
1990 91	51 5
1992	34 2
1993	33 8
1994	39 7
1995	41 2

स्रोत आय व्ययक अध्ययन राजस्थान 1990 91 एव 1994 95 आर्थिक समीक्षा 1995 96 राजस्थान सरकार।

राज्य मे मूगफली व बिनौले के साथ तेल शोधन हेतु प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों का नितान्त अभाव है । उत्पादित घी की किस्म भी घटिया है । कारखानो के पास सहायक उद्योगो का अभाव होने के कारण लाभ भी तुलनात्मक रूप से कम होता है । पूजी व कुशल श्रमिको का अभाव भी राज्य मे है ।

राज्य मे वनस्पति घी की बढती हुई माग को देखते हुए इसके विकास की काफी सभावनाएँ है । मूगफली व बिनौले का उत्पादन भी राज्य मे बढाया जा सकता है । राजस्थान नहर क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है । राज्य मे इस उद्योग का भविष्य उज्जवल है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान में सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति घी काच व नमक आदि उद्योगो की प्रभावी भूमिका है । भविष्य में इन उद्योगो के विकास की अच्छी सम्भावनाएँ है ।

राजस्थान मे केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम

राजस्थान मे केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगो का भाग बहुत कम है, यह 1970 मे केवल 0 9 प्रतिशत ही था, 1985 मे केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगो का 1 4 प्रतिशत अश लगा हुआ था । राज्य मे केन्द्र का निवेश वर्ष 1990 91 मे 1 70 प्रतिशत था ।

राज्य मे कुछ प्रमुख केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान अग्राकित है ।

1 हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड देवारी, उदयपुर
2 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतडी, झुन्झुनु
3 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर
4 इन्स्ट्रेमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा
5 साभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर
6 मॉडर्न बकरीज, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर
7 राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रेमेन्टस लिमिटेड, कनकपुरा (जयपुर)
8 गैस आधारित पॉवर सयत्र अता कोटा (एन टी पी सी द्वारा स्थापित)

राजस्थान मे कुछ महत्त्वपूर्ण केन्द्र सरकार के उपक्रमा की सक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है—

1. *हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड*—*यह* जस्ता व सीसा के उत्पादन के साथ भारत के आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अग बन गया है । 1966 मे स्थापित हिन्दुस्तान जिक लि बहु इकाई व बहुत उत्पादन वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है जो सीसा जस्ता की आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है । वर्तमान मे हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड देश के विभिन्न भागो मे आठ इकाइया सचालित कर रहा है जिसमें निम्न इकाइया राजस्थान मे हैं ।

1 जवार माइन्स राजस्थान

2 राजपुरा दरीबा माइन, राजस्थान

3 मटून रॉक फास्फेट माइन, राजस्थान

4 देबारी जिक स्मेलटर, राजस्थान

2 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड—राजस्थान के झुन्झुनु जिले मे अरावली पर्वत श्रृखला मे स्थित एक छोटी सी इकाई खेतडी आज देश मे ताम्र उत्पादन के क्षेत्र मे अति आधुनिक और प्रौद्योगिकी इकाई के रूप मे उभर कर सामने आई है । इसके (खेतडी कॉपर काम्प्लेक्स) के विकास का फैसला सन् 1962 मे लिया गया । सन् 1967 मे शाफ्ट खुदाई के साथ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई और खनन कार्य प्रारम्भ किया। सन् 1970 मे सबसे पहले अयस्क का उत्पादन शुरू हुआ । ताम्र उत्पादन 5 फरवरी, 1975 को प्रारम्भ हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमति इदिरा गाधी ने खेतडी कॉपर काम्पलेक्स मे एशिया के सबसे बडे प्रणालक सयत्र को राष्ट्र को समर्पित किया ।

3 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर—भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्तर्गत 6 इकाई एच एम टी इकाई वॉच व तीन डेयरी मशीनरी की इकाइया है । एच एम टी अजमेर इस क्रम की छठी इकाई है । भारत मे एच एम टी को 1987 88 मे 31 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ ।

4 *इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा*—*कोटा सयत्र 1965 मे स्थापित किया गया* था । इसमे 1968-69 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ । इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट (केरल) मे स्थित है । इसे 1987 88 में 2 63 करोड रुपए का शुद्ध लाभ हुआ ।

5 *सांभर साल्ट्स लिमिटेड*—*यह हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक* कम्पनी है । राजस्थान की साँभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है । यहा का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है ।

साँभर साल्ट्स लिमिटेड 30 सितम्बर 1964 में स्थापित हुई । इसे पिछले वर्षों मे शुद्ध घाटा रहा है । 1987 88 मे घाटे की राशि 45 लाख रुपए थी ।

6 मॉर्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड—यह 1965 से स्थापित हुई इसकी 13 ब्रेड इकाइया हैं इनमे से एक मॉडर्न बेकरीज, जयपुर है । इसे 1987-88 मे 90 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ । 1990 मे 50 लाख रुपए व 1991 मे 257 लाख रुपए की हानि हुई ।

7 राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स व इन्स्ट्रूमेन्टल लिमिटेड कनकपुर जयपुर यह कोटा इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी है । इसमें भारत सरकार की 51 प्रतिशत तथा रीको का 49 प्रतिशत पूजी लगी हुई । इसे 1987 88 में 42 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ ।

राजस्थान में केन्द्र सरकार के लगभग सभी उपक्रम लाभ में चल रहे हैं फिर भी उपक्रमों की संख्या एक अंक तक सीमित हैं जो कि राज्य के लिए दुखद स्थिति है । केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का सीमित भाग केन्द्र का राज्य के प्रति सौतेले व्यवहार का द्योतक है ।

राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

राजस्थान में राज्य सरकार के कुल 41 सार्वजनिक उपक्रम है । इनमें से 7 वैधानिक निगम 16 कम्पनी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां 14 पंजीकृत सहकारी संस्थान एवं 4 विभागीय उपक्रम है । सहकारी संस्थान के अन्तर्गत तिलम संघम 1990 91 में बना था राज्य सरकार के अनुसार उक्त उपक्रमों में से 9 की नटवर्थ ऋणात्मक 6 उपक्रमों का 50 प्रतिशत से कम 5 उपक्रमों का 50 से 100 प्रतिशत के बीच 19 उपक्रमों की 100 प्रतिशत से ऊपर है

विनियोजन मार्च 1990 तक राज्य के 40 उपक्रमों में 5130 29 करोड रुपए का विनियोजन हो चुका था इस विनियोजन में राज्य सरकार का योगदान 1445 करोड रुपए था । शेष धनराशि केन्द्र राष्ट्रीयकृत बैंक एवं अन्य स्रोतों द्वारा विनियोजित की गई है ।

वित्तीय कार्यसिद्धि राज्य सरकार के उपक्रमों ने वित्तीय कार्यसिद्धि के क्षेत्र में निराश ही किया है । अधिकांश उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित है । छठी पंच वर्षीय योजना के पांच वर्षों में कर से पूर्व घाटे की कुल राशि 256 करोड रुपए रहा था। 1987 88 में कर से पूर्व शुद्ध घाटा 102 करोड रुपए का हुआ जो सर्वाधिक था । कुल घाटा 1989 90 के अंत में 708 करोड रुपए तक पहुंच गया । राज्य के कई सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का स्वास्थ्य नाजुक दौर में पहुंच चुका है । इनमें से अनेक प्रतिष्ठान असाध्य रोग से ग्रसित है और कुछ दम तोड चुके हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में घाटा मुख्यतया गलत परियोजनाओं का चयन कच्चे माल का अभाव औद्योगिक विवाद माग की कमी कुप्रबंध श्रम बाहुल्य गलत मूल्य नीति अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप परियोजनाओं का पलायन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होना आदि कारणों से होता है । निम्न प्रयास के द्वारा कम किया जा सकता है । प्रान्त में सीमित संसाधनों के बावजूद उपक्रमों में भारी विनियोजन को देखते हुए यह उपयुक्त होगा कि इन उपक्रमों के बारे में कुछ ठोस निर्णय लिए जाए, अन्यथा धीरे धीरे राज्य के सभी उपक्रमों का भविष्य अंधकारमय होता चला जायगा ।



अध्याय 4

लघु उद्योगों की प्रगति

लघु उद्योग

सरकार द्वारा समय समय पर लघु उद्योगों की परिभाषा परिवर्तित की जाती रही है । नई लघु औद्योगिक क्रान्ति नीति अगस्त 1991 म लघु उद्योगों का दी गई परिभाषा निम्न प्रकार है

1 अति लघु क्षेत्र के उद्योगो म प्लाट व मशीनरी मे निवेश सामा 2 लाख रुपए स बढाकर 5 लाख रुपए कर दी है । इस मामले म इस बात का ध्यान नहा रखा जायगा कि वह उद्योग किस जगह लगाया गया है

2 लघु क्षत्र म प्लाट व मशानरा म निवश सीमा 60 लाख रुपए कर दा है।

3 सहायक उद्योगा तथा नियातान्मुखी इकाईयो की प्लाट व मशीनरा म पूजा निवेश सामा क्रमश 75 75 लाख रुपए तक बढाने की घोषणा की जा चुकी है ।

एक अन्य उल्लेखनाय विशेषतया यह ह कि लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा को व्यापक बनाया जायगा और इसम उद्योग स सम्बद्ध सभी सेवाएँ तथा व्यापारिक उद्यमियो को शामिल किया जायगा चाहे व कहा भी स्थापित किए हुए हो उन्ह अब लघु उद्योगो के रुप म मान्यता दा जायगी आर उनका निवश सामा अत्यन्त लघु उद्योगो के अनुसार होगी ।

लघु उद्योगो की दृष्टि मे राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ फक्टरी व गैर फक्टरी क्षेत्र म लघु इकाइया की सख्या काफी है किन्तु मध्यम पैमाने के उद्योग का अभाव है । कृषि पदार्थों पर आधारित लघु उद्योगो म वनस्पति तेल/घी उद्योग गुड व खाण्डसारी की इकाइया हाथ करघा उद्योग दाल फैक्टिया बेकरी व कन्फेक्शनरी की इकाइया कपास की जिनिंग व प्रसिंग इकाइया दरी व निवार बनान की इकाइया आदि आती हैं । पशु आधारित लघु उद्योगो म दुग्ध पदार्थ चमडा खाल हड्डिया ऊनी वस्त्र आत

हाल ही में सरकार के प्रयत्नो स लघु उद्योगो के विकास हेतु अच्छा वातावरण बनने लगा है । ऊर्जा के क्षेत्र मे राज्य सरकार अपने प्रयास द्वारा ऊर्जा सकट को दूर करने के लिए कटिवध्य है।

राजस्थान मे हस्तशिल्प उद्योग

हस्तशिल्प उद्योग को पर्यटन उद्योग के विकास का विकल्प माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं । पयटक शिल्पकला की ओर आकृष्ट होने है, और अपने घर के किसी कोने में सजावट के लिए शिल्पी द्वारा निर्मित उत्पादन को खरीदने के लिए उद्यत हो जाते हैं । कारीगर हाथ के औजारो से ऐसी अनोखी वस्तुओ का निर्माण करते है जिन्हे मशीनो द्वारा निर्मित किए जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है । विदेशी माल की चकाचौंध में देशी प्राचीन कलात्मक वस्तुओ के प्रति, देशी विदेशी पर्यटकों के बढते आकर्षण से हस्तशिल्प उद्योग के प्रोन्नत होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है ।

राजस्थान अतीत से ही हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख केन्द्र रहा है , यहाँ की निर्मित कलात्मक कृतियाँ देश विदेश म विख्यात है । यहाँ हस्तशिल्प उद्योग को अधिकाशत पुश्तैनी धधे के रुप म अपनाया जाता है बढती सरकारी सहायता और विदेशी मुद्रा के आकर्षण से हाल के वर्षो मे नए उद्यमी भी आकर्षित होने लगे है । आज यह उद्योग राजस्थान के लाखो लोगो के जीवन बसर का साधन तथा राज्य सरकार की आय प्राप्ति का मुख्य स्रोत बन चुका है ।

हस्तशिल्प के अद्‌भुद नमूने

राजस्थान के शिल्पकार अपने हस्तकोशल और चातुर्य से निर्जीव मे हर रोज प्राण फूकते हैं । यहाँ की अद्‌भुत कला ने राजस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय मच पर उभारने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइ हे ।

मोलेला (उदयपुर) की मृणकला वाकई हाथा का कमाल और जादुई है । यहाँ के कुम्हारो का मूति कला पर विशष अधिकार है । जयपुर न केवल राजस्थान का वरन् भारत का हस्तशिल्प उद्योग का वडा केन्द्र हे, यहाँ की बँधज की चुनरियाँ ओढनियाँ लहरियां, बगरू व व साँगानरी प्रिन्ट काफी प्रसिद्ध हैं । जयपुर की पाव रजाई को देशी विदेशी पर्यटक बड चाव से खरीदते हे । इनके अलावा जयपुर म मूल्यवान रत्नो व सोने चाँदी आदि बहुमूल्य धातुआ के आभूषण पीतल पर खुदाइ मीनाकारी क बर्तन, लाख से बनी चूडियाँ, सगमरमर की मूतियाँ कारीगरी युक्त मोजडिया व नागरे ब्ल्यू पोटरी मृण कला, लकडी के खिलौने व हाथीदात की वस्तुए आदि राजस्थानी शिल्प क अद्‌भुत नमूने हैं । जयपुर निर्मित राजस्थान के आभूषण व जवाहरात विश्व प्रसिद्ध हैं ।

उदयपुर की मृण कला व जयपुर की बहुआयामी हस्तशिल्प के अलावा प्रतापगढ की काँच पर सोने की नक्काशी (थेवा कला) अलवर का पतली परतदार बतन कागजी,

18 ग्रामोद्योग लिए गए है । जिनके विकास के लिए राजस्थान खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है । राज्य के 18 ग्रामोद्योग के नाम निम्न प्रकार है—

1 अनाज दाल प्रशोधन
2 घाणी तेल
3 गुड, खाडसारी
4 ताड गुड
5 कुटीर दियासलाई एव अगरबत्ती
6 अखाद्य तेल व साबुन
7 बास बत
8 हाथ कागज
9 मधुमक्खी पालन
10 कुम्हारी
11 चर्म उद्योग
12 लुहारी सुथारी
13 रेशा
14 कली चूना
15 फल प्रशोधन
16 वन औषधि
17 एल्युमिनियम के घरेलू बर्तन
18 पोली वस्त्र

बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग विकास कार्य अपने हाथ मे लेने के बाद राज्य मे ग्रामोद्योग की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हुयी है ।

कुल स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाईयाँ

वर्ष	सस्था	समिति	व्यक्तिगत	योग
1979-80	175	1500	10947	12622
1985 86	238	1556	70418	72212
1986-87	240	1556	81863	83659
1987-88	244	1557	91658	93459
1988 89	246	1557	102077	103830
1989-90	260	1561	111238	113059
1990-91	260	1561	117268	119089

स्रोत राजस्थान ग्रामोद्योग प्रवृत्तिया और प्रगति 1991-92

राज्य मे ग्रामोद्योग के अन्तर्गत उत्पादन एव रोजगार से सम्बन्धित प्रगति निम्न प्रकार है—

वर्ष	उत्पादन (लाख रु)	रोजगार (सख्या)
1979-80	1360 27	41804
1985-86	8991 63	195911
1986-87	10442 11	222551
1987-88	11649 02	238433
1988-89	13675 91	267675
1989 90	16158 30	284645
1990-91	18338 33	297654

स्रोत खादी ग्रामोद्योग प्रवृत्तिया और प्रगति 1991 92 पृ स 11

कुल विक्रय 1979 80 मे ग्रामोद्योग की कुल बिक्री 1517 76 लाख रुपए थी जो बढकर 1988 89 मे 17539 09 लाख रुपए हो गई । वर्ष 1979-80 मे कुल हस्तकारी आय 294 68 लाख रुपए से बढकर 1988 89 मे 6174 58 लाख रुपए हो गई ।

ग्रामोद्योगो के सगठन, वित्त व्यवस्था उत्पादन विधि व तकनीक विक्रय और औजारो के वितरण आदि की व्यवस्था में सुधार कर इनका तीव्र गति से विकास किया जा सकता है ।



पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ

राजस्थान का पयटन उद्योग

पयटन की दृष्टि स राजस्थान का दश में विशिष्ट स्थान है । नयपुर उदयपुर, नोधपुर व नैमलमर दश क पयटन मानचित्र पर विशेष रुप से उभरे हैं । यहाँ की वास्तु शिल्प कला, सगात रग विरग त्यौहार एव लोक कलाएँ पूरे विश्व म पयटका का आकपण कन्द्र है । रानस्थान एक ओर जहाँ यौद्धाओ की शोर्य गाथाआ से परिचय कराता है वहीं दूसरी ओर शिल्पिया दस्तकारा कविया तथा इतिहासकारो पर भी गव करता है । यहा का प्रत्येक पत्थर, भवन स्तम्भ व रजकण इसके गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है।

पर्यटन स्थल—

रानस्थान अपने अप्रितम प्राकृतिक सौन्दय ऐतिहासिक महत्ता आर स्थापत्य कला के कारण देशी विदेशी पयटकों को अनायास ही आकर्षित करता है । राज्य मन्दिर, मस्जिद, दुग अभयारण्य झीले व मरुस्थल आदि के कारण सुरम्य और मनमाहक पर्यटक केन्द्र के रुप में विकसित हो सका है ।

गुलाबी नगर के नाम से विख्यात जयपुर अपनी भव्यता और सुन्दरता के लिए 'भारत का परिम के नाम से विख्यात है । जयपुर में काँच कारीगरी प्राचीन व भित्ती चित्र के युक्त सिटी पैलेस सवाई जयसिह द्वारा स्थापित वैद्यशाला जन्तर मन्तर बिडला द्वारा स्थापित अन्तरिक्ष ज्ञान का खजाना बिडला प्लेनेटेरियम पाँच मजिला गोल व आगे निकले हुए झरोखे एव खिडकियो से युक्त आधुनिक स्थापत्य कला का नमूना हवामहल रामनिवास बाग प्रागण में अल्बट म्युजियम चिडियाघर व जन्तु शाला जयपुर राजघराने

के वैभव की याद दिलाती स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण गैटोर की छतरियाँ और इतिहास के गवाह जयगढ़, नाहरगढ़ व आमेर फोर्ट आदि दर्शनीय स्थल हैं । गलता लक्ष्मीनारायण मन्दिर, मोती डूंगरी के गणेश जी के बिना जयपुर का पर्यटन अधूरा है । ये हिन्दुओं के तीर्थ व सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र हैं। गलता के प्रमुख कुण्ड गऊ मुख से निकली जलधारा आज भी रहस्यमयी बनी हुई है।

अपूर्व प्राकृतिक छटा और सौन्दर्य की गोद में सिमटा उदयपुर जो कि 'सिटी ऑफ लेक्स' के नाम से जाना जाता है अत्यन्त रमणीय स्थल है । पिछौला झील के मध्य स्थित जग मन्दिर व जग निवास अपनी सौन्दर्यता और फव्वारों की अद्भुत छटा के लिए प्रसिद्ध है । वृक्षों और पुष्पों से लदे पौधे की अनुपम छटा से युक्त सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के प्रसिद्ध उद्यानों में एक है । पिछौला झील के लिए तो यह कहा जाता है जो एक बार इसे देख लेता है दुबारा आकर अवश्य देखना चाहता है । पास ही देश की वीरभूमि हल्दी घाटी है जहाँ कि गाथा सुन देशी विदेशी पर्यटक श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं । फतहसागर व स्वरूप सागर नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है । राजसमन्द बाँध कला का उत्कृष्ट नमूना तथा जयसमन्द एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है । नाथ द्वारा और कांकरोली वल्लभ सम्प्रदाय के महान तीर्थ है ।

जोधपुर का नाम लेते ही पन्नाधाय के त्याग की याद ताजा हो उठती है जिसने औरंगजेब की कट्टरता से अजीत सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया। पुरातन एतिहासिकता वाला मेहरान गढ़ का किला है जो आज भी पुस्तकालय, चित्र शाला व शस्त्रागार से सुसज्जित है । रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मन्दिर की कला शिल्प तो अद्वितीय है, कारीगरी खम्भों युक्त बड़े-बड़े हाल है जिन्हें देख सैलानी प्रफुल्लित हो जाते हैं । पश्चिम और पूर्व की वास्तुकला का समागम उम्मेद भवन आधुनिक भवन निर्माण कला की अनुपम मशाल है ।

प्रदेश का थार मरुस्थल प्रकृति द्वारा प्रदत्त हिमालय के अप्रितम सौन्दर्य से कम नहीं है, जो कि रेत के धोरों से पटा हुआ है । मरु मेला पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है जहाँ कभी गिनिज बुक में नाम दर्ज करवा चुके प्रसिद्ध नड़वादक करणा भील को देखने के लिए लोग लालायित रहते थे । पटवों की हवेली का अपना अलग ही आकर्षण है जिसे देखे बिना पर्यटक मरु को नहीं छोड़ते ।

राजस्थान का कश्मीर आबू, अरावली पवन का सर्वोच्च गुरु शिखर, विख्यात नक्की झील आदि सिरोही जिले के पर्यटक स्थल है जहाँ प्रदेश की तपती धूप से निजात पाने को लोग आते हैं । यहाँ अत्यन्त कलात्मक मन्दिर देलवाड़ा है जहाँ का हर पत्थर वास्तुकला के विभिन्न नमूनों से भरा पड़ा है ।

साम्प्रदायिक एकता का प्रतीक अजमेर न केवल भारत का वरन् दुनियाँ के महत्त्वपूर्ण तीर्थों में एक है । भारत का मक्का ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जहाँ

देश विदेश के मुस्लिम दर्शनार्थ आते है । अजमेर से थोडी दूरी पर रमणीक वाटी के बीच बसा तीर्थराज पुष्कर है जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को झील मे स्नान करने लाखो नर-नारी एकत्रित होते है । पुष्कर श्रद्धा उमग और रगो का एक मनमोहक मेला है जहाँ राजस्थान की सस्कृति की एक सजीव झलक देखने को मिलती है । कुल मिलाकर अजमेर ख्वाजा चिश्ती की दरगाह और पुष्कर राज के कारण पर्यटको के लिए कभी न भूलने वाला अद्भुत अनुभव है । ढाई दिन का झोपडा अन्य आकर्षण का केन्द्र है । जिसके दरवाजे पर कुरान की आयते खुदी हुई है । यहाँ की कारीगरी की कष्ट साध्य यर्थाथता का श्रेय हिन्दू शिल्पकारों को जाता है ।

राजस्थान अपने वन्य जीव पशु अभयारण्य तथा पक्षी विहार के कारण सम्पूर्ण भारत वर्ष में जाना जाता है । रणथम्भौर नेशनल पार्क व सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट गरजते वनराजो के कारण प्रसिद्ध है । प्रदेश मे दडा जयसमद ताल छापर राम सागर, आबू व गजनेर आदि अन्य वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ हिरन साँभर जगली सूअर, चीता, भालू, बारहसिहा आदि देखने को मिलते है । भरतपुर का घना पक्षी विहार पक्षियो का अजायबघर है जहाँ साइबेरिया तक के पक्षी शिशिर ऋतु मे अपना प्रवास करते है ।

पर्यटन विकास हेतु राज्य सरकार के प्रयास—

राज्य मे पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है । 1955 मे पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई जो पर्यटन स्थलो का विकास, पर्यटन से सम्बन्धित आवास आदि महत्त्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कर रहा है । राजस्थान के परम्परागत गणगौर व तीज के मेले मेवाड समारोह मरु मेला आदि सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन राज्य का पर्यटन विभाग प्रातिवर्ष आयोजित करता है इन्हे देखने के लिए न केवल रग बिरगी पोशाको से सजी सवरी राजस्थान की ग्रामीण जनता वरन् पाश्चात्य सस्कृति से जुडे देशी विदेशी युवक युवतियाँ उमड पडते हैं । राज्य मे पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियो को प्रोत्साहित करने व पर्यटको को आवास आदि अन्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम सचेत है ।

वर्तमान मे आर टी डी सी द्वारा राज्य में बीकानेर सीलीसेड, सरिस्का, भरतपुर, जयपुर, फतेहपुर, धौलपुर, पुष्कर, अजमेर, सवाईमाधोपुर कोटा, झालावाड, रिषभदेव, जयसमन्द, चित्तोड्गढ, नाथद्वारा, उदयपुर, जैसलमेर मे होटल तथा रतनगढ, बहरोड, महुवा, रतनपुर, देवगढ बर, पोकरन में मिडवे का सचालन किया जा रहा हैं ।[1]

राजस्थान पर्यटन विभाग ने पर्यटका की आवास समस्या के समाधान के लिए पेइग गेस्ट व हेरिटेज होटल नामक महत्त्वपूर्ण योजना शुरु की है । हेरिटेज होटल में पुराने

1 अतिथि सितम्बर, 1991

गढ़ो, किलो व हवेलियो की वास्तुशिल्प मे परिवर्तन किए बिना उनमे होटल प्रारम्भ किए जाएँगे ।

हाल ही राज्य सरकार ने पर्यटन विकास की अनेक योजनाएँ बनाई हैं । जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के मरु त्रिकोण का पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा । इसके लिए ख्याति प्राप्त विशेष मैसर्स फरग्यूसन एण्ड कम्पनी नई दिल्ली से 274 58 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है । इसके साथ ही 0 68 करोड रुपए की मेवाड़ कम्प्लेक्स के नाम से एक योजना भारत सरकार को भेजी गई है । हाड़ौती व शेखावटी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की राय लेने के प्रयास किए जा रहे हैं । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है । इन केन्द्रो पर पर्यटको को सूचना के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ जैसे आरक्षण, बैंकिंग, आपातकालीन आवास आदि सुविधाएँ दी जाएगी । कोटा माउंटआबू, उदयपुर मे भी ऐसे ही केन्द्र बनने का विचार है । राजस्थान में तीन रोपवे बनाने का प्रस्ताव है । फिलहाल राज्य में एक भी रोपवे नहीं है । जयपुर में प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने की सम्भावना है । वर्ष 1989 मे सरकार द्वारा गठित एक समिति ने राज्य मे रोपवे लगाने के लिए तीन स्थानो का चुनाव किया था । यह स्थान थे—जयपुर, से नाहरगढ किला, माऊण्ट आबू से गुरू शिखर, उदयपुर मे मोती मगरी अथवा सुजानगढ । कुछ समय पहले पुराने गोविंद देव जी के मन्दिर तथा नाहरगढ किले को जोडने वाले 15 किलोमीटर लम्बे रोपवे बनाने के लिए एक निजी फर्म उषा ब्रेको को प्रस्ताव पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था, लेकिन इस रोपवे पर काम मे वन विभाग द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण कोई प्रगति नहीं हुई । अन्य प्रस्तावित रोपवे माउंट आबू व उदयपुर मे कोई प्रगति नहीं हुई ।[2]

प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या—

राजस्थान सरकार के सतत् प्रयत्नो की सुखद परिणिति है कि आज राज्य मे देशी व विदेशी पर्यटको की संख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । भारत आने वाले पर्यटक राजस्थान की ओर खिचे चले आ रहे हैं । एक अनुमान के अनुसार भारत मे आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान अवश्य आता है ।

2. नवभारत टाइम्स, 24 मार्च, 1992

राजस्थान मे पर्यटको की सख्या

वर्ष	देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक
1971	8,80,694	42,500
1980	24,50,282	2,08,216
1985	31 12,000	3 20,000
1987	34,24 324	3,48,260
1988	34,95,198	3,66,435
1989	38,33,008	4,19,651
1990	37,35,174	4,70,641
1992	52,63,121	5,47,802
1993	54 54,321	5,40,738

स्रोत योजना 30 नव 1991 पृ स 24 स्टेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट राजस्थान 1993

पिछले दो दशको मे राजस्थान मे देशी व विदेशी पर्यटको की सख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इस दौरान देशी पर्यटको की सख्या मे चार गुना तथा विदेशी पर्यटको की सख्या मे लगभग दस गुना वृद्धि हुई है । देशी पर्यटको की सख्या 1971 मे 8 80 694 से बढकर 1990 म 37,35,174 हो गई । विदेशी पर्यटको की सख्या 1971 मे 42 500 थी जो बढकर 1990 मे 4 70,641 तक जा पहुँची ।

पर्यटन विकास में बाधाएँ—

राजस्थान मे पर्यटको के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओ का नितान्त अभाव है । प्रान्त मे न कवल होटलो का अभाव है वरन् इनमे प्रदान की जाने वाली सेवाएँ भी राष्ट्र ओर विश्वस्तरीय नहीं है । अपेक्षाकृत अधिक महगी भी है । कई होटलो मे पर्यटकों, विशेष रुप से विदेशी पर्यटको को दी जाने वाली सुविधाएँ सन्तोषजनक या निर्धारित मानदण्डो से निम्न होने के कारण प्रदेश की छवि को आघात पहुँचता है । प्रदेश में कुशल व प्रशिक्षित गाइडो का अभाव ह । अधिकाश विदेशी पर्यटक ट्रेवल एजेन्सी से भ्रमण करते है । ये ट्रेवल एजन्सियाँ विदशी पर्यटको का शोषण करने से नहीं चूकती । इन सबके अलावा राज्य म सडको का जगह जगह से टूटा होना सवार, अस्वच्छ पानी, टेलेक्स व्यवस्था का व्यापक नहीं होना आदि कारणो से पयटक राजस्थान आने से कतराता है।

पयटको के अलावा राजस्थान के पर्यटक स्थल भी समस्याओ से अछूते नहीं है । अधिकाश पर्यटक स्थल जीर्ण क्षीर्ण अवस्था मे है, उचित देख रेख के अभाव में न्हास की ओर बढ रहे है । जयपुर के अलबर्ट हाल में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण चोरी की वारदात हो चुकी है । वर्तमान मे राज्य सरकार के अधीन 18 सग्रहालय 2 कला दीर्घाएँ तथा 222 स्मारक एव 44 पुरास्थल हैं । मात्र तीन सग्रहालयों में सशस्त्र सुरक्षा प्रहरी हैं । सरकार के सीमित वित्तीय साधनो के कारण अभी तक 80 स्मारकों एव स्थलो पर ही चौकीदारी की व्यवस्था हो पाई है ।[3]

3 नवभारत टाइम्स 3 मार्च 1992

सुझाव—

राजस्थान म पुरातात्विक सग्रहालयो म बेशकीमती सामान है इनकी सुरक्षा के लिए सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है । राज्य मे जितने भी पर्यटक स्थल है जीर्ण क्षीण अवस्था मे पहुँच चुके हैं, सरकार को उनकी वास्तुकला को परिवर्तित किए बगैर मरम्मत का काम अविलम्ब हाथ मे लना चाहिए । जब पर्यटन स्थल ही सुरक्षित नहीं रहगे तो पर्यटक कैसे आ सकेगे । विश्व मे राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से जितना आकपक है भारत मे उसके मुकाबले अन्य राज्य नहीं । हमे इस स्थिति को ध्यान मे रखकर सर्वप्रथम राज्य मे पर्यटन विकास मे आने वाली बाधाओ को दूर करना होगा तथा दूसरी ओर पर्यटको के लिए सुविधाएँ एव ससाधन जुटाने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेकर योजनाबद्ध ढग से आगे बढना होगा । राजस्थान के गढ कोट किल महल एव हवेलियाँ तथा मदिर जिस प्रकार पर्यटको को आकर्षित कर रह हे उसका पूरा अध्ययन और सर्वेक्षण कराने की जरूरत है । राजस्थान की पर्यटन सम्भावनाओं के दोहन के लिए बाह्य एव आन्तरिक स्तर पर कारगर विपणन शैली तैयार करने की जरूरत हे ताकि पर्यटको को उनकी रुचि के अनुरूप आकर्षित किया जा सके । राज्य सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप होटल निमाण मे 51 प्रतिशत विदेशी सहायता प्राप्त की जा सकती हे ।

राजस्थान के सभी जिलो के पर्यटक स्थलो को सूचीबद्ध कर, सम्बन्धित साहित्य का विभिन्न पत्र पत्रिकाओ मे प्रकाशन कर राज्य मे पर्यटको की सख्या मे अपरिमित वृद्धि की जा सकती है । राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित 'अतिथि' इस हेतु एक सराहनीय प्रयास है, किन्तु तिमाही इस पत्रिका के मात्र चार पन्ने अधिक पर्यटको को आकर्षित नहीं कर पाएँगे । अतिथि मे प्रकाशित सामग्री मे वृद्धि करके इसकी प्रासगिकता को बढाया जा सकता हे ।

सम्भावनाएँ—

वित्तीय ससाधनो से त्रस्त राजस्थान के लिए पर्यटन उद्योग वरदान सिद्ध हो सकता है । राजस्थान विविधताओ, जिज्ञासाओ और विचित्रताओ से भरा हुआ प्रदेश है । आज विश्व मे प्रदेश की अद्‌भुत कठपुतली कला, लोक सगीतज्ञ, भोजा, लगा, मागणियार मशहूर है । जयपुर के रहीमुद्दीन खाँ डागर और जियामोहीनुद्दीन डागर उदयपुर से ध्रुपद गायन को भारत और पूरे विश्व मे ले गए ।

आज पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण साधन बन चुका है । यह एक ऐसा उद्योग है जिसमे बहुत कम पूँजी विनियोग से अधिक आय अर्जित की जा सकती है । पर्यटन उद्योग से न केवल सरकार को आय प्राप्त होती है वरन् आस-पास के क्षेत्रों

का विकास और रोजगार के अवसरो मे वृद्धि होती है।

राजस्थान मे कला और सस्कृति तथा पर्यटन को उद्योग के रुप मे बहुत कम फलीभूत कर पाए हैं, जबकि खनिज कृषि व पशुपालन के साथ ससाधनो की प्राप्ति का यह एक बडा स्रोत हो सकता है। प्रान्त खूबसूरत मन्दिरो वाले गाँव, शिल्प समृद्ध मन्दिर, *अद्भुत, अनुपम, बेजोड स्थापत्य कलाओ से लथपथ है जिन्हे* देखने के लिए दुनियाँ के लोग लालायित रहते हैं । बस आवश्यकता है तो इस बात की, कि लोगो को यह कैसे मालूम चले, कि यह प्रान्त इस दृष्टि से कितना धनी हे । बोरुन्दा (जोधपुर) की रुपायन सस्थान इस ओर प्रयासरत हैं । हाल ही पश्चिम क्षेत्र सास्कृतिक केन्द्र की ओर से 25 लाख रुपए से भी अधिक लागत से उदयपुर शहर के करीब आठ किलोमीटर पश्चिम मे पहाडियो के बीच 'शिल्प ग्राम' का निर्माण एक प्रशसनीय प्रयास है । वह दिन दूर नहीं, जब राजस्थान की कला-वैभव सस्कृति सुर्खियो मे आने लगेगी ।

पर्यटन को उद्योग के रुप मे स्वीकार कर लिए जाने से पर्यटन को निश्चित रुप से बढावा मिलेगा । पर्यटन के विकास के लिए न केवल वर्तमान पर्यटन स्थलो का विकास करना होगा बल्कि नए पर्यटन स्थल भी विकसित करने होगे । भविष्य मे पर्यटन को बढावा देकर राजस्थान मे पर्यटको की सख्या को देखते हुए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है ।

सवाईमाधोपुर में पर्यटन : विकास और सभावनाए

राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग मे अरावली और विन्ध्याचल पर्वत श्रृखलाओ का सगम स्थल सवाई माधोपुर प्राकृतिक और नैसर्गिक दृष्टि से राजस्थान मे ही नहीं अपितु समूचे भारत वर्ष में विशिष्ट स्थान रखता है । राजस्थान राज्य की बडी नदिया चम्बल बनास मोरेल सवाई माधोपुर जिले म होकर बहती है । इनमे चम्बल तो सतत् प्रवाही है । कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक चौथाई से अधिक भाग वनो से आच्छादित होने के कारण जिला सदियो से वन्य जीवो की विचरण स्थली रहा है । अतीत मे जयपुर के राजा का आखेट वन इतिहास की धरोहर रणथम्भौर आज 'रणथम्भौर नेशनल पार्क' के नाम से विश्वविख्यात है । यद्यपि हाल ही के वर्षो मे पार्क मे बाघो की सख्या अवश्य कम हुई है फिर भी ये वन के सूनेपन को तोड जीवतता का आभास देते हैं । रणथम्भौर के गरजते 'वनराज' अनायास ही विदेशी पर्यटको को आकर्षित करते हैं ।

सवाईमाधोपुर मे राज्य सरकार का पर्यटन विभाग है जो पर्यटको को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है । राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिले मे एतिहासिक स्थलो और पुरातात्विक स्मारको को पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है । कला और सस्कृति को बढावा देने के लिए मेलो का आयोजन किया जाता है । जिसके फलस्वरुप सवाईमाधोपुर मे पर्यटको की सख्या मे वृद्धि हुई है । वर्ष 1984-

85 से 1993 94 के बीच पर्यटको की सख्या मे उल्लेखनीय बढोतरी हुई है ।

सवाईमाधोपुर म पर्यटक

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी	योग
1984 85	27702	284	27986
1985 86	26455	515	26970
1986 87	31282	783	32065
1987 88	17248	814	18062
1988 89	23230	2711	25941
1992 93	65039	14284	79323
1993 94	65721	10623	76344

स्रोत 1 जिला योजना सवाई माधोपुर 1990
2 बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान 1994

सवाई माधोपुर मे स्वदेशी पयटको की सख्या वष 1984 85 मे 27702 थी जो बढकर 1993 94 मे 65721 हो गई । वर्ष 1987 88 मे स्वदेशी पर्यटको की सख्या अवश्य कम रही । इस वर्ष केवल 17248 स्वदेशी पर्यटक आ पाये ।

जिले म विदेशी पर्यटका की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही है । वर्ष 1984 85 मे विदेशी पयटको की सख्या 284 भी जो बढकर 1988 89 मे 2711 तथा 1992 93मे ओर बढकर 14284 हो गई । यद्यपि विदेशी पर्यटको की सख्या मे वृद्धि हुई है फिर भी कुल पयटको मे विदेशी पर्यटको की सख्या अधिक नहीं है । वर्ष 1993 94 मे 10623 विदेशी पयटक सवाईमाधोपुर आये जो जिले मे आने वाले कुल पर्यटको का केवल 14 प्रतिशत ही था ।

राजस्थान मे वर्ष 1989 म 419651 विदेशा पर्यटक आये । सवाई माधोपुर आने वाले विदेशी पर्यटको की सख्या मात्र 3607 थी । जबकि उदयपुर मे 67529 जैसलमेर मे 33391 रणकपुर मे 44087 जयपुर मे 155361 पयटक आये ।

राजस्थान मे वर्ष 1993 में विदेशी पर्यटको की सख्या 540738 थी । सवाई माधोपुर मे विदेशी पयटको की सख्या 10623 ही रहा जो कि राज्य के विदेशी पयटको का केवल 1 ०6 प्रतिशत ही था । सवाधिक विदेशा पर्यटक जयपुर आये । जयपुर मे विदेशी पयटको की सख्या 146555 थी जो कि राज्य के विदेशी पर्यटका का 27 प्रतिशत था । जयपुर के बाद राज्य मे सर्वाधिक पयटक उदयपुर जोधपुर भरतपुर जैसलमेर मे आये । ये आकडे इस बात की पुष्टि करते है कि सवाई माधोपुर जिला पर्यटन के क्षेत्र मे अपेक्षाकृत पिछडा हुआ है । यद्यपि यहा विकास की विपुल सभावनाएँ है ।

जिल क पर्यटन क क्षेत्र मे पिछडने का प्रमुख कारण पयटन विकास सबधी

आधारभूत सरचना का अभाव है । झूमर बावरी टुरिस्ट बगले के अलावा जिले मे स्तरीय होटल नहीं है । वर्ष 1987 मे सावजनिक क्षेत्र के तीन तथा निजी क्षेत्र के 6 होटल थे। इसके अलावा जिले मे पयटक साहित्य का नितात अभाव है । रणथम्भोर नेशनल पार्क मे आधुनिक तकनाक से सुसज्जित वाहन उपलब्ध नहीं है । कुछ निजी वाहन चालको को पर्यटन विभाग ने अनुमति दे रखी है । ये पयटको का शोषण करने से नहीं चुकते है । पर्यटन विभाग के पास जो गाइड है वे पर्यटन साहित्य मे नोसाखिए हैं । ये अल्पज्ञान के•कारण पयटन की सही तस्वोर पर्यटको के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते है नतीजतन पर्यटक महज रणथम्भौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर लोट जाते है । पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध अनेक क्षेत्र यथा रणथम्भौर दुर्ग तिमनगढ करोली आदि पर्यटको के लिए आज तक भी प्यासे है ।

स्वातन्त्र्योत्तर वन्यजीव सरक्षण ओर पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए रणथम्भोर वन क्षेत्र को 1955 मे वन्य जीव अभयारण्य घापित किया । वर्ष 1973 मे भारत सरकार ने राष्टीयस्तर पर बाघ परियोजना प्रारभ की गई तथा इसमे रणथम्भौर वन्य जीव अभयारण्य का चयन किया गया । बाघ परियोजना के अन्तर्गत रणथम्भौर अभयारण्य मे वन्य नीव सरक्षण एव विकास का नया इतिहास प्रारभ हुआ । वन्य जीव सरक्षण मे हुए विकास की अभूतपूर्व प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षत्र को वर्ष 1980 मे राष्टीय उद्यान घोषित किया गया ॥ राष्टीय उद्यान मे शुष्क पतझड किस्म के वन बहुतायत मे है । वनक्षेत्र धोक वृक्ष से आच्छादित है । वन्य नीवो मे बाघ बघेरा रीछ चीतल साभर चिकारा नील गाय मगर यहा के प्रमुख आकषण है ।

रणथम्भौर राष्टाय उद्यान म वन्य जीव

वन्य नीव	सन् 1974	सन् 1988
बाघ	14	43
बघेरा	15	42
भालू	35	62
चीतल	1000	3130
साभर	1100	2222
नील गाय	600	632
चिकारा	100	203
जगना सूअर	300	418

स्रात जिला योजना सवाइमाधोपुर 1990

रणथम्भौर राष्टाय उद्यान म वष 1974 मे 14 बाघ थे । वष 1988 म बाघा की सख्या बढकर 43 हा गई । किंतु वष 1993 मे बाघा की सख्या घटकर 28 ही रह

गई । रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान मे बाघो की घटती सख्या वन्य जीव प्रेमियो के लिए बेहद चिता का विषय है । रणथम्भोर कैला देवी और सरिस्का अभयारण्यो म बाघा का गिनती एक से 15 मई 1993 तक की गई थी । रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र मे 1993 मे 28 बाघ गिने गए । केलादेवी वन्य उद्यान मे 1993 मे 11 बाघो की पुष्टि हुई । रणथम्भार मे बाघो की गणना के लिए नई पद्धति अपनाई गई और विशेषज्ञो की सेवाए की गइ ।

रणथम्भोर राष्टाय उद्यान की वर्ष 1984 से 1988 के बीच हुई प्रगति को छायाकित करते हुए अनेक फिल्मे बनी जिनम नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की फिल्म बेहद लोकप्रिय हुई और विश्व का ध्यान इस अमूल्य धरोहर की ओर आकर्षित हुआ। उद्यान मे आने वाले पर्यटको की सख्या मे भारी वृद्धि हुई ह । जहा वर्ष 1985 तक लगभग 5000 पर्यटक आया करते थे वहीं 1987 88 म 15000 पयटका ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया । वर्ष 1988 89 मे यह सख्या 18000 थी तथा वर्तमान मे यह सख्या 25000 से अधिक होने की सभावना है ।

राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि की छोटी से छोटी रियासत भी शौय स्थली रहा है । सवाई माधोपुर को शौर्य भूमि रणथम्भौर दुर्ग के अतीत मे अनेक गौरवपूर्ण गाथाए समाई हुयी है । इस बात की याद यहा की प्राचारे हू ब हू दिलाती है । रणथम्भोर दुर्ग गुलाबीनगर जयपुर स दक्षिण पूर्व की दिशा मे स्थित है । यह दुर्ग पथरीले पठार पर समुद्र तल से 1578 फुट का ऊचाई पर स्थित है । दुग चारा ओर प्राकृतिक सान्दय से ओत प्रोत तथा घने जगलो वाली पहाडियो से आच्छादित है । सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से उत्तर पूर्व मे लगभग पाच किलोमीटर की यात्रा के बाद यहा पहुचा जा सकता है । दिल्ला सलतनत के लिए सेनिक ओर सामयिक दृष्टि से इस दुर्ग का अत्याधिक महत्त्व था । दुर्ग के निमाण के बारे मे प्रचलित किवदन्ति है कि इसे कुतुबद्दीन ऐबक क समय मे पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविद राज ने रणथम्भोर के छाटे से राज्य की नींव रखी तभी से यह भारताय इतिहास के नक्शे पर उभर कर आया ।

रणथम्भौर की प्राचीन हम्मीर के दृढनिश्चय शरणागत रक्षा स्वाभिमान तथा मुहम्मदशाह की स्वामिभक्ति को याद दिलाती ह । किंतु सेनापति रतिपाल रणमल व सुरजन की गद्दारी को लोग आज भी नहा भुला पाए हे ।

पुरातत्व एव सर्वेक्षण विभाग दुर्ग के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है । यहा के कलात्मक प्रस्तर खण्डो मूतियो अपने स्थान से उखडे शिलालेखा का एकत्र कर सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया हे । हम्मीर कचहरी छोटी कचरी अन्नपूणा मदिर की मरम्मत हुई हे । हम्मीर महल मे सग्रहलाय बनाकर महल को उसका प्राचीन रूप देने का कार्य किया गया है ।

तिमनगढ़ :

राजस्थान के विद्यमान किलो मे से यह सबसे प्राचीन किला है । यह किला राजप्रासादो, देवालयो, नागरिक आवासो, पक्के रास्तो, गलियो, बाजारो, जल व्यवस्था के भग्नावशेषो के लिहाज से पूर्व मध्यकालीन युग का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । इसे दसवीं ग्यारवीं शताब्दी म राजा तमनपाल ने बनवाया था । तिमनगढ किला अपने हृदय में उस जमाने की न जाने कितनी गौरव गाथाएँ और सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है । किंतु सरकार द्वारा सरंक्षित पुरातात्विक महत्त्व के स्थानो मे तिमनगढ का नाम नहीं है । दुर्ग म जगह-जगह प्रस्तर खण्ड, शिलाए और टूटी मूर्तिया बिखरी पडी है । गजय संरक्षण के अभाव मे इतिहास की यह प्राचीन धरोहर आसू बहा रही है । सरकार मानस बनाए तो सवाई माधोपुर म सग्रहालय बनाया जा सकता है जिसमे तिमनगढ के अवशेषो को सुरक्षित रखा जा सकता है । सवाईमाधोपुर के इतिहास क अवशेष पर्यटको को आकर्षित करने की क्षमता रखने है ।

सवाइ माधोपुर में अनेक ऐसे सुरम्य रमणीय व एतिहासिक स्थल है जिन्हें पर्यटकों के आकषण का केन्द्र बनाया जा सकता है । गढमोरा, जिले की नादौती तहसील मे एक गाव है जो राजा मोरध्वज की राजधानी रहा । मोरध्वज श्री कृष्ण भगवान का प्रसिद्ध उपासक था । गढमोरा चोहान राजाओ का स्थल भी रहा । यह क्षेत्र का देवार्पित स्थल है । यहा गुफा और भग्नावेश स्थल है । यहा एक मठ भी है जिसे मूलतः दादू सत ने स्थापित किया ।

'छान' खण्डार तहसील का एक छोटा सा किंतु महत्त्वपूर्ण गाव है । इसका महत्व एक पुरानी भग्नावेश मस्जिद के कारण है । कहा जाता है इसे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथम्भोर पर आक्रमण के समय बनवाया था ।

वर्णित विवरण इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि राजस्थान राज्य का सवाई माधोपुर जिला एतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन स्थलो क अलावा तीर्थाटन की दृष्टि से भी यह जिला सुदृढ है । यहा अनेक प्रसिद्ध मदिर है जिनम त्रिनेत्र गणेश, मदनमोहन जी, श्री महावीर जी, माँ केला देवी, रामेश्वरम, मेंहदीपुर क बालाजी, गोरा और काला, चौथ माता तथा गडवाडा का प्राचीनतम श्री रघुनाथ मदिर आदि प्रमुख है । जिले मे भरने वाले बडे मेलो मे लाखो की तादाद मे श्रद्धालु आते हैं । धार्मिक आस्था के कारण तीर्थाटन के क्षेत्र मे तो सवाइमाधोपुर देशभर में उभर कर सामने आया किंतु पयटन के क्षेत्र मे स्थिति सतोषजनक नहीं कही जा सकती है । इस बात की पुष्टि सवाई माधोपुर मे आने वाल थोडे से पयटको से सहज ही हो जाती है । इसके लिए भी रणथम्भोर के बाघो को धन्यवाद, जिनके कारण अन्तरराष्ट्रीय छवि बनी हुई है ।

पर्यटन के क्षेत्र मे सवाईमाधोपुर के पिछडने के लिए एक बडी सीमा तक सरकार

द्वारा की गई उपेक्षा को उत्तरदायी माना जा सकता है । जिले मे पर्यटन के विकास के लिए कारगर योजना निर्धारित नहीं की गई नवीनतम वन्यजीव सरक्षण प्रभावित हुआ और पर्यटको की सख्या भी काफी कम रही है । किंतु अब सरकार की भूमिका मे बदलाव आया है । राज्य सरकार जिले मे पर्यटन को बढावा देने के लिए प्रयत्नशील है । सवाई माधोपुर मे अब शाही रेलगाडी रुकने लगी है । अब यह जिला भी पर्यटन के क्षेत्र मे विकसित जिलो की भाति कदमताल करने की स्थिति मे लेगा । इसके लिए आवश्यक है कि वन विभाग, पुरातत्त्वविभाग ओर पर्यटन विभाग मिलकर ऐसे प्रयास करे जिससे न केवल वर्तमान पर्यटन स्थलो का विकास हो अपितु नवीन पर्यटन स्थल भी पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र बने । पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय हस्तशिल्प को बढावा देने की महत्ती आवश्यकता है ओर सबसे अधिक जरूरत सवाईमाधोपुर के पर्यटन साहित्य को विकसित करने की है जिसका फिलहाल अभाव बना हुआ है ।



अध्याय 6

राजस्थान के औद्योगिक विकास की झलक तथा भारत में इसकी स्थिति

हाल ही के वर्षों म प्रारभ किय गए आर्थिक उदाराकरण के दौर में उद्यागो का विकास अर्थव्यवस्था क अन्य क्षेत्रो की तुलना म महत्वपूण होकर उभरा है । समूचे दश म विश्व के बदलते आथिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने के लिए तथा इस हेतु नवीन औद्योगिक वातावरण निमित करने वास्ते प्रभावात्पादक प्रयास किये जा रहे हैं। आज के आर्थिक युग म औद्यागिक विकास एक अनिवायता है । इसक बिना देशवासियों को जीवन जाने के प्रचुर साधन उपलब्ध कराने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है।

भारत की विकासशाल अथव्यवस्था का राजस्थान एक पिछडा हुआ राज्य है। यहा गरीबी की समस्या सदेव मुहवाए खडी है । बरोजगारी "सुरसा के मुह" की भाति बढती ही चली जा रही हे । विभिन्न आथिक सूचका यथा शुद्ध घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय, अध सरचना याजना उद्व्यय आदि म राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यो की तुलना म दयनाय है । लगभग यही दशा राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था म सवाइ माधापुर निले की है । इस विपम आर्थिक स्थिति से ताव्र औद्योगिक विकास द्वारा निजात पाया जा सकता है । बतमान म यह प्रमाणित हा चुका हे कि तीव्र औद्यागिक विकास के बिना गरीबी निवारण सभव नहीं है । औद्योगिक विकास से गरीबी का दुष्चक्र थमता है । रोजगार क अवसरा म वढोतरा से चहुआर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है ।

1 राजस्थान विकासान्मुखी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पिछडा हुआ राज्य है । यहा की भौतिक व प्राकृतिक परिस्थितिया अन्य राज्या की तुलना मे काफी विकट है किंतु खनिजा की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध है । बिहार के बाद राजस्थान का ही नाम आता है । हाल ही के वर्षों म राज्य कृपि सपदा की दृष्टि से भी समृद्ध हा चला है । लेकिन राज्य वित्तीय ससाधना क अभाव क कारण समृद्ध प्राकृतिक सपदा का भरपूर लाभ

नहीं उठा पाया है । केन्द्र सरकार का रुख भी राज्य के औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल नहीं रहा । केन्द्रीय विनियोगो का अत्यल्प भाग ही राजस्थान मे विनियोजित किया गया नतीजन राज्य मे औद्योगिक विकास की गति तेज नहीं हो पाई । फिर भी वर्तमान मे राजस्थान मे सूती व सिथेटिक रेशे की इकाइया, ऊनी चीनी, सीमेंट, नमक, काच टेलीविजन टायर-ट्यूब, वनस्पति तेल की मीले, इजीनियरी की औद्योगिक इकाइया कायरत हैं ।

2 राजस्थान मे राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी है, किंतु इन उपक्रमो ने वित्तीय कार्यसिद्धि के क्षेत्र मे निराश ही किया है । अनेक उपक्रम जैसे राजस्थान सडक परिवहन निगम, राजस्थान सचार लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम आदि भयकर घाटे की समस्या से ग्रसित है । राज्य सरकार इन उपक्रमो के घाटे को पाटन म सफल नहीं हो पाई है । गोरतलब है कि केन्द्र सरकार के उपक्रम राज्य मे अच्छा लाभ अजित कर रहे हैं । इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा राज्य मे विनियाग नही बढाया जा रहा है । यह राज्य के साथ सोतेलेपन का द्योतक है ।

3 भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत वष 1993 म पजीकृत निर्माणियो की सख्या राज्य म 12580 थी जिनम 2 95 लाख व्यक्तिया को राजगार मिला हुआ था । कुछ चयनित मदो का औद्यागिक उत्पादन राज्य म इस प्रकार है -

मदे	इकाई	उत्पादन	
		1992	1993 (प्रावधानिक)
सीमेंट	हजार टन	4827 64	4749 19
शक्कर	टन	38508 70	26261 70
सूती कपडा	लाख मीटर	378 35	379 56
नमक	लाख टन	11 81	12 96
वनस्पति घी	टन	34236 98	33841 31

स्रोत आय व्ययक अध्ययन, 1994-95

4 राज्य मे लघु उद्योग इकाइयो की बहुल्यता है । दिसम्बर 1993 तक राज्य मे 166184 लघु उद्योग इकाइया पजीकृत हुई एव 1266 64 कराड रुपए का विनियोजन हुआ व इन इकाइयो में 6 30 लाख व्यक्तियो को रोजगार दिया गया । हस्तशिल्प उद्योग की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति महत्त्वपूर्ण है । यहा हस्तशिल्प के अद्‌भुत नमूने हैं जिनकी देश-विदेश मे व्यापक माग है । खादी एव ग्रामोद्योग भी राजस्थान का परम्परागत उद्योग है । वर्ष 1992 93 के दौरान ऊनी एव सूती खादी का अनुमानित मूल्य क्रमश. 2143 87 लाख रुपए तथा 847 96 लाख रुपए था । खादी उद्योग मे लगभग 1 59 लाख व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त है । वर्ष 1993 94 के दोरान (दिसम्बर 1993 तक) ग्रामीण

	हिमाचल प्रदेश	1583 28
	हरियाणा	1057 25
	महाराष्ट्र	.810 41
	तमिलनाडू	898 88
5 6	अष्टम योजना का उद्व्यय	करोड - रूपए
	राजस्थान	11500
	अखिल भारत	186235
	उत्तरप्रदेश	21000
	महाराष्ट्र	18520
	बिहार	13000
	कर्नाटक	12300
5 7	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	किलोवाट
	राजस्थान	231
	अखिल भारत	268
	महाराष्ट्र	434
	गुजरात	504
	तमिलनाडू	355
5 8	प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लबाई.	किलोमीटर
	राजस्थान	17 02
	अखिल भारत	19 00
	महाराष्ट्र	17 68
	गुजरात	26 94
	तमिलनाडू	30 83

उपर्युक्त वर्णन इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि भारत के औद्योगिक विकास मे राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यो (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू, हरियाणा आदि) की तुलना मे कमजोर हैं ।



अध्याय 7

औद्योगिक विकास की भावी संभावनाएँ

राजस्थान के प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण यहा भावी औद्योगिक विकास की काफी सभावनाएँ है । जयपुर के बडी रेल्वे लाइन से जुडने के कारण राज्य म औद्योगिक विकास की सभावनाएँ सजीव हो उठी है । निम्नलिखित विवरण राज्य के औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाओ को प्रकट करता है

1 खनिजो का अजायबघर राजस्थान खनिज सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध प्रान्त है । यहा 45 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं । कुछ खनिजो का उत्पादन तो केवल राजस्थान मे ही होता है । राजस्थान कई खनिजो के उत्पादन मे देश मे अग्रणी है । राजस्थान मे धात्विक खनिजा मे ताँबा, सीसा जस्ता, लोहा, मैंगनीज चादी, टगस्टन, आणविक खनिज तथा अधात्विक खनिजो मे अभ्रक जिप्सम राक फास्फेट, लाइम स्टोन (चूना पत्थर) सोप स्टोन, सगमरमर व ग्रेनाइट एस्बेस्टस पाइराइटस बेन्टोनाइट, पन्ना व गारनेट, चायना क्ले व व्हाइट क्ले, फायर क्ले, सिलिका सैण्ड पाए जाते है । इसके अलावा खनिज ईंधन मे लिग्नाइट राज्य मे उपलब्ध है । खनिज तेल व प्राकृतिक गैस भी राज्य में प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है ।

राजस्थान मे खनिज उत्पादन अग्राकित तालिका मे दर्शाया गया है

महत्त्वपूर्ण खनिजो का उत्पादन

खनिज	उत्पादन हजार टन मे	
	1991–92	1992–93 (प्रावधान)
1 धात्विक खनिज		
1 कच्चा ताबा	1860	1646
2 कच्चा लोहा	33	38
3 सान्द्र सीसा	32	32

4 सान्द्र जस्ता	119	98
5 चाँदी (कि ग्रा)	18386	12836
6 टगस्टन (टन)	8	8
2 अधात्विक खनिज		
1 फेल्स पार	73	71
2 फ्लोराइड	4	3
3 गार्नेट (टन)	150	152
4 गार्नेट (कि ग्रा) (मूल्यवान एव अर्द्ध मूल्यवान)	1026	620
5 जिप्सम	1669	1540
6 लाइम स्टोन	7881	9120
7 अभ्रक (टन)	470	160
8 राक फास्फेट	248	243
9 सिलिका सेण्ड	243	213
10 सोप स्टोन	398	402
11 एस्बेस्ट्स	32	37
12 बेराइट्स	7	6
3 लघु खनिज		
1 बालू पत्थर	39981	2860
2 चिनाई पत्थर	11935	12130
3 चूना पत्थर (आवासी)	1070	1137
4 चूना पत्थर	2980	3233
5 सगमरमर	1848	20001

स्रोत आय व्ययक अध्ययन राजस्थान 1994 95

2 नेशनल काउसिल ऑफ एप्लाइड इकानॉमिक रिसर्च नई दिल्ली ने राजस्थान का टैक्नो इकोनामिक सर्वेक्षण करके विभिन्न उद्योगो की क्षमता ओर भावी सभावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान मे अग्राकित उद्यागा को स्थापना का औचित्य बताया—

टैक्टर व सबधित यत्र, डीजल इजन, स्कूटर व मोटर साइकिलो, माटर गाडियो के पुर्जे, विघुत सामग्री, इस्पात के तार, पाइप ट्यूब, कीले नट बोल्ट, पोर्टलेण्ड सीमेट, सफेद व रगीन सीमेट, काच, तेल शोधक आदि कारखाने

3 राजस्थान मे निम्नाकित उद्योगा के विकास की प्रबल सभावनाएँ है

1 कोटा मे जिप्सम आधारित सल्फयूरिक एसिड के निर्माण का सयत्र लगाने

पर सक्रिय रुप से विचार किया जाना चाहिए ।

2 उदयपुर मे एक पिग लोहा सयत्र लगान की आवश्यकता हे वहाँ निकटवर्ती क्षेत्रो के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता हे ।

3 निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारो के बाड बनाए जा सकत ह जिसक पूव निर्मित भवन बनाकर कुछ सीमा तक भवन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

उत्तम सेलेनाइट के भडारो का उपयोग प्लास्टर ऑफ परिस व अन्य उद्योगो का विकास करने मे किया जाना चाहिए ।

4 फेल्सपार क्वार्टस व चिकनी मिट्टी के उपयाग से चीनी मिट्टी के सामान के कारखानो की स्थापना का क्षेत्र बढ सकता हे । सिलिका क उपयाग से काच के ~ का विस्तार किया जा सकता है ।

4 कृषि सम्पदा पर आधारित उद्योग कृषि सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश म महत्वपूर्ण स्थान है । 1988 89 मे कृषि का अश राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन म लगभग 45 प्रतिशत तथा 1992 93 के प्रारम्भिक अनुमानो के अनुसार 44 प्रतिशत रहा। कपास, गन्ना तिलहन, मक्का चना व गेहू आदि ऐसी फसल है जिन पर आधारित अनेक छोटे बडे उद्योग स्थापित किए जा सकते है । इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषिगत उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि हो रही है नहर के पूरा होने पर खाद्यान्न मे अपूर्व वृद्धि अपेक्षित हैं ।

राजस्थान मे प्रमुख औद्योगिक फसलो का उत्पादन

फसले	उत्पादन (लाख मैं टन मे)				
	87 88 (सशोधित)	88 89 (सशोधित)	89-90 (अन्तिम)	90 91 (सभावित)	92-93
तिलहन (कुल)	12 57	19 18	18 45	24 80	25 38
गन्ना	9 48	6 86	7 15	6 0	11 29
कपास (उत्पादन लाख गाठो मे)	2 18	6 01	9 86	9 50	10 16

स्रोत आय व्ययक अध्ययन राजस्थान 1991-92 एव 1994 95

पिछले वर्षो में राजस्थान देश मे तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है । देश के तिलहन उत्पादन का 12 प्रतिशत भाग राजस्थान में होने लगा है । सरसो के उत्पादन मे यह एक अग्रणी राज्य हो गया है । यहा देश की कुल सरसो के उत्पादन का 35 प्रतिशत अश होने लगा है ।

राज्य मे जयपुर, अलवर, धौलपुर, चित्तोडगढ, जोधपुर, डूगरपुर, झुन्झुनू

हनुमानगढ नोहर मे सूती वस्त्रो के उद्योग स्थापित किए जा सकते है । कोटा भरतपुर व उदयपुर मे चीनी की मीले लगाई जा सकती है । कोटा म वनस्पति घी का उधोग व भरतपुर अलवर गगानगर व सवाई माधोपुर मे खाद्य तेल मीले स्थापित की जा सकती है । सम्पूर्ण राज्य मे मक्का व बाजरे पर आधारित फूड प्रौसेसिग उद्योग स्थापित किए जा सक्ते हैं ।

5 पशु सम्पदा पर आधारित उद्योग राज्य म चमडा ऊन मास दूध व दूध से बने पदार्थ का आधार पशुधन है । पश्चिमी शुष्क मैदान के नगरा म चमडा उद्योग डेयरी उद्योग दूध पाउडर के उद्योग मक्खन पनीर व पशु आहार के उद्योगा की स्थापना की विपुल सभावनाएँ है । बाकानेर व जोधपुर मे होजरी ऊनी व चमडे के कारखाने सवाई माधोपुर अलवर भरतपुर बीकानेर मे हड्डी पीसने के कारखाने तथा अलवर व उदयपुर मे मछली उद्योग का विकास किया जा सकता है ।

6 वनो पर आधारित उद्योग राजस्थान मे वनो पर आधारित लघु एव कुटीर उद्योगो के विकास की अच्छी सभावनाएँ है । राज्य म दियासलाई उद्योग कागज उद्योग पैकिंग के कागज का उद्योग टोकरी उद्योग चमडा साफ करने का उद्योग बीडी उद्योग खस पर आधारित उद्योग देशी शराब उद्योग एव इसा प्रकार के अन्य छाटे बडे उद्योग स्थापित किए जा सकते है ।

7 आधारभूत सरचना किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सरचना की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । प्राकृतिक व मानवीय ससाधना की बाहुल्यता के बीच यदि अद्य सरचना का अभाव हो तो ससाधन अन्यत्र पलायन कर जाते हैं । राजस्थान मे आधारभूत सरचना की स्थिति निम्नलिखित है

1 विद्युत औद्योगीकरण मे विद्युत का स्थान सर्वोपरि है । राजस्थान म वतमान (सितम्बर 1992) अधिष्ठापित क्षमता बढकर 2776 मेगावाट हो गई जबकि राज्य के गठन के समय मात्र 13 मेगावाट थी । गत 43 वर्षो मे प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग 2 9 यूनिट से बढकर 189 यूनिट हो गया । उच्च प्रसारण लाइनो की दूरा जो वर्ष 1981 मे 7123 रूट कि मी थी अगस्त 1992 के अत मे बढकर 12 265 रुट कि मी होगई है। यह लम्बाई राज्य के गठन के समय शून्य था । आज ई एच वा ग्रिड सब स्टेशनो की सख्या 132 है जो वर्ष 1949 में शून्य थी आज हमारे 33 40 लाख से अधिक उपभोक्ता है जो 43 वर्ष पूर्व प्राय नगण्य थे । वर्ष 1949 म मात्र 42 बस्तिया विद्युतीकृत थी जबकि अगस्त 1992 के अत मे 28664 ग्राम (77 प्रतिशत) विद्युतीकरण हो चुके है । ऊर्जीकृत कुओ की सख्या अगस्त 1992 के अत मे 4 13 000 है यह राज्य के गठन के समय शून्य थी ।

आठवीं पच वर्षीय योजना मे राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता मे 713 मेगावाट की वृद्धि निम्नलिखित स्रोतो से होने की सभावना है —

111 सहायक व छोटे स्वास्थ्य केन्द्र थे । वर्ष 1985 86 मे शहरी क्षेत्रो की राजकीय चिकित्सा सस्थाओ मे 16495 व ग्रामीण क्षेत्रो की चिकित्सा सस्थाओ मे 6051 बेड थे।

5 सचार तीव्र गति से औद्योगीकरण के लिए सचार साधनो की प्रभावी भूमिका होती हे । मार्च 1993 तक राज्य की सभी तहसील मुख्यालयो को एस टी डी से जोडा जाना प्रस्तावित हे । विदित है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय एस टी डी से जोडे जा चुके हैं ।

वर्ष 1986-87 मे राजस्थान मे 9620 पोस्ट ऑफिस 1613 टेलेग्राफ ऑफिस 675 टेलीफोन एक्सचेज तथा 1349 सार्वजनिक काल ऑफिस थे ।

6 आवास - जनसख्या व आर्थिक दबावो के बावजूद राजस्थान सरकार लोगो की आवासीय जरूरतो को पूरा करने के लिए आवास सुविधाआ के निर्माण का वृहद कार्यक्रम चला रही है । राजस्थान आवासन मण्डल ने अब तक 2 लाख आवेदको का पजीकरण करके 1 लाख 18 हजार गृह निर्माण प्रारम्भ किया । अब तक (30 मार्च 1992) 1 लाख 4 हजार मकान पूर्ण किए गए है । इनमे से 1 लाख 2 हजर 570 आवास एव शहरी विकास निगम (हुडकों) ने राजस्थान मे 1989 90 मे 29 17 करोड रुपए का निवेश किया जो 1990 91 मे 35 15 करोड रुपए तक जा पहुचा । हुडको द्वारा वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रारम्भ तक 410 आवासीय योजनाओ मे 1 लाख 24 हजार 880 मकान विभिन्न शहरो मे बनाने के लिए स्वीकृत किए । इन्दिरा आवास योजना मे वर्ष 1991 92 मे 9 66 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है । इस योजना मे फरवरी 1992 तक 11368 आवासा का निर्माण किया गया । मानसरोवर का विकास व परिवर्धन एक अनूठी योजना है ।

7 बैकिग वर्ष 1987 म राजस्थान मे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के 2687 कार्यालय थे जिनमे जमा 260218 लाख रुपए व अग्रिम 174235 लाख रुपये थे । प्रति व्यक्ति जमा 646 रुपए व प्रति व्यक्ति अग्रिम 433 रुपए थे ।

8 उद्यमी - राजस्थान मे जन्मे उद्यमियो ने देश के औद्योगिकरण मे प्रभावी भूमिका निभाई है । बिडला पोद्दार गोलेछा साहू, जैन आदि राज्य के बडे उद्यमी हे यदि ये चाहे तो रातो रात राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं ।

9 औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा राज्य मे 187 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके है सबधित तथ्य निम्नाकित है -

अधिगृहीत	27795 94 एकड
विकसित भूमि	18754 82 एकड
नियाजित भूखडो को सख्या	25854 00
विकसित भूखडो को सख्या	20185 00
आवटित भूखण्ड	22110 00
उत्पादन मे सलग्न इकाइया	9798 00

विकास केन्द्र 'ग्रोथ सेन्टर'

विकास केन्द्र केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है तथा ये केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एव मापदडो के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं । भारत सरकार द्वारा 8 दिसम्बर 1988 को राजस्थान के लिए 4 विकास केन्द्र आवटित किए थे । राज्य सरकार ने 8 विकास केन्द्रो के प्रस्ताव भेजे थे वे थे भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाडा, झालावाड, बीकानेर, सिरोही अजमेर एव अलवर । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 8 जिलो में से भारत सरकार द्वारा बीकानेर, झालावाड, भीलवाडा एव आबू रोड (सिरोही) जिलों को विकास केन्द्र हेतु चयनित कर 20 अक्टूबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की । राज्य सरकार के प्रयासो से भरतपुर के समीपवर्ती जिले धौलपु को भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी 1992 को विकास केन्द्र घोषित किया गया ।

प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए तीन वर्ष की अवधि में 30 करोड रुपए खर्च किए जायेगे । प्रमुख उद्देश्य परियोजना और प्रायोजक के लिए सभी सभव सुविधाएँ उपलब्ध कराना है ।

चार विकास केन्द्रो में वर्ष 1993 94 के दौरान कार्य प्रगति पर रहा । प्रथम चरण मे वर्ष के दौरान चार विकास केन्द्रो पर 1985 बीघा भूमि के प्रस्तावित लक्ष्य के मुकाबले 1857 बीघा भूमि अधिग्रहीत/आवटित की जा चुकी है । इस वर्ष के अत तक 15 करोड रुपए की राशि व्यय किये जाने की आशा है ।

11 लघु विकास केन्द्र 'मिनी ग्रोथ सेन्टर' – जोधपुर व उदयपुर दो मिनी ग्रोथ सेटर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है । दोनों मिनी ग्रोथ सेंटर के लिए 5 करोड रुपए खर्च किए जायेंगे इसमें केन्द्र सरकार द्वारा 3 करोड रुपए की मदद व सिडबी से 2 करोड रुपए के ग्रुप का प्रावधान है ।

राजस्थान में विद्यमान प्राकृतिक सपदा का समुचित विदोहन किया जाए तो यह राज्य देश के अन्य औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यों के समकक्ष आकर खडा हो सकता है । केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह यहा की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक वित्तीय ससाधनो का आबटन करे जिससे तीव्र विकास को गति सुनिश्चित की जा सके ।



अध्याय 8

राजस्थान में आधारभूत संरचना-ऊर्जा विकास

आधारभूत सरचना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है । आधारभूत सरचना के अभाव मे औद्योगिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है । मे ऊर्जा सडके रेल सचार बदरगाह आदि को सम्मिलित किया जाता है । इन आधारभूत क्षेत्र में निवेश कम होने से विकास का आधार गडबडा जाता है । आर्थिक उदारीकरण के दौर में विदेशी निवेशको के आकर्षित होने से भविष्य मे औद्योगिक विकास को गति मिलने की सम्भावना है । औद्योगिकरण के बढने से आधारभूत सरचना के विकास की अधिक आवश्यकता होगी । राजस्थान मे वित्तीय ससाधनो के अभाव के कारण आधारभूत सरचना का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है । विशेषकर ऊर्जा का अभाव है । राजस्थान मे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए ढाचागत निवेश के क्षेत्र मे विदेशी निवेशको को आकर्षित किया जाना चाहिए ।

राजस्थान मे ऊर्जा विकास

ऊर्जा विकास का पर्याय है । राजस्थान म औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति का प्रमुख कारण ऊर्जा का अभाव रहा है । ऊर्जा की खपत प्रगति की माप का बैरोमीटर है । वर्तमान मे ऊर्जा की माग मे तेजी से बढोतरी हो रही है । किन्तु विद्युत उत्पादन के बढती माग के अनुरूप नहीं बढने से राजस्थान मे ऊर्जा की समस्या गम्भीर हो गई है । राजस्थान सरकार सन् 2000 तक बिजली की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत

ह । राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएँ आमंत्रित की हे । सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमियो को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे आमंत्रित किया ह ।

राजस्थान को वर्तमान (जुलाइ 1995) म 45 सा मेगावाट बिजली की आवश्यक्ता है परन्तु काफी प्रयासो के बाद 35 सो मगावाट बिजली की आपूति हो पा रही ह ।[1] दिसम्बर 1996 मे बिजली सकट के कारण वडे उद्योगा पर 75 प्रतिशत कटोती लागू की गई । गॉवो मे 6 घण्टे बिजली दी गई तथा शहरो मे तीन घण्टे की कटाती की गइ । पजाव के विद्युत वोर्ड क अध्यक्ष ए एस चड्स के अनुसार राजस्थान मे कोई उच्च क्षमता का विद्युत स्टेशन नहीं होने के कारण साय 7 बजे से 9 बजे तक बिजली की घरेलू खपत का अत्यधिक दवाव बढता हे । दिन की खपत की अपक्षा 300 से साढे तीन सा मगावाट बिजली खर्च होती ह । पजाब म बिजली का अतिरिक्त उत्पादन होने के कारण पजाब राज्य विद्युत बोड राजस्थान को प्रतिदिन दिन के समय 60 हजार यूनिट बिजली बेचता है।

नेफ्ता पर आधारित विद्युत

केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 1996 मे राजस्थान को 1415 मेगावाट बिजली पैदा करने जितना नेफ्ता आवटित किया है । इससे राज्य म नेफ्ता आधारित विद्युत परियोजनाओ के शीघ्र स्थापित होने की सम्भावना हे । राजस्थान विद्युत मण्डल ने 1996 मे नेफ्ता एव फर्नेस ऑइल आधारित 16 विद्युत परियोजनाओं के लिए समझाते किये । इन परियोजनाओ के माध्यम से 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा । इनमे से 2700 मैगावाट बिजली नेफ्ता आधारित एव 600 मेगावाट फर्नेस ऑयल आधारित परियोजनाओ से मिलने की सम्भावना है । धोलपुर की 800 मेगावाट की बडी परियोजना के शीघ्र चालू होने की सम्भावना हे ।

विद्युत विकास पर योजना परिव्यय

राजस्थान मे ऊर्जा की कमी ओर विकास मे विद्युत की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध विकास मे ऊर्जा पर भारी विनियोजन किया गया । पच वर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओ मे ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे उजा पर सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय इस प्रकार है। पाचवी योजना 249 करोड रुपए, छटी योजना 566 कराड रुपए, सातवी योजना 927 8

---

1 तथ्य भारती जुलाई 1995 पृ 16

करोड रुपए । आठवी योजना म ऊर्जा पर 3255 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है । जो कि कुल योजना परिव्यय 11500 करोड रुपए का 28 3 प्रतिशत हे । आठवी पचवर्षीय योजना मे ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हे ।

राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाएँ —

योजनाबद्ध विकास मे राजस्थान म कई विद्युत परियाजनाआ की स्थापना की गई । राजस्थान सरकार की प्रमुख विद्युत परियोजनाएँ इस प्रकार हे —

राजस्थान के विद्युत गृह 1992-93

कस्बे का नाम	विद्युत सख्या	सस्थापित क्षमता
कोटा	*2*	*6 40 000*
माही (बासवाडा)	*3*	*140165*
अनूपगढ	*2*	*9000*
सूरतगढ (लम्बूवाली)	*1*	*4000*
मागरोल	*1*	*6000*
पूगल	*1*	*650*
कुल योग	*10*	*799815*

Source Statistical Abstract Rajasthan 1993 P 193

राजस्थान मे 1992 93 मे 10 विद्युत घर थे । सस्थापित क्षमता 799815 के वा थी । कोटा के दो विद्युत घरो की क्षमता 640000 के वी माही क तीन विद्युत घरो की क्षमता 140165 के वी अनूपगढ के दो विद्युतघरा की क्षमता 9000 क वा सूरतगढ विद्युतघर की क्षमता 4000 के वी मागरोल विद्युत घर का क्षमता 6000 के वी तथा पूगल विद्युत घर की क्षमता 650 के वी थी ।

कोटा तापीय विद्युत गृह[1] —कोटा तापीय विद्युत गृह को उत्पादन क लिए पूर्व मे पाच बार उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त हो चुका हे । वष 1993 94 म 80 96 प्रतिशत का रिकाड पी एल एफ प्राप्त कर विद्युत गृह पुन उत्कृष्ट उत्पादकता पुरस्कार का पात्र हो गया है । सितम्बर 1994 के अन्त तक राज्य म विद्युत ऊजा का कुल उपलब्धि 741 4 करोड यूनिट रही । मार्च 1994 के अत मे कोटा तापीय विद्युत गृह 210 मेगावाट क्षमता की पाचवी इकाई बनकर तेयार हुई ।

निर्माणाधीन विद्युत परियोजना —राजस्थान मे दिसम्बर 1994 मे सूरतगढ

1 राजस्थान उपलब्धियां के नए क्षितिज सौदामिनी 4 दिस 94

तापीय विद्युत गृह प्रथम चरण (2×250 मेगावाट) रामगढ गेस परियाजना 35 5 मेगावाट निमाणाधीन परियाजनाएँ थी । रामगढ गेस परियाजना (3 मेगावाट) से उत्पादन प्रारम्भ हो गया हे ।

प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएँ —

राजस्थान की दिसम्बर 1994 म प्रस्तावित विद्युत योजनाएँ इस प्रकार थी—

1 बरसिगकर लिग्नाइट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजना 2×240 मेगावाट
2 सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना द्वितीय चरण 2×250 मेगावाट
3 कपूरडी जालोया लिग्नाइट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजना ।
4 धोलपुर तापीय विद्युत गृह 750 मेगावाट
5 मथानिया मे सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत गृह
6 कादा तापीय विद्युत गृह की छठी इकाई 1×120 मेगावाट ।
7 चित्ताडगढ तापीय विद्युत गृह 500 मेगावाट ।
8 डीजल व अन्य ईधन पर आधारित विद्युत गृह ।

विद्युत उत्पादन — राजस्थान मे तापीय जल क्रय कुल विद्युत उत्पादन का निम्न तालिका म दर्शाया गया है —

	विद्युत उत्पादन		मिलियन	
वप	तापाय	जल विद्युत	विद्युत क्रय/प्राप्त	कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध)
1988–89	1141 979	190 921	8109 615	9442 515
1989 90	2213 974	296 039	8070 741	10580 754
1990–91	2107 968	305 356	8730 521	11143 845
1991 92	3313 238	358 738	9307 615	12979 591
1992–93	3875 353	177 498	10576 065	14628 916

Source Statistical Abstract Rajasthan 1994 P 194

राजस्थान म कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) 9442 515 मिलियन क डब्लू एच था जा 1990–91 मे बढकर 12979 591 मिलियम के डब्लू एच हो गया। 1992 93 म कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) बढकर 14628 916 मिलियन क डब्लू एच हा गया ।

वप 1992–93 मे तापीय विद्युत उत्पादन 3875 353 मिलियन/के डब्लू एच, जल विद्युत उत्पादन 177 498 मिलियन क डब्लू एच था । इसके अलावा 10576 065

मिलीयन के डब्लू एच विद्युत साझेदारी परियोजनाओ से अश तथा बाह्य स्रोता से क्रय को गई ।

साझेदारी विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन में अंश भागिता

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे राजस्थान की कुछ साझेदारी विद्युत परियोजनाएँ है जिनसे राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है । राज्य की साझेदारी परियोजनाओ मे भाखरा प्रोजेक्ट, चम्बल प्रोजेक्ट सतपुरा पॉवर स्टेशन, व्यास प्रोजेक्ट तथा आर एम सी द्वितीय माही है । वर्ष 1992-93 मे राजस्थान को भाखरा प्रोजेक्ट से 1052 043 मिलीयन के डब्लू एच , चम्बल प्रोजेक्ट से 642 880 मिलीयन के डब्लू एच सतपुरा पॉवर स्टेशन से 552 370 मिलीयन के डब्लू एच तथा आर.एम सी द्वितीय माही से 0 114 मिलीयन के डब्लू एच विद्युत प्राप्त हुयी ।

विद्युत क्रय —राजस्थान मे विद्युत का उत्पादन माग की तुलना मे कम है। इस अतराल को पाटने के लिए राजस्थान को प्रतिवर्ष विद्युत खरीदनी पडती है । राजस्थान ने वर्ष 1992 93 मे 6621 005 मिलियन के डब्लू एच विद्युत क्रय की ।

विद्युत उपभोग—राजस्थान मे बिजली का उपभोग घरेलू, वाणिज्यिक ओद्योगिक कृषि सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक पेयजल कार्य आदि क्षेत्रो मे होता है । विद्युत का सर्वाधिक उपभोग बडे पैमाने के उद्योगो मे होता है । इसके बाद कृषि क्षेत्र मे विद्युत का उपभोग होता है । राजस्थान मे विद्युत के कुल उपभोग को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है ।

राजस्थान मे विद्युत उपभोग मिलीयन के डब्लू एच

वर्ष	कुल विद्युत उपभोग
1985-86	4808 011
1986 87	5417 520
1987-88	5748 193
1988 89	6682 385
1989 90	7465 891
1990-91	7990 362
1991-92	9313 972
1992 93	9796 499

राजस्थान मे विद्युत का कुल उपभोग 1985 86 मे 4808 011 मिलीयन के डब्लू एच था जो बढकर 1990 91 मे 7990 362 मिलीयन के डब्लू एच तथा 1992-

93 मे और बढकर 9796 499 मिलीयन के डब्लू एच हो गया । राजस्थान मे 1991-92 मे बडे उद्योगो द्वारा 3073 853 मिलीयन के डब्लू एच तथा कृषि द्वारा 2849 306 मिलीयन के डब्लू एच विद्युत का उपभोग किया गया ।

विद्युतीकृत कस्बे और गाँव :—योजनाबद्ध विकास मे विद्युतीकृत कस्बो और गाँवो की सख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुयी है । वर्ष 1950-51 मे राज्य मे विद्युतीकृत बस्तियो की सख्या केवल 42 थी । मार्च 1993 तक राज्य के 201 कस्बे विद्युतीकृत थे । वर्ष 1988-89 मे विद्युतीकृत गाँवो की सख्या 25024 थी । जो बढकर 1992-93 मे 29281 हो गई । वर्ष 1991-92 मे 770 गाँव/कस्बो को विद्युतीकृत किया गया । राजस्थान मे विद्युत चालित कुओ की सख्या 1992-93 तक 430123 (प्राविजनल) थी । राजस्थान मे मार्च 1994 म कुल ग्रामो मे विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत 83 42 था । अखिल भारत स्तर पर यह प्रतिशत 85 30 था ।

प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग —राजस्थान मे वर्ष 1985-86 मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 161 81 के डब्लू एच थी । तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 124 00 के डब्लू एच था । वर्ष 1991-92 मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता बढकर 286 82 के डब्लू एच तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बढकर 136 11 के डब्लू एच हो गया । राजस्थान म वष 1991-92 म प्रति वर्ग कि मो विद्युत उपलब्धता 37925 के डब्लू एच थी । राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विधुत उपभोग अखिल भारत स्तर की तुलना मे कम है। राजस्थान मे 1993 94 मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 254 के डब्लू एच था । जबकि भारत मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 299 कि वा था । प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग मे राजस्थान का देश मे 10वा स्थान है ।

आठवीं योजना में विद्युत सृजन के प्रस्तावित कार्यक्रम[1]

आठवीं पच वर्षीय योजना मे राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता म 713 मगावाट की वृद्धि निम्नलिखित स्रोतो से होने की सम्भावना है ।

(1) सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना 250 मगावाट ।

(2) कोटा तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण 210 मेगावाट (पाचवी इकाई)

(3) नरसिहसर लिग्नाईट आधारित विद्युत परियोजना 2×120 मेगावाट

(4) रामगढ गेस आधारित तापीय विद्युत परियोजना 3 मेगावाट

(5) मागराल चरणवाला, बिरसिलपुर, इटावा और पूगल-एक लघु पर बिजली परियोजना 9 7 मेगावाट

आर्थिक विकास मे विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है । राजस्थान सरकार विद्युत

1 राजस्थान का औद्योगिक विकास एव भावी सम्भावनाएँ (शोध प्रबन्ध) ओ पी शमा पृ स 105

की उपलब्धता और आपूर्ति के अन्तर को पाटने के लिए प्रयासरत है । राजस्थान म विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता राज्य के गठन के समय कवल 13 मेगावाट था जो बढ़कर सितम्बर 1992 म 2776 मेगावाट तथा फरवरी 1995 म और बढ़कर 2988 80 मेगावाट हो गई । उच्च प्रसारण लाइनों की दूरी वर्ष 1981 82 म 7123 कि मी थी जो अगस्त 1992 के अंत म बढ़कर 12265 कि मी हो गई । यह लम्बाई राजस्थान के गठन के समय शून्य थी । 1992 म इ एच वी ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 132 थी ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति म सुधार हुआ है । वर्ष 1993 94 सहित गत तीन वर्षों म विद्युत मण्डल न लगातार 3 प्रतिशत रेट आफ रिटन प्राप्त की है राजस्थान मे विद्युत क्षेत्र म सुधार के लिए अध्ययन हेतु अन्तर राष्ट्रीय कन्सलटेंटस नियुक्त किये हैं ।

राजस्थान म सब प्रयासो के बावजूद विद्युत की माग और पूर्ति म अंतराल बना हुआ है । आठवीं पचवर्षीय योजना म राजस्थान म लगभग 40 प्रतिशत विद्युत की कमी का अनुमान लगाया है । राजस्थान म विद्युत विकास की विपुल सम्भावनाएँ ह । सौर ऊर्जा के क्षेत्र म राजस्थान प्रभावी भूमिका निभा सकता है । राज्य सरकार के इस ओर कारगर प्रयास प्रशसनीय है । विद्युत क्षेत्र म राज्य विद्युत मण्डल का घाटा तथा विद्युत की चोरी प्रमुख समस्या ह । जिसके निराकरण की आवश्यकता है । इसके अलावा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता म सुधार की आवश्यकता है । राजस्थान की विद्युत की कमी की समस्या से निपटने के लिए ऊर्जा विकास के क्षेत्र म विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना चाहिए ।

राजस्थान मे परिवहन विकास

आर्थिक विकास म परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान ह । औद्योगिक विकास के लिए तो परिवहन अपरिहार्य है । परिवहन के साधनो से सतुलित विकास को गति मिलती है । कच्चे माल की अतिरिक्त उपलब्धता को अन्य स्थानों को आपूरित किया जा सकता ह और स्थान विशेष की प्राकृतिक समाधनो के अभाव म भी विकास किया जा सकता है । अत परिवहन के साधनों का औद्योगिक विकास म ही महत्व नहीं अपितु प्राकृतिक आपदाओं के समय भी बड़ा उपादेय ह । परिवहन का सास्कृतिक महत्त्व है । युद्ध के समय तो परिवहन के साधनो का महत्व और भी बढ़ जाता है । परिवहन म मुख्यत रेल सड़क व वायु यातायात को सम्मिलित किया जाता ह । राजस्थान के योजनाबद्ध विकास म परिवहन विकास पर ध्यान दिया गया ह । सड़क परिवहन के क्षेत्र म तो

राजस्थान म सडका की लम्बाइ
(किलामीटर)

वर्ष	सडका का लम्बाइ
1950 51	17339
1960 61	26693
1970 71	31752
1980 81	41194
1990 91	58350
1991 92	59913
1992 93	61520
1993 94	63078
1995 96	66837

Source 1 Statistical Abstract Rajasthan 1995
2 आथिक समीक्षा 1995 96 राजस्थान सरकार ।

राजस्थान मे वष दर वष सडको क विकास मे वृद्ध हो रही है । सडका का लम्बाइ 1990 91 म 58350 कि मी थी जो बढकर 1993 94 मे 63078 तथा 1995 96 म आर बढकर 66837 कि मा हो गई । राजस्थान मे 1950 51 से 1995 96 के बाच पैंतालास वर्षों का समयावधि म सडको की लम्बाइ मे चार गुना वृद्धि हुयी है ।

सडक विकास मे असमानता

नियोजित विकास म सडका का लम्बाई मे वृद्धि हुयी है किन्तु सडको के विकास मे असमानता है । राजस्थान म सडका का लम्बाइ का दृष्टि से जोधपुर पाली नागार बाडमेर भालवाडा विकसित है । वष 1992 93 मे इन जिलो म सडको की लम्बाई राज्य की कुल सडका का लगभग 31 प्रतिशत थी ।

सडक परिवहन म पिछड जिले 1991 93
(किलामीटर)

जिले	सडका की लम्बाइ
दौसा	636
बारा	806
धालपुर	892
झालावाड	921
टाक	1047

Source Statistical Abstract Rajasthan 1993 P 704

रानस्थान म वप 1992 93 मे सडका की सबस कम लम्बाइ दासा जिले म थी वहाँ सडको की लम्बाई केवल 636 कि मी थी । बारा जिले मे सडका की लम्बाइ 806 कि मा थी । इसके विपरीत जोधपुर मे सडको की लम्बाई सर्वाधिक 4812 कि मी थी । इस प्रकार जिलवार सडको की लम्बाई मे भारा असमानता है ।

नागपुर वर्गीकरण क अनुसार रोड — नागपुर वर्गीकरण म राष्टाय राजमाग राज्यीय राजमार्ग बडी जिला सडके अन्य जिला सडके आर ग्रामीण सडके सम्मिलित का जाता हे । नागपुर वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान मे सडक विकास निम्न तालिका म दशाया गया हैं ।

नागपुर वर्गीकरण के अनुसार सडको की लम्बाई
(किलोमीटर)

वर्गीकरण	1985 86	1992 93	1995 96
राष्टाय रानमार्ग	2521	2846	2846
राज्य राजमार्ग	7457	7151	9810
मुख्य जिला सडक	3636	3638	5549
अन्य जिला सडके और ग्रामाण सडक	34603	45646	46393
सामावर्ती सडके	2239	2239	2239
कुल	50436	61520	66837

Source 1 Basic Statistics Rajasthan 1988 to 1994
2 आथिक समीक्षा 1995 96 राजस्थान सरकार ।

रानस्थान म राष्टीय रानमाग की लम्बाई काफी कम है । वप 1985 86 मे राष्टीय राजमाग की लम्बाई 2521 कि मा थी नो बढकर 1995 96 म 2846 कि मा हो गई। वप 1995 96 मे राज्य राज माग की लम्बाइ 9810 कि मा मुख्य निला सडक 5549 कि मी अन्य जिला सडक आर ग्रामीण सडक 46393 कि मी तथा मामावर्ती सडक 2239 कि मी थी । राजस्थान मे 1951 म प्रति 100 वर्ग किलामाटर म सड्का का आसत लम्बाइ केवल 5 4 किलोमीटरथी । वर्ष 1995 96 म प्रति 100 वग किलामीटर म सडका की औसत लम्बाइ बढकर 33 12 किलोमाटर हो गइ । जबकि प्रति 100 वर्ग किलोमाटर म अखिल भारताय सडको का आसत लम्बाई लगभग 62 किलामाटर ह। यह स्थिति राजस्थान क सडक परिवहन का दृाष्ट स पिछडपन को दशाता है ।

रानस्थान म 1992 93 मे किस्मा क अनुसार सडका का लम्बाइ इस प्रकार थी डामर की सडक (बी टी) 44605 किलामीटर, पक्का सडक (डब्लू बी एम) या मग्ल सड्क 3587 किलोमीटर मिट्टा व गाल पत्थरो से बनी सड्क 10219 किलामाटर मोसमी सडक 263 किलामाटर तथा राष्टाय रानमाग 2846 किलामाटर ।

मोटर परिवहन का विकास — योजनाबद्ध विकास म राजस्थान म पजाकृत माटर वाहनो की सख्या म भारी वृद्धि हुयी है । पजाकृत वाहनो म प्राइवट कार जाप

मोटर साइकिल आटो साइकिल आटा रिक्शा स्कूटर टेक्सी कार टक्‍र टेलर्स स्टेट कैरज आदि मुख्य है ।

पजीकृत वाहनो का रजिस्टेशन

(सख्या)

वर्ष	पजीकृत वाहन
1985 86	*572417*
1988 89	*844250*
1989 90	*960706*
1990 91	*1081958*
1991 92	*1204463*
1992 93	*1320021*
1994 95	*1720990*

राजस्थान मे 1985 86 म पजाकृत वाहना की सख्या 572417 थी जो बढकर 1994 95 म 1720990 हो गइ । इस प्रकार केवल नो वर्षो म पजीकृत वाहनो की सख्या म लगभग तान गुना वृद्धि हो गई । राज्य मे जैसे जैसे सडको का विकास और आर्थिक समृद्धि मे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे पजाकृत वाहना की सख्या मे भी वृद्धि हो रही है ।

सडक दुर्घटनाएँ— राजस्थान मे सडक परिवहन क विकास के साथ बढती सडक दुघटना चिंता की बात है । सडक दुर्घटना से जान और माल की भारी क्षति होती है । राजस्थान मे वर्ष 1986 म 5724 सडक दुर्घटनाएँ हुयी । इसम 2121 व्यक्ति मारे गये तथा 5957 व्यक्ति जख्मी हुए । सडक दुर्घटनाओं मे 5724 वाहन सम्मिलित थे । सडक दुर्घटनाओ का सख्या बढकर 1992 मे 11819 हो गई इनम 3872 व्यक्तिया की मृत्यु हुयी । 1992 93 म सडक दुर्घटनाओ की सख्या और बढकर 12757 हो गइ इसम मरने वाला का सख्या बढकर 3893 हो गई । राजस्थान मे सबसे अधिक सडक दुघटना जयपुर मे होती है । वर्ष 1993 मे जयपुर में 2911 सडक दुर्घटना हुयी इसक विपरीत जैसलमेर मे सडक दुघटनाओ की सख्या 82 थी ।

ग्रामीण सडके — राजस्थान मे विगत दस वर्षों मे अन्य जिला सडके और ग्रामीण सडको की लम्बाई मे वृद्धि हुई हे । ग्रामीण सडको की लम्बाई 1985 86 मे 34603 किलोमीटर थी जो बढकर 1992 93 मे 45646 कि मी तथा 1995 96 म ओर बढकर 46393 किलोमीटर हा गई ।

राज्य म ग्रामीण सडको की लम्बाई मे अवश्य वृद्धि हुई है । इसके बावजूद अधिकाश गाँव सडको से जुडे हुए नहीं है । 1971 की जनगणना क अनुसार 31 मार्च

1994 तक 33305 गाँवो मे से 14125 गाँव सडको से जुडे थे। सडको से जुडे गाँवो का प्रतिशत 42 4 था। 1981 की जनगणना के अनुसार सडको से जुडे गाँवा का प्रतिशत कम हे । 34968 गाँवो मे से 9805 गाँव ही सडको से जुडे थे । सडको से जुडे गाँवो का प्रतिशत 28 था । 1981 की जनगणना के अनुसार 1000 से कम जनसख्या के 26822 गाँवो मे 8031 गाँव सडको से जुडे थे । 1000 से 15000 तक जनसख्या के 3691 गाँवो मे 2542 सडको से जुडे थे तथा 1500 से अधिक जनसख्या वाले 4455 गाँवो में 4089 गाँव सडको से जुडे थे । वर्ष 1993 94 तक 78 प्रतिशत गाँव सडको से जुडे नहीं थे ।

नौवी पच वर्षीय योजना के अत तक (सन् 2003) राजस्थान के सभी 37 हजार गाँवो को सडको से जोडने की तैयारी की जा रही है । सातवीं योजना मे सडको के विकास के लिए जो बजट 2 4 प्रतिशत था । वह अत (1996) 7 5 प्रतिशत तक पहुँच चुका है । राजस्थान मं वर्तमान सरकार (1996) के सत्ता सम्भालत वक्त 37 हजार मे से 12 हजार 500 गाँव सडको से जुडे हुए थे । लेकिन वर्तमान मे (1997) मे सडको से जुडे गाँवो की तादाद 19 हजार तक पहुँच गई है । 31 मार्च 1997 तक 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार की आबादी वाले गाँव डामर की सडको से जोडने का लक्ष्य है तथा मार्च 1997 तक प्रत्येक पचायत केन्द्र सडक से जोडने का लक्ष्य है ।

आजादी के अनेक बरस बीत जाने से बावजूद भी असख्य गाँवो का सडको से जुडे नहीं होना चिताप्रद है । सडक परिवहन के लिए वित्तीय ससाधनो के अभाव के साथ विषम भौगोलिक स्थिति भी सडक विकास मे बाधा है । विषम भौगोलिक स्थिति के कारण सडको मे स्थायित्व नहीं रहता है । पर्वतीय क्षेत्रो और रेत के धोरो पर सडक निर्माण कठिन है । सडके गाँवो के विकास का विकल्प है । अत ग्रामीण सडको के विकास पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की महत्ती आवश्यकता है । समय बध्य कार्यक्रम के तहत निकट समय मे सभी गाँवो को सडको से जोडा जाना चाहिए । सडक परिवहन पर विनियोजन मे वृद्धि की जानी चाहिए । आवटित राशि का सार्थक उपयोग हो । सडको के निर्माण मे गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए । भ्रष्ट अधिकारियो पर कडी दृष्टि रखी जाए । प्राकृतिक आपदाओ के कारण क्षतिग्रस्त सडका के पुनर्निर्माण की माकूल व्यवस्था हो ।

राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम

यह राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है । एक वैधानिक निगम के रुप म इसकी स्थापना 1964 में हुई । वर्ष 1991-92 में निगम के अन्य वित्तीय ससाधन 153 करोड रुपए थे । राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम ने पिछले वर्षो मे लाभ अर्जित किया है । विगत वर्षों मे निगम द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है-

1989 90 म 15 3 लाख रुपए, 1992-93 मे 12 7 करोड रुपए, 1993-94 मे 22 4 करोड रुपए । वर्ष 1995-96 मे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 26 करोड रुपए का लाभ हुआ । लाभ अर्जित करने की दृष्टि से निगम ने कीतिमान स्थापित किया है । 1990-91 मे निगम को 8 6 करोड रुपए का घाटा हुआ था ।

वर्तमान मे सडक परिवहन के सबध म राजस्थान को "मॉडल स्टेट" माना जा सकता है । राजस्थान मे परिवहन व्यवस्था ओर कार्यविधि अनुकरणीय है । राजस्थान सरकार ने राज्य के परिवहन विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने का व्यापक कार्यक्रम हाथ मे लिया है। राज्य के 32 जिलो में चालको के लिए विशप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना है । भविष्य मे परिवहन विकास के गति पकडने की आशा की जा सकती है ।



अध्याय 9

औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ तथा विकास हेतु सुझाव

औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ

राजस्थान आथिक नियोजन क चार दशक पूरे कर चुका है फिर भी औद्योगिक विकास का स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं हो पाइ हैं । राज्य की आय म विनिर्माण क्षेत्र का अश चालू मूल्यो पर वर्ष 1988 89 मे 9 32 प्रतिशत था जो कि राज्य के औद्योगिक दृष्टि स पिछडपन का द्योतक है ।

राजस्थान के औद्योगिक विकास म प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित है

1 विषम भौगोलिक स्थिति राज्य का पश्चिमी भाग रेत को धोरो से पटा हुआ है जो सपूण भू भाग का 57 8 प्रतिशत है । जनसख्या के दूर दूर तक फैले होन क कारण बुनियादी सेवाओ जैसे विद्युत जल सडक सचार शिक्षा चिकित्सा आदि क पहुचाने मे कठिनाइ आती है ।

2 कृषि की मानसून पर निभरता राज्य की अर्थ व्यवस्था पर सदैव अकाल का साया मडराता रहता है । यहा अकाल अपने जेल फेलाए पसरा रहता है । मानसून का अनियमितता से उद्योगो के लिए कृषिगत कच्चे माल की पूर्ति अनियमित व अनिश्चित हो जाती है ।

3 मरुस्थलीय क्षत्र की सतत् वृद्धि भी औद्योगिक व पर्यावरणीय विकास के लिए खतरा बना हुइ है ।

4 केन्द्रीय सरकार की उदासीनता एव सौतेला व्यवहार भी राजस्थान के तीव्र औद्योगिक विकास मे बाधा रही है ।

5 राजस्थान म प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यो की तुलना मे कम है ।

6 राज्य मे पिछले वर्षो की वार्षिक योजना का आकार राज्य मे महगाई की दर को देखते हुए कम रहा है । वर्ष 1991 92 म राजस्थान म महगाई 24 17 प्रतिशत रही ।

7 राजस्थान मे गाडगिल फार्मूले के अनुसार केन्द्र से यहा की भौगोलिक स्थिति व आर्थिक रुप से पिछडेपन के आधार पर अधिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

8 सुदृट आधारभूत सरचना का अभाव यहा के औद्योगिक विकास मे बाधा रही है । जयपुर सवाई माधोपुर मार्ग पर जयपुर रियासत के समय छोटी लाइन डाली गई थी आर आजादी के बाद से ही इस मार्ग को बडी लाइन म परिवर्तित करने की माग चल रही थी जो वर्ष 1993 मे जाकर पूरी हुई । जयपुर म अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं ह । राज्य को एक हजार मेगावाट स अधिक विद्युत की कमी के दौर से गुजरना पड रहा ह।

9 केन्द्र आर राज्य सरकार द्वारा यहा के किलो और ऐतिहासिक स्मारको का रख रखाव नहीं करने क कारण राज्य पयटन की समृद्धता का लाभ नहीं उठा पाया है ।

10 राज्य म ओद्योगिक रुग्णता के कारण भी औद्योगिक विकास म बाधा पडी है । उद्योगो के बद हाने का मुख्य कारण कार्यशील पूजी का अभाव है ।

औद्योगिक विकास हेतु सुझाव :

राजस्थान के आद्योगिक विकास मे बाधक तत्वो को दूर कर भविष्य म औद्यागिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है । औद्यागिक विकास की गति को तेजतर करन के लिए सुदृढ अद्य सरचना का होना आवश्यक है । सुदृट अद्य सरचना से उद्यमी आद्योगीकरण के लिए प्रेरित होते हैं ।

राजस्थान क औद्योगिक विकास मे निम्नलिखित सुझाव कारगर सिद्ध हो सकते हैं

1 राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रो मे अलग अलग प्रकार के उद्योग विकसित किए जाने चाहिए जैसे दक्षिण राजस्थान मे खनिज आधारित उद्योग, पश्चिम म नहर सिचित क्षेत्र मे कृषि प्रोसेसिंग उद्याग पूर्वी क्षेत्र मे विविध प्रकार के उद्योग तथा असिचित जिलो मे दक्षता आधारित हस्तशिल्प उद्योग विकसित किए जाने चाहिये । जैसलमेर क्षेत्र मे स्टील ग्रेड लाइमस्टोन व गैस आधारित औद्योगिक इकाइया भी विकसित की जा सकती हैं ।

2 राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग निधारित किया जाना चाहिए इससे औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय ससाधन उपलब्ध हो सकेंगे ।

3 राज्य की आमदनी में विनिर्माण किया का लगभग 8-9 प्रतिशत अश है, जिसे बढाकर 12 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

4 राज्य सरकार को उद्योगो को दी जाने वाली वर्तमान रियायतों को प्रभावपूण ढग से लागू करना चाहिए । आधार सरचना व अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था बढानी चाहिए । उन उद्योगो के विकास पर जोर देना चाहिए जिनमें राज्य को विशष लाभ प्राप्त है । जैसे पशु आधारित उद्योग व पर्यटन, जवाहरात व आभूषण खनिज पदार्थ व दस्तकारिया ।

5 औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियो के लिए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

6 राज्य सरकार को औद्योगिक तकनीकी ज्ञान के विकास पर भी बल देना चाहिए। यडे उद्यमी तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं ।

7 औद्योगिक विकास के लिए शाति, पारस्परिक सौहार्द सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शर्त है । अत ऐसे कदम उठाए जाए जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे और औद्योगिक विकास में रूकावट नहीं आए ।

8 राज्य में औद्योगिक विकास के अनुरूप औद्योगिक सस्कृति व औद्योगिक वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए । औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक खिडकी सेवा को बढावा दिया जाना चाहिए ।

9 उद्यमिया की समस्याओ पर विचार करने के लिए खुले मच आयोजित किये जाने चाहिए । विभागीय अधिकारिया का व्यवहार उद्यमियो के हितार्थ होना चाहिए ।

10 राज्य म अकाल का साया को दृष्टिगत रखते हुए कृषि आधारित उद्योगों की तुलना म खनिज आधारित उद्योगा के विकास पर बल देना चाहिए ।

11 हाल ही क वर्षों में तिलहन उत्पादन में हुई भारी वृद्धि ने राज्य में स्वर्ण क्राति ला दी है इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वनस्पति उद्योग की स्थापना हेतु देशी विदेशी उद्यमियो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।



नई औद्योगिक नीति

औद्योगिक नीति का महत्त्व

औद्योगिक विकास देश विशेष की औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है । राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता है कि वह औद्योगिक विकास को कैसी दिशा देना चाहता है इसके लिए दिशा निर्देश औद्योगिक नीति में समाहित होता है अत देश की औद्योगिक नीति उसके औद्योगिक विकास की आधारशिला समझी जाती है । वर्तमान बदलते आर्थिक परिदृश्य म तो औद्योगिक नीति की उपादेयता और भी बढ गयी है ।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य

स्वतत्रता उपरात भारत मे घोषित औद्योगिक नीति के उद्देश्य लगभग समरूप रहे हैं । *औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन मे तीव्र गति से वृद्धि करना होता है और औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक नीति द्वारा निर्देशित होता है* । इसमे इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन हो।

असतुलित क्षेत्रीय विकास देश मे जन असतोष का बढावा देता है । विदित है भारत में कुछ राज्य यथा गुजरात, महाराष्ट्र पजाब हरियाणा मध्य प्रदेश आदि आर्थिक दृष्टि से सपन्न है जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार काफी पिछडे हुए हैं । औद्योगिक नीति क द्वारा प्राय सभी क्षेत्रो के विकास पर बल दिया जाता हे । औद्योगिक नीति सतुलित आर्थिक विकास को भी बढावा देती है । इससे उद्योग कृषि तथा अर्थ व्यवस्था के अन्य विविध क्षेत्रो का सतुलित विकास किया जा सकता है ।

औद्योगिक नीति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र निजी, सयुक्त एव सहकारी क्षेत्र का तेजी से विकास होता है, क्योंकि इसमे सभी क्षेत्रो के अधिकार व दायित्वा का

स्पष्ट विभाजन होता है । बडे और लघु उद्योगो का क्षेत्र विभाजित कर इन्हे परस्पर प्रतिस्पर्धा होने से बचाया जा सकता है । जिससे लघु उद्योगो को पर्याप्त मात्रा मे फलने-फूलने का अवसर मिलता है । उपभोग वस्तु उद्योगो व पूजी वस्तु उद्योगो में परस्पर सहयोग को बढावा देकर सतुलन स्थापित किया जा सकता है ।

औद्योगिक नीति के द्वारा ही विदेशी पूजी व साहस की सहभागिता सुनिश्चित होती है । प्राय॰ भारत सरीखे विकासशील देशो में पूजी के अभाव की पूर्ति विदेशी सहयोग द्वारा ही पूरी की जाती है ।

स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक नीति

भारत का अतीत औद्योगिक रूप से धनाढ्य रहा है । समूचे विश्व में भारत ''सोने की चिडियाँ '' के नाम से सुविख्यात था । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भारतीय उत्पादो की व्यापक माग थी । स्वतत्रता से पूर्व व्यापार सतुलन सदैव पक्ष मे रहा । ढाका की मलमल तो विश्व मे पृथक पहचान बनाये हुए थी । लघु, कुटीर एव हस्तशिल्प उद्योग दुनिया मे अपना सानी नहीं रखते । हस्तशिल्प प्रागैतिहासिक काल से कलात्मक जगत मे विख्यात था, यह रोजगारोन्मुख व धनोपार्जन का स्रोत ही नहीं अपितु दुनिया मे कला और सास्कृतिक वैभव की साक्षात अभिव्यक्ति था । लोहे की गलाई और ढुलाई मे भारत काफी आग बढा हुआ था, दिल्ली के निकट स्थित लोह-स्तम्भ इसका ज्वलत उदाहरण है ।

अठारहवीं शताब्दी के अत में भारत मे औद्योगिक विकास के स्तर एव यहा के लोगो की औद्योगिक दक्षता एव प्राविधिक कुशलता का मोटा अनुमान टी एच हौलैण्ड की अध्यक्षता मे नियुक्त भारतीय औद्योगिक आयोग के इन शब्दो से लगाया जा सकता है ''जिस समय पश्चिम यूरोप मे जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान है, असभ्य जातिया निवास करती थी, उस समय भारत अपने शासको के वैभव एव शिल्पकारो की उच्च कलापूर्ण निपुणता के लिए विख्यात था । यही नहीं बल्कि काफी समय के बाद भी जब पश्चिम से साहसी व्यापारी भारत मे पहली बार आए, तब भी देश का औद्योगिक विकास किसी भी रूप मे यूरोपीय राष्ट्रो की तुलना मे घटिया नहीं था'' कुटीर एव हस्तशिल्प उद्योगो के विकसित अतीत की दृष्टि से यह कथन भी उल्लेखनीय लगता है कि जिस समय मिस्र के पिरामिड नील नदी मे झाँक रहे थे, आर्थिक विकास के विराट दैत्य अपनी जगली अवस्था में थे, भारत अपनी शिल्प और कला के लिए विश्व विख्यात था ।

भारत की समृद्ध धरोहर पर विश्व के अनेक देशों की लालच भरी दृष्टि पडी। देश को विदेशी आक्राताओ के शोषण का शिकार होना पडा । अग्रेज व्यापारी की हैसियत से यहा आए और कुटनीति से हमें गुलामी के शिकजे में जकड लिया, यही से भारत

के औद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की शुरूआत हुई ।

भारत म ब्रिटेन न जिस आर्थिक नीति का पालन किया उसकी अभिव्यक्ति भी टिपर्ने ने इन शब्दो की हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त हा कि इग्लैण्ड का बना हुआ माल भारत मे बेचा जाए, जिसके बदल म भारतीय वस्तुऐ बेची जाए" अठारहवीं शताब्दी के अत से परम्परागत उद्योगो का एक एक करके खात्मा होने लगा । उद्योगो के उजड़ने की प्रक्रिया सूती वस्त्र उद्योग से प्रारभ होकर अन्य उद्योगो तक व्यापक हो गई । यह प्रक्रिया निरन्तर चलता रहे । भारत एक ओद्योगिक राष्ट से कृषि प्रधान देश मे परिवर्तित हो गया ।

इग्लैण्ड से राजनीति सबध कायम होने तथा औद्योगिक क्राति के कारण भारत मे पूजीगत उत्पाद की भरमार हो गई । हस्तशिल्प के पतन से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति मशीन उत्पाद के द्वारा नहीं की गई क्योकि ब्रिटिश नीति शोषण से ओत पोत था । उनका मुख्य ध्येय भारत को निर्मित वस्तुओ का बाजार बनाना तथा यहा से कच्चे माल का निर्यात करना था । भारत से निर्यात किए गये कच्चे माल से ब्रिटिश म उद्योगो की स्थापना की गई । भारत से निर्यातित कच्चे माल से निर्मित माल को भारत मे लाकर यहा के बाजारों को पाट दिया गया ।

1918 क औद्योगिक आयोग की रिपार्ट के बाद भारत म कुछ चुने हुए उद्योगो को विभेदकारी सरक्षण दिया गया । इस सरक्षण के साथ परमानुग्रहीत राष्ट कण्डिका जुडी हुई थी । फिर भी कुछ उद्याग अर्थात् सूती वस्त्र चीना कागज दियासलाई और कुछ हद तक लोहा तथा इस्पात उद्योग ने प्रगति की किंतु बिटिश शासनकाल मे पूजीगत वस्तु उद्योगो के विकास का कोई प्रयास नहीं किया गया । भारत मे औद्योगीकरण की सतत् उपेक्षा की गई ।

स्वतत्रता की पूर्व सध्या पर भारत मे उद्योगा की स्थिति पर नजर डाली जाए तो हम पाते हैं कि यहा के ओद्योगाकरण के ढाचे मे लघु उद्योग इकाइया की बाहुल्यता थी । प्रति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार के अधिक विकसित नहीं होने से पूजी की तीव्रता काफी कम थी । उपभोग वस्तु उद्योग आर पूजी उद्योगो म भारी असतुलन था ।

साराशत बिटिश सरकार ने भारत के ओद्योगीकरण मे कतई रूचि नहा ली इनके शासन मे भारत का आर्थिक शोषण हुआ । इग्लेण्ड ने भारत को अथाह प्राकृतिक सपदा का मनमाफिक दोहन किया और वहा के उत्पादो पर बिटेन क ओद्योगीकरण को त्वरित गति दी । इस तरह विद्वेषपूण व्यवहार स जहा बिटेन के ओद्योगिक विकास को बल मिला वही भारत का ओद्योगिक आधार लगभग टूट गया ।

वर्तमान औद्योगिक नीति
(अर्थात् जुलाई 1991 मे घोषित नीति)

वर्ष 1991 के सक्रमण मे भारत को भारी आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पडा । राजनीति उहा पोह की स्थिति ने आर्थिक सकट की स्थिति को और भयावह बना दिया । नियत समय पर (28 फरवरी 1991) को ससद मे आम बजट पेश नहीं किए जाने से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि प्रभावित हुयी । सक्रमण काल थमने का नाम नहीं ले रहा था । भारत मे विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति रसातल तक पहुच चुकी थी । बाह्य दायित्वो को निपटाने की समस्या मुखर हो उठी । विषम आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए अनेक अभूतपूर्व निर्णय लेने पडे । इनके अभाव मे विश्व मे हमारी आर्थिक छवि के धूमिल होने की आशका थी । सरकार ने सूझबूझ एव नीतिगत पहल से तत्कालीन आर्थिक सकट को काबू मे लिया ।

राव सरकार ने सत्ता की शुरूआतो से ही देश मे आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारभ किया । सरकार ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजित करने के लिए अर्थतत्र म अनेक मूलभूत आर्थिक बदलाव किए हैं । आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत नवीन औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा के साथ हुयी जिसे खुली औद्योगिक नीति के नाम से जाना जा रहा है ।

24 जुलाई 1991 को उद्योग राज्य मत्री श्री पी जे कुरियान ने ससद में औद्योगिक नीति की घोषणा की । घोषित नई औद्योगिक नीति स्वातत्र्योत्तर भारत मे औद्योगिक सस्कृति के उन्नयन और विकास की दिशा म उठाया गया साहसिक और युगातकारी कदम है । जिसके जरिए समकालीन विश्व की आमूलचूल परिवर्तित अर्थ नीतिया के प्रसग मे भारत की प्राथमिकताओ को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है । यह नीति आज की विषम परिस्थितियो मे राष्टीय पुनर्निर्माण की उपलब्धियो को और भी सुदृढ बनाने के उद्देश्य से भारत की नई पहल और मौजूदा सकट से उबरने के उसके अदम्य सकल्प और आस्था की पुनर्अभिव्यक्ति का ऐतिहासिक दस्तावेज है।

औद्योगिक नीति पृष्ठभूमि

आर्थिक नियोजन के चार दशक मे देश मे त्वरित औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है । विदित है कि देश मे इस दौरान औद्योगिक सवृद्धि दर, कृषि विकास दर जनसख्या वृद्धि दर तथा आर्थिक विकास दर से अधिक रही है । सातवीं पाच साला योजना के तुरत पहले विकास का व्यापक आधारभूत ढाचा तैयार खडा हो चुका था । बुनियादी उद्योगो का जाल बिछ गया तथा तमाम वस्तुओ के उत्पादन में

आत्मनिर्भरता हासिल की गई । औद्योगिक उत्पादन के नए विकास केन्द्र अस्तित्व मे आए । पिछडे क्षेत्रो मे उद्योगो की स्थापना से क्षेत्रीय असतुलन को दूर करने का सार्थक प्रयास हुआ और युवा उद्यमियो की एक समूची नई पीढी उभर कर सामने आई । इजीनीयरो, तकनीशियनों और विविध क्षेत्रो में कुशल कामगारो को प्रशिक्षण सुविधाएँ देकर समग्र औद्योगिक विकास को एक नई त्वरा और गत्यात्मकता प्रदान की गई । सातवीं योजना में भारतीय उद्योग का ■ 5 प्रतिशत वार्षिक विकास दर से स्पृहणीय विकास हुआ ।

औद्योगिक नीति : आवश्यकता

समग्र देश के लोगो के जीवन स्तर मे सुधार तथा वृहत्तर सामाजिक अभ्युदय और उत्थान के लिए आवश्यक है कि हम अपनी विकास सबधी नीतियो के तेवर और उनकी त्वरा को बदले । असमानताओ को दूर कर समाजवादी समाज की सरचना के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों मे बडी मात्रा में पूजी निवेश की आवश्यकता है । उद्योग वाणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्रो में दूरगामी परिवर्तनो की जरूरत है ताकि अधुनातन तकनोलॉजी के व्यापक प्रयोग के जरिए हम उत्पादन में आशातीत वृद्धि कर सके ।

पिछले चार दशक की उपलब्धियों को सपुष्ट और समेकित करने की आवश्यकता है, जिससे देश भावी चुनौतियो का प्रभावी तौर पर मुकाबला करने मे सक्षम बन सकें ।

औद्योगिक नीति : उद्देश्य

खुली औद्योगिक नीति में अग्राकित उद्देश्य अन्तर्निहित है

1. सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना,
2. निर्धनता और बेरोजगारी उन्मूलन,
3. आधुनिक, लोकतात्रिक, समाजवादी और सम्पन्न एव प्रगतिशील भारत का निर्माण,
4. विश्व अर्थव्यवस्था के एक अग के रूप मे भारत को विकसित करना
5. आत्मनिर्भरता की प्राप्ति,
6. आयात के भुगतान के लिए स्वय के स्रोतो का सृजन,
7. उद्यमियो का उत्साहवर्द्धन,
8. विकास और अनुसधान मे निवेश,
9. नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना,
10. पूजी बाजार का विकास,
11. उत्पादन मे स्वदेशी क्षमताओ का विकास,

12 आधारभूत सुविधाओ का विकास,
13 पिछडे क्षेत्रो मे त्वरित औद्योगिकरण,
14 आर्थिक कुशलता और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा लघु क्षेत्र का तेजी से विकास,
15 श्रमिको के हितो की रक्षा,
16 विकास के लाभो को जन समूह तक पहुचाना,
17 प्रबध मे श्रमिको की भागीदारी,
18 उद्योगो के सभी क्षेत्रो–लघु, मझौले तथा बडे जो सार्वजनिक अथवा निजी या सहकारी क्षेत्र मे हो, बढावा देना ।

औद्योगिक नीति की मुख्य बातें : नीतिगत पहल

नई औद्योगिक नीति में उपर्युक्त उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए मूलत पाच क्षेत्रो मे नीतिगत पहल की घोषणा की गई है । ये हैं

1 औद्योगिक लाइसेंसीकरण नियत्रणो से छूट लाइसेस मुक्त व्यवस्था— लाइसेस की प्रचलित प्रणाली के कारण उद्यमियो को अनावश्यक परेशानी होती थी अब अर्थव्यवस्था को अधिक दक्ष और गतिशील तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ उद्योगो को छोड कर लगभग सभी उद्योगो को लाइसेस से मुक्त कर दिया । नई नीति के तहत अब .

1 नए उद्योगो की स्थापना के लिए "तकनीकी विकास महानिदेशालय" मे पजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी । मौजूदा औद्योगिक इकाइया को इसी प्रकार अपने विस्तार के लिए किसी लाइसेस की जरूरत नहीं होगी ।
2 औद्योगिक लाइसेंस अब केवल 18 विशिष्ट किस्म के उद्योगो के लिए लेना अनिवार्य होगा । इनमे कोयला तथा लिग्नाइट पेट्रोलियम, शराब, चीनी सिगरेट और तबाकू उत्पाद एसबेस्टस, प्लाइवुड, चमडा तथा उससे निर्मित वस्तुएँ कार बस और अन्य प्रकार की मोटर गाडिया, इलेक्ट्रोनिक तथा सभी प्रकार के रक्षा उत्पाद, फ्रिज, एयर-कडीशनर, वाशिग मशीने तथा घरेलू मनोरजन के लिए इलेक्ट्रोनिक सामान जैसी वस्तुएँ शामिल हैं ।
3 नए उद्योगो को उत्पादन कार्यक्रम बताने की जरूरत भी अब नहीं रहेगी । मौजूदा उपक्रमो की क्षमता बढाने के लिए भी कोई पूर्व अनुमति अब आवश्यक नहीं होगी।
4 नए उद्योगों के उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमो को भी प्रशासनिक नियत्रण से मुक्त कर दिया गया है । मौजूदा उद्योगो को बिना किसी अतिरिक्त पूजी निवेश के अपने लाइसेस प्राप्त क्षेत्र की किसी भी वस्तु के उत्पादन की छूट होगी ।

2 विदेशी निवेश निर्यात सवर्द्धन तथा आयात ढील की प्रणाली

देश के वृहत्तर औद्योगिक विकास के हित मे विदेश निवेश का स्वागत किया जाएगा । विदेशी निवेश से सबधित विशेषताएँ हैं –

1 जिन मामले में मशीनो के लिए विदेशा पूजी शेयर पूजी के रूप मे उपलब्ध होगी उन्हे स्वत उद्योग लगाने की अनुमति मिल जाएगी ।

2 दो करोड अथवा कुल पूजी के 25 प्रतिशत से कम की उत्पादन मशीने बिना किसी पूर्वानुमति के आयात की जा सकेगी लेकिन वर्तमान विदेशी मुद्रा सकट को देखते हुए यह प्रावधान अप्रेल 1992 से प्रभावी होगा ।

3 उत्पादन मशीना के आयात के अन्य माम्लो मे औद्यागिक विकास मत्रालय विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार आयात की अनुमति प्रदान करेगा ।

4 अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगा मे 51 प्रतिशत तक विदेशी पूजी निवेश की अनुमति बिना किसी रोक टोक और अफसरशाही के नियत्रणा के बिना प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन मामला मे हा उपलब्ध होगी जहा उत्पादन के लिए विदेशी पूजी निवेश जरूरी होगा । इसके लिए विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) मे आवश्यक सशोधन किया जा रहा है । बहुराष्टीय कम्पनियो को कुछ क्षेत्रो मे 51 प्रतिशत से भी ज्यादा पूजी निवेश को अनुमति दी जाएगी । यदि सारा उत्पादन निर्यात के लिए हो तो बहुराष्टीय निगमो को शत प्रतिशत पूजी निवेश की अनुमति भी दी जा सकती है । विशेष अधिकार प्राप्त बोड चुन्दा क्षेत्रो मे सीधे पूजी निवेश के लिए भारत मे उपक्रम लगाने की इच्छुक बडी अन्तर्राष्टीय कम्पनिया के साथ सारे विवरण तय करेगी ।

5 इन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञो की नियुक्ति अथवा देश मे ही विकसित तकनीको का विदेशो मे परीक्षण करने के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है ।

3 विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते

समग्र औद्योगिक परिवेश मे सुधार के लिए अधुनातन प्रौद्योगिकीय क्षमता को आत्मसात करना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओ मे एक है । भारतीय उद्योगो मे प्रौद्योगिकीय गतिशीलता के अपेक्षित स्तर की प्राप्ति के लिए सरकार निर्दिष्ट मानदण्डो के भीतर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगो से सबधित प्रोद्योगिकी समझौतो को स्वत अनुमोदन प्रदान करेगी। अनुसधान और विकास कार्य के लिए विदेशी तकनीशियनो की सेवाए भाड़ पर लेने और देश मे ही विकसित प्रोद्योगिकी के विदेशो मे परीक्षण के लिए अब पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं होगा ।

4 सार्वजनिक क्षेत्र सबध नीति

नई नीति मे सार्वजनिक क्षेत्र की इजारेदारी को मात्र 8 क्षेत्रा तक सीमित कर दिया गया है और उनमे भी निजी क्षेत्र प्रवेश पा सकेगा । अन्य क्षेत्रो मे सार्वजनिक क्षेत्र को अब निजी क्षेत्र से टक्कर लेनी होगी । नई नीति के तहत अब

1 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रो मे रक्षा से सबधित उत्पाद और सयत्र परमाणु

उर्जा धातु, कोयला तेल एव अन्य खनिजो का खनन अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनी वस्तुए ओर रेल परिवहन ही रह गया है । अन्य सभी क्षेत्र निजि क्षेत्र के उद्यमियो के लिए खोले जा रहे हैं ।

2 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक सुरक्षित क्षेत्र धीरे धीरे निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएगे लेकिन साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को भी अब तक वर्जित क्षेत्रो में विस्तार की अनुमति दी जायेगी ।

3 सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमो मे सरकारी शेयर पूजी के कुछ भाग को वित्तीय सस्थानो आम जनता तथा कर्मचारियो को बेचने का भी प्रावधान किया गया है।

4 निरन्तर घाटा दे रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो की जाच औद्योगिक और पुन निर्माण बोर्ड अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेष सस्थान करेगा ।

5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का कामकाज सुधारने के लिए सरकार बोर्ड के साथ सहमति पत्रो पर हस्ताक्षर करेगी और पक्ष इस सहमति के प्रति जवाबदेह होगे ।

6 सार्वजनिक क्षेत्र के काम काज के बारे मे खुली चर्चा करने के लिए सरकार तथा किसी अन्य उपक्रम के बीच हुए इस प्रकार के सहमति पत्र की प्रति ससद मे प्रस्तुत की जायेगी ।

5 एकाधिकार तथा प्रतिबधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम

नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बडी कम्पनियो और औद्योगिक घरानो पर एम आर टी पी के तहत पूजी सीमा समाप्त कर दी जायेगी ।

नयी नीति मे किए गए परिवर्तनो से अब बडे घरानो और कम्पनियो को नए उपक्रम लगाने किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढाने कम्पनियो के विलय उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ खास परिस्थितियो मे निदेशक नियुक्त करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

एम आर. टी पी अधिनियम के उपबधो को मजबूत किया जायेगा ताकि आयोग एकाधिकार प्रतिबधात्मक और अवाछनीय व्यापार कार्यों के सबध में उपयुक्त कार्यवाही कर सके । नए अधिकार वाला आयोग उपभोक्ताओ की शिकायतो की जाच भी कर सकेग ।

लघु उद्योगो के लिए पृथक से औद्योगिक नीति की घोषणा

भारतीय अर्थतत्र मे लघु उद्योगो के अभिवृद्धित महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 6 अगस्त 1991 को लघु उद्योग नीति की घोषणा की ।

नई लघु औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं

लघु इकाइयो की परिभाषा मे परिवर्तन नई नीति में अति लघु, लघु एव सहायक उद्योगो की परिभाषा मे व्यापक परिवर्तन किया है ।

अति लघु क्षेत्र मे प्लाट एव मशीनरी मे पूजी निवेश सीमा 2 लाख रूपए से बढा कर 5 लाख रूपये कर दी गई ।

लघु उद्योगो मे यह सीमा बढा कर 60 लाख रूपए कर दी गई ।

सहायक तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयो मे प्लाट एव मशीनरी मे निवेश सीमा 75-75 लाख रूपए तक बढा दी गई है ।

लघु उद्योगो की अश पूजी मे भागीदारी अन्य औद्योगिक इकाइयों को लघु उद्योगो की अश पूजी मे 24 प्रतिशत की भागीदारी की अनुमति दी जायेगी ।

अनुसधान और विकास केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसधान परिषद और अन्य अनुसधान सस्थाओ के साथ उचित तालमेल द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन, परिसज्जा, पैकेजिंग, प्रक्रिया तथा नए औजार एव पुर्जो के विकास क्षेत्रो मे अनुसधान और विकास को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

सुविधाए लघु उद्योगो को भूमि आवटन विद्युत कनेक्शन मे वरीयता प्रौद्योगिकी उन्नयन का लाभ एक बार तथा अति लघु उद्योगो को निरतर प्राप्त होते रहेगे। लघु क्षेत्र विशेषत. अति लघु क्षेत्र को स्वदेशी एव आयातित कच्चे माल का उपयुक्त एव उचित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा । लघु उद्योगो की विपणन समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इनके उत्पाद को "कामन ब्राड" के नाम से बेचने पर ध्यान केन्द्रित करेगा । सरकार ने लघु उद्योगो के लिए एक ही स्थान से ऋण योजना की सीमा को बढाने का निश्चय किया है । इन उद्योगो को विलम्बित भुगतान समस्या के समाधान के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अपनी सेवाओ का जाल सपूर्ण देश मे फैलाएगा ।

लघु उद्योग इकाइयो को बहुसख्यक अधिनियमो व कानूनो का अनुपालन करने बहुत से रजिस्टरो का रख रखाव करने और निरीक्षको के दल का निरतर सामना करने की निरन्तर शिकायत पर, तीन माह की निर्धारित समय सीमा मे कार्यवाही की जायेगी।

औद्योगिक नीति : युगांतकारी कदम :

स्वतत्र्योत्तर घोषित औद्योगिक नीति पूर्व मे घोषित की गई नीति का ही आधार होती थी । कुछेक परिवर्तन को छोड कर हू-ब-हू, यदि उन्हे "नई बोतल मे पुरानी शराब" कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं । हाल ही घोषित की गई नई औद्योगिक नीति इस दृष्टि से पृथक हटकर है । इस नीति मे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अग बनाने के लिए औद्योगिक घटको मे भारी बदलाव किया है । औद्योगिक नीति, अब तक अगीकृत की जा रही नीतियो को तिलाजलि देकर एक नए युग की शुरूआत है । यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक युगातकारी कदम है जिसमें देश की आवश्यकतानुरूप अनुकूल परिणाम समाहित है ।

नवीन औद्योगिक नीति मे लाइसेस की प्रचलित प्रणाली के खत्म होने से उद्यमियो को बडी राहत मिली हे । इससे देश मे बढ रहा भ्रष्टाचार थम सकेगा । लाइसेस राज मे उद्यमियो को सर्वप्रथम आद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेस प्राप्त करना पडता था, दूसरे चरण मे उन्हे मशीनरी और उपकरण आदान करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेनी पडती थी, तीसरे चरण मे विदेशी जानकारी की आवश्यकता होने पर प्रौद्योगिक अनुबध के लिए सरकार की अनुमति लेनी पडती थी, अन्तत: शेयर के माध्यम से पूजी एकत्रित करने के लिए पूजी-निर्गमन नियत्रक की अनुमति आवश्यक थी । कच्चा माल आयात करने से पहले आयात नियत्रक की अनुमति लेनी पडती थी । इन सभी औपचारिकताओ से उद्यमियो का समय व धन बरबाद होता था। योजनाओ की स्वीकृति मे अनावश्यक विलब से परियोजनाओ की लागत मे वृद्धि हो जाती थी । नवीन औद्योगिक नीति मे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लाइसेंस प्रणाली ही समाप्त कर दी ।

विदेशी निवेश से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, बाजार की विशेषज्ञता, अधुनातन प्रबधकीय तकनीक तथा निर्यात सवर्द्धन के लाभ प्राप्त होगे ।

वित्त मत्री डॉ सिह ने यह स्पष्ट किया कि आज की बदली हुई परिस्थितियो मे हमे बहुराष्ट्रीय निगमो के प्रति ''प्रयोगवादी'' और ''लचीला'' दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है । उन्होने इन आशकाओ को निर्मूल बताया कि विदेशी पूजी निवेश से भारतीय उद्यमियो को कोई खतरा पैदा हो सकता है । अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए कठोर और हठधर्मी रवैये को त्यागना होगा । विदित है कि रूस और चीन मे बहुराष्ट्रीय निगमो को शत-प्रतिशत पूजी निवेश मे अनुमति के अलावा अन्य प्रकार की रियायते सुलभ है । सिगापुर जैसे छोटे से देश मे हजारो बहुराष्ट्रीय कम्पनिया काम कर रही है । प्रतिस्पर्धा को तेज करने से भारतीय उद्योग अनुसधान और विकास कार्यों पर पहले की अपेक्षा अधिक निवेश करने को प्रेरित होगे । सार्वजनिक क्षेत्र से सबधित नीति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तनो का अभीष्ट इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक तेवर को निखारना है ताकि वह और अधिक सक्षम बन कर अर्थव्यवस्था मे अपना योगदान दे सके ।

आलोचक यह कह कर नवीन नीति की आलोचना कर रहे हैं, कि देश के औद्योगिक द्वार विदेशियो के लिए खोल दिए जाने से स्वदेशी उद्यमियो का अस्तित्व ही खतरे मे पड जायेगा । इस नीति मे आर्थिक सविधान अर्थात 1956 की आद्योगिक नीति को, तिलांजली दे दी है ।

प नेहरू के समय तथा बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, किंतु नवीन औद्योगिक नीति मे अर्थव्यवस्था पूजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप मे दिखायी दे रही है । स्पष्ट है कि कहीं न कहीं आज की नीतिया प नेहरू की नीतियो से विमुख हुयी है । एकाधिकार नियत्रण कानून बदल कर उद्योगो

मे पूजी निवेश की सीमा खत्म कर दी है । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से भारतीय साहसियो को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । सरकार को एकाधिकारी गतिविधियो का नियत्रण अपने हाथो मे रखना चाहिए था ।

नवीन औद्योगिक नीति मे किए गए व्यापक बदलाव से समाजवाद का दर्शन, जो 1956 की औद्योगिक नीति का आधार था, फीका पड गया है । सार्वजनिक क्षेत्र को कम महत्त्व देना न्यायसगत प्रतीत नहीं होता है ।*

दृष्टिकोण :

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद युगदृष्टा प्रथम प्रधानमत्री प जवाहर लाल नेहरू ने नए विशाल सयत्रो को नए भारत के मदिरो की सज्ञा देकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया।

नई औद्योगिक नीति वास्तव मे पडित नेहरू के विलक्षण औद्योगिक जीवन दर्शन का समयानुकूल विस्तार है । यह नीति समकालीन सदर्भों के आर्थिक परिवर्तनो और पुनर्रचना के प्रयासो की कडी है, जिसके साथ ही देश के आर्थिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है । देश के समग्र औद्योगिक रूपातरण की इस महती प्रक्रिया के तहत औद्योगिक क्षेत्र को उन्मुक्त, उदार और प्रतियोगी बना दिया गया है ।

वर्तमान मे विभिन्न देशो की अर्थव्यवस्था एक दूसरे मे समन्वित हो रही हैं तथा तकनीकी विकास की अपरिहार्यताओ से बाध्य होकर दुनिया भर के देश अधुनातन तकनोलॉजी को आत्मसात कर रहे हैं । क्योकि यह स्पष्ट हो चुका है कि औद्योगीकरण और आधुनिकीरण की प्रक्रिया एक समवेत मानवीय प्रयास है । उससे समरस होकर ही भारत अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकता है ।

एक समय ऐसा भी था जब हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशी कम्पनियो से सुरक्षा की जरूरत थी । लेकिन आज भारत विश्व के विशाल औद्योगिक देशो मे से एक है। भारत उद्योग को उच्चतर प्रोद्योगिकी विकास के अधिकतम लाभो को प्राप्त करने के लिए अपने को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुला रखना चाहिए ।

नई औद्योगिक नीति से आम लोगो को लाभ पहुचेगा । अधिक प्रतियोगिता बढने और विदेशी निवेश के ज्यादा बढने से प्रतियोगात्मक मूल्यो पर बढिया किस्म के माल का उत्पादन होगा । विदेशी कम्पनियो के साथ-साथ अब भारतीय कम्पनियो मे भी होड शुरू हो जायेगी । इससे हम उच्च स्तर का माल तैयार करेगे, जिससे विश्व में हमे स्थायी बाजार मिलेगा ।

मरू व्यवसाय चक्र, प्रवेशाक अक्टूबर-दिसम्बर- 1992

राजस्थान में औद्योगिक नीति

केन्द्र सरकार समग्र राष्ट्र के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही औद्योगिक नीति की घोषणा करती है, जिसे प्राय: सभी राज्य आत्मसात करते हैं । राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर स्वदेशी एवं विदेशी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए प्रलोभन युक्त घोषणा करती है । राजस्थान में बेहतर औद्योगिक वातावरण निर्मित करने के लिए दिसम्बर 1990 में औद्योगिक नीति की घोषणा की । जनवरी 1991 मे इस नीति पर कार्यारंभ हो गया ।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य

राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति में राज्य की आय मे उद्योगो का योगदान बढाने के लिए खनन, कृषिगत व अन्य साधनो के अधिकतम उपयोग पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया । इसके अलावा रोजगार सृजन, क्षेत्रीय असतुलन को समाप्त करना, उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा औद्योगीकरण को बढावा आदि पर भी विशेष बल दिया गया ।

प्राथमिकताए .

ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार सृजन को बढावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा, दस्तकारी व चमडा आधारित उद्योगो के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । लघु पैमाने की इकाइयो यथा अतिलघु उद्योग, लघु उद्योग एवं सहायक उद्योग के विकास पर बल दिया गया । प्राथमिकता के क्रम में मध्यम एवं बडे उद्योगों को आखिरी मे स्थान दिया गया ।

नीति में इलेक्ट्रोनिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, साधन आधारित, कम पानी, कम ऊर्जा व श्रम गहन वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कहीं गई है ।

33 के वी से 220 के वी पर बिजली लेने वाले को 1 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत विद्युत प्रशुल्क रियायत दी जायेगी । 1990-95 की अवधि में पॉवर कनेक्शन प्राप्त नई औद्योगिक इकाइयों के लिए 300 के वी तक के भार पर 31 मार्च, 1995 तक कोई पॉवर कटौती नहीं होगी ।

पूँजी विनियोग सब्सिडी :

सभी नए मध्यम व बडे पैमाने के उद्योगो की स्थिर पूजी विनियोग पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रूपए), निम्न श्रेणी के उद्योगों को 20 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रूपए) की दर से सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध होगी ।

यह सुविधा लघु एवं सहायक उद्योगो, साधन आधारित उद्योगो, प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों तथा सौ फीसदी निर्यात मूलक इकाइयों को उपलब्ध होगी । दो प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी (अधिकतम 2 लाख रूपए) श्रम गहन उद्योगो को दी जायेगी।

विनियोग सब्सिडी जोधपुर उदयपुर अजमेर अलवर भीलवाडा शहरो की म्युनिसिपल व शहरी सुधार सीमाओ मे स्थापित उद्योगो तथा जयपुर व कोटा शहरो की शहरी सकुचन सीमाओ म नही दी जायेगी । रीको के औद्योगिक क्षेत्रो मे स्थापित औद्योगिक इकाइयो को भी सब्सिडी की सुविधा प्राप्त होगी । इलेक्टोनिक्स व टेलीकम्युनिकेशन्स जैसे उद्योगो को समस्त राज्य मे पूजी विनियोग सब्सिडी उपलब्ध की जायेगी ।

बिक्री करो मे रियायते—

1987 व 1989 की बिक्री कर प्रेरणा व आस्थगन की स्कीम 31 मार्च 1995 तक नए उद्योगो पयाप्त विस्तार व विविधाकरण करने वाली इकाइयो पर लागू होगी ।

जो औद्योगिक इकाइया स्थिर पूजी विनियोग के सौ फीसदी या अधिक विस्तार और वर्तमान उत्पाद लाइसस क्षमता का सौ फासदी या अधिक बढाने जा रही है उन्हे 75 प्रतिशत तक कर से मुक्ति का आस्थगन लाभ मिलेगा ।

नयी पायोनियरिंग इकाइया जिनमे विनियोग सामा 10 करोड रूपए तक है तथा प्रतिष्ठामूलक इकाइया जिनमे विनियोग सीमा 25 करोड रुपए ह ये कहीं भी स्थापित हो इन्हे बिक्री कर रियायत 9 वर्ष तक मिलेगी । अति प्रतिष्ठा मूलक उद्योग जिनमे स्थिर पूजी विनियोग 100 करोड रुपए या अधिक है । कर दायित्व के 90 प्रतिशत तक बिक्री कर से मुक्त रखा गया है । प्रतिष्ठा मूलक उद्योग कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत तक ब्राच टासफर के माध्यम से अन्य राज्यो म हस्तान्तरित कर सकगे ।

ऐसी इकाइया जिन्हे बिक्री कर की अन्य किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा उनके लिए बिक्री कर की एवज मे 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त कज की स्कीम लागू की जायेगी ।

चुँगी से छूट

उत्पादन के शुरूआती पाच वर्षो मे नए उद्योगो के आठवीं पच वर्षीय योजना म कच्चे माल पर चुगी कर छूट मिलेगी । उन्ह आयातित मशीनरी विस्तार के लिए आयोजित मशीन पर चुगी नहीं देनी होगी । कृषि आधारित लघु उद्योगो को सीधे किसान से जरूरत का सामान खरीदने पर मण्डी कर से मुक्त रखा जायेगा।

विपणन

सरकारी विभागो द्वारा लघु उद्योगो से 130 वस्तुओ के खरीदने की व्यवस्था थी अब 34 और वस्तुए जोड दी जायेगी । राज्य के मानक स्तर के लघु उद्योगो को 15 प्रतिशत का एव अन्य उद्योगो को 10 प्रतिशत का कीमत अधिमान दिया जायेगा ।

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगो के उत्पाद की नुमाइश तथा बिक्री के लिए व्यापार केन्द्र तथा औद्योगिक म्युजियम की स्थापना की जायेगी ।

अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओ के लिए विशेष सहायता—

रीको के औद्योगिक क्षेत्रो मे एससी/एसटी के उद्यमियो द्वारा क्रय की जाने वाली

की समस्याओं का निदान हो सकेगा । सरकार इस नीति म राज्य के समग्र एव तीव्र औद्योगीकरण के प्रति दृढ-प्रतिज्ञ लगती है ।

राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 : औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना

राजस्थान मे औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करने वास्ते मुख्यमत्री श्री भैरोसिंह शेखावत द्वारा हाल ही में (15 जून 1994) नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है । श्री शेखावत ने नवीन नीति की घोषणा करते हुए कहा "मरा दृढ विश्वास है कि नई औद्योगिक नीति 1994 औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करेगी और राजस्थान के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी ।"

औद्योगिक नीति 1994 की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है

* अध सरचनात्मक सुदृढीकरण पर विशष ध्यान ।
* निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनेक मामला म प्रोत्साहन ।
* आदान/सुविधाओ की समयबद्ध सूची ।
* प्रदूषण निवारण, श्रम कानून, फैक्ट्रीज एक्ट, भूमि रुपान्तरण तथा अन्य अनेक प्रक्रियाओ का सरलीकरण।
* गुणवत्ता-सुधार के लिए अनेक प्रोत्साहन ।
* बिक्री कर रियायतो म वृद्धि ।
* क्रय कर में कमी ।
* विशिष्ट उद्योगो के विकास हेतु विशेष प्रावधान ।
* अधिकाश राजकीय आदेश, नीति के साथ ही जारी ।

औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना

नवीन औद्योगिक नीति में राज्य के औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना के लिए जिन बाता को सम्मिलित किया गया है वे है

निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमत्रण

- विद्युत उत्पादन सयत्रो के लिए ।
- सडको के निमाण के लिए ।
- आई सी डी तथा ई पी जेड की स्थापना ।
- पर्यटन सुविधाओ के लिए ।
- अनुसधान व विकास सस्थाओ तथा प्रबध विकास सस्थान की स्थापना के लिए ।
- औद्योगिक क्षेत्रो के विकास के लिए ।

- दूर सचार सेवाओ के लिए ।
- औद्योगिक सभावना सर्वेक्षणो के लिए ।

निर्यात सवर्धन

- केन्द्र सरकार की सहायता से "निर्यात सवर्धन औद्योगिक पार्क" स्थापित करना प्रस्तावित ।
- निर्यात सवर्धन औद्योगिक पार्क/निर्यात जोन मे स्थापित होने वाली शत प्रतिशत एव अन्य इकाइयो को पॉवर कनेक्शन मे प्राथमिकता तथा यथासभव ' पावर कट" से मुक्ति ।
- निर्यात – पुरस्कार योजना ।
- फ्रेट सब्सिडि योजना ।
- शत प्रतिशत निर्यात्क इकाइयो को अनुदान मे वृद्धि ।

पूजी विनियोजन अनुदान

- विद्यमान योजना में सॉफ्टवेयर विकास विशिष्ट क्षेत्रो में दुग्ध उत्पाद विशिष्ट विनियोजन स्तर की साफ्ट इकाइयो औद्योगिक एल्कोहल विद्युत गहन इकाइया एव बीयर सम्मिलित ।
- फ्लोरीकल्चर टिशूकल्चर व कोल्ड स्टोरेज को अनुदान ।
- अनुदान योजना कुछ सशोधनो क साथ 1997 तक बढाई जायेगी ।

अनुसूचित जाति एव जनजाति के उद्यमियो को सहायता

- रीको के औद्योगिक क्षेत्रो मे भू खण्डो के आवटन पर दर मे छूट ।
- राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त 5 लाख रूपये तक के सावधि ऋणो क प्रत्येक मामले मे दो प्रतिशत की दर से ब्याज पर छूट ।
- जनजाति उपयोजना क्षत्र म स्थापित होने वाली इकाइयो को ब्याज पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट ।
- राजस्थान वित्त निगम ऋण आवेदनो के प्रोसेसिग शुल्क मे 50 प्रतिशत की छूट ।
- प्रधानमत्री की रोजगार के अन्तर्गत 22 5 प्रतिशत छूट ।

महिला उपक्रमियो को सम्बल

- दो हजार वर्ग मीटर भू खण्ड पर महिला उपक्रमियो को 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाती है । युद्ध मे शहीद सैनिको की विधवाएँ 15 प्रतिशत छूट के लिए पात्र है । महिला उद्यम निधि योजना राजस्थान वित्त निगम में लागू है ।
- घरेलू उद्योग कार्यक्रम को और विस्तृत किया जायेगा ।

बिक्री कर प्रोत्साहन

- महिला उपक्रमियो द्वारा स्थापित लघुतर ओद्योगिक इकाइयो को तीन वर्ष की अवधि के लिए शत-प्रतिशत बिक्री कर मुक्ति का लाभ ।
- दस करोड रूपये से अधिक पूजी विनियोजन वाली सॉफ्ट ड्रिक्स तैयार करने वाली इकाइया पात्र होगी ।
- बिक्री कर को अधिक विवेकपूर्ण और आकर्षक बनाने की दृष्टि से अपेक्षित परिवर्तन का निश्चय ।
- आस्थगन याजना के तहत उद्योगो द्वारा एकत्रित कर रखी गई बिक्री कर की राशि लाभ प्रारभ होने की तिथि से चार वर्ष मे ही चुकारा योग्य।
- रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन करने के लिए, रोजगारोन्मुख इकाइयो को स्थाई पूजी विनियोजन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ ।
- सिरेमिक व ग्लास, इलेक्ट्रोनिक्स तथा चर्म उद्योगों को बिक्री कर म अधिक छूट ।
- नई सीमेन्ट इकाइयो को आस्थगन योजना मे लाभ ।

क्रय कर

- क्रय कर कुछ वस्तुओ पर कम कर दिया गया है । इमबगोल पर यह कर 2 5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है ।
- चर्म उद्योग के कच्चे माल पर क्रय कर तीन से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है ।
- शत प्रतिशत नियातक इकाइयो को क्रय कर मे छूट ।
- ऊन पर क्रय कर मे कमी ।
- क्रय कर की विशेष दर पर कुछ मामलो मे शाखा स्थानान्तरण की छूट।
- इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के लिए क्रय कर मे विशेष रियायत ।

विशेष उद्योगो को प्रोत्साहित करने के उपाय

- राज्य मे उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगो यथा चर्म उद्योग, सिरेमिक एव काच उद्योग, ऊन उद्योग इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग खनिज उद्योग कृषि एव खाद्य प्रसस्करण उद्योग एव पयटन उद्योगो की स्थापना एव विकास के लिए विशष प्रावधान एव सुविधाएँ ।

ग्रामीण उद्योग

- कुशल श्रमिको की क्षमता बढाने के विशेष प्रयास ।
- पचायत समितियो द्वारा ग्रामीण आद्योगिक क्षेत्रो को विकसित करने की योजना ।

निरीक्षणों में कमी तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण

- विभिन्न श्रम कानूनों के तहत एकीकृत निरीक्षण ।
- निरीक्षणों की संख्या में कमी ।
- लघु एव लघुतर इकाइयां, जिनमें 20 से कम श्रमिक नियोजित है, का पांच प्रतिशत एवं अन्य का 10 प्रतिशत आकस्मिक निरीक्षण ।
- औद्योगिक इकाइयों को निरीक्षण करने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक ।
- लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए एक नोटिस एवं एक रिटर्न की व्यवस्था।
- कारखाना अधिनियम के तहत प्रदत्त अनुज्ञापत्रों की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जाना प्रस्तावित ।
- दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत अनुज्ञापत्र का केवल एक बार नवीनीकरण कराने का प्रस्ताव ।
- प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में सरलीकरण।

औद्योगिक रूग्णता समाधान

- सरकार और उसके निकायों द्वारा औद्योगिक रूग्णता के निवारण के लिए किए जा रहे प्रयास और सुदृढ किए जायेंगे ।
  रूग्ण लघु इकाइयां और दूसरी गैर-बी आई एफ आर. इकाइयां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार चिह्नित की जायेंगी ।
- पुनर्जीवित की जाने वाली इकाइयों के लिए राहत एवं रियायतों का एक अलग पुंज जारी किया जायेगा ।
- बी आई एफ आर. प्रकरणों में घोषित सुविधाओं पर विचार करने और स्वीकृति देने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित होगी । इसी प्रकार रूग्ण लघु उद्योगों और गैर बी आइ एफ आर. इकाइयों के लिए भी समितियां गठित की जायेंगी ।

चुँगी

- राज्य सरकार चुंगी समाप्ति पर गंभीरता से विचार कर रही है ।

समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था

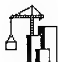
- औद्योगिक समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन ।
- भूमि स्थानान्तरण के बारे में 5 से 20 हैक्टर तक जिला कलेक्टर को तथा 30 हैक्टर तक संभागीय आयुक्त को अधिकार ।

नीति का क्रियान्वयन

- राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति नई औद्योगिक नीति का अनुपालना सुनिश्चित करेगी ।
- नई नीति के अन्तर्गत घोषित अधिकाश सुविधाओ के सम्बन्ध मे आदेश जारी ।

दृष्टिकोण

राज्य मे घोषित नवीन नीति को बदले अन्तराष्टीय आर्थिक परिवेश क समरूप बनाने की पुरजोर कोशिश की गई है । इसकी घोषणा के समय भारत की जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति को भी बखूबी ध्यान म रखा गया हे । नीति की सबसे महत्त्वपूर्ण बात निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमत्रण तथा पूजी विनियोजन अनुदान को 1997 तक बढाना है । इसके अलावा औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान पर भी जोर दिया गया हे । नई नीति म घोषित अधिकाश सुविधाओ के सबध क साथ ही जारी किये गए आदेश उल्लेखनीय बात हे । अत यह कहने मे सकोच नहीं कि नवीन औद्योगिक नीति से राज्य के औद्योगीकरण की गति को बल मिलेगा । इस प्रगतिशील औद्योगिक नीति से सवाई माधोपुर जिले का औद्योगिक विकास भी प्रभावित हुए बिना नही रहेगा।



अध्याय 11

औद्योगिक विकास और विशिष्ट वित्तीय संस्थाए

परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य मे औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है । भारत मे नियोजन काल मे औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया । नियाजित विकास की एक प्रभावी घटना सार्वजनिक उपक्रमो का तेजी से विकास है । 31 माच 1991 को 246 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो म 13234 करोड रुपए का कुल निवेश था । किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनियोजित पूजी पर अपेक्षित प्रत्याय अर्जित नहीं कर सके नवीनतम आर्थिक उदारीकरण के दौर म सार्वजनिक उपक्रमो सबधी नीति मे व्यापक बदलाव किया गया है । केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996 97 के बजट मे विनिवेश आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया विनिवेश स प्राप्त राजस्व का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवटन तथा सार्वजनिक उद्यमो को मजबूत करने हेतु निधि सृजित करने के लिए किया जायेगा । वर्ष 1996 97 मे सार्वजनिक उपक्रमो मे 5000 करोड रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है । विनिवेश तीन किश्तो सितम्बर नवम्बर तथा जनवरी/फरवरी मे किया जाएगा ।

नियोजित विकास मे सार्वजनिक उपस्थित का बडा भाग औद्योगिक विकास के लिए निधारित किया गया । द्वितीय पच वर्षीय योजना उद्योग प्रधान थी । सातवीं पचवर्षीय योजना मे ओद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे 292203 करोड रुपए व्यय किया गया । आठवी पचवर्षीय योजना म सार्वजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक विकास के लिए 46921 7 कराड रुपए का प्रावधान किया गया है जो कुल याजना परिव्यय का 10 8 प्रतिशत है ।

एशियाई परिप्रेक्ष्य मे भी भारत की विकास दर कम है । अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रपट के अनुसार वष 1995 मे भारत की वास्तविक जी डी पी दर 6 2 प्रतिशत थी जबकि यह चीन में 10 2 प्रतिशत मलेशिया मे 9 6 प्रतिशत कोरिया मे 9 0 प्रतिशत सिंगापुर में 8 9 प्रतिशत तथा इण्डोनेशिया म 8 1 प्रतिशत थी । सितम्बर 1995 मे आम भारतीय पर 3465 रुपए का विदेशी कर्ज का बोझ था ।

भारत मे विकास दर को दक्षिण पूव एशियाइ देशो के साथ समरसता के लिए भारी पूजी निवेश की आवश्यकता है । विश्व बैंक के आकलन के अनुसार भारत को 6 प्रतिशत विकास दर को बनाये रखने के लिए 1996 97 मे 8 अरब डालर की आवश्यकता है । भारत सरकार ने हाल ही (1996 97) विदेशी निवेश सवधन बोर्ड का पुनगठन किया है । इसक अलावा विदेशी निवेश सवर्धन परिषद का गठन किया जाना प्रस्तावित है । ये दोनो सस्थाए मिलकर प्रतिवष कम से कम 10 मिलियन डालर को पूजी आकर्षित करने के लक्ष्य को ध्यान म रखते हुए भारत मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अत्यधिक बढावा देगी तथा उनका अनुमोदन करेगी ।

विदेशी निवेश सबधी अनुमोदनो के शीघ्र निपटान तथा इस प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढाने के लिए सरकार ने 35 उद्योगो की सूची का विस्तार करने का निणय किया है जो 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के स्वत अनुमोदन के लिए पात्र है । (स्रोत केन्द्रीय बजट, 1996 97)

भारत म अगस्त 1991 से अक्टूबर 1994 तक विदेशी पूजी निवेश की कुल स्वीकृत राशि 239 मिलियन डालर थी । विदेशी पूजी निवेश मे अमरीका ब्रिटेन जापान स्विटजरलैण्ड तथा जर्मनी का भाग अधिक है । अमरीका ने आर्थिक उदारीकरण के पहले तीन वर्षों में 5452 6 करोड रुपए का पूजी निवेश किया । विदेशी पूजी निवेश पहल से ही समृद्ध तथा सुसज्जित बुनियादी सुविधाओ वाले क्षेत्र म अधिक आकर्षित हुआ । पूजीगत क्षेत्र विदेशी पूजी निवेश से उपेक्षित रहा । विदेशी पूजी निवेश के सबध मे दूसरी महत्त्वपूर्ण बात इसका महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली आदि म तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षित होना है । इसके अलावा मजूरशुदा निवेश और वास्तविक पूजी प्रवाह मे भारी अतराल रहा ।

राज्यवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) (विदेशी निवशको द्वारा स्वीकृत और विनियोजित)
एक अगस्त 1991 से मई 1996 तक

करोड रुपए

राज्य	निवेश	कुल निवेश का प्रतिशत
दिल्ली	16218 4	22 82
महाराष्ट्र	10546 7	14 84
प बगाल	4227 2	5 60
तमिलनाडु	3698 9	5 21
गुजरात	2851 3	4 01
कर्नाटक	2828 3	3 98
उडीसा	2653 7	3 73
आन्ध्र प्रदेश	1736 7	2 44
उत्तर प्रदेश	1687 5	2 37
मध्य प्रदेश	1047 4	1 47
पजाब	778 8	1 10
अन्य	22783 3	32 06
कुल	71058 2	

स्रोत-टाइम्स आफ इण्डिया बिजनेस टाइम्स 1 सितम्बर 1996

उद्योगो के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपदिव्यय तथा विदेशी पूजी निवेश मे वृद्धि से औद्योगिक विकास मे वृद्धि हुई है । औद्योगिक विकास की दर नियोजन के पहले चौदह वर्षो मे (1951 से 1965) लगभग 8 प्रतिशत रही । औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि दर 1961-70 क दशक मे 4 प्रतिशत तथा 1980 85 के दोरान 5 5 प्रतिशत थी।

औद्योगिक वृद्धि उपभोग आधारित वर्गीकरण (पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत बदलाव)

उपभोग क्षेत्र	अप्रैल 1995	अप्रैल 1996
1 बुनियादी सामान	13 1	2 0
2 पूजीगत सामान	29 4	13 2
3 मध्यवर्ती सामान	6 7	12 4
4 कुल उपभोक्ता सामान	18 6	9 9
5 उपभोक्ता टिकाऊ सामान	19 0	14 3
6 उपभोक्ता गेर टिकाऊ सामान	18 6	8 9

स्रोत - राजस्थान पत्रिका एक सितम्बर 1996

अस्सी क दशक मे औद्योगिक विकास दर 7 8 प्रतिशत थो । वर्ष 1995 96 मे औद्योगिक विकास दर 12 40 प्रतिशत उल्लेखनीय रही । अप्रैल 1996 मे बुनियादी वस्तुए की वृद्धि दर कवल 2 0 प्रतिशत थी जो कि चितनीय है । आर्थिक सुधारो से पूर्व के पाच वर्षो (1986-87 से 1990-91) मे औसत औद्योगिक वृद्धि पर ■ 4 प्रतिशत थी जो आर्थिक सुधारा के बाद के पाच वर्षो (1991-92 से 1995-96) मे चढकर ■

प्रतिशत रह गई । आर्थिक सुधारो के दौर मे घटी औसत औद्योगिक विकास दर का कारण खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट था । आर्थिक सकट के दौरान अर्थात् 1990-91 तथा 1991-92 मे औद्योगिक वृद्धि दर एक प्रतिशत से भी कम थी ।

औद्योगिक विकास की दर मे उच्चावचन है । नियोजित विकास मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मे भारी पूजी निवेश हुआ किंतु औद्योगिक विकास को बढाने मे सार्वजनिक उपक्रम अपेक्षित भूमिका नहीं निभा सके । देश मे प्राकृतिक ससाधनो का अभाव नहीं है किंतु वित्तीय ससाधनो और प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण विवेकपूर्ण विदोहन नहीं हो सका । औद्योगिक विकास के अपेक्षित गति से नही बढने के कारण मानवीय ससाधनो का भी उपयोग नही हो सका । भारत विश्व का बडा बाजार है । देश मे बुनियादी सामान का अभाव है । विदेशी निवेशक भारत के प्राकृतिक ससाधनो और विस्तृत बाजार के मनमाफिक दोहन के लिए प्रयासरत हैं । अन्तराष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओ ने भारत को मिलने वाले रियायती ऋणो मे भारी कमी कर दी है । जिससे विदेशी पूजी निवेश की ओर मुखातिब होना पडा है । विदेशी पूजी निवेश के क्षेत्र मे भी विश्व म कडी प्रतिस्पर्धा है । गौरतलब है भारत विश्व के अन्य देशो के मुकाबले म कम पूजी निवेश आकर्षित कर सका है । विदेशी पूजी निवेश के मार्ग मे आधारभूत ढाचे का अभाव प्रमुख बाधा है । तीव्र औद्योगिक विकास के लिए बिजली दूरसचार सडके रेल परिवहन बदरगाह आदि आद्य सरचनात्मक क्षेत्र मे विकास की आवश्यकता है ।

विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य मे विदेशी निवेशको विशेषकर बहुराष्ट्रीय निगमो के बढते आधिपत्य से बचने के लिए आतरिक पूजी निवेश को बढाने की महती आवश्यकता है । भारत मे हाल ही पूजी बाजार का व्यापक विस्तार हुआ है । बचत और विनियोग दर मे भी वृद्धि हुई है । बदले परिवेश म औद्योगिक विकास की बढती उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ को कारगर भूमिका निभानी होगी । औद्योगिक विकास की गति को स्पृहणीय बनाने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राज्यीय वित्त निगम आदि की भूमिका को प्रासगिक बनाने की आवश्यकता है । इन विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ से उद्योगपतियो को ऋण प्राप्त करने मे भारी कठिनाई का सामना करना पडता है । ऋण स्वीकृति मे अनावश्यक विलम्ब होता है । वित्तीय सस्थाओ द्वारा प्राय जितना ऋण स्वीकृत किया जाता है उतना आवटित नही किया जाता है । वित्तीय सस्थाओ की ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाये जाने की आवश्यकता है । राज्य स्तरीय वित्तीय सस्थाओ को भी बदले परिवेश के अनुरूप ढालना होगा ।

औद्योगिक विकास मे विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ का योगदान

जीवन के विविध क्षेत्रो मे वित्त की आवश्यकता महसूस की जाती है शायद

ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहा वित्त की जरूरत न पडती हो । उद्योगो के लिए तो वित्त प्राण है । उद्योग चाहे छोटा हो या बडा न्यूनाधिक वित्त की महत्ता है । वित्त के बिना काम नहीं चल सकता । जब उद्योग विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे थे । स्वामी स्वय के साधनो से ही वित्त सम्बन्धी जरूरत निष्पादित कर लेते किंतु जैसे जैसे उद्योगो का आकार बढता गया स्वामियो के ससाधन सीमित पडने लगे । अब उन्हे वित्त सबधी बढती आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य स्रोतो की ओर मुखातिब होना पडा है ।

वर्तमान औद्योगिक युग मे विविध स्वरूपो के उद्योगो का तीव्र गति से विकास हुआ है वे उद्योग वित्त की प्राप्ति के लिए बहुधा पूजी बाजार पर निर्भर रहते हैं । विकसित राष्ट्रो मे पूजी बाजार के मजबूत होने के कारण उद्योगो को पूजी प्राप्ति मे कठिनाई नहीं होती है । विकासशील राष्ट्रो मे स्थिति विपरीत होती है । बचते कम होने के कारण पूजी बाजार व्यापक नहीं हो पाता है । इन देशो मे अधिसख्य आबादी गरीब तथा अशिक्षित होती है बैंकिंग मे विश्वास कम ही होता है । हाल के वर्षों मे पूजी बाजार को बल अवश्य मिला है किंतु यह तेजी मदी व असामयिक झटको से प्रभावित होता रहता है। भारत म 1991 92 की अंतिम तिमाही मे शेयर बाजार मे अत्यधिक तेजी थी जैसे ही जून 1992 मे प्रतिभूति घोटाले का पर्दाफाश हुआ मदी का दौर शुरू हो गया ।

औद्योगिक वित्त का अर्थ है उत्पादन के लिए मुद्रा के माध्यम से वास्तविक ससाधनो को जुटाना। औद्योगिक इकाइयो को उत्पादन सबधी कार्यकलापो यथा इमारत तथा मशीन का सयोजन व इनकी मरम्मत कच्चा माल श्रमिको की व्यवस्था आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है ।

उद्योगो मे उत्पादन सबधी कार्यकलापो को सचालित करने के लिए तीन प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है

1. दीर्घकालिक वित्त इसके चुकाने की अवधि लम्बी होती है तथा इसका प्रयोग स्थायी सम्पत्तियो के निर्माण मे किया जाता है ।
2. मध्यकालिक वित्त इसे दीर्घकालीन वित्त से कुछ कम अवधि मे चुकाना होता है । इसे मशीनो के प्रतिस्थापन तथा मरम्मत के काम में खर्च किया जाता है ।
3. अल्पकालिक वित्त इसे अल्पावधि प्राय एक वर्ष या इससे कम समय मे लौटाना पडता है । इस वित्त की आवश्यकता माल का स्टाक करने कच्चा माल खरीदने तथा मजदूरी आदि का भुगतान करने के लिए होती है ।

भारत के औद्योगिक विकास ही नहीं करना बल्कि इस दिशा मे सतत् आगे बढते बढते रहना भी है । अपने पैरो पर ही खडे नहीं होना अतर्राष्ट्रीय परिवेश म प्रभावी भूमिका भी निभाती है । यह तेज गति से औद्योगीकरण द्वारा सभव है और औद्योगीकरण

औद्योगिक वित्त की समुचित व्यवस्था पर निर्भर है । भारतीय अर्थ व्यवस्था का विकास काफी कुछ सीमा तक ओद्योगिक विकास के साथ जुडा हुआ हे और यह ओद्योगिक वित्त के बिना सभव नहीं है ।

स्वदेशी बेक महाजन तथा वाणिज्यिक बेक मुख्यत वाणिज्यिक वित्त मे सरोकार रखते हे । ये सस्थाए उद्योगो की सभी आवश्यकताएँ पूरा नहीं करती । अत औद्योगक वित्त के लिए पूजी बाजार ओद्योगिक बेक का सगठन आवश्यक बन गया इनके द्वारा ही वित्त को ओद्योगीकरण की ओर जोडा जा सकता है ।

छोटी छोटी बचतो के सग्रहण से पूजी निमाण सभव हे । यह भरोसेमद तथा सस्थागत निवेश से आसानी से किया जा सकता है । भारत उद्योग धन्धो की दृष्टि से ही नहीं अपितु औद्योगिक सस्कृति की दृष्टि से भी पिछडा हुआ है । औद्योगिक वित्त को बढावा देकर औद्योगिक सस्कृति को विकासानुकूल बनाया जा सकता हे । भारत मे तो औद्योगिक वित्तीय सस्थाए, वित्त की कमी को दूर करने के लिए ही नहीं आयोजन के उद्देश्या को भी बढावा देने के लिए जरूरी है ।

बडे पैमाने के उद्योगो के लिए वित्त के स्रोत

बडे पैमाने के उद्योगो के लिए वित्त प्राप्ति के स्रोत निम्नलिखित हे

अश बडे उद्योगो द्वारा पूजी की व्यवस्था प्राय अशो के निगर्मन द्वारा की जाती है । भारतीय उद्योगो द्वारा पिछले कुछ वर्षो से 10 रुपए के लघु मूल्य वर्गो के अशो का निगमन किया जा रहा ह । अशो के विविध प्रकारो मे साधारण व अधिमान अश मुख्य है । बाजार में तेजी के समय अशो द्वारा पूजी की प्राप्ति बडी आसान होती है । कुछ प्रतिष्ठित कम्पनिया अपने अशो को प्रीमियम पर भी जारी करती है । वर्ष 1992 मे शेयर बाजार मे आयी तेजी के कारण सभी वर्ग के विनियोजक पूजी बाजार मे विनियोग हेतु आकृष्ट हुए है । जून 1992 मे प्रतिभूति घोटाले के उजागर होने के बाद शयर बाजार मे मदी का दौर शुरू हुआ । इस तरह की आशका नहा होने के कारण अनेक विनियोजको को भारी क्षति हुई । अशा के भावो म गिरावट का सिलसिला मई 1993 तक जारी था । कई मेगा इश्यू को अपेक्षित अभिदान नहीं मिला ।

अशधारी ही कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते हे । यह एक तरह से साहसी विनियोजक है । कम्पनी के सभी दायित्वो के निष्पादन पश्चात लाभ अथवा हानि पर इनका ही अधिकार होता है ।

ऋण पत्र ऋण पत्र किसी कम्पनी द्वारा जनता के लिए जारी किए गए बाण्ड है । ऋण पत्र भारतीय विनियोक्ताओ के बीच अशो की तुलना मे कम प्रचलित है । फिर कम्पनियो ने भी ऋण पत्रो द्वारा पूजी सग्रहण मे अधिक रूचि नहीं दिखाई है । हाल ही के वर्षो मे छोटे विनियोक्ताओ को जो प्राय सीमित वित्तीय ससाधन के कारण

कम अशो के लिए आवेदन करते ह अशो का आवटन सुगम नहीं होने के कारण परिवर्तनीय ऋण पत्रो मे विनियोग के प्रति रुचि बढी है ।

ऋण पत्रो मे ऐसे विनियोक्ता विनियोग करते हैं जो निश्चित आय चाहते है। ये किसी तरह की जोखिम नही लेना चाहते हैं । इन्हे प्राय परम्परावादी निवेशको की श्रेणी मे रखा जाता है ।

सार्वजनिक जमा इसका प्रयोग उद्योगो मे कार्यकारी पूजी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है । सार्वजनिक जमा राशि को किसी भी समय वापस लिए जा सकने के कारण यह एक अविश्वसनीय स्रोत है । इससे एकत्रित राशि से स्थायी परिसम्पत्तियो मे निवेश नहीं किया जाता है ।

बैंक ऋण वाणिज्यिक बैंक अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार उद्योगो को कार्यशील पूजी की व्यवस्था के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान करते हैं । वाणिज्यिक बैंको के पास जमा कर्त्ताओ की राशि होने के कारण ये उद्योगो के अशो मे विनियोग करने से हिचकिचाते हैं क्योकि इन्हे जमाओ पर निश्चित प्रतिशत ब्याज देना पडता है। अशो मे जोखिम का भय है । वाणिज्यिक बैंक ऋण पत्रो मे निवेश कर अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर सकते हैं । किंतु ऋण पत्रो मे भी, आवश्यक नहीं जरूरत पडने पर बिक्री की जा सके भय की आशका रहती है ।

स्वदेशी बैंकर्स अतीत मे स्वदेशी बैंकर्स की भूमिका छोटे बडे उद्योगो के लिए महत्त्वपूर्ण रही है । ये छोटे बडे सभी उद्योगो को सकट से उबारने मे सहायक सिद्ध हुए हैं । अब वित्त की नवीन सस्थाओ के अस्तित्व मे आने के कारण इनका लोप हो रहा है । छोटे उद्योगो मे भी इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण नहीं रही । ब्याज की दर अत्यधिक वसूलने के कारण इनसे प्राप्त वित्त की लागत बहुत बैठती है ।

प्रबध अभिकर्त्ता प्रणाली अतीत मे औद्योगिक वित्त के विकास स्रोतो के अभाव में औद्योगीकरण मे प्रबध अभिकर्त्ता प्रणाली का वर्चस्व था । इसके अन्तर्गत व्यक्तियो का एक समूह स्वय के वित्त से उद्योगो को प्रारम्भ करने के साथ ही प्रबध भी करता। ये एक फर्म के धन को अपने अधीनस्थ काम करने वाली अन्य फर्म के लिए प्रयुक्त कर लेते थे । इस प्रणाली मे अनेक दोष होने के कारण भारत सरकार ने 1970 से इस पर रोक लगा दी ।

औद्योगिक वित्त के नए संस्थान :

वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे बडे उद्योगा की बढती हुई वित्त आवश्यकताओ के लिए उपर्युक्त साधनो के अपर्याप्त होने के कारण वित्त के अनेक नवीन सस्थान अस्तित्व में आए हैं, जिनके बारे मे सक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है -

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम स्वतत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात औद्योगिक वित्त अधिनियम 1948 द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई । निगम का मुख्य उद्देश्य भारत मे उपलब्ध औद्योगिक प्रतिष्ठानो को मध्यम तथा दीघकालीन ऋण सुविधा प्रदान करना है । निगम की भूमिका वतमान मे राष्ट्र के समूचे औद्योगिक विकास तक व्यापक कर दी गयी है । निगम के द्वारा सुविधा और सेवाए परियोजना वित्त वित्त सेवा व प्रगति सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही है ।

31 मार्च 1991 तक निगम ने परियोजना वित्त और वित्तीय सवा के अतर्गत 10,777 49 करोड रूपए की सहायता स्वीकृत थी जिसमे 3607 करोड रुपए औद्योगिक परियोजना के थे । वितरित सहायता की राशि 6569 90 करोड रुपए थी ।

भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम की स्थापना 1955 मे एक सावजनिक कम्पनी के रूप में औद्योगिक इकाइया को बढावा एव सहायता देने के लिए की गइ । यह भारतीय एव विदेशी मुद्रा मे सावधि ऋण उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त अशा व ऋण पत्रा का अभिगोपन अशो व ऋण पत्रो का क्रय तथा ऋणो क भुगतान की गारटी प्रदान करता है ।

मार्च 1991 को निगम की चुकता पूजी 114 58 करोड रुपये थी । 31 मार्च 1991 तक 13566 53 करोड रुपए सचयी परियोजना वित्त स्वीकृत की जिसमे 6171 70 करोड रपये विदेशी मुद्रा मे तथा 7394 84 करोड रुपए भारतीय मुद्रा मे थे । यह सहायता 3386 कम्पनियो की 7221 परियोजनाओ को दी गई । निगम द्वारा 1955 से मार्च 1992 तक 21130 करोड रुपए की सहायता स्वीकृत की गई जिसमे से 12950 करोड रुपए वितरित किये जा चुके है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक *यह औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अन्तर्गत* स्थापित किया गया । उद्योगा को साख और अन्य सुविधा प्रदान करने की यह एक प्रमुख वितीय सस्था है । यह बडे औद्योगिक प्रतिष्ठाना को सीधे वित्तीय सुविधा प्रदान करता है तथा छोटे एव मझौले श्रेणी के उद्योगो को भी बैंक तथा राज्य स्तर की वित्तीय सस्थाओ के माध्यम से मदद पहुचाता है । बैंक की चुकता पूजी जो कि पूर्णत सरकार द्वारा स्वीकार की गई, 31 मार्च 1991 को 703 करोड रुपए थी । वष 1990 91 मे भारतीय लघु उद्योग विकास बेक की स्थापना की घाषणा कर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु एव अतिलघु उद्योग के सम्बन्धित विभाग को पूर्ण रूपेण सिडबी को हस्तान्तरित कर दिया ।

मार्च 1991 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 5867 करोड रुपए की सचयी सहायता स्वीकृत की जिसमे से 5718 6 कराड रुपए वितरित किये जा चुके है। वर्ष 1990-91 मे बैंक को 333 कराड रूपए का शुद्ध लाभ हुआ ।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व सहायक सस्था के रूप मे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत लघु पैमाने के उद्योगो को प्रगति वित्त एव विकास की एक प्रमुख वित्तीय सस्था के रूप मे हुई । सिडबी ने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से प्रारभ किया । यह लघु उद्योगो को अन्य सस्थाओ जैसे राज्य वित्त निगम, वाणिज्यिक बैंक, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि के माध्यम से सुविधा प्रदान कर रहा है ।

राज्यीय वित्त निगम विभिन्न राज्य सरकारो ने लघु, मध्यम व कुटीर उद्योगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्यीय वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत राज्य वित्त निगम स्थापित किए । राज्य वित्त निगम की अधिकृत पूजी राज्यीय सरकार द्वारा न्यूनतम 50 लाख रूपए और अधिकतम 5 करोड रुपए के बीच निर्धारित की जाती है ।

राज्यीय वित्त निगम औद्योगिक फर्मों को 20 वर्षों तक की अवधि के लिए ऋण, पूजी बाजार मे जारी किए गए ऋणो की गारण्टी, अशो व ऋण पत्रो का अभिगापन औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी ऋण पत्रा का क्रय आदि कार्य सम्पादित करते हैं ।

राज्यीय वित्त निगमो द्वारा 1971 और 1988 के बीच 7870 करोड रुपए की वित्तीय सहायता दी गई ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक उद्योगो मे बढ रही रूग्णता पर निजात पाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम की स्थापना की । अगस्त 1984 म भारत सरकार ने एक कानून पास कर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को भारतीय औद्योगिक पुननिमाण बैंक मे परिवर्तन कर दिया । भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक उधार एव पुननिमाण की प्रमुख एजेन्सी बनकर उद्योगो को, प्रौन्नत, पुनरूत्थान तथा विकास म सहायता दे रहा है । वर्ष 1987 88 मे बैंक ने उद्योगो के आधुनिकीकरण विशाखन, नवीनीकरण व विस्तार आदि के लिए 190 करोड रुपए के सावधि ऋणा की स्वीकृति की ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट हाल के वर्षों मे भारतीय निवेशको के बीच यूनिटें काफी लोकप्रिय हुई है । यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना का मुख्य ध्यय लघु निवेशको की बचतो को गतिमान करना काफी हद तक प्राप्त हो गया है । यूनिटो मे निवेशका का धन सुरक्षित है, कर रियायते हैं, निवेशक जब भी चाहे यूनिटो के बदले नकदी प्राप्त कर सकता है । अच्छा लाभाश व कई यूनिटो के सूची बद्ध होने के कारण निवेशको का आकर्षण बढा है ।

भारत सरकार ने मध्यम आय वर्ग के विनियोक्ता कम्पनियो की हिस्सा पूजी मे अधिक से अधिक भाग ले सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1963 के अन्तर्गत यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना की । यूनिट ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य मध्यम तथा निम्न आय वर्गो की बचतो को एकत्रित कर इसे देश में बढते

हुए औद्योगीकरण से प्राप्त समृद्धि के लाभो म हिस्सा बढान के योग्य बनाना है । फरवरी 1993 मे भारतीय यूनिट टस्ट ने अपनो क्रियाओ म 29 वर्ष पूरे कर लिये हैं । वर्तमान मे ट्रस्ट द्वारा 1 5 करोड इकाई धारियो को 22000 करोड रुपए की राशि का प्रबध किया जा रहा हे । 30 जून 1990 को यह राशि 17 500 करोड रुपए थी ।

भारतीय निर्यात आयात बेक भारतीय निर्यात आयात बैंक निर्यात व आयात के लिए वित्त जुटाने वाली सस्थाओ क काय का समन्वय करने वाली भारत की प्रमुख वित्तीय सस्था ह । इस बैंक की स्थापना एक जनवरी 1982 को भारत के विदेशी व्यापार की प्रगति तथा वित्तीय सुविधाओ क लिए की । स्थापना क 8 वष के कायकाल म जो कि 31 मार्च 1990 को समाप्त हुए, एक्जिम बक द्वारा 4 471 करोड रुपए की निर्यात कान्ट्रेक्ट वित्त सहायता दी गइ । 31 मार्च 1991 का बेक की चुकता पूजी 256 80 करोड रुपए तथा अधिकृत पूजी 500 करोड रुपए थी । सचयी शुद्ध लाभ 144 करोड रूपए जा पहुचा । बेक का कुल सचय 120 45 करोड रुपए था ।

दृष्टिकोण औद्योगिक वित्त क उपयुक्त वणन मे स्पष्ट है कि भारत म उद्योगो को वित्त प्रदान करने के स्रोतो म स्वतत्रता उपरात भारी बदलाव आया है । स्वदशी बेक्स तथा प्रबध अभिकता प्रणाली की भूमिका प्राय लुप्त हो चुकी है । अब अशो का निगमन तथा विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ की भूमिका मुखर हो गया है । किन्तु भारत का पूजी बाजार अभी पूणरूपेण विकसित नहीं हुआ है इसम भारी उच्चावचन तथा अनिश्चितता के साथ अविश्वास भी बना हुआ है । प्राय विनियोक्ताओ को आवटन रिफण्ड लाभाश हस्तान्तरण आदि मे काफी असुविधा का सामना करना पडता है फिर कम्पनियो द्वारा अपेक्षित लाभाश वितरित नही किए जाने के कारण विनियोजको को आकर्षक लाभ नहीं मिल पाता है ।

वित्त का विविध सस्थाओ स ऋण सुविधा प्राप्त करना काफी पचीदगीपूर्ण है । ऋण स्वीकृति म अनावश्यक विलम्ब आम बात है । वित्तीय सस्थाओ द्वारा प्राय जितना ऋण स्वीकृत किया जाता है उतना आवटित नहीं किया जाता है ।

देश मे उद्योगो को वित्त की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए जहा पूजी बाजार को मजबूत बनाना है वहा वित्तीय सस्थाओ का ऋण प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की महती आवश्यकता है ।

औद्योगिक विकास मे सलग्न राजस्थान स्तरीय सस्थाओ का योगदान

राजस्थान अपने आर्थिक नियोजन के चार दशक उपरात भी औद्योगिक क्षेत्र मे महत्त्वपूण भूमिका नही निभा सका है आज भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यो की तुलना मे काफी पिछडा हुआ हे । यद्यपि सदियो से वीरान पडा भूमि सजाव हो उठी है किंतु औद्योगिक आधार पर दृष्टिपात करे तो चारो ओर निराशा ही परिलक्षित

हाता हे जबकि राज्य खनिना का अनायबघर हे कुछ खनिजा का उत्पादन तो केवल रानस्थान मे हा हाता हे आद्यागिक विकास हेतु वाछित एव प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध हे विभिन्न उद्यागा के विकास का प्रबल सभावनाएँ हे ।

रानस्थान क साथ विकास क अधिकाश क्षेत्रा मे सौतेला व्यवहार किया जाता रहा हे चाह वह कन्द्र सरकार द्वारा ससाधना का आवटन हो या औद्योगिक इकाइयो का स्थापना। प्रान्त के आद्योगिक पिछडेपन के लिए यहा जन्मे औद्योगिक घरानो ने भा कम महत्त्वपूण भूमिका नहा निभाइ ह इन्हाने अपनी पूजी को देश के अन्य भागों मे विनियाजित करना लाभदायक समझा अपना मातृभूमि के लिए भी त्याग करना इन घराना न उचित नहा समझा अगर ये चाह ता रातारात राज्य का कायाकल्प कर सकते ह ।

अब रानस्थान अपने आद्यागिक विकास के प्रति सजग है । औद्योगीकरण की गति का ताव्र करन वास्ते निनी एव सावजनिक क्षेत्र क अनेक प्रतिष्ठान सतत प्रयत्नशील हे । समापत आद्यागिक सस्थाए रानस्थान के सदियो क पिछडेपन पर प्रहार कर रही हे

राजस्थान राज्य आद्यागिक विकास तथा विनियोग निगम लिमिटेड (रीको)

यह रानस्थान क आद्यागिक विकास म सवाधिक महत्त्वपूण भूमिका निभाइ वाली सस्था है । रानस्थान सरकार न आद्यागिक पिछडपन को दूर करन क लिए वर्ष 1969 मे रीको की स्थापना की ।

वप 1979 म राको स राजस्थान राज्य खनिन विकास निगम के अलग से स्थापित हा नान के पश्चात राका का कायक्षेत्र ओद्याागक विकास तक सामित हो गया । वर्तमान म राको द्वारा पारयेाननाआ का चयन उनके लिए आशय पत्र तैयार तैयार करना खाका रपरखा औद्यागिक क्षत्र का स्थापना उद्याग क लिए आधारभूत सरचना का निमाण मध्यम व बड पमान के उद्यागा क लिए वित्तीय व्यवस्था विनियोजको का आकर्षित करने क लिए आवश्यक सवाए उपलब्ध कराना आदि महत्त्वपूण कार्य सम्पन्न किए जा रहे ह ।

रीको सतुलित औद्यागिक विकास नो कि आर्थिक नियोजन का महत्त्वपूर्ण उद्दश्य ह का पूरा करन म प्रयवशाल हे । रीका मध्यम तथा वडे पैमाने के उद्यागा को अश सहभागिता ओर प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता ह । प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा 1 5 कराड रुपए हे । राका ओर रानस्थान वित्त निगम सयुक्त रूप से किसी प्राजेक्ट की आवश्यकतानुरूप निधारित सामा से अधिक ऋण स्वीकृत करते है । निश्चित श्रेणी के उद्यमिया तथा इकाइया का भूमि की लागत पर छूट दी जाती है । 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क उद्यमिया 15 प्रतिशत शारारिक रूप से विकलागा तथा 20 प्रतिशत इलक्ट्रानिक इकाइया को अधिकतम 4000 वग माटर तक

के भूखण्डो पर छूट दी जाती है । एक्स सर्विसमेन को 25 प्रतिशत छूट तथा भूखण्ड आवटन मे 2 प्रतिशत आरक्षित सुविधा उपलब्ध है । महिला उद्यमियो को 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

रीको न्यूज लेटर सितम्बर 1992 के अनुसार राजस्थान मे 187 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं । औद्योगिक क्षेत्रो का विवरण इस प्रकार है अधिग्रहीत भूमि 27795 94 एकड विकसित भूमि 18754 82 एकड नियोजित भूखण्डो की सख्या 25854 विकसित भूखण्डो की सख्या 20185 आवटित भूखण्ड 22110 उत्पादन मे सलग्न इकाइया 9798 आदि ।

रीको राज्य सरकार के लिए सोने का अडा देने वाली मुर्गी सिद्ध हो रही है। वष 1987 88 मे रीको का लाभ 271 49 लाख रुपए था जो अप्रत्याशित रूप से बढकर 1991 92 मे 840 64 लाख रुपए तक जा पहुचा । इससे पूर्व 1989 90 मे 107 12 लाख रुपए व 1990 91 मे 148 23 लाख रुपए का लाभ हुआ । रीको ने वर्ष 1995 96 मे रिकार्ड 15 08 करोड रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है पिछले वर्ष की तुलना मे लाभ का प्रतिशत 294 73 प्रतिशत अधिक रहा है ।

रीको की रुचि भूमि प्राप्त करने व विकसित करने मे अधिक रही है । विकसित भूमि व आवटित भूमि के बीच अतराल है । औद्योगिक क्षेत्रो की स्थापना मे राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट नजर आता है राजनीतिज्ञ अपने क्षेत्र मे औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं । महत्त्वपूर्ण यह नहीं कि औद्योगिक क्षेत्रो की सख्या कितनी है बल्कि महत्त्वपूर्ण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र स्थान विशेष की औद्योगिक जरूरत को कितना पूरा करते है औद्योगिक उत्पादन मे उसकी उपादेयता क्या है । आज अधिकाश विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्रो के हालात यहा तक बदतर है कि औद्योगिक क्षेत्र है मगर उद्योग नहीं उद्योग है तो उद्योग की चिमनिया से निकलने वाले धुआ नहीं अगर उद्योग चल भी रहा है तो आए दिन हडताल तालेबदी आदि की नौबत ।

रीको ऋण वितरण में आज देश की अग्रणी सस्था है सतोष की बात है मगर इसके साथ गौरतलब तथ्य यह है कि आवटित ऋण का सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि नौसिखिए उद्यमी ऋण को हडपने या सब्सिडी का लाभ बटोरने के लिए ले रहे हो यदि नहीं तो फिर राजस्थान ऋण आवटन मे अग्रणी के साथ औद्योगिकरण मे अग्रणी क्यो नहीं है ?

राजस्थान वित्त निगम (आर एफ सी) यह अति लघु, लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगो को वित्तीय सहायता देने के लिए 1955 मे स्थापित किया गया था । यह एक वैधानिक निगम है जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तगत स्थापित किया गया । इसके प्रमुख कार्य अग्राकित हैं

1 औद्योगिक इकाइयो को कर्ज व अग्रिम राशिया प्रदान करना

2 औद्योगिक इकाइयो को कर्ज देने के मामले मे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई) के एजेन्ट के रूप मे कार्य करना,

3 औद्योगिक इकाइयो द्वारा किए गए कर्जों की गारटी देना, अथवा इनके द्वारा जारी किए गए स्टॉक डिबेन्चर, शेयर व अन्य प्रतिभूतियो को खरीदना, या उनका अभिगोपन करने मे योगदान देना तथा

4 औद्योगिक इकाइया को सीड पूजी देना, बिक्री कर की एवज मे ब्याज मुक्त कर्ज, औद्योगिक सब्सिडी आदि देना ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा 90 लाख रुपये है । औद्योगिक इकाइयो को कुशलता से सेवा करने वास्ते समूचे राज्य मे 37 शाखा कार्यालय तथा 9 रीजनल कार्यालय है । ब्राच रीजनल कार्यालयो को 7 5 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति तथा 40 लाख रुपए तक का ऋण वितरण का अधिकार है । लघु उद्यमियो के लिए 'एक खिडकी स्कीम' है जिसके तहत टर्म ऋण तथा कार्यशील पूजी सहायता सुविधा प्रदान की जाती है किन्तु ऐसे प्रोजेक्ट की लागत 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और कार्यशील पूजी की आवश्यकता 10 लाख रुपए से अधिक नहीं हो । निगम सामान्य टर्म ऋण सहायता के साथ प्रोजेक्ट लागत के 15 प्रतिशत 'सोफ्ट लोन' नेशनल इक्यूटी फण्ड स्कीम' के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले लोन से अधिक नहीं होने चाहिए । महिला उद्यमियो के लाभ के लिए विशेष योजना है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सेवा निवृत, रक्षा कर्मी, विकलागो को ब्याज की दर से छूट दी जाती है । निगम निश्चित श्रेणी के उद्यमियो को उद्योग स्थापना की प्रारभिक अवस्था मे लघु उद्योग इकाइयो को प्रोजेक्ट लागत के 10 प्रतिशत, उच्चतम सीमा 1 5 लाख रुपए, सीड पूजी प्रदान करता है ।

आर एफ सी द्वारा वर्ष 1990-91 (जनवरी, 1991 तक) मे 2088 इकाइयो को 81 50 करोड रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया जिसमे से 56 00 करोड रुपए वितरित किए गए तथा 52 21 करोड रुपए के ऋण की वसूली इस अवधि मे की गई ।

निगम को 1986-87 से लगातार लाभ होता रहा है । वर्ष 1990-91 मे 1 75 करोड रुपए कर का प्रावधान करने के बाद निगम को 4 37 करोड रुपए का विशुद्ध लाभ हुआ ।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको) . इसकी स्थापना जून 1961 मे एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप मे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई । राजसीको अति लघु (टीनी), लघु उद्योग इकाइयो को सहयोग देता है । यह शिल्पियो तथा हैण्डीक्राफ्ट के उत्पादो को निर्यात करने के लिए महत्वपूर्ण

सस्था है । यह उचित कीमत पर लघु उद्योगो को दुर्लभ कच्चा माल उपलब्ध कराता है ।

राजस्थान कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड (राजकॉन) राजकॉन की स्थापना अखिल भारत तथा राज्य स्तरीय वित्तीय सस्थाओ और राजस्थान राज्य के विभिन्न लीड बैंको द्वारा की गई । राजकान का प्रमुख कार्य विभिन्न परियोजनाओ की स्थापना के बारे में परामर्श देना है । यह विभिन्न वित्तीय सस्थाओ से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है । पिछडे क्षेत्रो और पिछडे लोगो के लिए आर्थिक विकास आधारित प्रोजेक्ट तैयार करता है । इसके अलावा यह औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण विभिन्न योजनाओ के लिए मूल्याकन बाजार सर्वे बाजार अध्ययन आदि कार्य भी करता है ।

उद्योग निदेशालय (डी आई) राज्य मे औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सस्था है । इसके सभी जिला मुख्यालयो पर ऑफिस है जिन्हे जिला औद्योगिक केन्द्र (डी आई सी) के नाम से जाना जाता है । अलवर नागौर सिरोही बाडमेर गगानगर पाली सवाई माधोपुर जिलो मे उप जिला उद्योग केन्द्र भी है । निदेशालय जिला उद्योग केन्द्रो के लिए वार्षिक कार्यकारी योजनाएँ बनाता है लघु व शिल्पकारो की इकाइयो का पजीकरण करता है । स्थानीय साधनो का उपयोग करके रोजगार सवर्धन व विकास में प्रादेशिक सतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है ।

सार्वजनिक उपक्रमो का ब्यूरो (बी पी ई) इसका मुख्य कार्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानो के कार्यो की समीक्षा तथा मूल्याकन करना प्रबध व तकनोलाजी मे सुधार के उपाय सुझाना कर्मचारियो के प्रशिक्षण आदि है ।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान मे खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अप्रैल 1955 मे किया गया।

बोर्ड के उद्देश्य एव कार्य निम्नाकित है

1 खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना

2 कार्यक्रम सगठित करना ओर उनकी क्रियान्विती करना

3 निम्न आय वर्ग के लोगो एव कारीगरो को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना

4 कारीगरो को प्रशिक्षण देना

5 कच्चे माल की व्यवस्था तथा तेयार माल का विपणन करना

6 कारीगरो मे सहकारी भावना को विकसित करना आदि ।

राज्य स्तरीय सस्थाओ के अतिरिक्त अन्य राष्टीय स्तर की सस्थाए यथा भारतीय

औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आदि भी उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है, किंतु अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाआ ने राजस्थान को बहुत कम वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

वर्तमान मे भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य मे राजस्थान मे औद्योगिक विकास की गति से तेज होने की आशा है । राजस्थान आज अपनी औद्योगिक सभावना का अधिकाधिक लाभ उठाने वास्ते दृढ प्रतिज्ञ है । अत अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय सस्थाओ पर ओद्योगिक विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता मुहैया कराने की जिम्मेदारी आयेगी । आशा की जानी चाहिए ये वित्तीय सस्थाए अपने ससाधनो मे जरूरत के मुताबिक वृद्धि कर वित्त की समुचित व्यवस्था कर सकेगी ।



अध्याय 12

सवाई माधोपुर का औद्योगिक विकास

ऐतिहासिक विश्लेषण

सवाई माधोपुर की उद्योगो की दृष्टि से दयनाय स्थिति है । यहा चद औद्योगिक परियोजनाऐं है जो जिले का विकास की राह दर्शाने म असमथ है । ससाधनो का उपलब्धता की दृष्टि से तो स्थिति बेहतरीन है किंतु विकास क वास्त जिला सदेव तरसता रहा है। सदैव उपेक्षा का शिकार रहा है । अनेक प्रतिष्ठित परियोजनाए यहा स तथाकथित कारणा से पलायन कर गई । कुछ परियाजनाए ता इतनी महत्वपूर्ण थी यदि वे यहा स्थापित होती तो सवाई माधापुर का नाम हरेक औद्यागिक जुबान पर होता । उपेक्षित सवाइ माधापुर मे केवल रणथम्भार नेशनल पाक है जिसके हालात भी बेहतर नहा जिसके कारण अन्तार्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी हुइ है । कोई प्रभावी परियाजना जिले म दृष्टिगाचर नहीं होती । प्रतिष्ठित जयपुर उद्याग लि० अनक वर्षो से बद पडा है । यदि सरकार विकास मे भागीदार बने उद्यमी आकर्षित हो ता सवाइ माधापुर म औद्योगिक विकास की पर्याप्त सभावनाए है । यहा सशक्त अद्य सरचना है कृषि उत्पाद है खानज सम्पदा भरपूर है विस्तृत भू भाग है । यहा के वाशिंदा को उद्यमियो का उत्सुकता से प्रतीक्षा है।

वन सम्पदा को दृष्टि से तो सवाइ माधोपुर जिला अपना विशेष स्थान रखता है । जिले के कुल भौगोलिक भाग का 25 प्रतिशत स अधिक वनो से आच्छादित है। जिले म मत्स्य विकास की अच्छो सभावनाए है वतमान म जिले के 5000 हेक्टर जल क्षेत्र मे मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है । वष 1988 का पशु गणना के अनुसार

जिले मे 17 07 लाख पशु थे । अत. जिला प्रकृति द्वारा प्रदत उपहारो की दृष्टि बहुत ही धनी है ।

सवाई माधोपुर जिले मे प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा और प्रबल सभावनाओ के बावजूद औद्योगिक विकास का मार्ग समुन्नत नही हो सका है । अतीत मे सवाई माधोपुर के लिए प्रस्तावित तेल शोधन परियोजना का पलायन मथुरा हुआ । हाल ही बडी लागत वाली गैस आधारित खाद सयत्र का पलायन कोटा हो गया । अभी भी परियोजनाओं के पलायन का क्रम जारी है । जिले मे लघु एव कुटीर उद्योगो में हाथकरघा, वस्त्र, चमडे के जूते, बीडी निर्माण लुहारी, कुम्हारी आदि की इकाइया है यदि यहा को उपलब्ध सभावनाओ का भरपूर उपयोग किया जाए तो सवाई माधोपुर मे तीव्र औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है ।

जिले मे आधारभूत सरचना :

आधारभूत सरचना के अन्तर्गत विद्युत, सिचाई सडक, रेल, सचार, शिक्षा स्वास्थ्य बेकिग पेयजल आदि की स्थिति का अध्ययन किया जाता है । किसी भी क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास के लिए सुदृढ अद्य. सरचना का होना अत्यावश्यक है । क्षेत्र विशेष मे इन सुविधाओ के अनुकूल होने पर उद्यमी विनियोजन हेतु अधिकाधिक आकर्षित होते हैं ।

सवाई माधोपुर जिला रेल परिवहन की दृष्टि से राजस्थान का समृद्ध जिला है । जिले की आधारभूत सरचना को अग्राकित शीर्षक मे दर्शाया गया है :-

विद्युत . आधारभूत सरचना मे विद्युत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसका विकास करके कृषि तथा औद्योगिक विकास की गति को त्वरित किया जा सकता है। सवाई माधोपुर मे वर्ष 1986 87 के अत मे विद्युतीकृत गाँवो व कस्बो की सख्या 690 थी वर्ष 1987-88 मे 367 गाँवो मे 1988-89 मे 164 गाँवो के विद्युतीकरण से 1988-89 के अत म 1221 गाँव/कस्बे विद्युतीकरण हो चुके थे ।

सवाई माधोपुर मे विद्युत आपूर्ति हेतु सब स्टेशनो की सूचना :

क्र स	जी एस एस	वर्तमान सब स्टेशन	
1	सवाई माधोपुर	2 10/12 5 एम वी ए	132 के वी/11 के वी
2	गगापुर सिटी	1/10/12 5 "	132 के वी /33 के वी
3	हिन्डौन	1/10/12 5 "	132 के वी /33 के वी
4	मण्डावर	1 6/12 5 "	132 के वी /33 के वी
		2 10/12 5 "	132 के वी /33 के वी
5	करौली 1 मई 1994 से चालू		132 के वी ग्रिड स0 स्टेशन

स्रोत जिला याजना सवाई माधापुर

रेल सुविधा

सवाई माधोपुर जिला पश्चिमी रेलवे की बम्बई-नई दिल्ली बडी रेल लाइन पर स्थित है । इस जिले के सवाई माधोपुर, गगापुर सिटी, हिन्डौन सिटी कस्बे मुख्य लाइन के समीप होने के कारण बडी रेल लाइन के स्टेशन भी है । जिले मे कुल 188 कि मी रेल लाइने बिछी हुई है और 18 रेल्वे स्टेशन है जिनके नाम इस प्रकार है कुस्तला, सवाई माधोपुर, रणथम्भौर, मखौली, मलारना, नीमोदा, नारायणपुर टटवारा, लालपुर उमरी, गगापुर सिटी, छोटी उदेइ, पीलोदा, खण्डीप, श्री महावीर जी, हिण्डौन सिटी, फतेहसिह पुरा, देवपुरा, चौथ का बरवाडा, ईसरदा (ये तीनो स्टेशन सवाई माधोपुर-जयपुर रेल मार्ग पर स्थिति है ।

सवाई माधोपुर को ब्रोडगेज के माध्यम से जयपुर से भी जोड दिया गया है। जोधपुर तक सीधी रेलसेवा सुलभ है । जिले को भविष्य मे अन्य प्रमुख शहरो से भी जोडने की योजना है । अत: यह कहने मे कतई सकोच नहीं कि सवाई माधोपुर जिला रेल सुविधा सबधी अद्य. सरचना की दृष्टि से बेहद समृद्ध है ।

सिचाई सवाई माधोपुर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10527031 हैक्टर है । इसके करीब 47 59 प्रतिशत क्षेत्र मे खेती होती है । जिले मे औसतन 546 57 हजार मिलीयन क्यूबिक फीट जल उपलब्ध है जिसमे से करीब 162 36 हजार मिलीयन क्यूबिक फीट जल को उपयोग मे लाने हेतु योजनाए सिचाई विभाग द्वारा बनायी गई है ।

सिचाई निर्माण खण्ड सवाई माधोपुर के अधीन 109 सिचाई के तालाब है जिनमें से 09 तालाब 1012 हैक्टर से अधिक क्षेत्रफल मे सिचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं । नहरो द्वारा सिचाई करने वाले तालाबो की कुल भराव क्षमता 12732 मिलीयन क्यूबिक फीट है । जिनसे सामान्य वर्ष मे 50514 हैक्टर क्षेत्र में सिचाई की जा सकती है । कुल सिचाई योग्य क्षेत्रफल 84315 हैक्टर है । जिले मे सिचाई सुविधाओ के विस्तार एव सिचित क्षेत्र मे वृद्धि किए जाने हेतु कई सिचाई योजनाओ पर कार्य चल रहा है ।

जिले मे मध्यम एव लघु सिचाई परियोजनाओ की क्षमता 39978 हैक्टर है इसमे मध्यम सिचाई योजनाओं की क्षमता 36425 हैक्टर एव लघु सिचाई योजनाओ 3553 हैक्टर है । सर्वाधिक सिचाई क्षमता सवाई माधोपुर तहसील मे मोरेल सिचाई परियोजना की है जिसकी क्षमता 23193 हैक्टर है । करौली स्थित पाचना आधुनिकृत सिचाई परियोजना है जिसकी सिचाई क्षमता 8787 हैक्टर है ।

वर्ष 1988-89 में सवाई माधोपुर में सिचाई परियोजनाओ पर 267 76 लाख रुपए व्यय किया गया । मध्यम सिचाई परियोजनाओ पर 216 22 लाख रुपए, आधुनिक परियोजनाओं पर 45 52 लाख रुपए तथा लघु सिचाई परियोजनाओ पर 6 02 लाख रुपए

का व्यय हुआ। राज्य योजना के अन्तर्गत सिचाई परियोजनाओ की सख्या 3 थी तथा चल रही लघु सिचाई योजना की सख्या एक थी ।

लघु सिचाई परियोजनाआ पर वर्ष 1988 89 मे स्टेट प्लान नान टी एडी के अन्तर्गत 6 02 लाख रुपए खर्च किए गए । एन आर ई पी के अन्तर्गत 6 64 लाख रुपए तथा आर एल ई जी पी के अन्तर्गत 16 33 लाख रुपए खर्च किए गए ।

सचार सुविधा वर्ष 1981 मे जिले के 271 गावो मे सचार सुविधा एव 500 गावो म डाक व तार सुविधा उपलब्ध थी शेष 1263 गावो मे से 584 गाव ऐसे थे जो सचार सुविधा युक्त गावो के स्थाना से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर थे । इसी प्रकार 733 गावो मे डाक व तार की सुविधा 5 कि मी से कम दूरी पर उपलब्ध थी ।

विगत वर्षों मे जिले में अन्य सचार सुविधाओ का काफी विस्तार हुआ है । वर्तमान मे प्रत्येक गाव मे प्रतिदिन डाक वितरण की व्यवस्था है । वर्ष 1978 79 में 414 पोस्ट आफिस थे जो 1988 89 मे बढकर 491 हो गए । 1978 79 मे जिले में एक ही हेड पोस्ट आफिस था लेकिन वर्तमान मे 3 हेड पोस्ट आफिस सवाई माधोपुर गगापुर सिटी व हिडौन सिटी मे कार्यरत है । वर्ष 1988 89 मे जिले मे 29 टेलीफोन एक्सचेज थे । जिला मुख्यालय सहित करौली गगापुर हिण्डौन उपखण्ड मे एस टी डी आइ एस डी सुविधा उपलब्ध है ।

चिकित्सा वर्ष 1988 89 मे जिले मे राजकीय चिकित्सा सस्थाओ में 27 डिस्पेन्सरीज 32 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र 3 एम पी डब्लू सेन्टर्स तथा 3 सामान्य थे कुल 65 सस्थाए थी । इनके अलावा एक हॉस्पिटल तथा एक डिस्पेन्सरी अन्य विभाग द्वारा नियत्रित थे ।

वर्ष 1988 89 में जिले मे चिकित्सा विभाग द्वारा नियत्रित अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा का शैय्याओ की सख्या 668 थी तथा अन्य विभागो के अस्पताल तथा निजी क्लीनिक मे 29 शय्याएँ थी कुल 697 रोगी शय्याएँ थी । चिकित्सा विभाग द्वारा नियत्रित अस्पतालो मे टी वी की 20 आइसोनेशा की 6 मेटरनिटी की 44 आइज की 4 पी एच सीज म 316 सामान्य मे 260 एम सी डब्लू सेन्टर्स मे 18 शय्याए थी। जिले मे राजकीय चिकित्सालयो के अलावा आयुर्वेदिक और यूनानी सस्थाए भी है । वर्ष 1988 89 मे इन अस्पलाता की सख्या 3 थी जिनमे 15 शय्याए थी । कुल 178 डिस्पेन्सरीज थी ।

बैंकिग सवाई माधोपुर म बैंकिग सुविधा जनसख्या के अनुपात मे सतोषजनक है । भारतीय रिजर्व बेक के मानदण्ड के अनुसार यह औसत 17000 व्यक्ति प्रति बैंक शाखा है । जिले म औसतन एक वाणिज्य व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 15358 व्यक्तियो पर एव सहकारी बैंको को सम्मिलित करते हुए 12093 व्यक्तिया पर एक बैंक है । जिले म औसतन एक वाणिज्य व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 105 वर्ग कि मी क्षेत्र को कवर करता

है, जबकि सहकारी बैंको को सम्मिलित करते हुए यह औसत 80 वर्ग कि मी प्रति बैंक आता है ।

लीड बैंक योजना – सवाई माधोपुर की लीड बैंक बेंक ऑफ बडौदा है । बैंक ससाधनो को चेनलाइज करने के क्रम मे प्राथमिक क्षेत्रो हेतु जिला साख योजना बनाई जाती है जो विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओ और ग्रामीण बेको के अधीन सेवा क्षेत्र अप्रोच विचार पर आधारित होती है । इसमे अन्य वित्तीय सस्थाआ जैसे केन्द्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान वित्त निगम आदि की ऋण योजनाओ को भी सम्मिलित किया जाता है । योजना जिले की आवश्यकता के अनुरूप बनाई जाती है ।

आवास व्यवस्था जिले मे आवासीय व्यवस्था निजी और वैयक्तिक स्तर पर करनी होती है । राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने सवाई माधोपुर मे गृह निर्माण कार्य शुरू कर दिया है ।

वर्ष 1988 89 मे निम्न आय वग के लिए 1 50 लाख रुपए के ऋण आवटन तथा 5 आवासो का निर्माण किया गया । मध्यम आय वर्ग के लिए 2 60 लाख रुपए का ऋण आवटन तथा 7 आवासो का निर्माण करवाया गया । कमजोर आय वग के लिए कोई ऋण आवटन एव आवास का निर्माण नहीं किया गया ।

जिले मे बड़े पैमाने के उद्योग :

बडे पैमाने के उद्योगो में सवाई माधोपुर म जयपुर उद्योग लिमिटेड है । यह उद्योग पोर्टलैण्ड सीमेंट का उत्पादन करता है तथा भारत एव सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बडा प्लाट है । यह 1948 मे प्राइवेट लिमिटड कम्पनी के रूप मे स्थापित हुआ, तदन्तर 1955 मे पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मे परिवर्तित हो गया । 1948 मे प्रारभिक पूजी विनियोग 1 90 करोड रुपए था । फैक्ट्री का पहला प्लाट 1953 मे प्राधिकार हुआ जिसकी क्षमता 500 टन प्रतिदिन थी । इसम उत्पादन 1953 मे प्रारभ हुआ । दो और प्लाट प्रत्येक की क्षमता 600 टन प्रतिदिन 1956 तथा 1957 म स्थापित हुए तथा एक और चौथा प्लाट 750 टन प्रतिदिन क्षमता का 1959 मे स्थापित हुआ । जयपुर उद्योग लिमिटड की सस्थापित क्षमता 8 55 लाख टन सीमेंट प्रति वर्ष है जो यह देश मे सर्वाधिक है चार प्लाटो मे 4 क्लीन्स 4 रॉ मिल्स, 4 सीमेंट मिल्स 4 पैकिग मशीन तथा दो कैशर है । वर्ष 1973-74 मे अधिकृत पूजी 5 करोड रुपए तथा चुकता पूजी 3 75 करोड रुपए थी ।

सवाई माधोपुर मे काफी मात्रा मे उपलब्ध उच्च ग्रेड लाइम स्टोन फैक्ट्री को प्रमुख कच्चा माल उपलब्ध कराता है । "क्वारी जो कि उपक्रम के द्वारा सचालित है फलौदी और काजराखो के पास स्थित है, सवाई माधोपुर से 25 से 30 कि मी दूर है।

अन्य कच्चा माल "जिप्सम बीकानेर जिले से प्राप्त किया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस स्लेग पैंकिग सामग्री के अलावा भिलाई स्टील प्लाट से प्राप्त किया जाता है ।

कम्पनी के पास फैक्ट्री की मशीनो को चलाने तथा लाइम स्टोन के विदोहन के लिए स्वय का बिजली उत्पादन के लिए पावर हाउस है । विद्युत की आतरिक अतिरिक्त आपूर्ति के लिए खरो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से की जाती है ।

फैक्ट्री मे कच्चे माल की मात्रा और विद्युत उपभोग तथा श्रम नियोजन की स्थिति अग्रांकित तालिका में दर्शायी गई है :

वर्ष	लाइमस्टोन (टन)	जिप्सम (टन)	स्लग (टन)	विद्युत उपभोग (लाख यूनिट)	श्रमिको की सख्या	
					वर्क्स	माइन्स
1970-71	1114372	48029		1053 24	2386	1740
1971-72	997860	41720	4404	970 76	2421	1716
1972-73	100822	41543		942 88	2343	1712
1973-74	799185	35579	7630	823 53	2348	1615

स्रोत राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजटीयर्स सवाई माधोपुर 1981
जयपुर उद्योग लिमिटेड में वर्ष 1987 से उत्पादन बद है ।

प्लाट में लाइमस्टोन के उपभोग की मात्रा घटती बढती रही है । वर्ष 1970-71 में लाइम स्टोन का उपभोग 1114372 टन था जो घटकर 1973-74 मे 799185 टन ही रह गया । जिप्सम का उपभोग सतत् घटा, यह 1970-71 मे 48029 टन से घटकर 1973-74 में 35579 टन रह गया । स्लेग का उपभोग 1973-74 मे 7630 टन रहा ।

वर्ष 1970-71 में विद्युत उपभोग 1053 24 लाख यूनिट था, इसके बाद के वर्षों में घटा, 1973-74 में विद्युत उपभोग घटकर 823 53 लाख यूनिट रह गया ।

फैक्ट्री मे काफी मात्रा मे श्रमिक नियोजित है । वर्ष 1971-72 मे वर्क्स तथा माइन्स को मिलाकर 4137 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे यह सख्या घटकर 1973-74 में 3963 रह गई ।

कम्पनी मुख्यतया ओर्डीनरी पोर्टलेण्ड सीमेट (ओ पी सी) का उत्पादन करती है यद्यपि यह स्लेग सीमट, पोजालेना सीमेंट तथा रैपिड हार्डेनिग सीमेंट का भी थोडी मात्रा मे उत्पादन करती है । वर्ष 1953-54 और 1954-55 के दौरान सीमेंट का उत्पादन क्रमश 126533 टन और 226257 टन था ।

विगत वर्षो मे सीमेंट का उत्पादन आगे तालिका मे दर्शाया गया है ।

(उत्पादन टनो मे)

वर्ष	ओ पी सी	स्लेग सीमेंट	पोजालना सीमेंट	रेपिड हार्डेनिग सीमेंट
1970-71	800460	—	—	—
1971-72	680530	17622	—	—
1972-73	679572	—	—	2768
1973-74	535159	25583	2311	736

स्रोत राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजटीयर्स - सवाई माधोपुर 1981 पृष्ट 146

तालिका से स्पष्ट है कम्पनी मे सीमेंट का उत्पादन सत्तर के दशक के प्रारभ मे काफी तेज गति से गिरा । 1973 74 मे 1970 71 की तुलना मे लगभग 33 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ । वर्ष 1973 74 मे ओ पी सी का उत्पादन 535159 टन, स्लेग सीमेंट 25583 टन पोजोलना सीमेंट 2311 टन तथा रेपिड हार्डेनिग सीमेंट 736 टन उत्पादन हुआ ।

फैक्ट्री के द्वारा उत्पादित सीमेंट का विक्रय एव वितरण सीमेंट नियत्रक, भारत सरकार के मार्ग दर्शन मे राजस्थान, हरियाणा, पजाब, जम्मू एव कश्मीर, उत्तर प्रदेश दिल्ली और चण्डीगढ आदि क्षेत्रो मे होता है । राजस्थान में बिक्री वर्ष 1972 में 16 4 प्रतिशत 1973 मे 14 4 प्रतिशत तथा 1974 मे 12 1 प्रतिशत थी।

जयपुर उद्योग लिमिटेड के कारण सवाई माधोपुर औद्योगिक जगत मे पाथक पहचान रखता है । इस उद्योग के कारण ही सवाई माधोपुर जिला केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में चयनित 16 औद्योगिक दृष्टि से पिछडे जिलो की श्रेणी में नहीं आ सका है । साहू जैन ग्रुप द्वारा स्थापित इस प्लाट मे सर्वप्रथम 8 अप्रैल 1953 को उत्पादन का श्री गणेश हुआ तदन्तर प्रगति के विविध आयाम स्पर्श किए ।

जयपुर उद्योग का वर्ष 1985-86 से सबधित विवरण निम्नांकित है

लाइसेंसिग क्षमता	8 लाख 18 हजार 800 टन वार्षिक
सस्थापित क्षमता	8 लाख 55 हजार टन वार्षिक
प्रोजेक्ट लागत (1985-86)	1383 01 लाख रुपए
विनियोग	
1 कुल सकल स्थायी विनियोग	1399 32 लाख रुपए
2 कुल शुद्ध स्थायी सम्पत्ति	351 68 लाख रुपए
कार्यशील पूजी	177 93 लाख रुपए
रोजगार	4055 कामगार

उत्पादन (1985 86)	441336 टन
उत्पादन की कीमत	5836 49 लाख रुपए
केन्द्र सरकार को कर अदायगी	1262 04 लाख रुपए
राज्य सरकार को कर अदायगी	522 55 लाख रुपए
विद्युत माग	1026 लाख यूनिट

स्रोत जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर

जयपुर उद्योग लिमिटेड मे वर्ष 1987 से उत्पादन बद है । यह सवाई माधोपुर जिले के लिए दुर्भाग्य तथा प्रान्त के लिए एक बडी औद्योगिक क्षति है । प्लाट को बद हुए नो वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है । सरकार और बडे उद्यमी आखे मूदे हुए है । इस प्लाट मे यथाशीघ्र उत्पादन चालू नहीं करना सवाई माधोपुर की जनता के साथ खिलवाड है ।

राजस्थान सरकार ने जयपुर उद्योग लिमिटेड को वर्ष 1977-78 मे इसके प्रर्वतको से अपने अधीन लिया था । राज्य सरकार जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा छोडी गई भारी वित्तीय देनदारियो के नीचे दबी हुई है।

सवाई माधोपुर मे स्थित देश के सबसे पुराने सीमेट कारखाने को इसके प्रवर्तक साहू जैन ग्रुप ने खस्ता हालत होने के बाद राज्य सरकार को सोप दिया था । इस खस्ता हाल कारखाने के लिए खरीददार ढूढने के लिए सरकार के प्रयास मई 1994 सफल नहीं हुए है ।

जयपुर उद्योग की किताबो में जून 1987 तक जहाँ 32 55 करोड रूपए का घाटा था, वही इस पर एक करोड पाच लाख रूपए के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा इसे पजाब नेशनल बैंक को 37 करोड और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 15 करोड का भुगतान था ।

कारखान की मशीनरी काफी पुरानी होने से चुक गई है और इस पर एक हजार से अधिक दीवान फौजदारी और राजस्व मामले चल रहे है । भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केश क्रेडिट सुविधा बद कर दिए जाने के कारण यह उद्योग जुलाइ 1987 से बद है। एक जनवरी 1991 तक उसमें 121 अधिकारी एव 2823 श्रमिक कार्यरत थे । बिडला घराने सहित कई औद्योगिक प्रतिष्ठानो ने इस उद्योग का सर्वे किया है और इसके वित्तीय कागजातो की जाच पडताल की है इन सभी ने इस उद्योग को हाथ लगाने से इकार कर दिया है । इनकी राय यह है कि कम से कम 20 करोड रूपए की पूजी लगाए बिना इस उद्योग को चलने लायक स्थिति में नहीं लाया जा सकता है ।

राज्य सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनिया (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 का सहारा लेकर इसे रूग्ण घोषित कर दिया है । औद्योगिक पुनर्निमाण ब्यूरो इस उद्योग

की क्षमता पर एक रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है, जो इडस्ट्रियल रिहैबिलिटेशन बेक ऑफ इण्डिया ने तैयार की है । फैक्ट्री के पुनःसस्थापन/पुन-चालन का मामला बी अर्ई एफ आर के विचाराधीन है ।

उद्योग के घाटे में चले जाने के कारण . वर्ष 1987 से बद पडी इस सीमेट फैक्ट्री के घाटे मे चले जाने के लिए बी आई एफ. आर ने कई कारण गिनाए है इनमे--

1 बिजली की अपर्याप्त सप्लाई
2 वोल्टेज मे गडबडी
3 कोयले की घटिया क्वालिटी
4 राज्य विद्युत मण्डल द्वारा लागू पचास से अस्सी फीसदी बिजली कटौती
5 यातायात की सुविधाओ का अभाव
6 कार्यकारी पूजी मे ह्रास से कम्पनी मे विकट तरलता की स्थिति
7 कारखाने के बार-बार बद होने से उत्पादन मे गिरावट
8 स्थापित क्षमता का उपयोग कम होना

कारखाने की स्थापित क्षमता का उपयोग वर्ष 1986-87 मे 52 31 फीसदी रहा, जबकि इस समय सीमेट उद्योग का औसत क्षमता उपयोग अस्सी से पिच्चासी फीसदी थी ।

9 साढे पाच हजार मजदूरी वाली इस फैक्ट्री में पुनर्वास योजना मे मजदूरो के लिए कोई रकम नहीं रखी गई है आदि कारण मुख्य है ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक की रिपोर्ट :

भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक (आई आर बी आई) ने सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट फैक्ट्री के बारे मे रिपोर्ट दी है उसमे कहा गया है कि इस कारखाने को चलाने में बहुत बडी बाधा नहीं है तथा कुछ वित्तीय सहूलियत मिल जाए तो पहले साल से ही यह लाभ कमाने लायक हो सकता है । आई आर बी आई ने यह रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ इडस्ट्रियल फाइसेस एण्ड रिकन्सट्रेक्शन की बैठक में दी । पी मुरारी जो कि केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे कम्पनी के चैयरमैन है रिपोर्ट को पढने के बाद कहा, आने वाले दस साल मे यह फैक्ट्री 50 करोड रूपए का मुनाफा कमाने वाली होगी । जुलाई 1987 से बद पडी फैक्ट्री को चलाने की सभावनाओ का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने बी आई एफ आर को यह काम सौपा । ब्यूरो द्वारा फैक्ट्री को चलाने के बारे में आई आर बी आई को तकनीकी रिपोर्ट देने को कहा था । आई आर बी आई ने वित्तीय हालात, तकनीकी पक्ष, कच्चे माल की उपलब्धता और खानो की क्षमता के बारे में रिपोर्ट पेश की जिसमे कुछ सिफारिशे भी की गई ।

जयपुर उद्योग की इस सीमेंट फैक्ट्री के पुराने मालिक (प्रमोटर आलोक जैन आदि) ने भी एक निजी सीमेंट विशेषज्ञ सलाहकार कोठायरी एण्ड कम्पनी को तकनीकी रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा था । उन्होने भी यह माना बताया कि फैक्ट्री की क्षमता को 5 लाख टन माना जाए और इस आधार पर चलाने से वह घाटे में नहीं रहेगी । फैक्ट्री वेट तकनीक " के प्लाट वाली है और इतनी बडी क्षमता वाली ऐसी फैक्ट्री को पुरानी तकनीक का बनाकर छाड देना सही नहीं है । कोठयारी एण्ड कम्पनी की रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि फैक्ट्री के पास लाइम स्टोन की जो खाने है उनसे अगले 30 साल तक कच्चा माल मिलते रहने की सभावना है ।

आई आर.बी आई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार का जो पैसा सीमेंट फैक्ट्री पर निकलता है, उसे खत्म करने की बजाय शेयर पूजी क रूप मे बना सकती है । राज्य सरकार का दावा है कि फैक्ट्री पर उसका करीब 26 करोड रुपए बकाया है लेकिन फैक्ट्री वालो का कहना है कि इसमें 18 करोड रुपए पर विवाद है मात्र ■ करोड 7 लाख रुपए ऐसा है जो बकाया है ।

फैक्ट्री को चलाने के बारे में आई आर.बी आई ने जो मोटे सुझाव दिए है उसमें करीब 700 श्रमिको की छटनी करने का भी एक सुझाव है । माना यह गया है कि 3200 श्रमिको में से 700 श्रमिको को कम किया जा सकता है । इससे बडा खर्च कम किया जा सकेगा ।

आई आर.बी आई ने यह सुझाव भी दिया है कि फिलहाल सारी देनदारियों को स्थगित रखा जाए और केवल फैक्ट्री को चलाने के लिए कार्यशील पूजी का बदोबस्त किया जाए । फैक्ट्री को चलाने का दावा करने वालो का कहना यह है कि कार्यशील पूजी का बदोबस्त करने वास्ते परिसर म पडे 70 हजार टन क्लिकिर को बेचा जा सकता है ।

राज्य सरकार से केवल 4 कराड रुपए की पूजी मागी जा रही है जिसके बारे मे आई एफ आर. को यह तर्क दिया गया है कि यह पैसा छटनी किये जाने वाले श्रमिकों का किय जाने वाले भुगतान के लिए जरूरी होगा । राज्य सरकार इस पूजी को अनुदान के रूप में उपलब्ध करे तो फैक्ट्री को चलाया जा सकता है।

जयपुर उद्योग लिमिटेड का अधिग्रहण : बीमार जयपुर उद्योग लिमिटेड का अधिग्रहण गगन इकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड करेगी । उद्योग पति श्री कमल मुरारका की यह कम्पनी इस अधिग्रहण के साथ ही सवाई माधोपुर स्थित सीमट फैक्ट्री खोल देगी । इस अधिग्रहण के बारे में चल रही कार्यवाही को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बार्ड ने मजूरी दे दी है । बोर्ड ने इसके लिए 38 41 करोड रुपए की पुनर्वास योजना को स्वीकृत कर दी है ।

पुनर्वास योजना में वित्तीय मदद के तहत प्रोनत कर्त्ता कम्पनी का योगदान 8

करोड रुपए होगा । 10 29 करोड रुपए बिक्री कर के स्थगन से प्राप्त होगे । प्रोन्नतकर्ता 10 12 करोड रुपए ब्याज मुक्त फण्ड के रूप मे जुटाएगे तथा शेष 10 करोड रुपए अतिरिक्त परिसम्पत्ति के बेचान से प्राप्त किए जाएगे स्वीकृत योजना के आकलित पूजो खर्च मे सीमेन्ट प्लाट को तकनीक को नम प्रक्रिया मे शुष्क प्रक्रिया मे बदलना शामिल नहीं है ।

इस स्वीकृत योजना में गेगन डकरले कम्पनी को 6 07 करोड रुपए तुरन्त देना होगा । यह रकम स्टेट बेक आफ इण्डिया मे बिना ब्याज के खाते के रूप मे जमा कराई जाएगी ।

गेगन डकरले कम्पनी को स्टेट बेक आफ इण्डिया मे 1 10 करोड रुपए भी जमा कराने होगे जो जून 1992 तक शुद्ध सम्पत्ति से उत्पन्न होने वाली अनुमानित बिक्री का पच्चीस फीसदी होगा । शेष राशि कम से कम 1 10 करोड रुपए की प्रत्येक किश्त के रूप मे 1992 93 की प्रत्येक तिमाही मे लानी होगी ।

जयपुर उद्योग को चलाने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए जिसमे मुख्यत सीमेंट फैक्ट्री को सहकारिता क्षेत्र मे चलाने के थे लेकिन वे साधक नहा हो पाए । इसके राष्टीयकरण किए जाने को भी माग की गई । वैसे राज्य सरकार ने इस फेक्टी को प्रमुख उद्योगपति और पूव मत्री कमल मुरारका को सोपने का फेसला किया है । सीमेंट फैक्ट्री को चलाने के लिए राज्य सरकार ने करीब 28 कराड रूपए और मजदूरो के हिस्से का 20 करोड रुपए छोडने का फेसला किया है । यहा राज्य सरकार की यह कहकर आलोचना की गई कि सरकार ने मजदूरो के हको और हितो की बलि चढा दी ।

अगर सरकार फेक्ट्री को सहकारिता के आधार पर नही चलाना चाहती थी तो इसके लिए खुली निविदाए आमन्त्रित करनी चाहिए थी ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत प्राप्त की जा सके । और राज्य सरकार और मजदूरो दोनो का फायदा हो ।

आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेट)

सवाई माधोपुर मे आगे तालिका मे उल्लेखित उद्योगा के लिए आशय पत्र जारी किए हुए है -

क्र स	इकाई का नाम	उत्पादन	क्षमता (प्रतिदिन)	अनुमानित लागत
1	जुआरी एग्रो केमिकल्स	खाद	2250 टन	700 करोड
2	रीको जयपुर	कोकरी	2080 टन	निर्धारित नहीं
3	रीको जयपुर	मिथामूल	1 00 लाख टन	निर्धारित नहीं
4	राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट	खाद्य तेल	सरसो का तेल 10000 टन मूगफली का तेल 5000 टन	निधारित नहीं

स्रोत जिला योजना सवाई माधोपुर 1990

यूरिया खाद की आतरिक माग व पूर्ति के बीच अतराल को पाटने तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए सवाई माधोपुर मे 764 करोड रुपए की अनुमानित लागत से अरावली फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि0 नाम से खाद परियोजना लगाया जाना प्रस्तावित था । बिहला समूह की जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को आशय पत्र जारी किया गया । परियोजना की स्थापना से सबधित प्रारभिक तैयारी पूरी की जा चुकी थी लगभग दस करोड रुपए खर्च किये जा चुके थे । अकस्मात अरावली फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि0 का पलायन गडेपान (कोटा) कर इसका नाम चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि0 कर दिया गया । पलायन का प्रमुख कारण पर्यावरण सरक्षण सबंधी बताया गया ।

जिले में मझौले उद्योग

मझोले उद्योगो की श्रेणी मे सवाई माधोपुर मे मात्र कुछेक परियोजनाए है, जिनकी स्थापना हाल ही के वर्षो म हुई है ।

जिले मे कार्यरत निम्नलिखित मझोले उद्योग उल्लेखनीय है .

1 इण्डियन बाटलिग प्लाट, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, रणथम्भोर रोड, सवाई माधोपुर

2 राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट, गगापुर सिटी

3 गोल्डन हिल ब्रेवरी, सवाई माधोपुर

इनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

1 इण्डियन बाटलिग प्लाट

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड सवाई माधोपुर

इण्डियन बाटलिग प्लाट जिले का प्रमुख मझोले श्रेणी का उद्योग है । यह एल पी जी गस सग्रह एव सिलण्डरो म गैस भरने का कार्य करता है । यह प्लाट राजस्थान का एक मात्र मेजर बाटलिग प्लाट है । एक माईनर प्लाट अजमेर जिले मे कार्यरत है। बीकानेर मे मेजर प्लाट लगाया जाना प्रस्तावित है ।

सवाई माधोपुर स्थित इण्डियन बाटलिग प्लाट मे माइनर तथा मेजर दो प्लाट है । प्लाट की स्थापना के समय (1986) माइनर प्लाट ही था, किंतु इसके राज्य में बढ़ती हुई गैस की माग को पूरा करने मे सक्षम नहीं होने के कारण मेजर प्लाट की स्थापना की गई ।

माइनर व मेजर प्लाट से गैस आपूर्ति मे इतनी वृद्धि हुई कि उत्पाद को खपाने वास्ते पर्याप्त बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । कारणवश माइनर प्लाट को बद करना पडा है । वर्तमान म अकेले मजर प्लाट मे इतना अधिक उत्पाद है कि माग के अभाव

मे बिक्री की समस्या उठ खडी हुई है । उल्लेखनीय है कि बाटलिग प्लाट की अधिकाश उत्पाद आपूर्ति राजस्थान तक ही सीमित है ।

इण्डियन बाटलिग प्लाट भारत सरकार का प्रतिष्ठान है । प्लाट के लिए एल पी जी गैस हजीरा से प्राप्त होती हे जो ट्रकों के माध्यम से प्लाट को आपूरित की जाती हे । रजिस्टर्ड कार्यालय बम्बई मे है ।

इण्डियन बाटलिग प्लाट से सबधित सक्षिप्त विवरण (1990) निम्नाकित है

लाइसेसिग क्षमता	50000 मीट्रिक टन
सस्थापित क्षमता	50000 मीट्रिक टन
प्रोजेक्ट लागत (1990)	2000 लाख रुपए
आरभ	16 जुलाइ 1986
विनियोग	
कुल सकल स्थायी विनियोग	1608 लाख रुपए
कुल शुद्ध स्थायी विनियोग	1522 लाख रुपए
कार्यशील पूजी	80 लाख रुपए
रोजगार	157 व्यक्ति
उत्पादन	35528 मीट्रिक टन
(एल पी जी गैस को सिलैण्डरो मे भरना)	
उत्पादन की कीमत	2302 9 लाख रुपए
विद्युत माग	17000 किलोवाट

स्रोत जिला उद्योग कार्यालय सवाई माधोपुर

प्लाट द्वारा राज्य सरकार को कोई कर अदायगी नहीं की जाती है । कर का भुगतान केन्द्र सरकार को किया जाता है ।

2 राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट (तिलम सघम) गगापुर सिटी

राज्य मे तिलहन उत्पादन की कमी की पूर्ति एव प्रति हैक्टर उत्पादन मे वृद्धि एव तिलहन उत्पादको को उनकी उपज का उचित मूल्य सहकारिता के माध्यम से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट की स्थापना की गई हे । जिसके अन्तर्गत एक परियोजना गगापुर में भी फरवरी 1987 से प्रारभ की गई है जिसमे तिलहन उत्पादक सहकारी समितियो का गठन कर समस्त पचायत समितियो म सरसो उपार्जन कार्यों के लक्ष्य एव प्राप्ति का उद्देश्य है ।

उपार्जन कार्यों के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र मे कायरत 4 कृषि उपज समिति यथा गगापुर, सवाई माधोपुर, हिन्डोन, महवा मण्डावर से प्रतिदिन सरसो की दरे एव खरीद की सूचना तिलहन उत्पादक सहकारी समिति एव सबधित उपार्जन केन्द्रो को सूचित

करना है ताकि क्रय विक्रय की नियमित जानकारी व वास्तविक स्थिति से अवगत रहे।

राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक सघ (राजफेड) की तिलम सघ गगापुर सिटी द्वारा स्थापित यह प्रोजेक्ट अब तिलम सघ गगापुर सिटी के नाम से जाना जाता है । इस प्रोजेक्ट मे प्रतिदिन 10000 टन सरसो का तेल व 5000 टन मूगफली का तेल का उत्पादन होगा जो कि राज्य मे खाद्य तेल की कमी व उसके बदले हुए मूल्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है ।

3 गोल्डन हिल ब्रेवरी द बीयर परियोजना

राजस्थान के औद्योगिक पटल पर अब शराब और बीयर बनाने वाली कम्पनिया उभर रही है । रीको तथा राज्य उद्योग विभाग के सहयोग से कई उद्यमियो ने ब्रेवरीज के लाइसेस के लिए प्रयास तेज कर दिये है । ध्यातव्य है कि वर्ष 1975 से 1991 के बीच एक भी बीयर तथा शराब से सबधित लाइसेस सरकार ने जारी नहीं किया था ।

गोल्डन हिल ब्रेवरी लिमिटेड 10 50 करोड रुपए की लागत से सवाई माधोपुर जिले मे बीयर बनाने की परियोजना स्थापित करने जा रही है । कम्पनी परियोजना की आशिक वित्तीय पूर्ति के लिए शीघ्र ही दस रूपए मूल्य के 58 लाख शेयरो का सार्वजनिक निर्गम जारी करेगी । इस परियोजना मे जुलाई या अगस्त 1993 तक उत्पादन शुरू होने की सभावना है । कम्पनी ने सिगापुर की डोनाल्ड एण्ड मेकयो पी टी ई लि, के साथ एक निर्यात अनुबध किया है जिसके तहत 25 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान ब्रेवरीज एण्ड बाटलिग लिमिटेड बम्बई के साथ भी 40 प्रतिशत उत्पादन का अनुबध किया है । शेष 35 प्रतिशत उत्पादन कम्पनी स्वय बाजार मे ले जाएगी ।

गोल्डन हिल ब्राड नाम से बीयर की बाटलिग के लिए उत्तर क्षेत्र की प्रमुख बीयर निर्माण सयत्र के साथ भी अनुबध किया है । राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में इसे जारी भी किया जा चुका है । शीघ्र ही कम्पनी दिल्ली में भी इसे बिक्री के लिए जारी करने जा रही है । कम्पनी का आकलन है कि पेय पदार्थों की बढती हुई लोकप्रियता को देखते हुए बीयर की माग में 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

कम्पनी के सयत्र मे प्रारभ मे 62 हजार हेक्टोलीटर की क्षमता से उत्पादन किया जाएगा जो कि अगले एक वर्ष में 1994-95 बढकर एक लाख बीस हजार हेक्टोलीटर तक हो जाएगा । परियोजना के भवन निर्माण तथा मशीनरी आदि लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है तथा शीघ्र ही इसमें उत्पादन शुरू होगा ।

जिले में लघु उद्योग :

लघु उद्योगो की राष्ट्रीय गणना 1973 के अनुसार सवाई माधोपुर में 314 कार्यरत पजीकृत लघु उद्योग थे, जिनमे स्थायी सम्पतियो मे पूजी निवेश 7 50 लाख रुपए तक

था । इन लघु उद्योग इकाइयो मे पॉवर और हेन्डलूम ऑयल और दाल मिले, फ्लोर और चावल मिले, साबुन, खस, फ्रुबिकेटिग मेटल उत्पाद, स्टील फर्नीचर, बॉक्स, बाल्टिया, कृषिगत और घरेलू उपकरण, रोलिग शटर्स, सीमेट उपकरण और केमिकल्स, लाइम चमडे के जूते, रेडीमेड वस्त्र पत्थर के उपकरण, केन्फेक्सनरी, खाडसारी, बीडी, टायर रिट्रेडिग बॉक्स, केन्डल चादी के उपकरण, आयुर्वेदिक दवाईया आदि थे इनमे से कुछ पुराने और परम्परागत उद्योग थे जबकि कुछ माग पर आधारित और कुछ स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित थे जैसे खनिज आधारित उद्योग और वनो पर आधारित उद्योग।

पजीकृत लघु उद्योग : लघु उद्योगो की राष्ट्रीय गणना 1973 के अनुसार जिले मे प्रमुख पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योगो की समूहवार सख्या, विनियोग एव रोजगार की स्थिति आगे तालिका मे दर्शायी गई है ।

सवाई माधोपुर मे मुख्य पजीकृत कार्यरत लघु उद्योग (लघु उद्योगो की राष्ट्रीय गणना, 1973)

क्र स	उद्योग समूह	इकाइया की सख्या	कुल विनियोग (स्थायी एव चालू) हजार रुपए	कुल रोजगार (सख्या मे)
1	फ्लोर एण्ड राइस मिल्स	13	1763	157
2	आयल एण्ड दाल मिल्स	45	2371	171
3	पॉवर लूम एण्ड हैण्डलूम्स	103	669	376
4	सोप, खस आर्टीकल्स	11	226	40
5	लाइम	10	213	97
6	मेटल फेब्रिकेटेड आर्टीकल्स (बॉक्स, बकेटस आदि)	15	245	58
7	कृषिगत उपकरण	24	677	166
8	ब्रास यूटेन्सिल	11	112	63

स्रोत राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजटीयर्स - सवाई माधोपुर — 1981

सवाई माधोपुर मे लघु उद्योगो की सर्वाधिक इकाइया पॉवरलूम एच हैण्डलूम्स समूह की थीं । वर्ष 1973 में इस समूह की 103 इकाइयों में 669 हजार रुपए विनियोजित थे तथा 376 व्यक्ति रोजगार मे लगे हुए थे । ऑयल तथा दाल मिल्स समूह मे 45 इकाइयो मे 2371 हजार रुपए की पूजी विनियोजित थी तथा 171 व्यक्ति रोजगार प्राप्त थे ।

लघु उद्योगो की प्रगति . वर्तमान मे सवाई माधोपुर मे लघु उद्योगो के 18 समूह है, जिनके नाम इस प्रकार हे खाद्य आधारित उद्योग, तम्बाकू सबधित सूती वस्त्र ऊनी सिल्क सबधित जूट एव सबधित, रेडीमेड वस्त्र लकडी एव लकडी उत्पाद, पेपर

से सबधित चमडे से सबधित, रबर प्लास्टिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, लौह धातु उद्योग खनिज उद्योग इलेक्ट्रिक उद्योग इजीनियरी एव मशीनरी उद्योग, ट्रान्सपोर्ट सबधित रिपेयरिंग एव सर्विसेज तथा अन्य इकाइया ।

विगत वर्षों में सवाई माधोपुर मे लघु उद्योगो की सख्या में काफी बढोतरी हुई है । लघु उद्योगो की सख्या विनियोजन एव नियोजन सबधी सूचना निम्न तालिका मे दी जा रही है

सवाई माधोपुर मे लघु उद्योग

वर्ष	पजीकृत लघु इकाईयो की सख्या	विनियोजन (लाखो मे)	नियोजित व्यक्तियो की सख्या
1982–83	2362	293 02	5861
1983 84	2904	355 05	6618
1984–85	3306	419 26	7537
1985–86	3638	732 20	—
1986–87	3734	934 60	8647
1987 [illegible]	3902	992 52	8892
1988 89	4010	1022 77	9172
1989 90	3365	1100 98	9100
1990–91	4276	767 20	—
1991 92	4380	820 41	—
1992–93	4481	868 06	—

स्रोत 1 जिला योजना सवाई माधोपुर 1990

2 इण्डस्टिल पोटेशियल सर्वे आफ डिस्टिक्ट सवाई माधोपुर

राजकोन 1981 (सशोधित)

अस्सी के दशक मे पजीकृत लघु इकाइयो की सख्या मे वर्ष दर वर्ष तीव्र गति से वृद्धि हुयी । पजीकृत लघु इकाइयो की सख्या वर्ष 1982–83 मे 2362 थी जो बढकर 1985–86 में 3638 तथा 1988–89 मे और बढकर 4010 हो गई । पजीकृत लघु उद्योग इकाइयो के विनियोजन मे भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । वर्ष 1982 83 में लघु उद्योग इकाइयो मे केवल 294 02 लाख रुपए का विनियोजन था जो बढकर 1988 89 मे 1022 77 लाख रुपए तक जा पहुचा । छ वर्ष की समयावधि मे विनियोजन मे 247 64 प्रतिशत की महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं । जिले में वर्ष 1993 मे 4481 पजीकृत इकाइया म 868 06 लाख रुपए का पूजी विनियोजन था ।

नियोजन की दृष्टि से लघु उद्योग इकाइयो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 1982

83 से 1988 89 के बीच पजाकृत लघु इकाइया मे नियोजित व्यक्तियो का सख्या मे सतत वृद्धि हुयी । वर्ष 1982 83 मे इन इकाइया म 5861 व्यक्ति नियाजित थे जा बढकर 1986 87 मे 8647 तथा 1988 89 मे और बढ़कर 9172 हो गए ।

पजीकृत लघु इकाइया का शहरी एव ग्रामाण अनुसार वर्गीकरण सवाई माधापुर मे पजीकृत लघु उद्योग इकाइयो मे ग्रामीण इकाइया की बहुलता है विनियोजन तथा नियोजन की दृष्टि स भा ग्रामीण इकाइया को अधिक उपादयता है ।

सवाई माधोपुर मे माच 1990 तक 3365 कुल पजाकृत लघु इकाइया थी जिनमे 1100 98 लाख रुपए का पूजा विनियोजित थी तथा 9100 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे । कुल पजीकृत इकाइया म शहरी इकाइयो की सख्या 981 (29 15 प्रतिशत) तथा ग्रामीण इकाइयो की सख्या 2384 (70 85 प्रतिशत) था

कुल इकाइया म खाद्य आधारित 684 (20 33%) चमडे से सबधित 643 (19 11%) लकडी एव लकडी उत्पादक 558 (16 58%) रडीमेड वस्त्र 352 (10 46) सूती वस्त्र 302 (8 97%) खनिज उद्योग 282 (8 38%) रिपेयरिंग व सर्विसेज 170 (5 05%) से सबधित थी । लगभग 90 प्रतिशत इकाइया खाद्य चमडे लकडी सूती वस्त्र खनिज उद्योग रिपयरिंग व सर्विसेज से सबधित थी

ग्रामीण इकाइयो मे सबसे अधिक 505 इकाइया लकडा एव लकडी उत्पाद से सबधित थी । चमड से सबधित 489 इकाइया तथा खाद्य आधारित 440 इकाइया थी । शहरी क्षेत्र म सवाधिक इकाइया खाद्य चमड व सूती वस्त्र से सबधित थी ।

ग्रामीण क्षेत्र म 2384 इकाइयो मे 757 67 लाख रुपए के विनियोजन से 5277 व्यक्ति रोजगार पाए हुए थे जबकि शहरी क्षेत्र मे 981 इकाइया म 343 31 लाख रुपए के विनियोजन से 3823 व्यक्ति रोजगार पाए हुए थे

लघु उद्योगो को वित्तीय सहायता वष 1988 89 म सवाइ माधोपुर मे लघु उद्योग की एक इकाई को राज्य विनियोग अनुदान तथा 17 इकाइया को मशीनरी की खरीद पर चुगी से छूट की सुविधा प्रदान की गई ।

कुटीर खादी एव ग्रामोद्योग

कुटीर उद्योग

कुटीर उद्योगो मे प्राय परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन का कार्य करते हैं । कच्चे माल के लिए स्थानाय ससाधनो पर निर्भर रहते ह । कुटार उद्योगा म कभी कभी एक मालिक या कोइ फर्म कुछ श्रमिका से उत्पादन का काम करवा सकते हे । कुटीर उद्योगो का रोजगार का दृष्टि से महत्त्वपूण स्थान हाता है इनके द्वारा अश कालिक अथवा पूर्ण कालिक रोजगार दिया जाता है । ये ग्रामाण अथवा शहरी क्षेत्रो दोनो म चलाए जाते हैं । इनम विद्युत का उपयोग भी किया जा सकता है किंतु अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रो

की है । वर्ष 1970 71 मे कुल खादी का उत्पादन मात्र 0 87 लाख रुपए का था जो बढकर 1975-76 मे 4 39 लाख रूपए 1981-82 मे 37 81 लाख रुपए, 1985-86 मे 46 96 लाख रुपए तथा 1990-91 मे और बढकर 70 49 लाख रुपए का हो गया । 1981-82 के उत्पादन की तुलना मे 1990-91 मे खादी उत्पाद मे 86 43 फीसदी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुयी । वर्ष 1990 91 के कुल खादी उत्पादन मे 67 31 प्रतिशत भाग सूती खादी का एव 32 69 प्रतिशत भाग ऊनी खादी का था । खादी की बिक्री वर्ष 1970 71 मे 5 41 लाख रुपए थी, घटकर 1971-72 मे 2 51 लाख रुपए रह गई । खादी की बिक्री 1974-75 मे बढकर 9 91 लाख रुपए हो गई । वर्ष 1990 91 मे सूती ऊनी व रेशमी खादी की बिक्री 121 लाख रुपए रही ।

खादी उद्योग मे वर्ष 1990 91 मे पूर्ण एव अश कालिक मिलाकर कुल 3610 व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ था ।

ग्रामोद्योग :

खादी उद्योग की भांति ग्रामोद्योग का भी रोजगार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है । जिले मे ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 15 उद्योग है जिनके नाम इस प्रकार है चर्म घाणी तेल, लुहारी सुथारी, कली चूना कुम्हारी, रेशा, बासबेत, अनाज दाल प्रशोधन, अखाद्य तेल, साबुन, गुड खाडसारी, ताडगुड, फल प्रशोधन, टेक्सटाइल, सेवा तथा हाथ कागज।

ग्रामोद्योग का उत्पादन वर्ष 1970-71 मे 19 07 लाख रुपए का था जो बढकर 1973 74 में 30 88 लाख रुपए का हो गया । वर्ष 1974-75 एव 1975-76 मे ग्रामोद्योग का उत्पादन घटा । वर्ष 1985 86 मे ग्रामोद्योगो का उत्पादन 565 26 लाख रुपए था जो बढकर 1990-91 मे 615 18 लाख रुपए हो गया।

ग्रामोद्योग की बिक्री वर्ष 1985-86 में 768 64 लाख रुपए थी जो बढकर 1990-91 मे 777 86 लाख रुपए हो गई । वर्ष 1990 91 मे 12032 व्यक्तियो को ग्रामोद्योग में रोजगार मिला हुआ था जबकि दो दशक पूर्व अर्थात् 1970 71 मे केवल 598 व्यक्ति ही रोजगार पाए हुए थे ।

सवाई माधोपुर मे ग्रामोद्योग मे उत्पादन, बिक्री एव रोजगार की दृष्टि से चर्म, कली चूना तथा घाणी तेल का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनके बाद रेशा, कुम्हारी, लुहारी सुथारी बास बेत तथा अनाज दाल प्रशोधन महत्त्वपूर्ण ग्रामोद्योग है ।

वर्ष 1990 मे ग्रामोद्योग का कुल उत्पादन 615 23 लाख रुपए था जिसमे चर्म का योगदान 26 80% घाणी तेल 23 18% लुहारी सुथारी 2 96% कली चूना 23 82% कुम्हारी 7 15% रेशा 8 34%, बास बेत 3 20%, अनाज दाल प्रशोधन 2 54%, अखाद्य तेल साबुन 68ब गुड खाण्डसारी 26%, ताडगुड 22%, फल प्रशोधन 26%, टेक्सटाइल 48%, हाथ कागज 09% आदि ग्रामोद्योग का योगदान था ।

उत्पादन की भांति बिक्री में भी चर्म, कली चूना व घाणी तेल का महत्त्वपूर्ण स्थान है । कुल बिक्री में चर्म 31.78%, घाणी तेल 20.91%, लुहारी सुथारी 2.98%, कली चुना 22.37%, कुम्हारी 6.57%, रेशा 7.55%, बांस बेत का 2.97ब अनाज दाल प्रशोधन का 2.57% योगदान था ।

ग्रामोद्योग में वर्ष 1990-91 में 12032 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे जिनमें 60.03 प्रतिशत पूर्ण तथा 39.97 प्रतिशत आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त थे । इन्हें 255.56 लाख रुपए मजदूरी का भुगतान किया गया ।

सवाई माधोपुर में खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्र एवं अन्य राजकीय निगम कार्यरत है । ग्रामोद्योगों के विकास हेतु विनियोजन पर अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण, वाणिज्य कर में छूट, चुंगी में छूट, उपकरण हेतु अनुदान एवं आई.एस.आई. मार्का हेतु अनुदान आदि विशिष्ट योजनाएं क्रियान्वित है ।

जिले में पंजीकृत कारखाने : सवाई माधोपुर में 1976 के प्रारंभ में पंजीकृत कारखानों की संख्या 15 थी इनमें राईस मिल्स के 5 खाने योग्य तेल उत्पादन के 4 तथा जेनरेशन एण्ड ट्रान्समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के 2 तथा शेष अन्य 4 कारखाने थे। इनकी संख्या बढ़कर वर्ष 1985 के प्रारम्भ में 85 हो गई वर्ष के दौरान 3 और कारखाने पंजीकृत हुए जिससे वर्ष के अंत में पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़कर 88 हो गई। वर्ष 1987 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 89 रही ।

जिले में पंजीकृत कारखानों में कुछेक उद्योगों की बहुलता है । कुल पंजीकृत कारखानों में 46.59 प्रतिशत खाद्य तेल मिल्स, 18.18 प्रतिसत सोविंग एण्ड प्लानिंग आफ वुड 11.36 *प्रतिशत प्रिंटिंग प्रेस तथा 7.95 प्रतिशत राईस मिल्स है ।*

सारांशत: सवाई माधोपुर जिले में औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थिति बेहतर नहीं है । यद्यपि यह जिला सरकार की निग्रह में औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा नहीं है तथापि यह राज्य के अन्य जिलों यथा जयपुर, कोटा, अलवर आदि की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है बड़े उद्योग के नाम से जयपुर सीमेन्ट कारखाना है, जिसमें भी उत्पादन वर्ष 1987 से बंद है । मझौले श्रेणी के उद्योगों में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन का इण्डियन बाटलिंग प्लांट तिलम संघम तथा गोल्डन हिल ब्रेवरी है । इनमें तिलक संघम तथा गोल्डन हिल ब्रेवरी की स्थापना हाल ही हुयी है । पंजीकृत कारखानों की संख्या भी अधिक नहीं है । वर्ष 1993 में जिले में पंजीकृत लघु पैमाने के उद्योगों की संख्या 4481 थी जिमें 868.06 लाख रुपए का पूंजी विनियोजन था । इनके अलावा जिले में हस्तशिल्प खादी तथा ग्रामोद्योग की इकाइयां भी है ।

जिले के सभी छः औद्योगिक क्षेत्रों में नवम्बर 1991 तक 179 लघु उद्योग इकाइयां उत्पादन में संलग्न थी तथा 61 इकाइयां निर्माणधीन अवस्था में थी । धातव्य है कि जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों की संख्या 416 थी ।

जिले में दिसम्बर 1991 तक लघु पैमाने की 57 इकाइया बद थी जिनमे राजस्थान वित्त निगम के 31 41 लाख रुपए विनियोजित थे ।

सवाई माधोपुर में औद्योगिक विकास : सरकार की भूमिका

केन्द्र सरकार आजादी के प्रारभिक वर्षो से ही औद्योगिक विकास को दिशा और दशा प्रदान करने वास्ते औद्योगिक नीति की घोषणा करती रही है । स्वतत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 मे घोषित की गई । तात्कालिक आर्थिक एव सामाजिक सरचना मे हुए बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए पुन वर्ष 1956 मे एक व्यापक तथा प्रगतिशील औद्योगिक नीति की घोषणा की गई । यह नीति आर्थिक उदारीकरण के प्रारभ किये जाने से पूर्व तक भारत के औद्योगिक पटल पर प्रभावी भूमिका निभाती रही । वर्ष 1977 मे पहली मर्तबा गैर काग्रेसी सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा की । शीघ्र ही केन्द्र म काग्रेस पार्टी के पुन सत्तारूढ होने पर 1980 मे नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई । जिसका आधार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति ही था । अस्सी के दशक के आखिरी वर्षो मे राजनीतिक उहा-पोह के दौर मे 1990 की औद्योगिक नीति का घोषणा की गई जो क्रियान्वित नहीं हो सकी ।

जिला उद्योग केन्द्र :

राजस्थान के समुन्नत औद्योगिक विकास के लिए सभी जिलो मे जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है जिला उद्योग केन्द्र, सरकार द्वारा जिला स्तर पर सचालित कार्यक्रम है। जिला उद्योग केन्द्रो का मुख्य कार्य जिला स्तर पर ग्रामोद्योग, लघु एव अति लघु उद्योगो को सबधित सेवाए प्रदान करना है । इससे ग्रामीण व छोटे कस्बो मे उद्योगो को प्रोत्साहन मिलता है तथा बडे पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं । जिला उद्योग केन्द्र जिले मे उपलब्ध साधनो की जाच करते हैं उद्यमियो को साख सुविधा प्रदान करते हैं तथा उनके उत्पाद के विपणन की व्यवस्था करते हैं । जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण विकास खण्डो व खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम राजसिको आदि के बीच कडी स्थापित करने का कार्य करते हैं ।

सवाई माधोपुर मे भी जिला उद्योग केन्द्र जिले के औद्योगीकरण विशेषकर लघु उद्योगो की विकास मे उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रहा है । सवाई माधोपुर जिले मे अक्टूबर 1972 मे जिला उद्योग केन्द्र स्थापित हुआ । यह उद्योग निदेशालय जयपुर के नियत्रण मे कार्य करता है । इसका प्रमुख जिला उद्योग अधिकारी सवाई माधोपुर है । यह मुख्यतया जिले के औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी है । वर्ष 1973-74 मे जिला उद्योग कार्यालय मे एक पॉवरलूम इस्पेक्टर एक भार व गणना इन्स्पेक्टर, दो लेखा क्लर्क दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक मेनुअल सहायक थे । उद्योग इस्पेक्टर

समय पर हेर-फेर करती रही है मगर इस बार बिल्कुल नई इबारत लिख दी है । अब उद्योगो मे जनता की सीधी भागीदारी के और अवसर मिलेंगे । निजीकरण केवल वैचारिक आधार पर नहीं किया गया है बल्कि यह आज की आवश्यकता है । सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक आर्थिक परिवर्तनो के सदर्भ मे सही भूमिका निभाने की अनुमति होगी। देश के उद्योगों को आधुनिक व गतिशील अर्थ व्यवस्था की चुनौती का सामना करना है ।

नई औद्योगिक नीति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाइसेंस राज क खात्मे की शुरूआत है । नए प्रावधान के अनुसार अब निर्धारित 16 उद्योगो को छोडकर अन्य के लिए लाइसेस की आवश्यकता नहीं होगी । इससे जटिल कागजी कार्यवाही कम होन से भ्रष्टाचार उन्मूलन मे मदद मिलेगी । नीति का दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू प्रत्यक्ष विदेशी पूजी निवेश 40 प्रतिशत से बढाकर 51 प्रतिशत कर देना है । इससे विदेशी पूजी आकर्षित होगी तथा उच्च तकनीक के आयात को प्रोत्साहन मिलेगा । उच्च प्रौद्योगिकी के निर्धारित क्षेत्र मे शत प्रतिशत विदेशी इक्विटी विनियोग किया जा सकता है । एम आर टी पी कानून से उद्योगो को छूट दी गई है इससे उद्योगो के विकास और विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

पूजी विनियोग सब्सिडी

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1988 तक राज्य के 27 जिलो मे से औद्योगिक दृष्टि से पिछडे घोषित किये गए 16 जिलो को पूजी विनियोग सब्सिडी दी जाती । 16 जिलो के अतिरिक्त 11 जिलो को राज्य सरकार की ओर से विनियोग सब्सिडी दी जाती थी ।

सवाई माधोपुर के लिए राज्य सरकार द्वारा बडी व मध्यम इकाइयो के लिए 10 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपए) लघु इकाइयो के लिए 15 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रुपए) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए लघु इकाइयो पर 20 प्रतिशत तथा नन्हीं इकाइयो के लिए 25 प्रतिशत विनियोग सब्सिडी रखी गई थी ।

राज्य सरकार द्वारा एक अप्रेल 1990 से अग्राकित पूजी विनियोग सब्सिडी प्रदान की जाती है जो 31 मार्च 1995 तक क्रियान्वयन मे रहेगी ।

1 सभी नए मध्यम तथा बडे पैमाने के उद्योगो की स्थिर पूजी के विनियोग पर 15 प्रतिशत की दर (एक इकाई को 15 लाख रूपए तक अधिकतम राशि)

2 निम्न श्रेणी के उद्योगो को 20 प्रतिशत की दर से सब्सिडी (एक इकाई को अधिकतम 20 लाख रुपए तक) पर यह सुविधा निम्न उद्योगो के लिए उपलब्ध होगी

1 लघु एव सहायक उद्योग

2 राज्य मे उपलब्ध ससाधन आधारित उद्योग

3 अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योग

4 शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग

3 दो प्रतिशत अतिरिक्त पूजी विनियोग सब्सिडी (2 लाख रूपए अधिकतम) उन श्रम गहन उद्योगो को प्रदान की जायेगी जो फैक्ट्री अधिनियम, 1948 मे पजीकृत है तथा जिसमे प्रति श्रमिक विनियोग 35 हजार से कम है ।

राजस्थान सरकार पूजी विनियोग सब्सिडी के अतिरिक्त जिले में स्थापित होने वाले उद्योगो को बिक्री करो मे रियायते, चूगी से छूट, अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के उद्यकर्त्ताओ के लिए विशेष सहायता, विपणन सहायता आदि नियमानुसार प्रदान करती हैं ।

सवाई माधोपुर जिले का जिला ग्रामीण-उद्योग परियोजना "ड्रिप" मे चयन

वर्ष 1993-94 के बजट के अनुसार भारत सरकार ने देश के पाच चुने हुए जिलो मे जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना अर्थात् "ड्रिप" लागू की थी । इस योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) द्वारा चयनित पाच जिलो मे सवाई माधोपुर जिला भी है ।

इस योजना का उद्देश्य जिले के ग्रामीण विकास के कुटीर एव ग्राम उद्योग छोटे-छोटे उद्योगो के लिए अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाकर गावो में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है । योजना के उद्देश्यो में ऋण देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार के औद्योगीकरण के विकास के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाए । इसमे प्रशिक्षण आदि दिया जाना भी शामिल है ।

इस कार्यक्रम की सबसे महत्त्वपूर्ण कडी विकास मे कार्यरत एजेसियो स्वयसेवी सस्थाओ तथा बैंको को परस्पर सहयोग के लिए वातावरण तैयार कर योजना का क्रियान्वयन करना है । इस दृष्टि से नाबार्ड ने वर्ष 1993-94 मे सवाई माधोपुर जिले मे स्विस डवलपमेंट कॉरपोरेशन के विशेषज्ञो की सहायता से परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सेमिनार आयोजित किए ।

नाबार्ड द्वारा सवाई माधोपुर जिले के लिए इस योजनान्तर्गत 25 करोड रुपए का पुनर्वित पाच वर्षों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । राज्य सरकार के प्रयत्नो से इस योजना के अनुरूप अन्य जिलो मे भी कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया जा रहा है ।

नाबार्ड ने जिले में वर्ष 1992-93 मे 12 लाख रुपए का पुनर्वित किया था, जबकि आलोच्य वर्ष (1993-94) मे यह राशि बढकर एक करोड रुपए हो गयी । जिले में पिछले वर्ष (1992 93) के मुकाबले आठ गुणा आधिक पुनर्वित्त किया गया। इस योजना मे 1993-94 मे करीब एक हजार लोगो को रोजगार उपलब्ध हुआ ।

जिले में केन्द्र सरकार का उपक्रम

केन्द्र सरकार का राजस्थान मे निवेश अधिक नहीं है । वर्ष 1990 91 म राजस्थान में केन्द्र सरकार के निवेश का हिस्सा 1 70 प्रतिशत ही था । सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 1987-88 के अनुसार राजस्थान मे केन्द्र सरकार के प्रमुख आठ प्रतिष्ठान थे।

सवाई माधोपुर मे केन्द्र सरकार का मात्र एक मझौले श्रेणी का प्रतिष्ठान इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन का इण्डियन बाटलिंग प्लाट एल पी जी गेस स्टोरेज एव सिलेण्डरो में गैस भरने का कार्य करता है । इस प्लाट की स्थापना 16 जुलाई 1986 मे की गई।

वर्ष 1990 मे इण्डियन बाटलिंग प्लाट को लाइसेसिंग तथा स्थापित क्षमता क्रमश 50,000 मीट्रिक टन तथा 50,000 मीट्रिक टन थी । प्रोजेक्ट की लागत 2000 लाख रुपए तथा विनियोग यथा कुल सकल स्थायी विनियोग 1508, लाख रुपए, कुल शुद्ध स्थाया सम्पति 1522 लाख रुपए, कार्यशील पूजी 80 लाख रुपये थी ।

वर्ष 1990 मे 35928 मीट्रिक टन एल पी जी गैस को सिलेण्डरो मे भरा गया जिसकी कीमत 2302 9 लाख रुपए थी । प्लाट की विद्युत माग 17000 किलोवाट थी। प्लाट मे 157 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे ।

जिले में राज्य सरकार का उपक्रम

राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोग निगम 'लिमिटेड रीको' के माध्यम से सदियों के औद्योगिक पिछडेपन पर प्रहार करने वास्ते प्रयासरत है । रीको के द्वारा अथवा इसके सहयोग से राज्य मे अनेक प्रमुख औद्योगिक इकाइयो की स्थापना हुयी है । मार्च 1990 तक राज्य सरकार के 40 उपक्रमो मे 3130 29 करोड रुपए का विनियोजन हो चुका था । इस विनियोजन मे राज्य सरकार का योगदान 1445 करोड रुपए था । शेप धनराशि केन्द्र राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य स्रोतो द्वारा विनियोजित की गई ।

सवाई माधोपुर जिले मे राज्य सरकार द्वारा स्थापित आज तक कोई भी उपक्रम नहीं है । राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोग निगम लिमिटेड रीको ने भी इस दिशा में कोई विशेष पहल नहीं की है । जिले मे मात्र दो आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) (1) 2080 टन प्रतिदिन क्राकरी उत्पादन क्षमता सबधी सयत्र के लिए रीको जयपुर को तथा (2) एक लाख टन प्रतिदिन मिथामूल उत्पादन क्षमता वाले सयत्र के लिए रीको जयपुर को जारी किए है ।

उक्त वर्णन इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर जिले में पर्याप्त सभावनाओ के होते हुए भी औद्योगिक उत्थान की ओर सक्रिय प्रयास

नहीं किया है इस बात की पुष्टि निम्नलिखित आकडो से होती है ।

(लाख रुपए)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर जिले मे योजना कार्यों पर किया गया कुल व्यय	उद्योगो एव उद्योग खनन पर व्यय	उद्योग खनन पर कुल योजना व्यय का प्रतिशत
1971 72	51 08	0 19	0 37
1972-73	67 35	0 63	0 94
1973-74	66 26	0 72	1 09

स्रोत जिला साख्यिकीय रूपरेखा 1977 सवाई माधोपुर पृष्ठ 196 198

नोट नवीनतम साख्यिकीय रूपरेखा से (1988) मे योजना कार्यों पर व्यय का उल्लेख नहीं किया गया है ।

सवाई माधोपुर मे योजना कार्यों पर वर्ष 1971-72 में 51 08 लाख रुपए 1972-73 मे 67 35 लाख रुपए तथा 1973 74 मे 66 26 लाख रुपए व्यय किये गये । इनमें से उद्योग व खनन पर 1971-72 मे 0 19 लाख रुपए 1972-73 मे 0 63 लाख रुपए तथा 1973-74 मे 0 72 लाख रुपए योजना कार्यों पर व्यय के अन्तर्गत खर्च किए गये। उद्योग व खनन पर किया गया व्यय कुल योजना व्यय का, क्रमश 0 37 प्रतिशत 0 [illegible] प्रतिशत तथा 1 09 प्रतिशत ही रहा ।

रीकों का सवाई माधोपुर जिले के औद्योगिक विकास में योगदान

राजस्थान म औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने वास्ते निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठान सतत् प्रयत्नशील है। इनमे सबसे अग्रणी है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोग निगम लिमिटेड "रीको" जिसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने 1969 मे की ।

वर्ष 1979 मे रीको से राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अलग से स्थापित हो जाने के पश्चात रीको का कार्य क्षेत्र औद्योगिक विकास तक सीमित हो गया । वर्तमान मे रीको द्वारा परियोजनाओ का चयन, उनके लिए आशय-पत्र तैयार करना, खाका, रूपरेखा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, उद्योगो के लिए आधारभूत सरचना, मध्यम व बडे उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सेवाए उपलब्ध कराना आदि महत्त्वपूर्ण काय सम्पन्न किए जा रहे है ।

रीको मध्यम तथा बडे पैमाने के उद्योगो को अश सहभागिता और प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है । प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा । 5 करोड रुपए है । रीको

भूखण्डो की सख्या 641 थी । 416 भूखड आवटित किये गए तथा 225 भूखण्ड आवटन के लिए उपलब्ध थ । आवटित भूखण्डो म 179 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन मे सलग्न तथा 61 लघु उद्योग इकाइया निमाणाधीन अवस्था मे थी ।

रीको द्वारा सवाई माधोपुर म विकसित किये गए औद्योगिक क्षेत्रो का विवरण निम्नाकित हे

1 हिण्डोन सिटी ओद्योगिक क्षेत्र हिण्डोन सिटी आद्योगिक क्षेत्र मे 500 वर्ग मीटर मे 2000 वग मीटर तक के 157 भूखण्ड हे इनका आवटन मूल्य 50 रूपए प्रति वर्ग मीटर हे 156 भूखण्ड आवटित किए जा चुके तथा एक भूखण्ड आवटन के लिए उपलब्ध हे आवटित किय गए भूखण्डो म 112 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन म सलग्न है तथा ॥ लघु उद्योग इकाइया निर्माणधीन अवस्था म हे ।

2 गगापुर सिटी आद्योगिक क्षेत्र गगापुर सिटी आद्योगिक क्षेत्र मे 700 वर्ग मीटर से 4000 वग मीटर क 184 भूखण्ड है । आवटन मूल्य 30 रुप प्रति वर्ग मीटर हे । 108 भूखण्ड आवटित किए जा चुक तथा 76 भूखण्ड आवटन के लिए उपलब्ध है आवटित किय गये भूखण्डो म 35 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन मे सलग्न है तथा 23 लघु उद्योग इकाइया निर्माणधीन व्यवस्था म हे ।

3 खरदा आद्योगिक क्षेत्र खरदा ओद्योगिक क्षेत्र मे 500 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक क 139 भूखण्ड हे । आवटन मूल्य 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर है । 75 भूखण्ड आवटित किए जा चुके तथा 64 भूखण्ड आवटन के लिए उपलब्ध है । आवटित भूखण्डो म 29 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन मे सलग्न है तथा 19 लघु उद्योग इकाइया निमाणाधीन अवस्था म है ।

4 आर टी आर औद्योगिक क्षेत्र आर टी आर औद्योगिक क्षेत्र मे 500 वर्ग मीटर से 4000 वग मीटर तक क 38 भूखण्ड है । आवटन मूल्य 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है 11 भूखण्ड आवटित किए जा चुक ह तथा 27 भूखण्ड आवटन के लिए उपलब्ध ह । आवटित भूखण्डो म 3 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन मे सलग्न है तथा एक इकाइ निमाणाधीन अवस्था म ह ।

5 करोली औद्योगिक क्षेत्र करोली म औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहित की गइ हे ।

जिल के आद्योगिक विकास म राजस्थान वित्त निगम की भूमिका

राजस्थान वित्त निगम एक वैधानिक निगम हे जिसकी स्थापना राज्य वित्त अधिनियम 1951 क अन्तगत 1955 म की गई । निगम का मुख्य कार्य लघु एव मध्य पैमाने क उद्योगो को वित्तीय सहायता दना है ।

राजस्थान वित्त निगम क प्रमुख कार्यों म औद्योगिक इकाइया को कर्ज एव अग्रिम औद्योगिक इकाइया का कज दन क मामले मे केन्द्र एजेन्ट के रूप मे कार्य करना

औद्योगिक इकाइयो द्वारा जारी किये गए स्टॉक, शेयर डिबचर, प्रतिभूतिया खरीदना, अभिगापन का कार्य, कर्ज की गारटी, ओद्योगिक इकाइयो को बिक्री कर की एवज मे ब्याज मुक्त कर्ज, नई ओद्योगिक इकाइयो को सीड पूजी, औद्योगिक सब्सिडी आदि मुख्य है ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा लघु एव मध्यम पैमाने के उद्योगो को वित्तीय सहायता देने की अनेक स्कीमो यथा कम्पोजिट कर्ज स्कीम, शिल्पवाडी स्कीम, टैक्नोक्रेट स्कीम, महिला उद्यमकर्ता सब्सिडी को एवज मे कर्ज की स्कीम सहायता की एक खिडकी स्कीम, अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्त्ताओ को उदार शर्तों पर ऋण आदि के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा 90 लाख रुपए है । औद्योगिक इकाइयो की कुशलता से सेवा करने वास्ते समूचे राज्य मे 37 शाखा कार्यालय तथा 9 रीजनल कार्यालय है । ब्राच रीजनल कार्यालयो के 7 5 लाख रूपए तक की ऋण स्वीकृति तथा 40 लाख रुपए तक के ऋण वितरण का अधिकार है ।

राजस्थान वित्त निगम सवाई माधोपुर में स्थापित होन वाले लघु एव मध्यम पैमाने के उद्योगो को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

राजस्थान वित्त निगम राज्य वित्तीय निगम एक्ट, 1951 के तहत् औद्योगिक इकाइयो को स्थायी पूजी, कार्यशील पूजी, विस्तार आधुनिकीकरण नवप्रवर्तन के लिए ऋण मुहैया कराता है । निगम ने राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में ऋण स्वीकृति के लिए स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज रूल्स 1963 क अन्तर्गत 1971 तक कार्य किया । ये एजेन्सी ऋण 3 प्रतिशत की दर से (राज्य सरकार कोष के बाहर) तथा 6 प्रतिशत (निगम के कोष के बाहर) की दर से स्वीकृत किये गए । ब्याज का पुनर्भुगतान सतत् किश्तो में तथा राज्य सरकार द्वारा गारटी युक्त था । राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1955-56 से 1974-75 के बीच 13 औद्योगिक इकाइयो को 31 49 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा सवाई माधोपुर में वर्ष 1984-85 मे 152 इकाइयों के लिए 131 47 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया इसमें से वितरण 98 इकाइयों को 49 50 लाख रुपए का किया गया । वर्ष 1990-91 में 40 17 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया जबकि वितरण केवल 22 15 लाख रुपए का हुआ । वर्ष 1990 91 में 87 47 लाख रुपए के ऋणो की वसूली हुई । दिसम्बर 1991 तक लघु पैमाने के उद्योगो की 57 इकाइया बद थी जिनमें राजस्थान वित्त निगम के 31 41 लाख रुपए विनियोजित थे । निगम ने 13 लघु उद्योगो की 53 53 लाख रुपए की सम्पत्ति अधिग्रहित की । राजस्थान वित्त निगम ने विशेष स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता में सेमफेक्स

के अन्तर्गत एक इकाई को 1 37 लाख रुपए स्वीकृत किये जिसमे से 0 15 लाख रुपए वितरित किए । अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के उद्यमी योजना के अन्तर्गत 28 इकाइयो के लिए 14 08 लाख रुपए स्वीकृत किये जिसमे से 15 इकाइयो को 14 77 लाख रुपए वितरित किये । सीड पूजी के लिए एक इकाई को 0 28 लाख रुपए स्वीकृत किये ।

सरकार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्याकन

सवाई माधोपुर मे बडे पेमाने के उद्योग तथा मझौले उद्योगो की सख्या कम होने का मुख्य कारण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जिले मे पूजी विनियोग नहीं करने अथवा अल्पल्प मात्रा मे करना है । आर्थिक नियोजन के गत साढे चार दशको मे जबकि देश मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का बोलबाला था, केन्द्र अथवा राज्य सरकार दूसरा एक भी बडे उद्योग की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र मे नहीं की गई । इससे जिले के बाशिदे न केवल राजकोय विनियोजन से वचित रहे अपितु निजी क्षेत्र का रूख भी अपेक्षित नहीं रहा ।

सरकार की निगाह मे सवाई माधोपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध है । इसे औद्योगिक विकास की दष्टि से मात्र इसलिए पिछडा जिला घोषित नहीं किया गया क्योकि यहा पर आधारभूत सीमेंट उद्योग जयपुर उद्योग लिमिटेड है । एक मात्र इस आधारभूत उद्योग मे वर्ष 1987 स उत्पादन बद है । अन्य कोई बडा उद्योग जिले मे नहीं है । विडम्बना ही है कि जयपुर उद्याग लिमिटेड के कारण न तो जिले के बाशिदो को औद्योगिक विकास का लाभ मिल रहा है और न ही यह जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा क्षेत्र घोपित हो सका । जयपुर उद्याग लिमिटेड के बारे मे जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता यह करने मे कतई सकोच नहीं कि यह जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा हे । जयपुर उद्योग के चालू होने पर भी जिले की पिछडेपन को बात प्रभावी ढग से कहीं जा सकती है । सरकार की योजनाओ मे सवाई माधोपुर के औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा नहीं होने से उद्यमियो को यहा सरकार द्वारा प्रदत्त विनियोग सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता जिससे वे विनियोग हेतु आकर्षित नहीं हो पाते। फिर जयपुर उद्योग के विगत वर्षों से बद पडे होने के कारण उद्यमियो के दिलोदिमाग म अनेक तरह की आशकाए घर कर गई है तथा वे यहा विनियोग से विमुख हो रहे है । ऐसी स्थिति जिले मे उपलब्ध अथाह सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भडारा का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा तथा यहा की अद्य सरचना व्यर्थ पडी हुयी है ।

ऐसी बात नहीं कि जिले मे महत्त्वपूर्ण परियाजनाए आयी ही नहीं अतीत तथा हाल ही मे आयल रिफाइनरी तथा उर्वरक उद्योग जिले मे स्थापित किए जाने प्रस्तावित थे किंतु कदाचित कारणा से इनका अन्यत्र पलायन हो गया । बडे व मध्यम पैमाने के

उद्योगो की रिक्तता के साथ यहा लघु उद्योग इकाइयो की स्थिति भी उत्साहवर्द्धक नहीं है ।

रीको ने सवाई माधोपुर मे औद्योगिक विकास वास्ते 6 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये है । औद्योगिक क्षेत्रो मे औद्योगिक स्थिति पर दृष्टिपात करे तो स्थिति निराशाजनक परिलक्षित होती है । नवम्बर 1991 तक रीको द्वारा आवंटित किये गए 416 भूखण्डो मे मात्र 179 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन मे सलग्न तथा 61 लघु इकाइया निमाणाधीन अवस्था मे थी ।

अन्य सरकारी उपक्रम राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिले म प्रदत्त सेवाओ पर नजर डाले तो हम पाते है कि निगम की अनेक वित्तीय स्कीमो मे से जिले के उद्यमियो को कुछ ही स्कीमो का लाभ मिला हे । दिसम्बर 1991 तक लघु पैमाने की 57 बद इकाइयो मे राजस्थान वित्त निगम का 31 41 लाख रुपए फसा हुआ था ।

जिला उद्योग केन्द्र जिले मे औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण केन्द्र है । इसमे एक महाप्रबधक तथा पाच प्रबधक नियुक्त हैं जिनके कार्यो का पृथक पृथक विभाजन है किंतु जिला उद्योग केन्द्र का कार्य केवल इकाइयो का पजीकरण तथा उन्हे सब्सिडी की व्यवस्था करना तक सभवतया सीमित रह गया है ।

सवाई माधोपुर में औद्योगिक विकास से सबधित जो विभिन्न सरकारी तथा अन्य सस्थाए है उन्हे जिले मे तीव्र औद्योगिक विकास वास्ते सचेष्ट रहना होगा अन्यथा जिले का औद्योगिक विकास की दृष्टि से गति पकडना बडा मुश्किल होगा ।

राजस्थान के औद्योगिक विकास मे सवाई माधोपुर जिले का योगदान

सवाई माधोपुर म समृद्ध प्राकृतिक ससाधनो का लाभ नहा उठा पाने के कारण यहा औद्योगिक इकाइयो का अपेक्षित गति से विकास नहीं हो सका जिसस राजस्थान के औद्योगिक विकास मे सवाई माधोपुर जिले का योगदान राज्य के अन्य जिलो की तुलना मे कम रहा है । यहा की वर्तमान औद्योगिक स्थिति के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक विकास मे सवाई माधोपुर जिले का योगदान निम्नलिखित है

सीमेन्ट उत्पादन

राजस्थान देश का प्रमुख सीमट उत्पादक राज्य हे । सीमट उत्पादन का एक प्रमुख प्लाट जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर जिले म स्थित ह । यह प्लाट अपनी स्थापना स लेकर 1985 तक वट प्लाट तकनीक पर आधारित सीमेंट उत्पादन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है । यहा से सीमट की आपूर्ति राजस्थान तथा देश के अन्य प्रान्तो म की जाती रही ह ।

सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग लिमिटेड का सीमेट उत्पादन निम्नांकित है

जयपुर उद्योग लि0 मे सीमेट उत्पादन

वर्ष	सीमट उत्पादन (टनो मे)
1970 71	800460
1971–72	698152
1972 73	682340
1973 74	563789
1985–86	441336

स्रोत 1 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजटीयर्स, सवाई माधोपुर 1981
2 जिला उद्योग कार्यालय, सवाई माधोपुर

एल पी जी रिफलिंग

सवाई माधोपुर स्थित इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन का इण्डियन वाटलिंग प्लाट एल पी जी रिफलिंग का कार्य करता है । यह प्लाट राजस्थान मे एल पी जी रिफलिंग का एक मात्र मेजर प्लाट है । इण्डियन बाटलिंग प्लाट की स्थापना वर्ष 1986 मे हुयी। वर्ष 1990 में इस प्लाट द्वारा 35928 मीट्रिक टन एल पी जी गैस को सिलैण्डरो मे भरा गया । प्लाट की सस्थापित क्षमता 50,000 मीट्रिक टन है ।

अन्य मझौले उद्योगों का उत्पादन :

जिले में बाटलिंग प्लाट के अलावा दो मझौले उद्योग एक तिलम सघम परियोजना, गगापुर सिटी तथा दूसरा गोल्डन हिल ब्रेवरी सवाई माधोपुर है जो क्रमश सरसो व मूगफली का तेल तथा बीयर का उत्पादन करते हैं । वर्ष 1993 तक इन उद्योगों के निर्माणाधीन अवस्था मे होने के कारण उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ ।

लघु उद्योगो का उत्पादन :

सवाइ माधोपुर में लघु उद्योगो की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । विगत दशक म लघु उद्योगो की सख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है । सवाई माधोपुर मे वर्ष 1993 में 4481 पर्जीकृत लघु उद्योग इकाइया थी, जिनमे 868 06 लाख रुपए का विनियोजन था *तथा 13063 व्यक्ति रोजगार पाए हुए थे ।*

खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद :

सवाइ माधोपुर में खादी उद्योग के अन्तर्गत सूती एव ऊनी खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 15 प्रकार की उद्योग इकाइया है जो चर्म, घाणी तेल, लुहारी सुथारी, कली

चूना, कुम्हारी रेशा, बास बेत, अनाज दाल प्रशोधन, अखाद्य तेल साबुन, गुड खाण्डसारी, ताड़ गुड, फल प्रशोधन, टेक्सटाइल, सेवा, हाथ कागज के उत्पादन मे सलग्न हे । वर्ष 1990-91 में सूती एव ऊनी खादी का उत्पादन 70 49 लाख रुपए का हुआ तथा बिक्री इस वर्ष 121 00 लाख रूपए की हुयी । खादी उद्योग मे 360 व्यक्ति पूर्ण एव आशिक रोजगार प्राप्त किये हुए थे । वर्ष 1990-91 मे ग्रामोद्योग मे 615 18 लाख रुपए का उत्पादन तथा 777 86 लाख रुपए की बिक्री हुयी । इन उद्योगो म 12032 व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ था ।

पर्यटन उद्योग :

सवाई माधोपुर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप मे जाना जाता है । रणथम्भौर की घाटियो मे दुर्ग के अतिरिक्त सुविख्यात रणथम्भौर नेशनल पार्क है जहा वन्य जीव और सुरम्य नैसर्गिक सौन्दर्य के कारण देशी विदेशी पर्यटक अनायास आकर्षित होते हैं । वर्ष 1983 84 मे सवाई माधोपुर मे 19575 स्वदेशी तथा 288 विदेशी पर्यटक आए जिनकी सख्या तेजतर गति से बढकर वर्ष 1990-91 मे क्रमश 35941 तथा 6432 हो गई ।

वनोत्पाद :

तेदू के पत्ते व जलाऊ लकडी/कोयला जिले के वनो की मुख्य उपज है । वर्ष 1986 87 मे उत्पादित तेदू के पत्तो का मूल्य 21050 रुपए था । वनो की लघु उपज से 1986-87 मे 367715 रूपए की आय हुयी । वनो से आय मे राजकीय अधिग्रहण द्वारा निकाली गई लकडी एव अन्य वन्य उपयो से 47000 रुपए उपभोक्ताओ एव खरीददारो द्वारा निकाली गई लकडी से 216000 रुपए तथा वन नियोजन के अन्तर्गत 272000 रुपए की आय हुयी ।

डेयरी उत्पाद :

जिले मे 1988-89 मे पजीकृत डेयरी सहकारी समितियो की सख्या 176 थी जिनमे 14750 सदस्य थे । 1988-89 मे 15 43 लाख किलोग्राम दुग्ध का सग्रह किया गया। प्रतिदिन दुग्ध सग्रह क्षमता 5720 किलोग्राम थी ।

औद्योगिक कच्चा माल :

जिले मे कृषि आधारित उद्योगो के विकास के लिए तिलहनो का उत्पादन भरपूर है तथा खनिज आधारित उद्योगो के विकास के लिए आवश्यक खनिजो की पर्याप्त मात्रा

मे उपलब्धता है । वष 1988 89 मे सवाई माधोपुर मे खाद्यात्र का उत्पादन 541344 टन दाला का उत्पादन 42791 टन तिलहन का उत्पादन 180044 टन गन्ने का उत्पादन 13375 टन तथा तम्बाकू का उत्पादन 455 टन हुआ । वष 1990 मे प्रमुख खनिजो का बिक्री मूल्य 2250 3 हजार रुपए तथा अप्रधान खनिजा का बिक्री मूल्य 103247 9 हजार रुपए था ।

सवाई माधोपुर जिले मे औद्योगिक विकास की सभावना का यदि भरपूर उपयोग किया जाए तो यह जिला न केवल राजस्थान म वरन् समूचे देश मे महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र के रूप गे विकसित हो सकता हे ।

जिले के औद्योगिक विकास को प्रोन्नत करने हेतु उद्यमियो एव सरकार को विनियोग के लिए आमत्रित करने का प्रयास

सवाई माधोपुर जिला प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से समूचे राजस्थान मे अपना सानी नहा रखता । यहा विस्तृत समतल भू भाग कृषि उपयोग क्षेत्रफल वन जल खनिज आदि बहुतायत म उपलब्ध है । पशु सम्पदा मे भी जिला सम्पन्न है । उत्पाद को देश के बडे से बडे बाजारो तक पहुचाने में कोई कठिनाई नहा ब्रोड गेज रेलवे लाइन जिले के मध्य से होकर गुजरती है ।

जिले म उपलब्ध ससाधनो पर आधारित कुटीर खादी व ग्रामाद्योग डेयरी उद्योग पर्यटन उद्याग मध्यम पेमाने के उद्योग तथा बडे पेमाने के उद्याग स्थापित किए जा सकते है । बड पेमाने के उद्यागा म यहा आधारभूत उद्योग यथा आयल रिफाइनरीज सीमेट उद्योग उर्वरक उद्योग स्थापित किए जा सकते हे । अन्य बडे उद्योगो मे साल्वेट एक्सटैक्शन व आधुनिक जूते निमाण की इकाई स्थापित की जा सकती हैं ।

दश के उद्यमिया तथा सरकार को चाहिए कि वे सवाई माधापुर की समृद्ध ओद्योगिक सभावयता का लाभ उठाए, पूजी विनियोग द्वारा अधिकाधिक औद्योगिक इकाइयो का स्थापना कर । जिले क आद्योगिक विकास के अतात मे साहू जेन ग्रुप ने सवाई माधापुर की धना प्राकृतिक सम्पदा को भाप कर यहा आधार भूत सीमेट प्लाट स्थापित किया जिसने राष्ट्राय स्तर पर नवान आयाम स्थापित किए । देश के औद्यागिक मानचित्र पर चिमनिया वाला सवाई माधापुर जिला सदेव चिन्हित रहा । यद्यपि तथाकथित कारणा स जयपुर उद्याग लिमिटड म उत्पादन बद है । जिसक भविष्य म प्रारभ हाने की सभावना हे ।

जयपुर उद्याग जैसे अनेक बडे उद्योगा की सभाव्यता जिले मे मौजूद हे । सभी विनियोजका के लिए जिल के ओद्यागिक द्वार खुले हे । यहा साम्प्रदायिक सौहार्द है अमन चैन हैं स्वच्छ आद्योगिक वातावरण हे विकास क अनुकूल ओद्यागिक सस्कृति है जन समूह उद्यमिया क स्वागत के लिए लालायित हैं । जिला मुख्यालय पर खेरदा

एव आर टी आर तथा गगापुर हिन्डौन ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है जो ब्रोड गज रेलवे लाइन पर स्थित है । राज्य सरकार की पूजी विनियोग सब्सिडी सुविधा उपलब्ध है । अब तो जिला पर्यटन की दृष्टि से भी काफी समृद्ध होता जा रहा है रणथम्भोर राष्टीय पार्क के कारण सवाई माधोपुर की अन्तर्राष्टीय ख्याति है । पर्यटन से सबधित अनेक औद्योगिक इकाइया यहा स्थापित की जा सकती है । उद्यमी यहा किस तरह का उद्योग लगाना चाहते है तथा कितनी मात्रा म पूजी विनियोजन चाहते है इसकी न्यूनतम से अधिकतम सभावना यहा मौजूद है ।

जब हम एकात मे चिन्तन करते है या अन्य के साथ विचार विमर्श यह विचार मतव्य सामने आता है समझ नहीं आता सम्पदा की दृष्टि से इतना सम्पन्न होने के बावजूद यहा औद्योगिक इकाइयो का अकाल है माना पर्यावरण के कारण उद्यमियो को स्वीकृति नहीं मिल पाती होगी मगर पर्यटन से सबधित औद्योगिक इकाइया भी नहीं गैर प्रदूषणकारी इकाइया तो होनी चाहिए, और जो प्रदूषण कारी इकाइया है उनके प्रदूषण को नियत्रित भी तो किया जा सकता है जिसकी सुविधाए आज के वैज्ञानिक युग मे उपलब्ध है । हमारी सम्मति म तो एक ही कारण नजर आता है उद्यमियो को यहा की औद्योगिक सभाव्यता का ज्ञान नहीं यदि है तो जिले क औद्योगिक हालत बदतर नहीं होते ।

भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियो के कारण समूचे देश मे उत्तरोत्तर औद्योगिक विकास का माहौल सर्जित हो रहा है । उद्यमिया को अनक रियायते प्रदान की जा रही है लाइसेंस राज का खात्मा हो चुका है । देश क औद्योगिक घरानो को चाहिए कि वे सवाइ माधोपुर की सुदृढ अद्य सरचना ससाधना की बहुलता को दृष्टिगत रखते हुए सभावित आधारभूत उद्योग स्थापित करे । सवाई माधोपुर पिछले वर्षो से सरकारी विनियोग की दृष्टि से उपेक्षित रहा है । सरकार को जिले की औद्योगिक सभाव्यता को दरगुजर नहीं करना चाहिए । सरकार को यहा के ससाधनो की उपलब्धता के आधार पर तथा सतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान मे रखकर विनियोजन मे अधिकाधिक वृद्धि करनी चाहिए । स्थानीय उद्यमियो को भी चाहिए कि वे यहा की औद्योगिक सभाव्यता का भरपूर लाभ उठाए ।

सवाई माधोपुर मे औद्योगिक विकास की भावी सभावनाए

सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य का एक अति महत्वपूर्ण जिला है । कृषि यहा के लोगो का मुख्य व्यवसाय है । सवाई माधोपुर मे प्राकृतिक ससाधनो की प्राप्यता आधारभूत सुविधाए उद्योग सस्थापना की प्रेरक सुविधाए स्थानीय जन आवश्यकता सम्पूर्ण देश मे माग वाले उद्योग आदि के आधार पर औद्योगिक विकास की अच्छी सभावनाएँ है । यहा खनिज आधारित ससाधन आधारित तथा माग आधारित उद्योगो के विकास की प्रचुर सभावना है । सवाई माधोपुर जिले मे औद्योगिक इकाइयो का विकास मुख्यत

उद्यमियो की प्रतिक्रिया और औद्योगीकरण के प्रति उसक दृष्टिकोण पर निर्भर हे । यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सरकार जिले में ओद्यागिक विकास वास्ते पर्याप्त औद्योगिक वातावरण का कितना सृजन करती है । सवाई माधोपुर मे औद्योगिक विकास की भावी सभावनाएँ निम्नलिखित शीर्षका से स्पष्टत परिलक्षित होती है

क्षेत्रफल सवाई माधोपुर जिले का क्षेत्रफल वर्ष 1981 मे 10527 0 वर्ग कि मी था । जो सम्पूण राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल 342000 वग कि मी का 3 08 प्रतिशत है । अनुभव यह बताता है कि विस्तृत क्षेत्रफल विरतृत सभावनाओ का जनक है । विस्तृत क्षेत्रफल अपने मे अथाह ससाधन समेटे हुए रहता है । राजस्थान का थार मरूस्थल विस्तृत भू भाग तक व्यापक हे । थार मरुस्थल मे खनिज व कृषि विकास की विपुल सभावनाए विद्यमान है । सवाई माधोपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धनी है ।

प्राकृतिक ससाधन

सवाई माधोपुर प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से काफी समृद्ध है । यहा खनिज एव कृषि आधारित उद्योगा के विकास के लिए पयाप्त मात्रा मे खनिन तथा कृषि उत्पाद उपलब्ध है । वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला प्रान्त के अति सम्पन्न जिलो मे है । पशु सपदा की यहा कोई कमी नहीं है मत्स्य भी अपेक्षित मात्रा मे है । जिले मे उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो का विवरण निम्नलिखित है

खनिज सवाई माधोपुर मे लगभग सतरह प्रकार के प्रधान व अप्रधान खनिज पाए जाते है । प्रधान खनिजा मे चायना क्ले व व्हाइट क्ल फैल्सपार फायर क्ले लाइम स्टोन लाल व पीला आकर्स क्वार्टज सिलिका सैण्ड और सोप स्टोन आदि तथा अप्रधान खनिजो मे ब्रिक अर्थ ग्रेनाइट ककर बजरी लाइम स्टोन (चूना) मार्बल (ब्लाक) मेसोनरी स्टोन मिल स्टोन मुरम पटटी कातला व सैण्ड स्टोन आदि मुख्य है ।

कृषि सम्पदा कृषि सम्पदा की दृष्टि से सवाइ माधापुर राजस्थान का महत्त्वपूर्ण जिला है । अधिसख्यक जनसख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है । जिले मे मुख्यत बाजरा मक्का मुगफली ज्वार दलहनी फसले गेहू, जौ चना सरसा अलसी व तारामीरा की खेती की जाती है । जिले म भूमि उपयोग उद्देश्य के लिए रिपोटिंग क्षेत्र 1052731 हैक्टेयर्स है । वर्ष 1988 89 म शुद्ध वोया गया क्षेत्र 501032 हैक्टयर्स है जो कि भूमि उपयोग हेतु रिपोटिंग क्षेत्र का 47 59 प्रतिशत है ।

पशु सम्पदा सवाइ माधोपुर मे गाय/बेल भैस/भैसे भेडे बकरिया घोडे एव टटू गधे एव खच्चर ऊट सूअर आदि पशु तथा बतखें व मुर्गे/मुर्गी आदि कुक्कट बहुतायत म पाए जाते हैं । जिले मे वर्ष 1972 म पशुधन सख्या 1499776 थी जो चढकर 1988 मे 1706937 हो गई । वर्ष 1988 मे 45041 कुक्कट थे ।

आधारभूत संरचना :

सवाई माधोपुर आधारभूत सरचना की दृष्टि से राजस्थान का महत्त्वपूर्ण जिला है । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहले जिले के ब्रोडग्रेज के माध्यम से दिल्ली और बम्बई से जुडे हुए होना है । हाल ही जिला राजधानी जयपुर तथा महत्त्वपूर्ण मरू जिला जोधपुर बीकानेर से भी ब्रोडगेज से जोड दिया गया हे । इससे थार मरूस्थल की अथाह खनिज सपदा का लाभ जिले को मिल सकेगा । समूचे जिल मे 188 कि मो लम्बी रेल लाइनो का जाल बिछा हुआ हैं जिस पर अठारह रेलवे स्टेशन है ।

जिले मे विद्युत आपूर्ति के लिए सवाई माधोपुर गगापुर सिटी हिन्डोन सिटी तथा मण्डावर मे 132 के वी ग्रिड सब स्टेशन हैं । करौली क्षेत्र मे बिजली की अबाध गति एव आपूर्ति सुनिश्चित करने वास्ते 17 अप्रेल 1993 को तत्कालीन राज्यपाल श्री एम चन्ना रेड्डी के कर कमलो द्वारा 132 के वी सब ग्रिड स्टेशन का शिलान्यास किया गया । इस ग्रिड स्टेशन ने मई 1994 मे कार्यारभ कर दिया है । सिचाई सुविधा वास्ते राज्य को सबसे बडी नदी चम्बल व बनास इस जिले मे होकर बहती है तथा मोरेल काली सिल जग्गर नदिया कृषि उत्पादन को बढाने मे मदद देती है ।

सवाई माधोपुर मे सामान्य शिक्षा के चार महाविद्यालय के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा के तीन महाविद्यालय है । जिले के सभी महाविद्यालयो मे वाणिज्य शिक्षण की व्यवस्था है । जिले के 18 स्कूलो मे व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हे । इनके अलावा जिले मे बैंक सचार, चिकित्सा आवास आदि सुविधा भी यथोचित है ।

औद्योगिक क्षेत्र :

सवाई माधोपुर मे वर्तमान मे हिन्डौन सिटी, गगापुर सिटी, खेरदा आर टी आर करौली औद्योगिक क्षेत्र है । नवम्बर 1991 तक इन औद्योगिक क्षेत्र में 168 भूखण्ड आवटन के लिए उपलब्ध थे । हाल ही राजस्थान सरकार ने रीको के ओद्योगिक क्षेत्रों मे स्थापित इकाइयो को भी पूजी विनियोजन सब्सिडी सबधी रियायत घोषित की है । यह सरकार की महत्त्वपूर्ण घोषणा है, इससे रीको ओद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगो का तीव्र विकास सभव हो सकेगा ।

संभावित बड़े उद्योग :

सवाई माधोपुर मे निम्नाकित बडे पैमाने के उद्योगो की स्थापना को प्रचुर सभावना है :

1 ऑयल रिफाइनरी – सवाई माधोपुर मे सार्वजनिक क्षेत्र मे आयल रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है, इस बात की सिफारिश राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज

विकास निगम लिमिटेड के सर्वे दल ने अक्टूबर 1977 मे की । जिले मे आयल रिफाइनरी के स्थापित होने के विभिन्न आधार मौजूद है । इसम महत्त्वपूर्ण सवाई माधोपुर की कादला बदरगाह से निकटता है । रिफाइनरी के लिए कम खर्च पर बदरगाह से पाइप लाईन लगाई जा सकती है । सवाई माधोपुर मे ब्रोड गेज रेलवे लाइन होने के कारण रिफाइनरी को पेटोल उत्पाद बाजार तक पहुचाने मे कोई कठिनाई नहीं होगी । सवाई माधोपुर मे आयल रिफाइनरी के स्थापित होने का अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू इसके कोटा औद्योगिक केन्द्र से समीपता है । नेफ्था सुगमता और मितव्ययता से कोटा के खाद कारखाने को भेजा जा सकता है । इसके अलावा विद्युत और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रिफाइनरी की स्थापना सतुलित औद्योगिक विकास का मार्ग सुनिश्चित कर सकेगी इससे देश के बहुजन घनत्व वाले क्षेत्रा से सवाई माधोपुर जैसे कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर श्रमिक मोबाइल हो सकेगे । रिफाइनरी की स्थापना से क्षेत्र मे सहायक प्रासेसिग तथा अन्य माग आधारित इकाइयो की स्थापना द्वारा क्षेत्र मे सुदृढ औद्योगिकरण की अपेक्षा की जा सकती है तथा आय व रोजगार के अवसर सृजित होगे ।

2 खाद सयत्र सवाई माधोपुर मे बाम्बे हाई प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता को देखते हुए बडे पैमाने का खाद सयत्र स्थापित किया जा सकता है । डाई अमानिया फास्फेट विषम खाद फर्टीलाइजर प्लाट सल्फ्यूरिक एसिड से अमोनियम को काम मे लेकर तेयार की जाती है । तथा सल्फर का उपयोग हिन्दुस्तान जिक उदयपुर द्वारा किया जाता है और राक फास्फेट भी प्रदेश मे उपलब्ध है इसलिए अमोनिया खाद का कारखाना भी सवाई माधोपुर मे लगाया जा सकता है ।

3 सीमट सयत्र सवाई माधोपुर मे सीमेट ग्रेड लाइम स्टोन के भरपूर भडार है इसके आधार पर बडा सीमेंट सयत्र आगामी तीस वर्षो तक निर्बाध गति से चलाया जा सकता है । उपलब्ध लाइम स्टोन का उपभोग स्थानीय जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा किया जाता है यह प्लाट 1987 से बद है । जिले मे लाइम स्टोन की उपलब्धता तथा आधारभूत सुविधाओ को मद्देनजर रखते हुए जयपुर उद्योग को पुन प्रारभ करने मे कठिनाई नहीं होनी चाहिए । सवाई माधोपुर मे अन्य सीमेट सयत्र स्थापना की सर्वाधिक सभावना है ।

मध्यम पैमाने के उद्योगा की स्थापना की सभावनाएँ

सवाई माधोपुर मे स्थापित किये जा सकने वाले मझौले श्रेणी उद्योग निम्नलिखित है

1 रेड मड पी वी सी पाइप्स एण्ड शीटस सवाई माधोपुर
2 प्री स्टेसड कान्क्रीट रेलवे स्लीपर सवाई माधोपुर
3 सिलिका सेण्ड बेनेफिकेशन प्लाट हिडौन
4 इनेक्शन ग्लास वायल्स हिडौन

की बढ़ती हुई माग, बाजार म इसकी बढती हुई प्रवृत्ति और कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए गगापुर सिटी मे खाद्य तेल रिफाइनरी की स्थापना की प्रचुर सभावना है ।

6 साल्वेंट एक्स्ट्रेक्शन प्लाट, सवाई माधोपुर - सवाई माधोपुर स्वर्ण-क्राति (तिलहना का उत्पादन) की ओर अग्रसर ह । वर्ष 1988-89 मे 1,80,044 टन तिलहन का उत्पादन हुआ । तिलहन के उत्पादन को देखते हुए सवाई माधोपुर मे बडा साल्वेट एक्स्ट्रक्शन प्लाट स्थापित किया जा सकता है । सवाई माधोपुर मे खाद्य तेलो की मेकेनिकल एक्सपेलर यूनिट द्वारा केक्स बहुतायत म उत्पादित की जाती है ।

7 माडर्न शूज मेनुफेक्चुरिंग प्लाट, सवाई माधोपुर . वर्ष 1988 मे सवाई माधोपुर मे 17 लाख के करीब पशु थे । स्व रोजगार मे लगे लोगो का चमडे के जुते बनाना यहा एक मुख्य व्यवसाय ह । खाल आर चमडा जिले मे प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है इसलिए जिले मे आधुनिक जुते बनाने का प्लाट लगाया जा सकता है।

सवाई माधोपुर जिले मे पचायत समितिवार सभावित लघु उद्योग :

1 सवाइ माधोपुर पचायत समिति मे लघु पैमाने के उद्योगो मे सीमेट काक्रीट होलो ब्लाक, प्लास्टिक रिप्रासेसिग, प्री कास्ट फेरो सीमेट वीनस होटल नर्सिंग होम ब्रेड यूनिट सर्जिकल एण्ड हाउसहोल्ड रबर ग्लोवज (निर्यात मूलक इकाई) आदि स्थापित किये जा सकते हैं ।

2 बौंली म चूना भट्टा, आयल मिल, फ्रेब्रिकेशन एण्ड रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शॉप, ऑटो/ट्रेक्टर रिपेयर शॉप स्टोन डेकोरेटिव ऑटीकल आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

3 खण्डार मे मिनरल ग्राइडिग (रेड आक्साइड) चूना भट्टा, आयल मिल, क्ले ब्रिक्स, स्टोन क्रेशर फेब्रिकेशन एण्ड रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप, आटो/ट्रेक्टर रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

4 हिन्डौन मे लघु पैमाने के उद्योगो में टायर रिट्रेडिंग प्लांट सीमेंट कांक्रीट होलो ब्लाक, सीमेंट आधारित आइटम, नर्सिंग होम, रिक्लेमेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग आयल, टर्न आवर जूट बेगस, प्री कास्ट फेरो सीमेंट वीनस आटो फील्टर एलीमेंटस, ट्रक बॉडी बिल्डिंग, ब्रेड यूनिट, प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिट, स्टोन क्रेशर आदि इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है ।

5 टोडाभीम मे ऑयल मिल, रिपेयर एण्ड फेब्रिकेशन शोप, आटो ट्रेक्टर रिपेयर शोप, इलेक्ट्रिकल रिपेयर शोप आदि इकाइयां स्थापित की जा सकती है ।

6 गंगापुर मे लघु पैमाने के उद्योगो में सीमेंट काक्रीट होलो ब्लाक, नर्सिंग होम, रोलर फ्लोर मिल, केटल फीड यूनिट, मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट, फेब्रिकेशन एण्ड

रिपेयर शोप, वाशिंग सोप यूनिट एर्न आवर जूट वेगस, आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

7 बाधनवास मे क्ले ब्रिक्स, आयल मिल, रेड स्टोन चिप्स फब्रिकेशन रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

8 नादौती मे आयल मिल, रिपेयर एण्ड फेब्रिकेशन शोप, आटो ट्रेक्टर रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित की जा सक्ती है ।

9 करोली मे फयूव फ्रोम द वेस्ट स्टोन कटिंग एण्ड पालिशिंग यूनिट (करोली स्टोन टाइल्स) होटल, (केला देवी), इम्पुड बर्निंग ऑफ लाइम (एन आर डी सी बेसड टेक्नोलॉजी, स्टोन क्रेशर ब्रेड यूनिट फब्रिकेशन एण्ड रिपेयर शोप अगरबत्ती यूनिट, वाशिंग सोप यूनिट, सीमेंट बेसड आयटम स्टोन वेयर एण्ड डेकोरेटिव आयटम आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

10 सपोटरा म आयल मिल, रिपेयर एण्ड फेब्रिकशन शोप आटो/ट्रेक्टर रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

सवाई माधोपुर मे मध्यम एव लघु पैमाने की 101 इकाइया स्थापित की जा सकती है । जिसमे 1073 35 लाख रुपए के पूजी विनियोजन की जरूरत है । इन इकाइयो मे 1338 लोगो को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है ।

शिल्प आधारित उद्योग .

सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न स्थानो पर शिल्प सकेन्द्रण उपलब्धता को देखते हुए उपयुक्त स्थानो पर शिल्प आधारित निम्नाकित कुटीर उद्योगो की स्थापना की जा सकती है .

क्र स	उद्योगो का विवरण
1	लकडी के खिलौने
2	नमदा
3	चूडी बनाना
4	कृत्रिम ज्वैलरी
5	ढाल बनाना
6	कसीदाकारी
7	पत्तल दौना
8	पापड
9	पत्थर पर नक्काशी
10	बीडी उद्योग
11	पोटरी
12	बास उत्पाद

1 स्टोन ग्रिट
2 ईंट भट्टा एव चूना भट्टा
3 सीमेंट आर्टिकल्स
4 पत्थर की कटिंग एवं पालिशिंग
5 सिलिकेट, चीनी के बर्तन

1 प्लास्टिक का सामान
2 आईस एवं आईस केंडी, आईस क्रीम
3 प्रिंटिंग प्रेस
4 कागज की थैलिया एव डिब्बे
5 इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग

सवाई माधोपुर जिले में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं

सवाइ माधोपुर के औद्योगिक विकास वास्ते पर्याप्त प्राकृतिक ससाधन, अनुकूल मानवीय ससाधन तथा सुदृढ अद्य सरचना मौजूद ह, इसके बावजूद यहा औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सका है इसके लिए अग्राकित समस्याए विशेष रूप से उत्तरदायी है :

(1) सडको का अभाव : सडक समाज की बुनियादी आवश्यकता ह । सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यो की प्राप्ति मे सडको का योगदान उल्लेखनीय है । गावो मे शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओ का प्रसारण, परिवार कल्याण एव परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता तथा कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी किसानो तक पहुचाने मे सडको के महत्त्व को भलीभाति समझा जा सकता ह । सडका के निर्माण से न केवल ग्राम्यजनो का आर्थिक विकास होता है अपितु बौद्धिक एव नैतिक विकास भी होता हैं।

सडको का महत्त्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद सवाइ माधोपुर इस दृष्टि स सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्रो म हे । काफी तादाद मे गाव सडक यातायात से जुडे हुए नहीं है । यदि कुछ जुडे हुए भी है तो रेल्वे स सम्पर्क के रूप मे जोडने वाली सडको का अभाव "रेल्वे से गावो की निकटता का लाभ" सीमित कर देताहै । सडको के अभाव मे दूरदराज के ग्रामवासियो को अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडता हे । वे बाह्य जगत की चकाचौंध से बिल्कुल अनजान होते हैं । रोजमर्रा की चीज गावो मे मुहैया नहीं होने के कारण इन्हे अपनी आवश्यकताएँ सीमित कर लेनी पडती है । सडको के अभाव मे ग्राम्यजन कृषि उत्पादो को मडियो तथा लाभप्रद बाजारो तक नहीं पहुचा सकते हैं ।

सवाई माधोपुर मे वर्ष 1988-89 मे सडको की लम्बाइ मात्र 1768 कि मी थी, जिसमे डामर की 1283 कि मी , धात्विक 118 किलोमीटर ग्रेवल 166 कि मी तथा कच्ची सडके 201 कि मी थी । राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाइ तो केवल 20 किमी ही थी ।

वर्ष 1981 की जनगणना के दौरान सकलित की गइ सूचना के अनुसार जिले के 1534 आबाद ग्रामो मे से 342 ग्राम पक्की सडको अथवा मुख्य सडको से जुड हुए थे । पक्की सडको से जुडे हुए गाव 22.29 प्रतिशत थे । स्पष्ट है जिले के आबाद

ग्रामो मे 77 71 प्रतिशत गाव पक्की मुख्य सडको से जुडे हुए नहीं थे । जिले मे प्रति 100 वर्ग कि मी क्षेत्र मे सडकों की लम्बाई 16 79 कि मी ही है । प्रति एक हजार की जनसख्या पर सडको की लम्बाई का आसन वर्ष 1981 की आबादी के अनुसार मात्र 1 15 कि मी एव वर्ष 1988 की अनुमानित आबादी पर 0 99 कि मी रहा ।

(2) पेयजल को तरसते बाशिंदे पयजल इन सभी की मूलभूत आवश्यकता है जिनमे प्राण है चाहे वे मानव हो या फिर पशु पक्षी और पेड पाधे । सविधान के अन्तर्गत पीने का पानी उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्य सरकारो का दायित्व है और इस राज्य सरकारो की योजनाओ के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है ।

आजादी के साढे चार दसक बीत जाने के बाद और देश के आर्थिक नियोजन के बावजूद बहुतेरे गाव आज भी सही अर्थो म पेयजल से वचित हैं । तालाबो, पोखरों, झरनो, नहरा आदि से लोग पानी लेकर आत हैं और इस्तेमाल करत हैं, जो अक्सर दूषित होता है ।

सवाइ माधोपुर जिले के अधिकाश गाव पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त है। समस्याग्रस्त गावो के अन्तगत ऐसे गावो का सम्मिलित किया जाता है जहा या तो 1 6 कि मी की दूरी तक अथवा 15 मीटर की गहराई तक पानी का स्रोत नहीं है । इसके अलावा ऐसे गाव भी समस्याग्रस्त ह जहा पानी म खारापन लोहतत्व, फ्लोराइड या अन्य विषाक्त तत्व हैं ।

1981 की जनगणना के अनुसार जिले के सभी 7 कस्बो मे पेयजल मुहैया है, किन्तु गावो की स्थिति पर दृष्टिपात करे तो पाते हैं कि कुल 1534 गावो मे 1376 गाव समस्याग्रस्त थे केवल 159 गाव ही गैर समस्याग्रस्त थे । पेयजल की दृष्टि से मार्च 1989 तक भी स्थिति मे कोई सुधार नहीं आया । यद्यपि कस्बों मे तथाकथित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है । 1525 गावो मे से अभी 1367 गाव समस्याग्रस्त थे स्पष्ट है कुल गावों म स 89 64 प्रतिशत गाव पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त हैं ।

(3) निरक्षरता का अंधकार : निरक्षरता समाज के लिए अभिशाप है, इसके अनेक दुष्परिणाम समाज को भुगतने पडते है । बालिकाओं की शिक्षा मे विचारणीय प्रगति होने के बावजूद असमानता अभी भी बनी हुई है । प्राथमिक कक्षाओं तथा उच्चतर प्राईमरी स्तर म प्रवेश लेने का प्रतिशत कम है ।

सवाई माधापुर मे वर्तमान मे (वर्ष 1991) सात वर्ष और अधिक आयु की जनसख्या म साक्षरता 35 86 प्रतिशत है । पुरुषो मे साक्षरता 53 94 तथा महिलाओं मे 14 52 प्रतिशत ही है । अनुसूचित जनजाति अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रो मे जीवन बसर करती है उनमे साक्षरता की स्थिति बड़ी दयनीय है । विवरण से स्पष्ट है जिले की कुल जनसख्या मे 64 14 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं । पुरुषों में निरक्षरता का प्रतिशत 46 06

है । महिलाओ मे निरक्षरता 85 48 है जो कि चिता प्रद स्थिति हैं ।

(4) परियोजनाओ का पलायन - राजस्थान से विगत वर्षो मे आयल रिफाइनरी का पलायन मथुरा हुआ जो कि सवाई माधोपुर मे स्थापित किया जाना प्रस्तावित था । इस परियोजना का यह कहकर मथुरा पलायन कर दिया गया कि रणथम्भौर नेशनल पार्क होने के कारण वन एव पर्यावरण की दृष्टि से सवाई माधोपुर जिला उपयुक्त स्थल नहीं है । आज यही मथुरा ऑयल रिफाइनरी, आगरा का नगर फाउण्डरी उद्योग के साथ मे विश्व विख्यात ताज महल के अप्रितम सौन्दर्य के लिए खतरा बना हुआ है । जब दुनिया का आश्चर्य ''ताज'' को अनदेखा कर मथुरा मे ऑयल रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है तो क्या सवाई माधोपुर मे रणथम्भौर नेशनल पार्क के रहते ऑयल रिफाइनरी स्थापित नहीं की जा सकती थी ।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजना गैस पर आधारित खाद सयत्र ''अरावली फर्टीलाइजर्स'' का पलायन सवाई माधोपुर से गडेयान (कोटा) हुआ । जुआरी एग्रो केमिकल्स लि० की ओर से प्रवर्तित चम्बल फर्टीलाइजस एण्ड कैमिकल्स मूल रप से यह परियोजना अरावली की पहाडियो के निकट सवाई माधोपुर मे स्थापित की जा रही थी और तब इसका नाम अरावली फर्टीलाइजर था लेकिन पर्यावरण सबधी समस्याओ के कारण स्थान का परिवर्तन करके इसे राजस्थान के कोटा जिले मे स्थानान्तरित कर दिया गया इसका नाम भी परिवर्तित करके चम्बल फर्टीलाइजर्स कर दिया गया ।

अरावली फर्टीलाइजर्स के सवाई माधोपुर मे स्थापना के लिए केन्द्र सरकार ने ''आशय पत्र'' भी जारी कर दिया था, लगभग सभी आरम्भिक तैयारिया पूर्ण हो चुकी थी, लाखो की तादाद मे बेरोजगार युवको को रोजगार के फार्म बेचे जा चुके थे । रणथम्भार के बाघ अरावली फर्टीलाइजर्स से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे तो क्या अब सोरसन गडेयान (कोटा) मे स्थापित चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स से राज्य का दुर्लभ पक्षी ''गोडावण'' सुरक्षित महसूस कर सकेगा । इस परियोजना के पलायन से सवाई माधोपुर को न केवल अरावली फर्टीलाइजर्स से वरन् हजोरा-बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइप लाईन से भी वचित होना पडा है । क्या अरावली फर्टीलाइजर्स का पलायन सवाई माधोपुर के साथ खिलवाड नहीं ?

आज भी एक के बाद एक परियोजनाओ के पलायन का क्रम जारी है । यहा की सुदृढ आधारभूत सरचना परियोजनाओ को आकर्षित करती है किन्तु पलायन कर जाती है यदि यहा पलायन का सिलसिला जारी रहता है तो जिला औद्योगिक विकास की पिछडी दौड मे ओर भी पिछड जाएगा ।

(5) जयपुर उद्योग लिमिटेड विगत वर्षो से बद पडा है : राजस्थान का गौरव सवाई माधोपुर का जयपुर उद्योग लिमिटेड मे वर्ष 1987 से उत्पादन बद है । इस उद्योग को चलाने के लिए समय-समय पर राजनीति से ओत प्रोत आदोलन किए जाते

रह हे मगर सम्कार व उद्याग पति दोना ही आखे मूदे हुए हे । उद्योग को चलाने से सबधित झूठे आश्वासन जनता को दिए जाते रहे हैं । आज यहा के श्रमिक दो जून रोटी के लिए बिलख रह हे । यहा के श्रमिक व प्रबधक अन्यत्र पलायन कर रहे हैं।

जिले मे लाइम स्टोन (सामेट ग्रेड) के पर्याप्त भडार है । जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान धनी है । कोयला रेल परिवहन के माध्यम से बिहार से प्राप्त होता है । बी आई एफ आर ने भी उद्योग के चलने की सभाव्यता व्यक्त कर दी है फिर क्यो नहीं इस उद्योग को चालू किया जाता हे ? यही जिले का एक मात्र आधारभूत उद्योग है जिसके कारण सवाई माधोपुर का नाम भारत के औद्यागिक जगत मे आता है ।

(6) पर्यावरण क प्रभावित होने की आशका सवाइ माधापुर म स्थित रणथम्भार नेशनल पाक राष्टाय धरोहर है इस पाक म दुलभ वन्य जाव है अप्रतिम नैसगिक सौन्दर्य है । उद्यागा की चिमनियो से निकलने वाला धुआ यहा की वनो से आच्छादित पवत शृखला और वन्य जीवा पर विपरीत असर डालता है।

बढ़ रहा पयावरण प्रदूषण आज की ज्वलत समस्या है । सवाई माधापुर मे स्थापित हाने वाले उद्यागो से यहा के पयावरण के प्रभावित हाने की आशका है सभवतया पयावरण सरक्षण का मद्देनजर रखते हुए हा सवाई माधापुर से महत्त्वपूर्ण परियोजनाओ का पलायन हुआ ह और अनक परियाजनाओ को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति नहीं मिल पाती हैं ।

सवाइ माधोपुर का पर्यटन उद्योग की दृष्टि से इतना विकसित कर दिया जाए कि अन्य उद्यागा का आवश्यकता ही महसूस न हो । इसके अभाव मे पर्यावरण की कीमत पर आद्यागिक विकास की बलि नहीं दा जा सकती हे ।

(9) उद्यमीयता का अभाव जिले मे ऐसा कोई बडा उद्यागपति नहीं है जो यहा क औद्यागिक विकास को सम्बल प्रदान कर सके । उद्यागो से सबधित प्रशिक्षण सुविधा नहीं हाने क कारण उद्यमीयता का विकास यथाचित नहीं हो सका है । जिले का शैक्षिक स्तर भा गिरा हुआ ह । यहा नासिखिए, अनपढ अनुभवहीन उद्यमी उद्योगो की स्थापना क लिए ऋण हेतु आवेदन करत देखे जा सकते है जिन्ह परियाजना तक की जानकारी नहीं उनका उद्देश्य यनकेन प्रकारेण ऋण प्राप्त कर उसे हडप जाने तक ही सीमित रहता है । उद्यागा की स्थापना मे उनका अधिक दिलचस्पी नहीं हाती है।

राजस्थान म उद्योग लगाने सबधा नियमा व अनावश्यक औपचारिकताआ के कारण उद्यमिया को काफी परेशानी हाती है । यहा उद्याग हेतु भूमि प्राप्त करने उस पर बिजली पाना लने तथा आधारभूत सुविधाएँ जुटाने म काफी लम्बी प्रक्रियाए अपनायी जाती है । इसस समय श्रम व धन का अपव्यय होता है । काम म अनावश्यक टालमटोल तथा दरा की प्रवृत्ति अधिक है जिसस उद्यमी का यहा उत्साह कम हो जाता है । सरकार द्वारा छूटा व रियायता की घोषणा ता कर दी जाती हैं परन्तु इन घापणाओ पर यहा उद्याग

व्यवसाय चालू करने वाले उद्यमियो को जब ये रियायते व सुविधाए नहीं मिलती तब उन्हे निराशा महसूस होती है ।

(8) क्षेत्रीय आर्थिक विषमता सवाई माधोपुर असुलित विकास का शिकार है । गगापुर हिन्डौन व सवाई माधोपुर तहसीले जिले की शेष तहसीलो की अपेक्षा अधिक सम्पन्न है । करौली खनन की दृष्टि से सम्पन्न है फिर भी वहा औद्योगिक इकाइयो का अभाव है । टोडाभीम नादौती बोली बापनवारा आदि तहसीले कृषि उत्पाद की दृष्टि से सम्पन्न है किन्तु औद्योगिक इकाइयो की रिक्तता है ।

(9) निर्णयो म अनावश्यक विलम्ब सवाई माधोपुर मे जुआरी एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड रीको जयपुर (काकरो) रीको जयपुर (मिथामूल) राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए आशय पत्र जारी हो चुके है । जुआरी एग्रोकेमिकल्स का पलायन अन्यत्र हो गया है । केवल राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट (तिलम सघम) ही क्रियान्वित हो पाया है । जयपुर उद्योग लिमिटेड जिसमे 1987 से उत्पादन बद है के बारे मे कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए जाने से या निर्णयो मे अनावश्यक विलम्ब से परियोजनाओ की लागत मे वृद्धि होती है उत्पाद के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करना पडती है इससे विनियोग और उत्पाद के मध्य अन्तराल मे वृद्धि होती ह जिससे मुद्रा स्फीति मे वृद्धि परिलक्षित होती है ।

(10) उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग की समस्या जिले के बडे व मझोले उद्योग सस्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग न होने की समस्या से ग्रसित हैं । जयपुर उद्योग लिमिटेड म उत्पादन बद है । इण्डियन बाटलिग प्लाट ने वर्ष 1990 91 मे 35928 मीटिक टन उत्पादन किया जबकि प्लाट की सस्थापित क्षमता 50 000 मीटिक टन है।

(11) कन्द्रीय पूजा विनियोग सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा घोषित औद्यागिक विकास की दृष्टि से पिछडे जिलो की श्रेणी मे सवाई माधोपुर को सम्मिलित नहीं किया गया जिससे यहा स्थापित हाने वाल उद्योगा को पूजी विनियोग सब्सिडी का लाभ नहीं मिला नतीजन उद्यमी विनियोग हेतु आकर्षित नहीं हो सके ।

(12) सौतला व्यवहार देखते देखते कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओ का पलायन अन्यत्र हो गया । राज्य में शायद ही कोई जिला अद्य सरचना की दृष्टि से सवाई माधोपुर से ज्यादा सम्पन्न हो किंतु औद्योगिक दृष्टि से यह जिला काफी पिछडा हुआ है ।

राजस्थान सरकार का कोई उपक्रम जिले मे नहीं रीको की कोई परियोजना नहीं जयपुर उद्योग लिमिटेड की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं । मण्डकायल स्थित काहूधाटपन बिजली परियोजना सरकार की घोषणा के बावजूद निर्माण की प्रतीक्षा म है। यह सब जिले के साथ सौतेला व्यवहार नहीं तो और क्या है ।

औद्योगिक विकास की समस्याओ का समाधान

सवाई माधोपुर के औद्योगिक विकास मे जो समस्याए हैं उनमे से अधिकाश पर निजात पाया जा सकता है । निम्नाकित उपाय जिले के ओद्योगिक विकास की समस्याओ के समाधान मे कारगर सिद्ध हो सकत हे

1 सवाई माधोपुर को ओद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा घोषित किया जाए सवाइ माधोपुर जिला केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पिछडे जिलो की श्रेणी मे नहीं आता है इस कारण इस जिले मे स्थापित होने वाले उद्योगो को केन्द्रिय पूजी विनियोग सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता । जबकि वास्तविकता यह है कि सवाई माधोपुर जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य के अन्य जिलो की तुलना मे काफी पिछडा हुआ है । जिले मे बडे मध्यम व लघु पैमाने के उद्योगो का नितात अभाव है । जो उद्योग अस्तित्व मे है उनमे से अधिकाश बद है या रूग्णता की समस्या से ग्रसित है ।

सवाई माधोपुर जिले को ओद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा घोषित करने पर यहा औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा राज्य व देश के उद्यमी विनियोग सब्सिडी से आकर्पित होकर उद्योग की स्थापना मे रूचि लगे । जिले मे औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध है छोटे बडे सीमेट प्लाट की तकनीक उद्यमियो को आकर्पित करने म सफल होगी ।

2 *जयपुर उद्योग लिमिटेड को अविलम्ब चालू किया जाए* जयपुर उद्योग लिमिटेड जिले का एक मात्र आधारभूत उद्योग है । इसके कारण ही सवाई माधोपुर जिले को केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा हुआ जिला घोषित नहीं किया है ।

देश मे सामेट का उत्पादन माग की अपेक्षा अधिक किया जा रहा है इसका आशय यह तो नहीं कि नवीन सीमट सयत्र स्थापित नहीं किए जाए या बद सीमेट इकाइयो का चालू करने के प्रयास नहीं किये जाए । सरकार को चाहिए कि वह अतिरेक उत्पाद के निर्यात की व्यवस्था करे या आन्तरिक स्वपन मे वृद्धि करे जिससे सीमट उद्योग को हा रहे घाटे को पूरा किया जा सके ।

जयपुर उद्योग के सबध म निणय लिए जाने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है । एसा कोई कारण भा नजर नहीं आता जिससे उद्याग को चालू नहीं किया जा सके। अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उद्योग की चिमनिया सूनी हे । करोडो रूपए की सम्पत्ति का इस तरह बरबाद होने के लिए नहीं छोडा जा सकता है ।

3 **उद्योगो के बीच पर्यावरण सरक्षण सभव है** – विश्व विख्यात रणथम्भौर नेशनल पार्क की आड मे जिले के औद्योगिक विकास के लिए तैयार की गई कई औद्योगिक परियोजनाओ का पलायन अन्यत्र हो गया । कोई नहीं चाहता कि रणथम्भौर के बाघ प्रदूषित वातावरण म विचरण कर मगर कब तक रणथम्भौर नेशनल पार्क की कीमत

पर जिले के औद्योगिक हित को तिलांजलि दी जाती रहेगी । क्या जिला मुख्यालय के निकट गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइया स्थापित नहीं की जा सकती ? यदि स्थापित की जाने वाली परियोजना प्रदूषणकारी है भी तो क्या उसके प्रदूषण को नियत्रित नहीं किया जा सकता ? आज उद्योगो के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधुनातन तकनोलॉजी बाजार मे आ चुकी है । विश्व विख्यात ताजमहल को भी तो मथुरा रिफाइनरी, जो कि अधिक घातक है से सुरक्षा की जा रही है । ओर फिर सवाई माधोपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल है, फिर क्यो नही औद्योगिक इकाइयो की स्थापना की जाती है ? क्यो अन्यत्र पलायन कर दिया जाता है ? क्यो नहीं बद इकाइयो को चालू किया जाता है ?

4 राजनीतिक इच्छा शक्ति . क्षेत्र विशेष के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए राजनीतिक शक्ति का होना आवश्यक है । राजनीतिक शक्ति के रहते यह आवश्यक नहीं कि क्षेत्र मे कच्चा माल या अन्य आवश्यक ससाधन भरपूर उपलब्ध हो । हाल ही के वर्षो मे सवाई माधोपुर जिला राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त होकर उभरा है । श्री डॉ अबरार अहमद केन्द्र सरकार मे वित्त राज्य मत्री रह चुके तथा वर्तमान मे श्रीमती नरेन्द्र कवर राजस्थान सरकार मे राज्यमत्री (स्वतत्र प्रभार) है । इनके अलावा श्रीमति उषा मीना ससद सदस्य (काग्रेस), श्री शिवचरण सिह राज्य सभा सदस्य (भाजपा), श्री मूलचद राज्य सभा सदस्य (काग्रेस) है, श्री रतन लाल आजाद (भाजपा) श्री पूरण मल शर्मा (भाजपा)। ये सभी जिले के औद्योगिक हित को मद्देनजर रखते हुए स्तरीय प्रयास करे तो सवाई माधापुर क्या कुछ अर्जित नहीं कर सकता है। जिले मे औद्योगिक विकास की अथाह सभावनाएँ बिखरी पडी है जरूरत यहा के राजनीतिज्ञो की सजगता की है । ये चाहे तो रातोरात सवाई माधोपुर का कायाकल्प कर सकते हैं । यदि राजनीतिज्ञो के माध्यम से जिले मे महत्त्वपूण परियाजनाएँ आती है, या इनके पलायन का दौर पनपता है तो इन्हे जिले मे दीघावधि आधार अजित होगा साथ ही जिला पिछडेपन पर प्रहार भी कर सकेगा किंतु स्थानीय राजनीतिज्ञ ससद और विधान सभा म यहा की औद्योगिक सभाव्यता के पक्ष को दृढता के साथ नही रख सक है जिससे यहा उद्योगो की स्थापना नहीं हो सकी, परिणाम जिले की औद्योगिक दुर्दशा के रूप मे सामने है । यहा की आद्योगिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्थानीय राजनीतिज्ञ स्व-हित से ऊपर उठकर विकास हतु प्रभावोत्पादक प्रयास करे । सबसे पहला प्रयास तो यह हो कि ये इस जिले को औद्योगिक विकास की दृष्टि से 'पिछडा जिला' घाषित करवाए तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर के महत्त्वपूण मचो से जिले की प्राकृतिक सपदा तथा औद्योगिक विकास की भावी सभावनाओ के बारे मे सरकार तथा देशी-विदेशी उद्यमियो को अवगत कराए । प्रभावी प्रयास मे ही औद्योगिक विकास समाहित है ।

5 परियोजनाओं के पलायन का क्रम रोका जाए सवाई माधोपुर से आयल रिफाइनरी अरावली फर्टीलाइजर्स रोको परियोजना आदि का पलायन अन्यत्र किया जा चुका है। यदि इसी तरह औद्योगिक परियोजनाओं का पलायन होता रहा तो हमारे नियोजन का प्रमुख लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करना संदिग्ध होगा।

राजनीति से प्रेरित होकर स्थानीय संसाधनों की अवहेलना कर औद्योगिक परियोजनाओं का पलायन कर दिया जाता है इससे संसाधनों से युक्त स्थल को विकास से वंचित रहना पड़ता है और पलायन हो चुकी परियोजना को आधारभूत संरचना और कच्चे माल की उपलब्धता से विमुख। उत्पादन की लागत ऊँची आने से औद्योगिक इकाई को लाभ पर चलाना कठिन हो जाता है और यदि लाभ होता भी है तो उसे दीर्घकाल तक स्थिर नहीं रखा जा सकता है। अतः परियोजना पलायन विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है निराह समाधान का यथार्थ है इसे यथासंभव हतोत्साहित किया जाना चाहिये।

6 सरकार विकास में भागीदार बने राज्य सरकार को जिले के साथ सौतेला व्यवहार की नीति का परित्याग करना चाहिए। सवाई माधोपुर जिला कृषिगत उत्पादन खनिज वन सम्पदा पशु सम्पदा की दृष्टि से बहुत ही सम्पन्न हैं। सरकार को कृषि वन पशु खनिज आधारित उद्योगों का उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। औद्योगिक विनियोजन के क्षेत्र में राज्य की भूमिका नगण्य है उसे बढ़ाए जाने की महती आवश्यकता है राज्य सरकार को चाहिए कि वह सवाई माधोपुर को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डाले।

जिले के औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। सरकार को कुछ ऐसी रियायतें व सुविधाएं देनी होंगी जिससे उद्यमी अन्य स्थानों को छोड़कर जिले में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित हों। राजस्थान में जन्मे उद्योगपतियों का भी अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ कर्त्तव्य बनता है। उन्हें भी चाहिए कि वे सवाई माधोपुर में उद्योगों की स्थापना करें। यदि उन्हें इसके लिए थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़े तो मातृभूमि के हित में उठा लेना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह देश के विभिन्न भागों में उद्योग व्यवसाय स्थापित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तब उन्हें यहां विनियोग करना चाहिए। यहां उन्हें अनावश्यक तनाव नहीं रहेगा वे अधिक शांति के साथ अपना उद्योग व्यवसाय का संचालन कर सकेंगे।

7 संतुलित क्षेत्रीय विकास पर विशेष बल जिले में अधिकांश औद्योगिक इकाइयां सवाईमाधोपुर गंगापुर व हिण्डौन आदि कस्बों में ही केन्द्रित हैं। खनिज संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न कस्बों में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है इसे अविलम्ब विकसित किया जाना चाहिए। जिसमें क्षेत्र में स्टोन पालिशिंग एण्ड कटिंग तथा चूने भट्टे की इकाइयां लगाई जा सकें। अन्य क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग इकाइयों के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी जाए जिससे स्थानीय साधनों का लाभ उठाया जा सके।

9 औद्योगिक विकास वास्ते उपलब्ध ससाधनो व उद्यमियो के बीच सामजस्य हो सवाई माधोपर मे उपलब्ध ससाधनो और उद्योगपतियो प्रतिभा के बीच उचित सामन्जस्य स्थापित करने की जरूरत है । सवाई माधोपुर मे वित्तीय ससाधनो का अभाव हो सकता है पर जिस तरह की प्राकृतिक सपदा यहा मोजूद है वैसी अन्य किसी स्थान पर नहीं है । यहा के उद्यमिया को प्रशिक्षण तथा वित्तीय ससाधनो की जरूरत है। जिले मे सीमेट उत्पादन के लिए लाइम स्टोन के पर्याप्त भडार मौजूद है परन्तु उनके दोहन के लिए पर्याप्त ससाधन सुलभ नहीं है । चमडा उद्योग के लिए कच्चा माल भरपूर है सैण्ड स्टोन पर्याप्त मात्रा मे है । परन्तु इनका उपयोग यहा नहीं हो पा रहा है ।

9 उद्योग सबधी सुविधाए एक छत के नीचे हो जिले मे उद्योगो को बढावा देने के लिए रीको राजस्थान वित्त निगम बिजली पानी बैंक आदि सुविधाओं को एक ही छत के नीचे एकत्रित किया जाना चाहिए । इन सब सुविधाओ के आसानी से उपलब्ध होने पर एक ओर जहा घरेलू उद्योगो को प्रोत्साहन व बढावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यो से व देश से बाहर के उद्योगपति व पूजीपति जिले की ओर दौडेगे ।

कुटीर व घरेलू उद्योगो को महत्त्व देते हुए एक समिति का गठन कर इस बात का सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए कि कोन कौन से उद्योगो को किन किन क्षेत्रो मे स्थापित किए जाने से अधिक फायदा मिल सकता है । मजदूरो की उद्योगो मे भागीदारी हो उनके भाग पत्रो के शीघ्र निपटारे हो । मधुर औद्योगिक सबधो से मानव दिवसो की हानि नहीं होती है तथा उत्पादन भी बिना किसी अवरोध के बढता है ।

10 गगापुर सिटी को नाभिक केन्द्र के रूप म विकसित किया जाए सवाई माधोपुर जिला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विस्तृत है जिला मुख्यालय जिल क केन्द्र मे स्थित नहीं है । नादाती टोडाभीम के उद्यमी के लिए सवाई माधोपुर मुख्यालय पर आना कष्टप्रद है । समय व धन की बर्बादी होती है । उद्यमी बार बार नहीं आना चाहते । किंतु औद्योगिक गतिविधि की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जिला मुख्यालय पर आना अपरिहार्य है । सभ्भवतया यही कारण है कि महुवा करौली औद्योगिक क्षेत्रो मे भूखण्डो का आवटन होने पर भी औद्योगिक इकाइया स्थापित नहीं हुई । गगापुर सिटी को नाभिक केन्द्र क रूप मे विकसित किया जाना चाहिए । गगापुर सिटी को यह जिले के लगभग मध्य म स्थित है । सवाई माधोपुर जिले की सभी तहसीलो की सीमा गगापुर सिटी को छूती है । यहा की आधारभूत सरचना भी औद्योगिक विकास के अनुकूल है । नाभिक केन्द्र जिला मुख्यालय भी हो सकता है किंतु रणथम्भोर नेशनल पार्क भी जिले का गौरव है । यदि यहा अधिक औद्योगिक इकाइया की स्थापना की जाती है तो वन्य जीवा के स्वच्छद विचरण क प्रभावित होने की आशका उत्पन्न हो जाती है । इस दृष्टि से गगापुर श्रेष्ठ है । यह सवाई माधोपुर जिले का सबसे बडा शहर है

जहा स्थापित होने वाली किसी भी तरह की औद्योगिक इकाई से रणथम्भोर के वन्य जीवो को कोई खतरा नहीं होगा ।

मार्च 1997 में करौली को नया जिला बनाने की घोषणा मुख्यमत्री भैरोसिह शेखावत ने कर दी है इससे इस क्षेत्र का विकास होने की सभावना बनी है। उद्यमी बार बार जिला मुख्यालय पर जाता है । उद्यमियो की इस कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए उद्योगा से सबधित महत्त्वपूर्ण विभाग जिला मुख्यालय के अलावा हिन्डौन, गगापुर व करौली मे खोले जाए । राजस्थान वित्त निगम का शाखा कार्यालय गगापुर में एव उप कार्यालय करौली मे खोला जाए । इसी तरह से जिला उद्योग केन्द्र व रीको के कार्यालय खोले जाए जिससे उद्यमी का महत्त्वपूर्ण समय औद्योगिक विकास के लिए विनियोजित हो सके ।

11 *आधारभूत उद्योग की स्थापना अत्यावश्यक* *किसी भी क्षेत्र के* औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत उद्योग का होना अत्यावश्यक है । आधारभूत उद्योग की मदद से सहायक उद्योगो लघु उद्योगो व अन्य उद्योगो का स्वत विकास होता चला जाता है । जयपुर उद्योग को चालू करना तो आवश्यक है ही इसके अलावा गगापुर व हिन्डौन में भी आधारभूत उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए ।

12 जिले को विकास केन्द्र के रूप मे विकसित किया जाए सवाई माधोपुर में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना 'विकास केन्द्र' स्वीकृत की जाए । राज्य सरकार को इस सबध मे प्रयास करना चाहिए । गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए 8 विकास केन्द्रो के प्रस्ताव मे सवाई माधोपुर जिला भी था, किंतु इसे केन्द्र सरकार की आर से स्वीकृति नहीं मिल सकी ।

राजस्थान के औद्योगिक विकास के सदर्भ मे सवाई माधोपुर जिले की स्थिति

राज्य के सवाई माधोपुर जिले मे बडे व मझौले श्रेणी के उद्योगों का नितात *अभाव है । यहा लघु उद्योग इकाइयो की भरमार है । वर्ष 1993 में जिले में 4481* पजीकृत लघु उद्योग इकाइया थी जिनमे 868 06 लाख रुपए का पूजी विनियोजन था। ये इकाइया खाद्य आधारित तम्बाकू सबधित सूती वस्त्र ऊनी सिल्क सबधित, जूट सबधित रेडीमड वस्त्र लकडी एव लकडी उत्पाद, पेपर से सबधित चमडे से सबधित रबर प्लास्टिक उद्योग रसायनिक उद्योग लौह–धातु उद्योग खनिज उद्योग इलेक्ट्रिक उद्योग इजीनियरी व मशीनरी ट्रासपोर्ट सबधित रिपेयरिंग व सर्विसिग आदि उद्योगों से सबधित हैं ।

औद्योगिक विकास के सदर्भ म सवाई माधोपुर जिले की स्थिति का आभास निम्नलिखित सूचको से सहज ही हो जाता है –

■ 1 शुद्ध घरेलू उत्पाद राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 1986–87 में

चालू मूल्यो पर 825446 लाख रुपए था जबकि इस वप सवाई माधोपुर का शुद्ध घरेलू उत्पाद चालू मूल्या पर 4563 23 लाख रुपए रहा । रानस्थान के शुद्ध घरेलू उत्पाद म सवाइ माधोपुर निले का हिस्सा 55 प्रतिशत ही रहा ।

6 2 प्रति व्यक्ति आसत वापिक आय राजस्थान मे प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1986 87 म चालू मूल्या पर 2095 रुपए की तुलना म सवाइ माधोपुर मे प्रति व्यक्ति आय 297 रूपए हा रही ।

6 3 निमाण क्षेत्र मे अशदान वप 1985 86 मे राजस्थान औद्योगिक विकास (निमाण क्षेत्र) मे जिलवार यागदान इस प्रकार रहा

निर्माण क्षत्र की कीमत (हजार रुपए)

सवाई माधोपुर	206294 (2 40)
रानस्थान	8591127
अजमेर	618418 (7 20)
अलवर	440666 (5 13)
भीलवाड़ा	428522 (4 99)
चितौडगढ	784908 (9 14)
नयपुर	2491901 (29 00)

स्रोत स्टटिस्टिकल एब्सटक्ट राजस्थान 1989 पृष्ठ 173

नाट काष्ठक म रा य म जिलो का योगदान प्रतिशत मे दर्शाया गया है ।

सवाई माधोपुर जिले का शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सांख्यिकीय रूपरेखा 1988 बसिक स्टेटिस्टिक्स 1988 स्टेटिस्टिकल एब्सटक्ट राजस्थान 1989 का उपयाग किया गया हे तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए जिले की 1981 की नगणना को आधार माना गया है ।

राजस्थान के निर्माण क्षेत्र मे सवाइ माधोपुर निले का यागदान केवल 2 40 प्रतिशत रहा जबकि नयपुर चित्ताडगट तथा अनमर का यागदान क्रमश 29 प्रतिशत 9 14 प्रतिशत तथा 7 20 प्रतिशत रहा ।

6 4 कार्यरत जनसख्या का अनपात रानस्थान म 1991 की जनगणना क अनुसार कायरत जनसख्या की निलवार स्थिति इस प्रकार रही

(प्रतिशत मे)

	मुख्य कायरत	सीमात कार्यरत	अकार्यरत
सवाई माधापुर	30 36	8 19	61 45
अखिल राजस्थान	31 62	7 25	61 13
अजमेर	35 78	3 84	60 38
भीलवाडा	40 39	6 34	53 27
चित्तौडगढ	41 45	7 58	50 97

■ 5 औद्योगिक श्रमिको का श्रेणा अनुसार वर्गीकरण औद्योगिक श्रमिका का श्रेणी अनुसार वर्गीकरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया है

मुख्य कार्यरत व्यक्तियो का औद्योगिक श्रेणी अनुसार वितरण 1991

(प्रतिशत में)

श्रेणी	सवाई माधापुर	राजस्थान	अजमेर	कोटा
1 कृषक	65 84	58 80	45 13	28 47
2 खेतिहर श्रमिक	8 42	10 00	10 28	12 92
श्रेणी	सवाई माधोपुर	राजस्थान	अजमेर	कोटा
3 पशुधन वन मछली उद्यान तथा सबधित गतिविधिया	1 33	1 80	3 44	2 40
4 खनन तथा पत्थर निकालना	1 78	1 03	0 41	5 44
5 (अ) घरेलू उद्योग	1 31	2 00	2 16	1 25
(आ) घरेलू उद्योग के अलवा उद्याग	3 51	5 45	10 08	12 16
6 निर्माण	2 21	2 42	2 83	4 64
7 व्यापार एव वाणिज्य	5 16	6 41	8 52	11 22
8 परिवहन सगृह व सचार	2 27	2 39	4 08	4 88
9 अन्य सवाए	8 17	9 69	13 08	16 61

स्रात पापूलेशन आफ राजस्थान 1991 से सकलित सभी प्रतिशत निकाले गए हैं

6 6 कुल याजना खर्च का उद्याग व खनन पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1973 74 म सवाई माधापुर जिले म याजना कार्यों पर किए गए कुल व्यय म उद्याग व खनन का हिस्सा मात्र 1 09 प्रतिशत था यह वष 1971 72 म कवल 0 37 प्रतिशत ही रहा । उद्याग व खनन पर अत्यन्त व्यय जिले के औद्यागिक विकास की दृष्टि स पिछडेपन का द्यातक है ।

6 7 पजाकृत कारखाने राजस्थान म वष 1987 म पजाकृत कारखाना की सख्या 9665 थी जबकि सवाई माधापुर म पजाकृत कारखाना की सख्या 89 ही रही। ध्यातव्य है कि राजस्थान म पजाकृत कारखाना की सख्या बढकर 1993 म 12580 हा चुकी है।

6 8 औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान मे वर्ष 1988 89 मे रीको द्वारा विकसित किये गए औद्योगिक क्षेत्र तथा उनमे आवटित भूखण्डो की जिलेवार स्थिति इस प्रकार रही

जिला	औद्योगिक क्षेत्र (सख्या)	आवटित भूखण्ड
सवाई माधोपुर	7	289
राजस्थान	175	14166
गगानगर	14	708
जयपुर	15	2373
पाली	11	825
जोधपुर	10	1518

स्रोत रीको जयपुर

6 9 राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण एव उसका वितरण राजस्थान वित्त निगम की विभिन्न जिलो के औद्योगिक विकास मे भूमिका यथा स्वीकृत ऋण एव उसका वितरण को आगे तालिका म दर्शाया गया है -

वर्ष 1986 87 (राशि लाख रुपए मे)

जिला	स्वीकृत ऋण		ऋण वितरित	
	सख्या	राशि	सख्या	राशि
सवाई माधोपुर	114	65 43	82	55 74
राजस्थान	3931	7520 20	2795	4563 22
अलवर	273	1434 98	138	690 13
भीलवाडा	432	539 46	306	516 57
जयपुर	596	1167 58	322	582 47

स्रोत बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान 1988 पृष्ठ 138 139

6 10 लघु उद्योगो मे औसत वार्षिक वृद्धि दर राजस्थान मे वर्ष 1982 83 से 1990 91 तक लघु उद्योग इकाइयो के विनियोग मे औसत वार्षिक वृद्धि दर 20 23 प्रतिशत थी इस दौरान सवाइ माधापुर मे लघु उद्यागो के विनियोग मे औसत वार्षिक वृद्धि दर 19 64 प्रतिशत रहा ।

7 राजस्थान के औद्योगिक विकास मे सवाई माधोपुर जिले का योगदान अधिक

सवाई माधोपुर मे 1987 के बाद पजीकृत कारखाना का सख्या उपलब्ध नहीं है ।

नहीं है । जिले के योगदान को निम्नलिखित तालिका म दर्शाया गया है -

क्र स	विविध क्षेत्र	वर्ष	योगदान (प्रतिशत मे)
1	सीमेंट उत्पादन	1985	11 20
2	लघु उद्योगो की सख्या	1990-91	2 73
3	लघु उद्योगो मे विनियोग	1990 91	0 88
4	लघु उद्योगो मे नियाजन	1990-91	2 12
5	खादी उत्पादन (सूती एव ऊनी)	1990 91	2 64
6	ग्रामोद्योग का उत्पादन	1990-91	3 36
7	पर्यटको की सख्या	1989	1 02

उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि सम्पूर्ण राजस्थान और राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला विशेष रूप से औद्योगिक विकास की दृष्टि से आज तक अपेक्षाकृत पिछडा हुआ है । यद्यपि विकास की विपुल सभावनाए हैं ।

8 सरकार की भूमिका एक लम्बे समय तक उत्साहवर्द्धक नहीं रही है परन्तु अब इसमे बदलाव आया है । सवाई माधोपुर के धीमी गति के औद्योगिक विकास के लिए एक बडी सीमा तक राज्य सरकार को उत्तरदायी माना जा सकता है । सरकार ने कारगार भूमिका का निर्वाह जिले के विकास हेतु नहीं किया है । केन्द्र सरकार ने भी कोई विशेष रूचि नहीं दर्शायी है । राज्य मे औद्योगिक विकास को गति देने हेतु स्थापित "रीको" ने भी इस दिशा मे विशेष प्रयास नहीं किये हैं । राज्य सरकार मात्र पूजी विनियोग सब्सिडी प्रदान करती है । जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना "ड्रिप" मे इस जिले का चयन किया जाना अवश्य ही उल्लेखनीय बात है ।



अध्याय 13

राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण

आर्थिक उदारीकरण और राजस्थान का औद्योगिक विकास

भारत में औद्योगिक विकास की गति को स्पृहणीय बनाने वास्ते जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारो की शुरूआत की गई । सुधारो के प्रारभिक चरण मे ही अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो में आमूलचूल परिवर्तन किय गए नतीजतन वर्ष 1991-92 मे 0 6 प्रतिशत रसातल तक पहुच चुकी औद्योगिक विकास दर बढकर 4 1 प्रतिशत हो गई । यह तेजी से बढकर 1994-95 (अप्रेल-अक्टूबर) मे 8 प्रतिशत तक पहुच गई । ताजी औद्योगिक नीति (जुलाई, 1991) की घोषणा के बाद निवेश की लागत को कम करने के अलावा पूजीगत सामानो पर शुल्क घटाया गया है । वेट प्रणाली मे पूजीगत सामानो को सम्मिलित किया गया है । इनकी सुखद परिणति औद्योगिक विकास की तेजतर गति के रूप में परिलक्षित होगी । उद्योग सभलेगे तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र मे एक नये दौर की आशा की जा सकती है ।

भारत जैसे विकासोन्मुखी देश मे तो औद्योगिक विकास के बिना आर्थिक कठिनाइयों का निवारण असभव नहीं तो कठिन अवश्य है । खेती मानसून का जुआ होने के कारण समूची अर्थव्यवस्था सदैव डावाडोल की स्थिति में रहती है । लोगो के जीवन स्तर में भारी उतार-चढाव रहता है । निर्धनता का कुचक्र भी थमा नहीं है । लगातार आठ वर्षो से मानसून के सामान्य रहने से अर्थव्यवस्था की स्थिति अवश्य सुधरी है । औद्योगिक विकास से निर्धनता के कुचक्र पर प्रहार कर अर्थव्यवस्था को ऊची स्तर पर ले जाया जा सकता है । कृषि पर बढ रहा जनसख्या का भार कम किया जा सकता है । विदित है कि कृषि पर अधिक जनसख्या का भार होने के कारण कृषि जोत का आकार उत्तरोत्तर छोटा होता गया । औद्योगिक विकास से एक ओर कृषि जोत का विभाजन और उपविभाजन रूकेगा दूसरी ओर कृषिगत विकास के लिए उर्वरक, उर्जा, उन्नत औजार

आदि मुहेया हा सक्ने । एक सामा क याद कृपि उत्पादिता आद्योगिक विकास पर निर्भर करता ह । कृपि काय म लग हुए फालतू लाग उद्योगा का आर खिचग । व्यावसायिक ढाचा भी तृतायक उद्योगा की आर बढ सकगा । आद्योगिक विकास लोगो क जीवन स्तर म सुधार के लिए भी आवश्यक ह । आर्थिक कल्याण म वृद्धि के लिए लोगो की आय म वृद्धि के साथ साथ उपभाग म विविधता का आवश्यकता होता ह जा आद्योगिक विकास द्वारा ही सभव है । मनुष्या मे नियमितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण तकनीकी प्रगति के लिए काशल आदि आवश्यक गुणा का सृजन हाता है ।

आद्योगिक विकास की उपादयता निर्विवाद है । भारतीय सदर्भ में इसकी प्रासगिकता म बढातरा तभा सभव हा पायगा जबकि इसका लाभ समृच क्षेत्रा का हो। आज भारत म कुछ राज्य एसे हैं जहा आद्योगिक विकास की दर तजतर हे जबकि कई राज्य एस ह जहा औद्योगिक विकास गति नहीं पकड पाया ह । सामरिक दृष्टि से अतिमहत्त्वपूर्ण राजस्थान को आर्थिक उदाराकरण म हुए औद्योगिक विकास से अधिक लाभ नहीं मिला ह । इस बात की पुष्टि राज्य म आद्योगिक विकास की धीमी गति से स्पष्ट हाता है ।

राजस्थान विकासोन्मुखी भारताय अर्थव्यवस्था का एक कम विकसित राज्य है। यहा की भौगालिक एव प्राकृतिक स्थिति अन्य राज्या की तुलना म काफी विकट है । वर्तमान म राजस्थान के समक्ष मुख्य चुनाती भौतिक एव मानवाय ससाधना का पूरा उपयोग करने की है । वित्तीय ससाधना की कमा क कारण राज्य म भरपूर उपलब्ध प्राकृतिक ससाधना का अपेक्षित विदाहन नहीं हा पाया है । गौरतलब है कि राज्य म 45 प्रकार के अलाह एव अधात्विक खनिजा क पयास भडार ह । इसके बावजूद भी प्रात विकास की राह के लिए तरसत रहा ह ।

राज्य म औद्योगीकरण की गति का बल दन क लिए नियाजन काल म राज्य सरकार द्वारा प्रयास किय गय किन्तु औद्योगिकीकरण का अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। लघु उद्योगा की सख्या म ही बढ़ातरी हा पाइ । अब राजस्थान आर्थिक विकास की गति के तेजतर करन वास्ते भारत सरकार द्वारा लागू किय जा रह आर्थिक सुधारा क साथ कदमताल करने क लिए प्रयासरत ह । राज्य म आद्योगिक विकास का गति को सपुष्ट करने के लिए केन्द्र द्वारा जुलाइ 1991 म घापित का गई आद्योगिक नाति क अनुरूप ही सितम्बर 1994 म नइ औद्योगिक नाति का घाषणा की गई । नइ नाति की घापणा के साथ ही क्रियान्विता भी शुरू का गइ । इससे पूव 1978 तथा 1990 में भा राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घापणा की गई थी किन्तु व आद्योगिक विकास का गतिनिधारक दिशा दन म सफल नहीं हा सकी । हाल हा म घापित नवीन औद्योगिक नीति स राज्य म आद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बनन लगा ह । राज्य में अमन चैन की स्थिति भा निवेशका के लिए अनुकूल बना हुई है । उद्यमी अब विनियाग क

लिए उतना नहीं कतराते जितना की पूर्व के दशकों मे । राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासो के कारण विदेशी निवेशको ने भी रुचि दर्शायी है ।

राजस्थान मे दिसम्बर 1994 तक 23 बडी ओर मझोले श्रणी की बहुराष्ट्रीय कम्पनिया ने 1550 करोड रुपए का विनियोजन किया । इन कपनिया की तकनीक पर आधारित परियोजनाए उत्पादन प्रारभ कर चुकी है । राज्य म विनियोजन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनिया सयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरलेण्ड, डेनमार्क, रूस, यू के , ताईवान, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, स्पेन, कनाडा और आस्ट्रिया आदि देशो की है । विदेशी कम्पनियों के तकनीकी सहयोग से रगीन टी वी ट्यूब्स जी वी पिक्चर ट्यूब्स, ग्लास शैल, बीयर और बीयर केन, सिक्योरिटी प्रिटिंग इक, एल्यूमीनियम रेडिएटर्स, डायमण्ड टील्स, कॉटेक्ट लैंस, ए बी एस रेसिन, सिरेमिक रग, साइकिल टायर ट्यूब, इलेक्ट्रोनिक स्विचिग प्रणाली, शैविग ब्लेड, मास्टर बेचेज, टोनर्स व डेवलपर्स, पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, चिप्स, टेरीटॉवल, कोल्डरोल्ड, स्ट्रिप्स, ऐयर सेपरेटर सयत्र पी वी सी रिजिड पाइप्स और आप्टिकल फाइबर आदि का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है ।

आर्थिक खुलेपन के दौर मे भारत मे किये गए कुल विदेशी पूजी निवेश पर दृष्टिगत किया जाए तो पाते हैं कि राजस्थान मे किया गया विदेशी निवेश अन्य राज्यो यथा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि की तुलना मे अत्यल्प है । राजस्थान मे जो थोडा बहुत विदेशी निवेश किया गया है वह भी क्षेत्रीय विषमता को बढावा देने वाला ही है। अधिकतर बहुराष्ट्रीय कपनिया राज्य के कोटा, भिवाडी, शाहजहापुर, अलवर और आबूरोड जैसे औद्योगिक क्षेत्रो तक ही केन्द्रित है । इन क्षेत्रो मे औद्योगिक विकास की कोई समस्या नहीं है । अकूत प्राकृतिक सपदा वाले क्षेत्रो को पूजी विनियोजन की दृष्टि से उपेक्षा की गई ।

राजस्थान के तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग मे कुछ आधारभूत समस्याए है । जिनके कारण पूजी निवेश मे आशाजनक बढोतरी नहीं हो पा रही है । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बाधा उर्जा के अभाव की है । उर्जा की समस्या सदैव मुहबाए खडी है । इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने उर्जा के क्षेत्र मे निजी उद्यमियो को आमत्रित किया है, किन्तु इस दिशा मे अभी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है । अनेक परियोजनाओ के बीच केवल गुढा बरसिहसर परियोजना को ही निजी क्षेत्र मे सौपे जाने का फैसला दिसम्बर 1994 तक हो पाया है । राज्य मे विद्युत की माग व पूर्ति मे भारी अतराल है । वर्तमान में राज्य मे माग व पूर्ति मे 40 प्रतिशत का अतर है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी चौदहवीं रिपोर्ट मे मौजूदा अनुमानो के आधार पर सन् 2001 म राजस्थान मे बिजली की माग 34300 मेगा यूनिट आकी है, जबकि तब आपूर्ति महज 19147 मेगा यूनिट होगी अर्थात् माग व आपूर्ति मे 44 प्रतिशत से ज्यादा का फर्क होगा । राज्य सरकार उर्जा सबधी महत्त्वपूर्ण अद्य सरचना की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है । राज्य

की आठवीं पचवर्षीय योजना साढे ग्यारह हजार करोड रुपए की है । सातवीं पचवर्षीय योजना तीन हजार करोड रूपए की थी । चालू वित्त वर्ष की योजना का आकार चौतीस सौ करोड रुपए का है । यूनीगेज का काम राज्य मे उत्साह से चल रहा है । यमुना का पानी भी अब राजस्थान मे है । राज्य मे लिग्नाईट को वाणिज्यिक उपयोग के लिए बाजार म ले जाना शुरू कर दिया गया है । कृषि क्षेत्र मे भी राज्य के कदम प्रगति के पथ पर है ।

आर्थिक सुधारा के शुरूआती वर्षों मे उद्यमियो मे उत्साह है । इसका लाभ उठाने के लिए अद्य सरचना को वदले आर्थिक परिवेश के अनुरूप ढालने की महती आवश्यकता है । खनिज ससाधनो को दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देश मे महत्त्वपूर्ण है । प्रान्त मे जन्मे औद्योगिक घराना ने देश के औद्योगीकरण को गति दी है । अब विदेशी निवेशक हो राज्य मे कदम बढा चुके हैं तो स्वदेशी उद्यमियो के लिए मातृभूमि के प्रति आत्मीयता को देखते हुए यहा विनियोजन और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है । राज्य सरकार निवेशको को आकर्षित करने को पुरजोर कोशिश करे ताकि राजस्थान देश के विकसित राज्यो की भाति आर्थिक खुलेपन के दौर म प्रगति के पथ पर कदमताल कर सके ।

वित्तीय अनुशासन और बजट

राजस्थान का वित्तीय वष 1996-97 का बजट मुख्यमत्री श्री भैरोसिह शेखावत द्वारा 15 मार्च 1996 को राज्य विधान सभा मे पेश किया गया । देश मे आगामी आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है । राजस्थान म लोक सभा चुनाव 27 अप्रैल व 2 मई 1996 का दो चरणो म सम्पन्न होने हैं इसलिए इतना समय नहीं कि राज्य विधान सभा मे चचा क बाद बजट को पारित किया जा सके नतीजतन वर्ष 1996-97 के चार माह के खच के लिए लेखानुदान भी विधान सभा मे पेश किया गया ।

बजट म किसी नये कर का प्रावधान नहीं किया गया है । राज्य बजट पर 72 कराड रुपए भार की अनेक रियायते,की गई है । सामाजिक और बुनियादी सेवाओ के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । महिलाओ के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । महिलाओ के लिए सरकारी सेवाओ मे आरक्षण की घोषणा की गई है । ग्रामीण विकास पर सरकार ने विशष जोर दिया है, कुल व्यय का 63 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है । जनता पर कोई नया कर नहीं थोपा जाना और रियायतो म बढातरी से बजट आम चुनाव को ध्यान मे रखकर बनाया गया परिलक्षित होता है ।

हाल ही के वर्षों मे राजस्थान की आर्थिक स्थिति मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है । विभिन्न आर्थिक सूचको मे राजस्थान ने प्रगति की है । राज्य म प्रति व्यक्ति

योजनान्तगत निवेश 1992 93 म 320 रूपए प्रति व्यक्ति मे बढकर 1996 97 म 727 रूपए हो गया है । देश म याजना के आकार म सवाधिक प्रतिशत वृद्धि राजस्थान मे ही हुई है । योजनाओ के आकार मे बढोतरी से आर पचवर्षीय याजनाआ म अद्य सरचनात्मक विकास पर बल दिये जाने के कारण आज राज्य मे विकास का वातावरण बना है । जिससे शुद्ध घरेलू उत्पाद ओर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हुई है । त्वरित अनुमानो के आधार पर प्रचलित कीमता पर 1995 96 म राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद 32989 करोड़ रुपए (वर्ष 1994 95 स 8 43 प्रतिशत अधिक) और प्रति व्यक्ति आय 6810 रुपए (1994 95 को प्रति व्यक्ति आय से 6 31 प्रतिशत अधिक) ह । भारत की राष्टीय आय 1980 81 के मूल्या के आधार पर 1995 96 मे 230568 करोड रुपए तथा 1980 81 के मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 1995 96 मे 2506 रुपए है ।

वतमान मे उद्यपी यहा विनियाजन से नहीं कतराते है । स्वदशा उद्यमी तो दूर विदेशी निवेशक भी आकर्षित हुए है । विभिन्न निवेशको द्वारा अगस्त 1991 से अक्टूबर 1994 के मध्य 15291 करोड रुपए के पूजी निवेश हेतु उद्यमिता ज्ञापन (आइ ई एम) प्रस्तुत किये गए थे जो बढकर दिसम्बर 1995 तक 22753 करोड रुपए के हो गए ह। नवम्बर 1994 से दिसम्बर 1995 तक प्रदेश म प्रस्तावित विनियोजन म 48 80 प्रतिशत को वृद्धि हुई । विदेशी पूजी निवेश मे बढोतरी हुई है । जनवरी 1993 स अक्टूबर 1994 के बीच स्वीकृत निवेशो की सख्या 54 था इनसे राजस्थान म 276 25 करोड रुपए विदेशी पूजी निवेश हुआ ।

जनवरी 1993 से अक्टूबर 1994 के बीच भारत म जो कुल विदेशी पूजी निवेश हुआ उसका महाराष्ट्र मे 26 प्रतिशत दिल्ली मे 13 प्रतिशत गुजरात मे 8 98 प्रतिशत तमिलनाडु मे 5 92 प्रतिशत तथा प बगाल मे 5 18 प्रतिशत भाग निवेश किया गया । कुल विदेशी पूजी निवेश का राजस्थान म केवल 1 41 प्रतिशत ही निवेश किया गया। विदेशी पूजी निवेश की दृष्टि से राजस्थान का स्थान दसवा रहा । राजस्थान के औद्योगीकरण की स्थिति का देखते हुए विदेशी पूजी निवेश का महती आवश्यकता है किंतु निवेशको के मार्ग मे प्रान्त का आधारभूत सरचना सबधी समस्याए आढे आती ह जिन्हे दूर करने के लिए विदेशी निवेशको को अद्य सरचनात्मक क्षेत्र म निवेश के लिए प्रेरित करना चाहिए।

आर्थिक स्थिति पर चचा के बाद अब राज्य बजट पर चर्चा करना प्रासगिक होगा ।

सरकार राजस्व घाट को कम करने के लिए प्रयासरत है । वर्ष 1995 96 म अनुमानित राजस्व घाटा 824 93 करोड रुपए था जा 1995 96 के सशाधित अनुमानो मे 546 60 करोड रुपए रहा । राजस्व घाटे में 278 33 करोड रुपए की कमी बेहतर राजस्व वसूली के कारण सभव हो सका । वर्ष 1995 96 मे राजस्व प्राप्तिया निर्धारित लक्ष्य से 587 करोड रुपए अधिक रही ।

की तुलना म रेखांकित की जाने वाली बढोतरी हुई । राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति और अब तक के आर्थिक पिछडपन का दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक भा था । पचवर्षीय योजना के आकार म बढोतरी से वार्षिक याजनाओ मे वृद्धि हुइ आर सामाजिक आर्थिक अद्य सरचना के विकास का बल मिला ।

राज्य की वार्षिक योजनाएँ

वार्षिक योजना	योजना आकार (करोड रुपए)	गत याजना का तुलना म प्रतिशत वृद्धि
1992 93	1400	
1993-94	1700	21 42
1994-95	2450	44 11
1995-96	3200	30 61
1996 97 (अनुमानित)	3200	शून्य

"राज्य म आद्योगिक विकास की सभावनाए काफी हे । विकास म अग्रणी होने के लिए नवा पचवर्षीय याजना म भारी वृद्धि का आवश्यकता है । आठवीं योजना बडी होने के बावजूद भ वित्ताय ससाधनो का अभाव बना हुआ ह । वर्ष 1996 97 की वार्षिक योजना म अपक्षित वृद्धि सभव नहीं हा सकी । अत राज्य सरकार नवीं पचवर्षीय योजना के बडे आकार की बात याजना आयोग क सामन दृढता स रख । नवीं योजना क आकार म बढोतरा से दो लाभ हाग एक वार्षिक याजनाओ क आकार म उत्तरोत्तर वृद्धि सभव हो सकगी तथा दूसरा राज्य म आद्योगिक विकास का सभावनाए मूर्त रूप ले सकगी ।"

आठवीं पचवर्षीय याजना क आकार का दखते हुए 1996 97 का वार्षिक याजना 2750 करोड रुपए का हाना चाहिए, किंतु विकासगत जरूरता का दृष्टिगत रखत हुए वार्षिक योजना 3200 कराड रुपए निर्धारित का गइ है । वार्षिक याजना म 450 कराड रुपए का अधिक प्रावधान किए जान से आठवीं याजना का आकार लगभग 12 हजार करोड रुपए हा जान का अनुमान ह । वित्ताय ससाधना का शत प्रतिशत विनियोजन सरकार की वित्तीय कुशलता का दर्शाता है ।

वार्षिक याजना 1996-97 विनियोजन

विनियोजन क्षेत्र	विनियाजन (करोड रुपए)	विनियाजन वार्षिक याजना के प्रतिशत में
1 सामाजिक और सामुदायिक सवाएँ	947 20	29 60
2 उजा	733 44	22 92
3 सिचाई एव बाढ नियत्रण	454 40	14 20
4 कृषि एव सबद्ध सेवाएँ	314 56	9 83
5 उद्याग व खनन	127 68	3 99

वार्षिक याजना की कुल राशि का 63 प्रतिशत से अधिक ग्रामाण क्षेत्र म व्यय किया जाना प्रस्तावित है सामाजिक ओर सामुदायिक सेवाआ क लिए 947 20 करोड रुपए निधारित किये गए ह जो कि वार्षिक याजना का 29 60 प्रतिशत है । सामाजिक आर सामुदायिक सवाओ म शिक्षा चिकित्सा पयजल आदि सवाए सम्मिलित की जाती है । इन सवाआ क क्षत्र म राजस्थान की स्थिति अपक्षाकृत कमजोर है । अत सामाजिक सेवाआ पर अधिक व्यय का प्रावधान लाजिमी है । किंतु उद्याग व खनन पर कुल वार्षिक याजना का केवल 3 99 प्रतिशत का प्रावधान निश्चित ही उद्योग व खनन के क्षेत्र म सरकार का उपक्षा का दशाता है । औद्यागिक विकास बिना गरीबी निवारण कठिन है यह बात प्रमाणित हो चुकी है । उद्योगा के विकास पर राज्य सरकार का विनियोजन का कम स कम दस प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहिए ।

याजनाआ के आकार सबधी परिप्रेक्ष्य म वार्षिक याजना 1996 97 पर दृष्टिपात प्रासगिक हागा । बजट म वष 1996 97 का 3200 कराड रुपए का वार्षिक याजना का वित्त पाषण इस प्रकार स किया जाना प्रस्तावित है ।

वार्षिक योजना 1996 97 का वित्त पोषण

स्रात	रुपए (कराड म)	वार्षिक योजना के प्रतिशत मे
1 राज्य क स्वय क ससाधन	1280 84	40 02
2 बाजार एव सस्थागत ऋण	942 12	29 44
3 कन्द्राय सहायता	488 31	15 25
4 बाह्य सहायता	350 00	10 93
5 अन्य	138 73	4 33

कन्द्राय विनियाजन का दृष्टि स राजस्थान सदेव उपक्षित रहा है । वार्षिक याजनाआ क वित्त पाषण म कन्द्राय सहायता का भाग घटा ह जिसस राज्य सरकार को याजना वित्त पाषण क लिए बाजार एव सस्थागत ऋण पर निभर होना पडा ह । वेश्वीकरण क दार म यह सभव है कि कन्द्राय सहायता का प्रतिशत वष दर वर्ष कम हाता चला जाए । कन्द्राय सहायता म कटाता की प्रक्रिया गत वर्षो स प्रारभ हा चुकी है । वष 1992 93 का वार्षिक याजना म कन्द्राय सहायता 74 63 प्रतिशत था जो घटकर वष 1995 96 म 52 07 प्रतिशत रह गइ । वष 1996 97 की वार्षिक याजना म ता कन्द्रीय सहायता आर भा घटकर 15 25 प्रतिशत हा रह गइ । घटता कन्द्राय सहायता को दृष्टिगत रखत हुए राज्य सरकार यह प्रयास कर कि आन्तरिक ससाधना का प्रतिशत पचास फीसदी तक पहुच जाए ।

ताज बजट म आद्यागिक वातावरण म सुधार क लिए राज्य सरकार क प्रयास

दृष्टिगोचर हुए है । सरकार ने निवेशको को आकर्षित करने के लिए करो म छूट की घोषणा की है । सगमरमर की स्लरी व फलाई ऐश की वस्तुएँ बनाने वाले उद्योगो को 7 वर्ष तक तथा ग्यारगम निर्यातक इकाइयो को पाच वर्ष तक कर मुक्त कर दिया गया है । सीमेंट, सगमरमर और ग्रेनाइट आधारित इकाइयो को बिक्री कर मे छूट दी गई है। इसके अलावा औद्योगीकीकरण के क्षेत्र मे आधारभूत ढाचे के सुदृढीकरण पर बल वर्ष 1996-97 को औद्योगिक क्षेत्र मे 'क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ष' के रूप मे मनाना प्रोजेक्ट डवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन, प्रमुख ओद्योगिक क्षेत्र यथा भिवाडी आबू रोड जोधपुर नीमकाना आदि मे सामाजिक आधारभूत सुविधाओ का विकास भिवाडी मे ही निर्यातोन्मुखी फ्लोरीक्लचर काम्प्लेक्स की स्थापना बीकानेर मे सिरैमिक काम्पलेक्स की स्थापना आदि का प्रावधान किया गया है । सरकार के इन प्रयासो से राज्य म औद्योगिक विकास की गति बल पकडेगी ।

राज्य मे पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है फिर भी राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति का लाभ नही उठा सका हे । भारत आने वाले पर्यटको का थोडा भाग ही राजस्थान मे आ पाता है । वर्ष 1994 मे 436000 और 1995 म 53ა000 विदेशी पर्यटक ही आ पाए । पर्यटको को आकर्षित करने के लिए सरकार ने पहल की है । जिनमे शेखावटी के लिए पर्यटन गाडी, जयपुर व अजमेर म हवाई पट्टी जोधपुर मे होटल प्रबध सस्थान, ग्रामीण पर्यटन आदि प्रमुख है ।

आर्थिक विकास मे आधारभूत सरचना विशेषकर उर्जा और सडको का अभाव प्रमुख बाधा है । कुछ बुनियादी समस्याएँ भी है । पेयजल आर निरक्षरता की समस्या विकट है । सरकार उर्जा की समस्या से निपटने के लिए आकाश पाताल और जमीन से उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो से विद्युत उत्पादन के लिए सजगता से प्रयास कर रही है । वर्ष 1996-97 का बजट पेयजल को समर्पित किया गया ह । इसके लिए 754 12 करोड रुपए का प्रावधान बजट मे किया गया है ।

बजट मे कुल वित्तीय प्रावधान

करोड रुपए

मद	1995-96 सशोधित अनुमान	196-97 बजट अनुमान	प्रतिशत वृद्धि
ग्रामीण विकास	723 21	789 27	9 13
कृषि तथा भू एव जल सरक्षण	127 14	220 80	73 66
उद्योग	81 10	72 22	(-) 10 94
शिक्षा	1713 55	1915 16	11 76
चिकित्सा एव स्वास्थ्य	440 97	474 44	7 59
सडके एव पुले	467 18	454 08 ( )	2 80
पेयजल	699 64	754 12	7 78



अध्याय 14

राजस्थान में आर्थिक सुधारों के फलितार्थ

भारत मे विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने के वास्ते वर्ष 1991 से आर्थिक सुधारो का शुरुआत की गई । आर्थक सुधारा के प्रारम्भिक पाच वर्षो मे भारतीय अर्थव्यवस्था म मूलभूत बदलाव किये गये । आथिक सरचना सबधी किये गए बदलावो के परिणाम भी दृष्टिगोचर होने लग ह । अथव्यवस्था मे आर्थिक खुलेपन से तथा विदेशी निवेशको को आकर्षित करने पर बल देन से औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है । वर्ष 1996 से आथिक सुधारो का दूसरा चरण जारी है। वर्ष 1996 97 का केन्द्रीय बजट तथा नवम्बर 1996 मे मुद्रा नीति में किये गए बदलाव से आर्थिक सुधारो का गति मिली है । किन्तु अप्रेल सितम्बर 1996 97 मे ओद्योगिक विकास की धीमी दर तथा पूजी बाजार मे मदी से आर्थिक सुधारो की प्रासगिकता प्रभावित हुई है ।

राजस्थान एक विकासोन्मुखी राज्य है । राज्य सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए प्रयासरत है । राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए समय समय पर औद्योगिक नीति की घोषणा की। अब तक राज्य सरकार 1978 1990 तथा 1994 मे औद्योगिक नीति की घोषणा कर चुकी है । वर्ष 1990 की औद्योगिक नीति मे राज्य की आय मे उद्योगो का योगदान बढाने के लिए खनन कृषिगत व अन्य साधनो के अधिकतम उपयोग पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया । इसके अलावा रोजगार सृजन क्षेत्रीय असतुलन को समाप्त करना उद्यमियो को प्रोत्साहन आदि पर विशेष बल दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रा मे रोजगार सृजन को बढावा देने के लिए खादी एव ग्रामोद्योग हथकरघा दस्तकारी व चमडा आधारित उद्योगो क विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । लघु पैमाने की इकाइया यथा अतिलघु उद्योग

की लम्बाई 66837 किलोमीटर थी इसमे राष्ट्रीय राजमार्ग 2846 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 9810 किलोमीटर, मुख्य जिला सडके 5549 किलोमीटर, अन्य जिला सडके 12143 किलोमीटर, ग्रामीण सडके 34250 किलोमीटर तथा सीमावर्ती सडके 2239 किलोमीटर है । वर्तमान मे राजस्थान मे 'निरक्षरता छोडो अभियान' चलाया जा रहा है । राज्य मे साक्षरता मे वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है । वर्ष 1991 मे 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसख्या मे साक्षरता बढकर 38 55 प्रतिशत हो गई । पुरुषो मे साक्षरता 54 99 प्रतिशत तथा महिलाओ मे 20 44 प्रतिशत साक्षरता है ।

आर्थिक सुधारों के फलितार्थ-

आर्थिक नीति मे किये गये बदलाव तथा आधारभूत सरचना के विकास पर बल देने से राजस्थआन की अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हुई है । चालू मूल्यो पर आर्थिक विकास दर (जी एस डी पी पर आधारित) वर्ष 1992-93 मे 18 95 प्रतिशत 1993-94 मे । 4 41 प्रतिशत तथा 1994-95 मे 21 66 प्रतिशत थी । वर्ष 1996-97 के लिए आर्थिक विकास की दर 8 86 प्रतिशत (प्रॉविजनल) निर्धारित की गई है । प्रचलित कीमतो पर सकल घरेलू उत्पाद 1992 93 मे 27232 करोड रुपए था जो बढकर 1993-94 मे 28433 करोड रुपए, 1994-95 मे और बढकर 35591 करोड रुपए हो गया । स्थिर कीमतो (1980 81) पर सकल घरेलू उत्पाद 1992 93 मे 10192 करोड रुपए था जो बढकर 1994-95 मे 11065 करोड रुपए हो गया ।

औद्योगिक विनिर्माण सूचकाक 1992-93 मे 262 69, 1993-94 मे 309 86 तथा 1994-95 मे 316 44 रहा । राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 1995 96 के अनुसार वर्ष 1988-89 मे उद्योगो से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 570 रुपए थी । प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1993 94 से 254 कि वाट था । मार्च 1994 म कुल ग्रामो मे विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत 83 42 प्रतिशत था ।

ढांचागत निवेश—

देश मे हुए ढाचागत निवेश के क्षेत्र मे राजस्थान का चाथा स्थान है । जबकि इस क्षेत्र म सर्वाधिक निवेश मध्यप्रदेश मे हुआ है । अगस्त 1991 से लेकर दिसम्बर 1994 के बीच देश मे कुल 4,40,620 करोड रुपए का ढाचागत निवेश हुआ । इसमे से 11500 करोड रुपए का निवेश राजस्थान मे हुआ था । राजस्थान मे हुए कुल निवेश का 32 4 प्रतिशत निजी क्षेत्र की भागीदारी से हुआ । प्रति व्यक्ति निवेश के क्षेत्र म हिमाचल प्रदेश प्रथम रहा है । राजस्थान इस मामले में नीचे है । यहा प्रति व्यक्ति निवेश 4254 रुपए है । निर्माण क्षेत्र में अगस्त 1991 से दिसम्बर 1994 तक की अवधि मे 228940

करोड रुपए का निवेश हुआ । इसमें से राजस्थान में 6857 करोड रुपए का निवेश हुआ। राज्यो मे प्रस्तावित निवेश के सदर्भ मे राजस्थआन मे 18772 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जबकि पूरे देश मे 776462 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है । राजस्थान मे इस प्रस्तावित निवेश के कारण 2 लाख 47 हजार रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

पूंजी निवेश—

परिवर्तित आर्थिक परिवेश मे 1990 से 1995 के बीच राज्य में एक दर्जन बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ने कुल 11 अरब रुपए का पूजी निवेश किया । राज्य सरकार ने 1994 95 मे प्रदेश मे वृहद एव मध्यम श्रेणी के उद्यमो के 237 आइ ई एम केन्द्र सरकार को प्रेषित किये । इनके माध्यम से 4453 करोड रुपये का विनियोजन होने की आशा है जिससे 39790 व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त होगा ।

राज्यवार मजूर प्रत्यक्ष पूजी निवेश के अन्तर्गत जनवरी 1993 से जुलाई 1994 तक राजस्थान में 138 मिलियन रुपए के 42 प्रस्ताव मजूर किये गए । पूजी निवेश में बढोतरी दर के लिहाज से राजस्थान देश मे तीसरे स्थान पर है । पूजी निवेश क्षेत्र में गत दो वर्ष (1994-95 तथा 1995 96) मे राजस्थान ने कुछ विकसित राज्यों को भी पीछे छोड दिया है । राज्य की यह उपलब्धि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के कारण सभव हो सकी है । अक्टूबर 1994 से दिसम्बर 1995 तक प्रस्ताविक निवश 48.80 फीसदी की दर से बढा । गुजरात (66 44 प्रतिशत) और तमिलनाडु (56 41 प्रतिशत) के साथ देश मे क्रमश प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे । राजस्थान की निवेश बढोतरी के मुकाबले उत्तरप्रदेश (26 25 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (20 89 प्रतिशत) काफी पीछे रहे । यह पूजी निवेश औद्योगिक क्षेत्र के लिए है । देश के वित्तीय सस्थानो ने राजस्थान को मिलने वाले कर्ज मे वढोतरी की है । अप्रैल-दिसम्बर 1995 के बीच अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानो से मिलने वाला कर्ज 1308 करोड रुपए था । जबकि इससे पूर्व के वप मे इस दौरान मात्र 877 करोड रुपए का कर्ज मिला ।

निर्यात मे बढोतरी—

राजस्थान के प्रमुख निर्यातो मे कपडे, सिले सिलाए वस्त्र, खाद्य एव कृषि उत्पाद, रासायनिक एव सम्बद्ध उत्पाद इजीनियरिंग, हस्तशिल्प उत्पाद, मारबल, ग्रेनाइट, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, गलीचे-दरिया, प्लास्टिक एव लिनोनियम, चमडे से बनी वस्तुएँ, दवाइया, ऊन एव ऊन तैयार उत्पाद और हाथकर्घा निर्मित वस्तुएँ उल्लेखनीय है ।

राजस्थान मे पिछले पाच वर्षों म निर्यात मे काफी वृद्धि हुई है । वर्ष 1990-91 मे जहा कुल 421 81 करोड रुपए का नियात हुआ था, वहीं 1991-92 में 688.86 करोड रुपए, 1992-93 में 1051 94 करोड रुपए और 1993-94 में 1432.28 करोड

रुपए का निर्यात हुआ । वर्ष 1994-95 मे 2632 59 करोड रुपए मूल्य के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्यात किया गया जो कि इससे पहले वर्ष के मुकाबले 83 प्रतिशत से अधिक है । वर्ष 1994-95 मे राज्य से सर्वाधिक 543 78 करोड रुपए मूल्य का निर्यात हीरो का रहा जबकि रत्नों व आभूषण का निर्यात 440 66 करोड रुपए का था । निर्यात किये गए अन्य प्रमुख उत्पादो के तहत कपडे का निर्यात 428 05 करोड रुपए सिल-सिलाए वस्त्र 304 13 करोड रुपये, खाद्य एव कृषि उत्पाद 227 40 करोड रुपए, रासायनिक एव सम्बद्ध उत्पाद 224 91 करोड रुपए का था जबकि इजीनियरिंग, हस्तशिल्प उत्पादो, मारबल तथा ग्रेनाइट और इलेक्ट्रोनिक उपकरणो का निर्यात क्रमश॰ 129 44 करोड, 101 02 करोड, 87 करोड और 60 करोड रुपए का रहा । राज्य से निर्यात किये गए उत्पादो में सर्वाधिक बढोतरी हीरो के निर्यात मे रही । रत्न एव आभूषण तथा खाद्य एव कृषि जन्य उत्पादों के निर्यात में यह बढोतरी क्रमश॰ 116 12 प्रतिशत तथा 106 88 प्रतिशत की रही ।

नइ औद्योगिक नीति मे शत प्रतिशत निर्यात पर आधारित उद्योगो को काफी रियायतों की घोषणा की गई है । इनमे प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन देना, बिजली कटौती से छूट देना, मशीन व कच्चे माल की खरीद पर कर म छूट शामिल है । राज्य में नयी औद्योगिक नीति के बाद उद्योगो मे पूजी विनियोजन काफी बढा है । वर्ष 1994-95 तक बडे व मझौले उद्योगा मे लगभग 8356 करोड रुपए का पूजीनिवेश हो चुका है । छोटे उद्योगो में पूजी निवेश की यह राशि लगभग 1500 करोड रुपए तक पहुच चुकी है । राज्य में इन उद्योगो के लगने से बडे उद्योगो मे जहा 1 38 लाख लोगो को रोजगार मिला है, वहीं लघु उद्योगो मे 6 59 लाख लोग रोजगार पर लगे हुए है । उद्योगो को दी जाने वाली रियायतो के तहत मार्च 1995 तक 7765 औद्योगिक इकाइयो के लिए 198.44 करोड रुपए की अनुदान राशि मजूर की गई । इसके अलावा 4124 औद्योगिक इकाइयों को बिक्री कर का लाभ दिया गया ।

योजना परिव्यय-

राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना का आकार 11500 करोड रुपए स्वीकृत किया गया । यह योजना सातवीं पचवर्षीय योजना की तुलना मे 283 प्रतिशत अधिक है । राज्य की आठवीं योजना का आकार आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उडीसा, पश्चिमी बगाल से अधिक है । चालू वित्तीय वर्ष (1996-97) आठवी योजना का अंतिम वर्ष है । आठवीं योजना के काल मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिलाभ 12000 करोड रुपए लेने का अनुमान है । राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत विनियोजन 2614 रुपए है जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत 2101 रुपए ही है । वर्तमान मे (दिसम्बर 1996) में राज्य की नवीं पचवर्षीय योजना के 'दृष्टिकोण पत्र' पर विचार किया जा

रहा है । राज्य सरकार ने नवीं योजना का आकार 25 हजार करोड रुपए रखने का फैसला किया है । नवीं योजना की समयावधि 1997 से 2002 होगी । राज्य मे नवीं योजना अप्रैल 1997 से प्रारभ होगी और मार्च 2002 तक क्रियान्वित रहेगी । राजस्थान की नवीं पचवर्षीय योजना 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य मे आर्थिक विकास की दशा और दिशा तय करेगी ।

आर्थिक उदारीकरण के दौर ने राजस्थान की वार्षिक योजनाओ के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है । वर्ष 1992 93 की वार्षिक योजना का आकार 1400 करोड रुपए था । वार्षिक योजना का आकार बढकर 1996 97 मे 3200 करोड रुपए (अनुमानित) तक जा पहुँचा । वर्ष 1995 96 की वार्षिक योजना का आकार 3200 करोड रुपए था जो गत वर्ष की योजना के आकार से 30 61 प्रतिशत अधिक था । राजस्थान मे उर्जा के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजनाओ के सार्वजनिक परिव्यय मे ऊर्जा विकास को प्राथमिकता दी गई । वर्ष 1994 95 मे उर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय 651 39 करोड रुपये था ।

वार्षिक योजना 1994 95 मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय

विकास शीर्ष	वास्तविक योजना परिव्यय
1 कृषि एव सम्बद्ध सेवाए	240 21
2 ग्रामीण विकास	180 54
3 विशिष्ठ क्षेत्रीय योजना	3 45
4 सिचाई एव बाढ नियत्रण	381 13
5 ऊर्जा	651 39
6 उद्योग व खनिज	127 64
7 यातायात	178 62
8 वैज्ञानिक सेवाएँ एव अनुसधान	3 91
9 सामाजिक एव सामुदायिक सवाएँ	606 51
10 आर्थिक सेवाएँ	17 72
11 सामान्य सेवाएँ	24 63

स्रोत आर्थिक समीक्षा 1995 96 राजस्थान सरकार ।

राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण के प्रारभिक पाच वर्षों म अथव्यवस्था म किय गए ढाचागत बदलाव से पूजी निवश निर्यात ढाचागत निवेश आदि क्षेत्रो मे विकासात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुयी है । किन्तु प्रदेश म क्षेत्रीय असतुलन की समस्या बढी तथा राज्य को ऋण ग्रस्तता से मुक्ति नहीं मिली है । राजस्थान सरकार की देनदारिया 31 मार्च 1990 तक 6 हजार 127 करोड 10 लाख 69 हजार रुपए थी जो बढकर 31

मार्च 1996 तक 14 हजार 249 करोड 20 लाख 38 हजार हो गई । 31 मार्च 1990 तक राज्य सरकार पर चार हजार 382 करोड 94 लाख 94 हजार रुपए सार्वजनिक ऋण और एक हजार 744 करोड 15 लाख 15 हजार रुपए अन्य देनदारिया थी । वर्ष 1995-96 के सशोधित अनुमानो के अनुसार मार्च 1996 तक राज्य सरकार पर 9 हजार 17 करोड 93 लाख 18 हजार रुपए सार्वजनिक ऋण और पाच हजार 231 करोड 27 लाख 30 हजार रुपए की अन्य देनदारिया थी । राज्य सरकार को वर्ष 1995-96 मे सार्वजनिक ऋण पर 878 करोड 3 लाख 59 हजार रुपए तथा अन्य देनदारियो पर 362 करोड 76 लाख 19 हजार रुपए का ब्याज चुकाना पडा । राज्य सरकार की देनदारियो म वृद्धि का प्रमुख कारण योजना लाभ मे वित्त पोषण के लिए अधिक ऋण प्राप्त करना है ।

आर्थिक सुधारो के दौर मे राजस्थान मे क्षेत्रीय असतुलन की समस्या उभरी है । कोटा अलवर जयपुर भीलवाडा तेजी से औद्योगीकरण की ओर अग्रसर है वहीं सवाई माधोपुर बारा टोक तथा पश्चिमी जिले आर्थिक विकास की दौड मे पिछड गए है । एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के मैदानी तथा पहाडी क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद राज्य स्तरीय औसत की तुलना मे काफी कम रहा है । वर्ष 1986 87 से 1990 91 की अवधि म प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद का राज्य स्तरीय औसत 102 7 प्रतिशत रहा है । इसकी तुलना मे हनुमानगढ गगानगर वाले सघन सिंचित और कृषि क्षेत्र मे यह औसत 117 72 प्रतिशत रहा जबकि सवाई माधोपुर टोक धौलपुर भरतपुर दौसा आदि मैदानी क्षेत्रो म सकल घरेलू उत्पाद का औसत केवल 81 15 प्रतिशत रहा ।

राजस्थान म बढती ऋणग्रस्तता और क्षेत्रीय असतुलन की समस्या के निदान के लिए कारगर प्रयास की आवश्यकता है । ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए योजना के वित्त पोषण के लिए स्वय के ससाधनो मे बढोतरी करनी होगी । औद्योगिक विकास की गति को बेहतर करने के लिए प्रत्यक्ष पूजी निवेश को बढावा दिया जाना आवश्यक है । क्षेत्रीय असतुलन की समस्या से निपटने के लिए विकास की दौड मे पिछड चुके जिलो का औद्योगिक सभाव्यता सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । पिछडे हुए क्षेत्रो मे उपलब्धता प्राकृतिक ससाधनो पर आधारित उद्योगो की स्थापना की जानी चाहिए । सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय म पिछडे हुए जिलो को प्राथमिकता देनी चाहिए ।